49वीं
वार्षिक प्रतिवेदन
2018 - 2019

इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लि.

(भारत सरकार का उद्यम)

मिशन / ध्येय

गुणवत्ता और परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए एक अग्रणी अद्योपांत परियोजना निष्पादन कम्पनी बनाना, जो सतत् रूप से स्टेकहोल्डरों के मूल्य का वर्धन कर रही है।

उद्देश्य

1. नए कारबार क्षेत्रों में विस्तार करते हुए अपने सर्वाधिक लाभदायक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए कारबार का अनुरक्षण करना।
2. मूल्य सृजन पर अनवरत ध्यान केंद्रित करते हुए अपवादित ग्राहक सेवा का परिदान करना।
3. गुणवत्ता और मार्जिन पर मजबूती से ध्यान केंद्रित करते हुए प्रचालन उत्कृष्टता का अनुसरण करना।

विषय–सूची

	पृष्ठ संख्या
संदर्भ सूचना	2
निदेशक बोर्ड	3
गत 5 वर्षों की वित्तीय स्थिति	4
अध्यक्ष का उद्बोधन	5
सूचना	8
निदेशकों की रिपोर्ट एवं उपाबंध	15
• प्रबंधन परिचर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट	29
• निगम शासन पर रिपोर्ट	34
• निगम सामाजिक उत्तरदायित्व और भरणीयता रिपोर्ट	54
• संबंधित पक्षकारों के साथ कंपनी द्वारा की गई विशिष्टियों/ इन्तजामों का प्रकटन – (एओसी–2)	56
• वार्षिक विवरणी का सार (एमजीटी–9)	57
• सचिवालयी लेखा परीक्षा रिपोर्ट	65
एकल वित्तीय विवरणियों पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट एवं कंपनी की प्रयुत्तर	70
एकल वित्तीय विवरणियां	89
समेकित वित्तीय विवरणियों पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट एवं कंपनी की प्रयुत्तर	127
समेकित वित्तीय विवरणियां	140
एकल वित्तीय विवरणियों पर भारत के महालेखा नियंत्रक और परीक्षक की टिप्पणियां एवं कंपनी के प्रत्युत्तर	181
समेकित वित्तीय विवरणियों पर भारत के महालेखा नियंत्रक और परीक्षक की टिप्पणियां एवं कंपनी के प्रत्युत्तर	182

संदर्भ सूचना

पंजीकृत कार्यालय
कोर 3, स्कोप कॉम्प्लैक्स,
7, लोधी रोड, नई दिल्ली–110 003
फोन नं : 91–11–24361666
फैक्स : 91–11–24363426
ई.मेलः epico@engineeringprojects.com
वेबसाइटः www.engineeringprojects.com

क्षेत्रीय कार्यालय
पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय – कोलकाता
50, चौरंगी रोड, (8वीं और 9वीं मंजिल),
कोलकाता–700 071
फोन : 91–33–22824426–27–29
फैक्स : 91–33–22824428
ई–मेल : ero@engineeringprojects.com

पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय–मुंबई
''बख्तावर'', 6ए, 6वां मंजिल,
नरीमन पांईट, मुंबई . 400 021
फोन : 91–22–22027585, 22026347
फैक्स : 91–22–22882177
ई–मेलः wromumbai@engineering projects.com

उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय–दिल्ली
कोर– 3, दूसरा तल, स्कोप कॉम्प्लैक्स,
7 लोधी रोड, नई दिल्ली – 110 003
फोन : 91–11–24361666
फैक्स : 91–11–24368293
ई– मेलः nro@engineeringprojects.com

दक्षिणी क्षेत्रीय कार्यालय –चैन्नई
3 डी, ईस्ट कोस्ट चैम्बर्स,
92, जी.एन, चेट्टी रोड,
टी नगर, चैन्नई–600 017
फोन : 91–44–28156886, 28156421
फैक्स : 91–44–28156629
ई–मेलः sro@engineeringprojects.com

उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय
4 मंजिल, हिंदुस्तान टॉवर,
ब्लॉक–ए, जवाहर नगर, राष्ट्रीय
राजमार्ग संख्या 37, बेलटाला
गुवाहाटी–781022 (असम)
फोनः 91–8486653300
ई– मेलः neroguwahati@rediffmail.com
& neroguwahati@gmil.com

शिविर कार्यालय मस्कट
इंजीनियर– 3 परियोजना
सी/ओ इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया)
लिमिटेड –ओमान, पोस्ट बॉक्स सं. 3251
डाक कोड : 112 आरयूडब्ल्यूआई
ओमान सल्तनत
ई–मेल आईडीः
vk.pandey@engineeringprojects.com
फोन : +96899430701

श्रीलंका परियोजना
पाइप्स /वी / 10
49/38 सी, ऑफ टैम्पल रोड
कुरूमानकडू, वावुनिया, उत्तरी प्रांत श्रीलंका
पिन कोड : 43000
फोनः +94–24–2227423

म्यांमार कार्यालय
#1003, 10वां तल, 50वां स्ट्रीट
कोंडोमिनिअम लोअर ब्लॉक,
बोताहताउंग टीएसपी, यानगॉग, म्यांमार

लेखा परीक्षक :
कानूनी लेखा परीक्षक
मैसर्स केपीएमसी एसोसिएयट
लेखा परीक्षक
709, सातवां तल, नई दिल्ली हाउस
बाराखम्बा रोड, सीपी, नई दिल्ली–110002

शाखा लेखापरीक्षक
मैसर्स टी सेल्व्हाराज एण्ड कम्पनी
लेखा परीक्षक
32, दिवान रामा रोड, पुरासावालकम,
चैन्नई–600 084

मैसर्स एम रघुनाथ एण्ड कम्पनी
लेखा परीक्षक
अशोका चैम्बर्स, प्रथम तल, 6, गार्स्टिन प्लेस
कोलकाता–700001

मैसर्स एएसएल एण्ड कम्पनी
लेखा परीक्षक
302, ईकोस्पेस, ऑफ ओल्ड, नगरदास रोड़
मोगरा विलेज, अंधेरी (ई), मुम्बई–69

मैसर्स अय्यर एण्ड कम्पनी
लेखा परीक्षक
607, आकाशदीप 26–ए,
बाराखम्बा रोड नई दिल्ली–110001

विदेशी शाखा लेखापरीक्षक
शाखा लेखापरीक्षक श्रीलंका
मैसर्स रानावीरा एसोसिएट्स
लेखा परीक्षक, 58/10बी, 4 लेन, डीएम
कोलंबेज, मवाथा, कोलंबो–05

शाखा लेखापरीक्षक ओमान
मैसर्स एच.सी. एण्ड शाह
लेखा परीक्षक, पी.ओ. बॉक्स . 2508,
रूवी, पी. सी.–112,
ओमान सल्तनत

शाखा लेखापरीक्षक म्यांमार
मैसर्स द्वाव मीमी सोई
लेखा परीक्षक,
कमरा नं. 3, बिल्डिंग नं.6 पीवाईयान, येक
मॉन हाउसिंग, कामारयुंत टाउनशिप, यांगोन

लागत लेखापरीक्षक
मैसर्स ए.जी. अग्रवाल एण्ड एसोसिएट्स
लागत लेखाकार
IIबी/76, ऊषा विला, वैशाली,
गाजियाबाद, उ.प्र.–201010

सचिवालयी लेखापरीक्षक
मैसर्स विशाल अग्रवाल एण्ड एसोसिएट्स
39/2068, नाईवाला, 315, डाखा चैम्बर्स,
करोल बाग, नई दिल्ली–110005

बैंकर्स
इलाहाबाद बैंक
ऐक्सिस बैंक
बैंक ऑफ बड़ोदा
बैंक ऑफ इंडिया
केनरा बैंक
कॉर्पोरेषन बैंक
देना बैंक
एचडीएफसी बैंक
आईसीआईसीआई बैंक
आईडीबीआई बैंक
इंडियन ओवरसीज बैंक
इंडसइंड बैंक
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
भारतीय स्टेट बैंक
सिंडिकेट बैंक
यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया

निदेशक बोर्ड

श्री डी. एस. राना
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
[19.09.2019 से]

श्री एस. एस. रावत
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)
एवं निदेशक (परियोजनाएं) (अतिरिक्त प्रभार)
[18.09.2019 तक]

श्री एच. एन. ठाकुर
निदेशक (परियोजनाएं)
[21.10.2019 से]

श्री लेख राज
निदेशक (वित्त)
[13.09.2019 तक]

श्रीमती सुकृति लिखी
अंशकालिक शासकीय निदेशक
[16.11.2018 से]

श्रीमती नीलम एस. कुमार
अंशकालिक शासकीय निदेशक
[23.08.2018 से]

श्री विश्वजीत सहाय
अंशकालिक शासकीय निदेशक
[15.11.2018 तक]

डॉ. अनिता चौधरी
स्वतंत्र निदेशक

श्री सुशांत बालिगा
स्वतंत्र निदेशक

गत 5 वर्षों की वित्तीय स्थिति

(रुपये लाख में)

विशिष्टियां / वर्ष	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
क. परिचालन संबंधी सांख्यिकीय					
टर्नओवर (प्रचालन आय)	103,128.21	129,546.44	162,145.42	160,740.99	179,104.87
अन्य आय	2,789.27	2,772.96	3,397.72	1,526.79	517.51
कुल आय(क)	105,917.48	132,319.40	165,543.14	162,267.78	179,622.38
कुल व्यय (ख)	100,991.01	127,805.15	164,373.57	161,456.08	181,893.83
समग्र मार्जिन (क–ख)	4,926.47	4,514.25	1,169.57	811.70	(2,271.45)
ब्याज	706.15	580.93	614.25	485.70	501.48
अवक्षयण	99.62	114.15	143.58	154.68	189.64
कर पूर्व लाभ (पीबीटी)	4,120.70	3,819.17	411.73	171.32	(2,962.56)
आय कर	1,412.08	1,364.55	142.28	157.78	339.94
कर पश्चात् लाभ (पीएटी)	2,708.62	2,454.63	269.45	13.54	(3,302.50)
अतिशेष आरक्षतियों पर संक्रमणकालीन					
अवक्षयण का प्रभाव	4.37	-	-	-	-
संदत्त लाभांश	708.45	1,081.55	-	-	-
संदत्त लाभांश संवितरण कर	144.22	220.18	-	-	-
आरक्षति एवं अधिक्य को अग्रणीत अधिशेष	1,851.58	1,152.90	269.45	13.54	(3,302.50)
कर्मचारियों की संख्या	436	400	372	363	327
10/– रुपए प्रत्येक के साम्या शेयरों की संख्या	35422688	35422688	35422688	35422688	35422688
ख. वित्तीय प्रास्थिति					
शेयर पूंजी	3,542.27	3,542.27	3,542.27	3,542.27	3,542.27
आरक्षति एवं अधिक्य (मुक्त आरक्षति)	18,088.67	19,241.57	19,511.03	19,524.56	16,222.06
सीएसआर आरक्षति	–	–	–	–	–
निवल मूल्य (शेयरधारकों की निधियां)	21,630.94	22,783.84	23,053.30	23,066.83	19,764.33
नियोजित पूंजी	21,630.94	22,783.84	23,053.30	23,066.83	19,764.33
ग. वित्तीय अनुपात					
प्रति कर्मचारी टर्नओवर (लाख रुपए में)	236.53	323.87	435.87	442.81	547.72
समग्र मार्जिन/टर्नओवर (%)	4.78	3.48	0.72	0.50	(1.27)
कर पूर्व लाभ (पीबीटी)/टर्नओवर (%)	4.00	2.95	0.25	0.11	(1.65)
कर पूर्व लाभ (पीबीटी)/शुद्ध मूल्य (%)	19.05	16.76	1.79	0.74	(14.99)
कर पश्चात् लाभ (पीएटी)/शुद्ध मूल्य (%)	12.52	10.77	1.17	0.06	(16.71)
संदत्त लाभांश/कर पूर्व लाभांश(%)	17.19	28.32	-	-	-
संदत्त लाभांश/कर पश्चात लाभांश (%)	26.16	44.06	-	-	-
आधारिक और तनुकृत ईपीएस (रुपए में)	7.65	6.93	0.76	0.04	(9.32)
10/–रुपए अंकित मूल्य के प्रति शेयर की एनएवी	61.07	64.32	65.08	65.12	55.79

अध्यक्ष का उद्‌बोधन

प्रिय शेयरधारकों,

मुझे आपकी कंपनी की 49वीं वार्षिक साधारण बैठक में आपका स्वागत करते हुए अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है। वर्ष 2018–19 की 49वीं वार्षिक रिपोर्ट निदेशक की रिपोर्ट जिसके अंतर्गत प्रबंध चर्चा उपाबंध और विश्लेषण रिपोर्ट, निगम शासन पर रिपोर्ट, निगम सामाजिक उत्तरदायित्व और भरणीयता पर रिपोर्ट, लेखा परीक्षित वार्षिक लेखे (एकल और समेकित), स्वतंत्र और सचिवालय लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां सम्मिलित है से मिलकर बनी है, आपके सामने रखी गई है।

औद्योगिक परिदृश्य:

अवसंरचना सेक्टर जिसके अंतर्गत, विद्युत, पुल, बांध, सड़कें और शहरी अवसंरचना विकास सम्मिलित हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख चालक हैं। यह सेक्टर भारत के समग्र विकास को नोदित करने के लिए अत्यधिक रूप से उत्तरदायी है तथा इस पर ऐसी नीतियां आरंभ करने के लिए जो देश में विश्व स्तरीय अवसंरचना का समय पर सृजन करना सुनिश्चित करें, के लिए सरकार का अत्याधिक ध्यान रहता है।

भारत की देश में भरणीय विकास के लिए वर्ष 2022 तक अवसंरचना में 50 ट्रिलियन (777.73 बिलियन अमेरिकी डॉलर) के बराबर विनिधान करने की आवश्यकता है। भारत में अवसंरचना क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय विनिधानकर्ता महत्वपूर्ण रूप से रुचि ले रहे हैं।

कारवार के अवसर:

अवसंरचना क्षेत्र भारत सरकार का सबसे अधिक ध्यान केंद्रित किए जाने वाला क्षेत्र बन गया है। यह आशा व्यक्त की जा सकती है कि भारत मैं अवसंरचना निर्माण में काफी वृद्धि होगी। इसके अतिरिक्त देश में भवनों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए, भारत सरकार ने आने वाले वर्षों में निर्माण परियोजनाओं को तेजी से अनुमोदन प्रदान करने के लिए एकल खिड़की निकासी देने का निश्चय किया है। आपकी कंपनी इन अवसरों का लाभ उठाने के लिए तैयार हो रही है।

विपणन पहलें:

ईपीआई ने बड़ी संख्या में माध्यम स्तर की और बड़े स्तर की सिविल और अवसंरचना परियोजनाएं, एकीकृत आधुनिक कस्बे जिनमें सभी संलग्न अवसंरचना सम्मिलित है, जानी मानी पब्लिक और बहुमंजिला भवनों आदि का निष्पादन किया है। ईपीआई के कार्यकलापों में लगभग सभी प्रकार के उद्योग सम्मिलित हैं। ईपीआई ने अनेक विश्वविख्यात संगठनों के साथ विशिष्ट क्षेत्रों में परियोजनाओं के निष्पादन के लिए सहयोग किया है।

कार्य–निष्पादन की विशेषताएं:

वर्ष 2018–19 के दौरान आपकी कंपनी ने पूर्व वर्ष में हासिल 1,607 करोड रुपए के टर्नओवर के मुकाबले 1,791 रुपए का टर्नओवर हासिल किया। वर्ष 2018–19 में आपकी कंपनी की कुल आय 1,796 करोड़ रुपए है।

वर्ष 2018–19 के दौरान आपकी कंपनी ने 338.38 करोड रुपए मूल्य की परियोजनाएं हासिल की। औद्योगिक प्रोसेस संयंत्र, सामग्री हथालन, वैद्युत और सीमा प्रबंधन परियोजना क्षेत्र कंपनी के कुल टर्नओवर में सबसे बड़े अंशदाता (67.24 प्रतिशत) हैं, इसके पश्चात आवास एवं भवन वर्क्स है जिसके अंतर्गत अस्पताल परियोजनाएं सम्मिलित हैं जिनका प्रतिशत शेयर 30.64 प्रतिशत है

अनुषंगी कंपनी

ईपीआई की एक अनुषंगी कंपनी जिसे 19 मई 2016 को "ईपीआई अर्बन इंफ्रा डेवलपर्स लिमिटेड" (ईपीआईयूआइडीएल) के नाम से निगमित किया गया था अपने निगमन से ही परिचालन नहीं कर रही है। कंपनी, अधिनियम 2013 की धारा 361 के अधीन ईपीआई यूआइडीएल के त्वरित समापन के लिए एक याचिका पहले ही प्रस्तुत की गई है।

समझौता ज्ञापन के अधीन कार्यनिष्पादन

लोक उद्यम विभाग ने वर्ष 2017–18 में सरकार के साथ कंपनी द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के निबंधनों में कंपनी के कार्य निष्पादन को, "अच्छा" रेटिंग प्रदान की है

लाभांश

आपके निदेशकों ने वर्ष 2018–19 के लिए लाभ की अपर्याप्तता के कारण शून्य लाभांश घोषित करने का प्रस्ताव किया है।

मानव संसाधन

परियोजना निष्पादन के क्षेत्र में उभरती हुई प्रवृत्तियों के साथ गति बनाए रखने के लिए कंपनी हमेशा आपने मानव संसाधनों के विकास पर ध्यान केंद्रित करती है और उभरते हुए क्षेत्रों में अपने मानव संसाधनों को प्रशिक्षित करती है। अनेक इन हाउस और बाहरी प्रशिक्षण कार्यक्रम, सेमिनार और कार्यशालाओं का विभिन्न स्तरों पर कर्मचारियों के तकनीकी, संचार और, वैयक्तिक को बढ़ाने के लिए आयोजन किया गया था।

निगम शासन

निगम शासन में कंपनी का दर्शन "पणधारी के मूल्य में वृद्धि करना है" आपकी कंपनी अपने कारवार का ऐसी रीति में संचालन करती है जो नैतिक होने के साथ–साथ कंपनी में सभी पणधारियों के प्रति पारदर्शी है। कंपनी लगातार लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी निगम शासन पर मार्गदर्शक सिद्धांतों की अपेक्षाओं का अनुपालन कर रही है।

निगम समाजिक उत्तरदायित्व और भरणीयता

आपकी कंपनी पारस्परिक विश्वास और सम्मान के माध्यम से परियोजना स्थल में और उसके चारों ओर रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार करके सकारात्मक और चिरकालिक सामाजिक प्रभाव उत्पन्न करने के लिए प्रतिबद्ध है।

वर्ष के दौरान शून्य बजट आवंटित किया गया, इसलिए किन्ही नए कार्यक्रमों को हाथ में नहीं लिया गया।

अभिस्वीकृति

मैं निदेशक बोर्ड और स्वयं की ओर से आपकी कंपनी के कर्मचारियों द्वारा लक्ष्यों और वृद्धि को को हासिल करने के लिए प्रतिबद्धता और किए गए सत्यनिष्ठ प्रयासों की सराहना को अभिलेख पर रखता हूं। मैं निदेशक बोर्ड, भारत सरकार विशेषकर भारी उद्योग विभाग, अन्य सरकारी विभागों, शेयरधारकों, कानूनी लेखा परीक्षकों, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, कारवार सहभागियों तथा से लगातार प्राप्त होने वाले सहयोग और मार्गदर्शन के लिए भी धन्यवाद करता हूं। मैं अपने मूल्यवान ग्राहकों को भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने आपकी कंपनी में अपने संपूर्ण विश्वास को बनाए रखा। हमें विश्वास है कि हमें अपने पणधारियों का पूरा सहयोग मिलता रहेगा, चूकि हम भविष्य में और बड़ी सफलताएं हासिल करने के लिए अपने सभी प्रयास करते हैं।

ह0—
(डी. एस. राणा)
बैठक के अध्यक्ष
डीआईएन:07022825

स्थानः नई दिल्ली
तारीखः 24 अक्टूबर 2019

इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड
सीआईएन : यू27109डीएल1970जीओआई117585
रजिस्ट्रीकृत कार्यालय : कोर 3, स्कोप कॉम्प्लैक्स, 7 लोधी रोड़, नई दिल्ली–110003
फोन नं. : 91–11–24361666, ईमेल : epico@engineeringprojects.com
वेबसाईट : www.engineeringprojects.com

सूचना

यह सूचना दी जाती है इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड (ईपीआई) के सदस्यों की 49वीं वार्षिक साधारण बैठक उसके रजिस्ट्रीकृत और निगम कार्यालय, कोर–3, स्कोप कॉम्प्लैक्स, (चौथा तल), 7 लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 में निम्नलिखित कारबार का संव्यवहार करने के लिए 24 अक्टूबर, 2019 को 3.00 बजे आयोजित की जाएगी :

साधारण कारबार

1. 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए निदेशक बोर्ड और उस पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के साथ कंपनी की संपरीक्षित वित्तीय विवरणियों (जिसके अंतर्गत समेकित और एकल हैं) को प्राप्त करना, विचार करना और अंगीकृत करना तथा उपांतरणों सहित या उसके बिना निम्नलिखित संकल्प पारित करना :

   ''यह संकल्प करते हैं कि, 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीय विवरणियां (जिसके अंतर्गत समेकित और एकल हैं) और 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखा के साथ टिप्पणियां और उपाबंध तथा उन पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और अपने उपबंधों के साथ निदेशकों की रिपोर्ट जिसके अंतर्गत प्रबंध चर्चा तथा विश्लेषण रिपोर्ट, निगम शासन पर रिपोर्ट एवं निगम सामाजिक दायित्व और भरणीय रिपोर्ट, सचिवालयी लेखापरीक्षा रिपोर्ट, वार्षिक रिटर्न का सार (एमजीटी–9) प्ररूप, संबंधित पक्षकारों के साथ कंपनी द्वारा की गई संविदाओं/इन्तजामों की विशिष्टियों का प्रकटन के लिए एओसी–1 एवं एओसी–2 जैसाकि बैठक के समक्ष अधिकथित है एतद्द्वारा अनुमोदित तथा अंगीकृत किया जाता हैं।''

2. वित्त वर्ष 2018–19 के लिए साम्या शेयरों पर लाभांश की घोषणा करना, निदेशक बोर्ड ने 26 सितम्बर, 2018 को आयोजित अपनी बैठक में वित्त वर्ष 2018–19 के लिए लाभ की अपर्याप्तता को ध्यान में रखते हुए शून्य लाभांश का प्रस्ताव किया है।

विशेष कारबार

3. 16 जुलाई, 2019 को आयोजित निदेशक बोर्ड की 268वीं बैठक में यथा अनुमोदित वित्त वर्ष 2019–20 के लिए लागत लेखा परीक्षक के पारिश्रमिक का अनुसमर्थन करना (लेखा परीक्षा समिति द्वारा यथा अनुशंसित) और इस संबंध में विचार करना तथा उचित पाए जाने पर साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प पारित करना:

   ''संकल्प करते हैं कि, कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 14 के साथ पाठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के उपबंधों के अनुसरण में 59,940/– रुपए (उनसठ हजार नौ सौ चालीस रुपए मात्र) धन लागू कर, जिसके अंतर्गत परिवहन भत्ता/महंगाई भत्ता तथा जेबी व्यय नहीं है, को वास्तविक के आधार पर लेखा परीक्षा समिति द्वारा यथा अनुशंसित और निदेशक बोर्ड द्वारा अनुमोदित दिल्ली/राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र से बाहर के भ्रमणों पर मैसर्स ए. जी. अग्रवाल एंड एसोसिएट्स को वित्त वर्ष 2019–20 के

लिए लागत लेखा परीक्षक के रूप में संदत्त किया जाएगा और इसका एतद्वारा अनुसमर्थन तथा पुष्टि की जाती है।''

निदेशक बोर्ड के आदेश द्वारा

ह0/–
(दीपिका मेहता)
कंपनी सचिव
ईमेल आईडी –csd@engineeringprojects.com

तारीख : 30.09.2019

स्थान : नई दिल्ली

टिप्पणियां :

1. बैठक में भाग लेने और मत देने के लिए पात्र कंपनी का कोई सदस्य उसके द्वारा लिखित में सम्यक्तः हस्ताक्षरित प्रॉक्सी को उसके स्थान पर भाग लेने और मत देने के लिए नियुक्त करने का हकदार है और प्रॉक्सी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। प्रॉक्सी के वैध और प्रभावी होने के लिए यह आवश्यक है कि उसे कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में सम्यक्तः भरा हुआ, स्टैम्प लगाया हुआ और हस्ताक्षरित रूप में बैठक के प्रारंभ होने से कम से कम 48 घंटे पूर्व उसका परिदान कर दिया जाए। प्रॉक्सी का रिक्त प्रारूप उपाबद्ध है।

2. निगमित सदस्यों को बोर्ड के संकल्प की सम्यक्तः अधिप्रमाणित प्रति भेजने का अनुरोध किया जाता है जो बैठक में भाग लेने और उनकी ओर से मतदान देने के लिए उनके प्रतिनिधित्व को प्राधिकृत करे।

3. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 102(1) और विशेष कारबार के संबंध में साधारण बैठकों पर सचिवालय मानक 2 जैसा कि ऊपर दिया गया है, के अनुसरण में सुसंगत स्पष्टीकरण कथन इसके साथ उपाबद्ध है।

4. कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुसार, कोई व्यक्ति पचास से अनाधिक सदस्यों के निमित प्रॉक्सी के रूप में कार्य कर सकता है जो कंपनी की कुल शेयर पूंजी का 10 प्रतिशत से अधिक धारण न कर रहे हों। कंपनी की कुल शेयर पूंजी के 10 प्रतिशत से अधिक को धारण करने वाला कोई सदस्य किसी एक व्यक्ति को प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त कर सकता है और ऐसा कोई व्यक्ति अन्य किसी व्यक्ति के लिए या सदस्य के लिए प्रॉक्सी के रूप में कार्य नहीं करेगा (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 105)। कोई प्रॉक्सी प्ररूप जिसमें प्रॉक्सी के नाम का कथन नहीं है या तारीख रहित है को विधि मान्य नहीं समझा जाएगा ख्साधारण बैठकों के सचिवालयी मानक (एसएस–2),।

5. दो प्रतियों में नामनिर्देशन प्ररूप इसके साथ उपाबद्ध है। यह अनुरोध किया जाता है कि कंपनी के सभी सदस्य उसे सम्यक्तः भरकर, हस्ताक्षर करके और स्टैम्प लगा कर वापस कर दें (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 113)।

6. लेखा परीक्षकों की नियुक्ति और उनका पारिश्रमिक नियत करने के संबंध में यह कथन है कि भारत का महालेखा नियंत्रक एवं परीक्षक सरकारी कंपनी के लिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139 के निबधनों में कानूनी लेखा परीक्षकों की नियुक्ति करता है। कानूनी लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक को शेयरधारकों द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 142 के निबधनों में नियत किया जाता है। ईपीआई के शेयरधारकों ने 29 सितंबर 2014 को

आयोजित 44वीं वार्षिक साधारण बैठक में, बोर्ड को, कानूनी लेखा परीक्षकों और शाखा लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक को वित्त वर्ष 2013–14 के पश्चात कंपनी अधिनियम 2013 के उपबंधों के निबधनों में नियत करने के लिए प्राधिकृत किया है। तदनुसार, बोर्ड ने अपनी 267 वीं बैठक में जो 19 मार्च 2019 को आयोजित की गई थी, 10.10 लाख रुपए की कुल फीस (जमा लागू कर, टीए/डीए, वास्तविक के अनुसार जेबी व्यय) वित्त वर्ष 2018–19 के लिए निगम कार्यालय और शाखा कार्यालयों (जिसके अंतर्गत विदेश में शाखाएं नहीं हैं) की लेखा परीक्षा के लिए नियत की थी।

7. कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी हरित पहल पर परिपत्र संख्या 17/2011 तारीख 21 अप्रैल 2011 और परिपत्र संख्या 18/2011 तारीख 29 अप्रैल 2011 के अनुसरण में भौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वह अपने ईमेल पते को कंपनी रजिस्टर एवं शेयर अंतरण अभिकर्ता (आरटीए) के पास रजिस्टर करें। इनमें किन्हीं परिवर्तनों की सूचना समय समय पर हमें भी दी जा सकती है ताकि कंपनी सूचना/दस्तावेजों की ईमेल के माध्यम से तामील करने में समर्थ हो सकें।

8. वार्षिक साधारण बैठक के स्थान को उपदर्शित करते हुए मार्ग का मानचित्र इस सूचना के अंत में दिया गया है।

9. कंपनी का कोई भी निदेशक किसी भी प्रकार से एक दूसरे का नातेदार नहीं है।

10. संलग्न सूचना में निर्दिष्ट सभी दस्तावेज निरीक्षण के लिए कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में सभी कार्य दिवसों पर (शनिवार और रविवार को छोड़कर) 11:00 बजे पूर्वाहन से 1:00 बजे अपराहन तक वार्षिक साधारण बैठक से पूर्व उपलब्ध है।

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 102(1) के अनुसरण में मद संख्या 3 के संबंध में स्पष्टीकारक कथन, जैसा कि ऊपर दिया गया है, इस सूचना का एक भाग है।

मद संख्या 3 : लागत लेखाकार के पारिश्रमिक का अनुसमर्थन

बोर्ड ने लेखापरीक्षा समिति की सिफारिश पर मैसर्स ए जी अग्रवाल एंड एसोसिएट्स को कंपनी के वित्त वर्ष 2019–2020 के लिए लागत अभिलेखों का लेखा परीक्षण संचालित करने के लिए 59,940/–रुपए (उनसठ हजार नौ सौ चालीस रुपए मात्र) धन लागू कर पर जिसके अंतर्गत परिवहन भत्ताध्मंहगाई भत्ता नहीं है और जेबी व्यय जो दिल्ली/राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से बाहर वास्तविक भ्रमणों के आधार पर संदत्त किए जाएंगे, नियुक्त किया है। कंपनी (संपरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के उपबंधों के अनुसरण में लागत लेखापरीक्षकों को सदत्त पारिश्रमिक का कंपनी के सदस्यों द्वारा अनुसमर्थन किया जाना होता है। तदनुसार, सूचना की मद 3 का संकल्प कंपनी के सदस्यों द्वारा अनुमोदन और अनुसमर्थन के लिए साधारण संकल्प के रूप में अधिकथित है।

कोई भी निदेशक या कंपनी का प्रबंधकीय कार्मिक या उनके नातेदार किसी भी रूप में वित्तीय या अन्यथा मद संख्या 3 में अधिकथित संकल्प से संबंधित या अन्यथा हितबद्ध नहीं हैं।

सेवा में

1. ईपीआई के सभी शेयर धारक
2. ईपीआई के लेखा परीक्षक
3. ईपीआई के सभी निदेशक

प्रति :

1. सचिव, भारत सरकार,
भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय,
भारी उद्योग विभाग,
उद्योग भवन, नई दिल्ली–110001

निदेशक बोर्ड के आदेश द्वारा

ह0/–
(दीपिका मेहता)
कंपनी सचिव
ईमेल आईडी –csd@engineeringprojects.com

तारीख : 30.09.2019
स्थान : नई दिल्ली

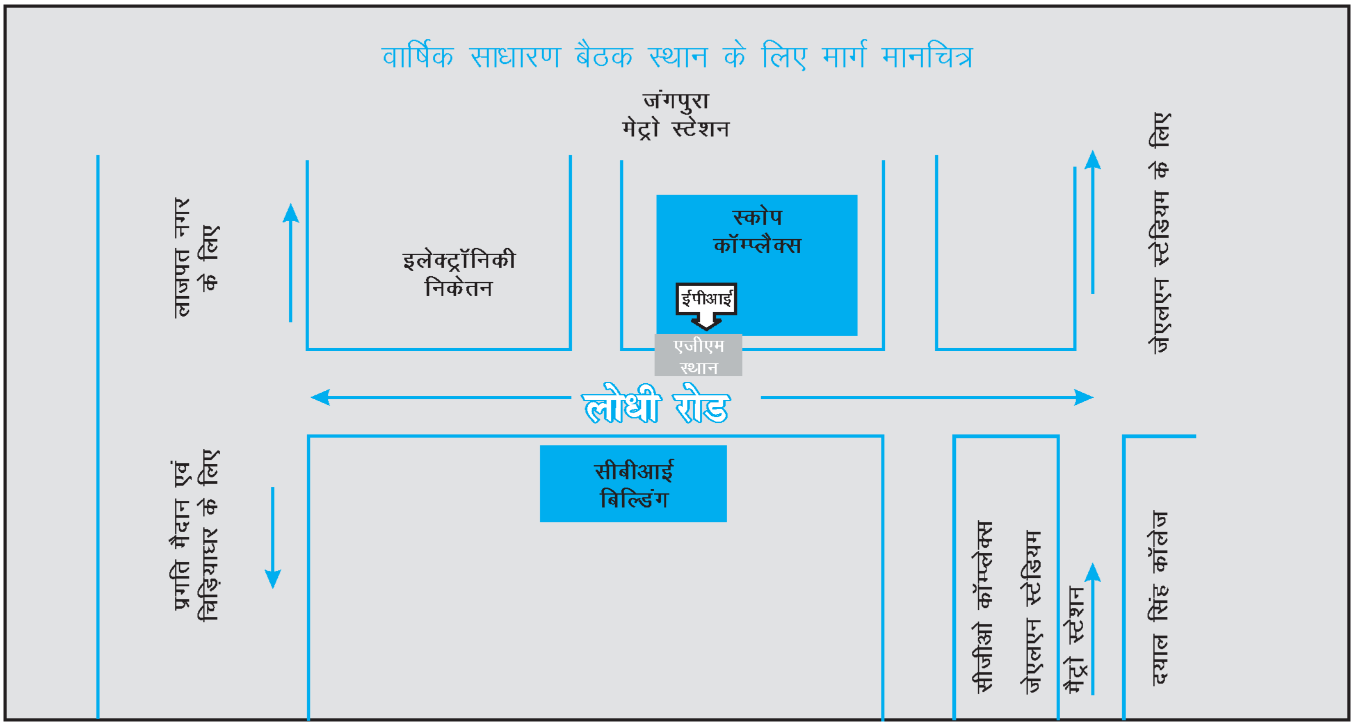

नामनिर्देशन प्ररूप :

सेवा में

कंपनी सचिव,
इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड,
सीआईएन : यू 27109 डीएल 1970 जीओआई 117585,
कोर–3 स्कोप कॉम्प्लैक्स,
7, लोधी रोड़,
नई दिल्ली –110003

प्रिय महोदय/महोदया,

मैं श्री/श्रीमती..

(नाम)

....

(पदनाम)

को मेरा प्रतिनिधित्व करने के लिए 24 अक्टूबर, 2019 को 03.00 बजे अपराह्न कोर 3 स्कोप कॉम्पलैक्स 4 तल, 7, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 में आयोजित की जाने वाली ईपीआई के शेयरधारकों की 49वीं वार्षिक साधारण बैठक (और उसकी कोई अन्य स्थगित बैठक) में मेरे नामनिर्देशिती के रूप में नामनिर्दिष्ट करता हूं।

धन्यवाद,

भवदीय

ह0/–
पदनाम
मुहर और मुद्रा

स्थान :
तारीख :

प्ररूप संख्या एमजीटी – 11 प्रॉक्सी प्ररूप

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 105(6) और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 19(3) के अनुसरण में,)

सी आई एन :

कंपनी का नाम :

रजिस्ट्रीकृत कार्यालय :

सदस्य(यों) का नाम :

रजिस्ट्रीकृत पता :

ई–मेल आईडी :

फोलियो संख्या/ग्राहक पहचान :

डीपी आईडी :

मैं/हम पूर्वोक्त कंपनी के.......................................शेयरों के सदस्य होने के नाते निम्नलिखित को नियुक्त करते हैं :

1. नाम : ....

पता : ....

ई–मेल आईडी : ....

हस्ताक्षर : ...., या उनके न होने पर

2. नाम : ....

पता : ....

ई–मेल आईडी : ....

हस्ताक्षर : ...., या उनके न होने पर

3. नाम : ....

पता : ....

ई–मेल आईडी : ....

हस्ताक्षर : ....

को मेरे/हमारे प्रॉक्सी के रूप में मेरे/हमारे निमित्त भाग लेने के लिए और मत देने के लिए (मतदान होने पर) कंपनी की .... को .... बजे ....को आयोजित बैठक में या उसके किसी स्थगन में जिसकी बाबत ऐसे संकल्पों में जैसाकि नीचे उपदर्शित किया गया है, नियुक्त करते हैं :

संकल्प संख्या

1. ....

2. ....

3. ....

4. ....

तारीख : .... 20...... को हस्ताक्षरित

राजस्व टिकट लगाएं

शेयरधारक के हस्ताक्षर

प्रॉक्सी धारक(कों) के हस्ताक्षर

टिप्पणः इस प्रॉक्सी के प्रभावी होने के लिए उसे सम्यक्ता भरकर कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में बैठक के प्रारंभ होने के कम से कम 48 घंटे पूर्व जमा किया जाना चाहिए।

उपस्थिति पर्ची

49वीं वार्षिक साधारण बैठक, गुरूवार, 24 अक्टूबर, 2019 को 03.00 बजे अपराह्न

धृत शेयरों का रजिस्ट्रीकृत फोलियो संख्या ....डीपी पहचान............................ग्राहक पहचान/फायदाग्राही खाता संख्या. .... आयोजित शेयरों की संख्या..............................

मैं, प्रमाणित करता हूं कि मैं कंपनी का रजिस्ट्रीकृत शेयरधारक हूं/कंपनी के रजिस्ट्रीकृत शेयरधारक की प्रॉक्सी हूं और एतद्‌वारा 49वीं वार्षिक साधारण बैठक, गुरूवार, 24 अक्टूबर, 2019 को 03.00 बजे अपराह्न, कोर 3, स्कोप कॉम्प्लैक्स, चौथा तल, 7, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 में अपने उपस्थिति अभिलिखित करता हूं।

....

....

सदस्यों/प्रॉक्सी का स्पष्ट अक्षरों में नाम **सदस्यों/प्रॉक्सी के हस्ताक्षर**

टिप्पण : कृपया इस उपस्थिति पर्ची को भरें और हॉल के प्रवेश द्वार पर सौंप दें।

निदेशकों की रिपोर्ट

प्रिय सदस्यों

आपके निदेशकों को वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान कंपनी के कार्यनिष्पादन पर 49वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए हर्ष हो रहा है।

1. वित्तीय विशेषताएं

वर्ष 2018–19 के दौरान कंपनी का पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान प्राप्त 1,60,741 लाख रूपए के आवर्त की तुलना में आवर्त 1,79,105 लाख रुपए रहा जो पूर्व वर्ष की तुलना में 11.42: अधिक है। कर से पूर्व (पीबीटी) अर्जित लाभ इस अवधि के दौरान वर्ष 2017–18 में अर्जित 171 लाख रूपए की तुलना में (2963) लाख रुपए रहा।

वर्ष 2018–19 के दौरान पूर्ववर्ती वर्ष में तत्स्थानी आंकडों के साथ आपकी कंपनी (केवल अकेली की) की वित्तीय विशेषताएं नीचे दिए अनुसार हैं :

(लाख रुपए में)

क्रम सं.	विवरण	2018–19	2017–18
1	प्रचालन आवर्त	1,79,105	1,60,741
2	अन्य आय	517	1,527
3	कुल आय	1,79,622	1,62,268
4	समग्र मार्जिन	(2271)	812
5	संदत्त ब्याज	502	486
6	अवक्षयण	190	155
7	कर से पूर्व लाभ	(2,963)	171
8	कर	340	157
9	कर के पश्चात लाभ	(3.303)	14
10	निबल मूल्य	19,764	23,067

आवर्त – घरेलू एवं विदेशी

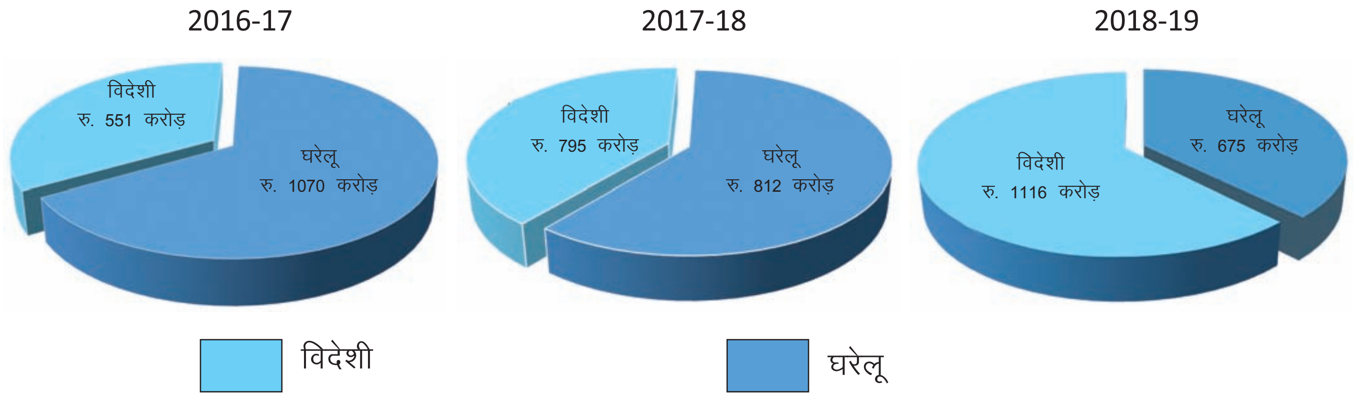

कंपनी का निबल मूल्य 23,067 लाख रुपए से घटकर 19,764 लाख रुपए हो गया जो पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में 14.32 प्रतिशत कमी है। वर्ष 2018–19 में नियोजित पूंजी पर रिटर्न वर्ष 2017–18 में (12.45) प्रतिशत के मुकाबले 2.85 प्रतिशत है।

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) का 17 फरवरी 2016 का समान केंद्रीय पब्लिक सेक्टर के उपकर्मों के साथ विलयन के संबंध में विलयन द्वारा सामरिक विनिवेश की प्रक्रिया के विनिश्चय को सीसीईए की 13 फरवरी 2019 को आयोजित बैठक में सभी पात्र सीपीएसई और प्राइवेट सेक्टर के अस्तित्व को विनिधान की बोली प्रक्रिया में भाग लेने के लिए अनुज्ञात करने के लिए और आगे उपांतरित किया गया तथा यह प्रक्रिया अभी जारी है।

2. पूंजी ढांचा

कंपनी की प्राधिकृत और संदत्त शेयर पूंजी क्रमशः 909.40 करोड़ रुपए (जिसे 10 रुपए प्रत्येक के 909,404,600 साम्य शेयरों में विभाजित किया गया है) और 35.42 करोड़ रुपए (जिसे 10 रुपए प्रत्येक के क्रमशः 35,422,688 साम्य शेयरों में विभाजित किया गया है) है।

निवल मूल्य

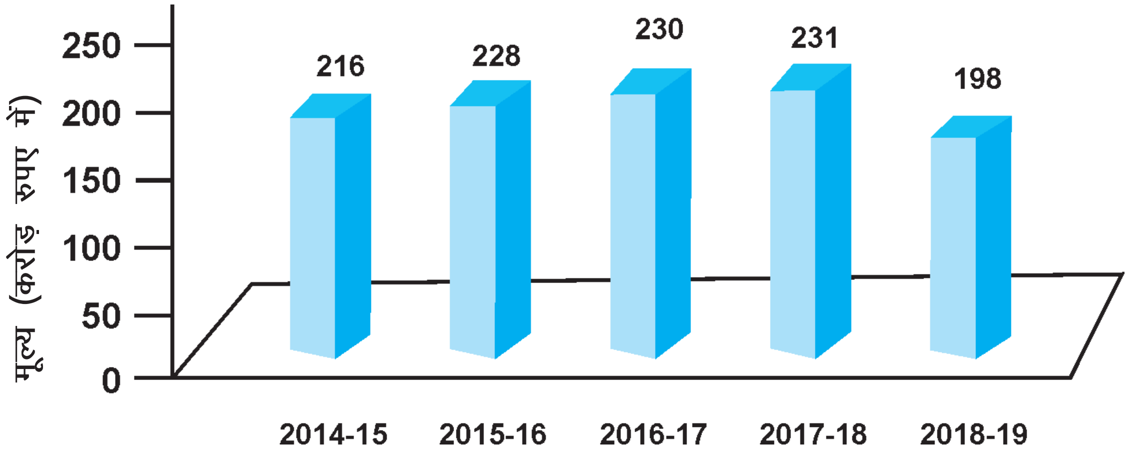

3. लाभांश एवं आरक्षितियां

आपके निदेशकों ने वित्त वर्ष 2018– 2019 के लिए लाभों की अपर्याप्तता के कारण किसी लाभांश (अंतिम/अंतरिम) की सिफारिश नहीं की है।

तदनुसार, आरक्षतियों और अधिशेष लेखे में 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार शेष रकम 16,222 लाख रुपए है।

4. विपणन उपलब्धियां

वित्त वर्ष 2018– 19 के दौरान कंपनी ने 338. 38 करोड रुपए के मूल्य की परियोजनाएं हासिल कीं। हासिल की गई कुछ प्रमुख परियोजनाएं नीचे दिए अनुसार हैं :

क्रम सं.	परियोजना का नाम और स्थान	ग्राहक	मूल्य (करोड़ रु में)
1.	काशीडीह, आदित्यपुर में जी–3 ब्लॉक में 101 में 2020 रिहायशी यूनिटों (जिसके अंतर्गत ढांचागत डिजाइन है) का कंस्ट्रक्शन और नोरोडीही, सरायकेला में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अधीन, पैकेज बी में जी –3 ब्लॉक में 3 में 60 रिहायशी यूनिटों का कंस्ट्रक्शन	झारखंड शहरी अवसंरचना विकास कंपनी लिमिटेड, रांची, झारखंड	133.48
2.	खोर्डा, गंजम एवं क्योंझर जिला में अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक पश्च 100 सीटों वाले छात्रावास का कंस्ट्रक्शन	अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग, ओडीशा	51.00
3.	इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (आईआरएसडीसी) के स्टेशन पुनर्विकास कार्यक्रम के अधीन 9 स्टेशनों के विकास के लिए पीएमसी	इंडियन रेलवे स्टेशंस डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड	48.32
4.	आरजीके यूटी, आईआईटी बासर परिसर, बासर में प्रस्तावित 1000 वर्ग फुट के 2 अपार्टमेंट, 800 वर्ग फुट के 2 अपार्टमेंट, दो डुप्लेक्स हाउस और स्टॉर्म वॉटर ड्रेन का कंस्ट्रक्शन	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ नॉलेज टेक्नोलॉजीज (आरजीयूकेटी), हैदराबाद, आंध्र प्रदेश	27.94
5.	त्रिपुरा में पानी सागर एवं गोकुल नगर क्षेत्र में आईबीबी के साथ 1.227 किलोमीटर बाड एवं 4.545 किलोमीटर सड़क का कंस्ट्रक्शन	गृह मंत्रालय, सीमा प्रबंधन प्रभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली 110011	21.08

भारत तथा विदेश में कार्यान्वयन के अधीन प्रमुख परियोजनाएं

- 503.605 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य की ओमान में इंजीनियर्स–3 परियोजना (चरण–II)।
- प्लेटवा से भारत मयांमार सीमा (जोरिनपूरी) में राष्ट्रीय राजमार्ग विशिष्टियों के अनुसार मयांमार के चिन राज्य में 109.2 किलोमीटर से आरंभ होकर ईपीसी मोड में 607.20 करोड रुपए मूल्य के दो लेन के मार्ग का संनिर्माण।
- केंद्रीय विश्वविद्यालय जम्मू, जम्मू के परिसर का विकास करने के लिए 314.65 करोड रुपए के मूल्य पर परियोजना प्रबंधन परामर्श
- 591.29 करोड़ रुपए के मूल्य की भिलाई इस्पात संयंत्र, भिलाई में कच्ची सामग्री प्राप्ति एवं हथालन प्रसुविधाओं का नई ओएचपी, भाग–ख (पीकेजी संख्या 061) के साथ आमेलन।
- 317.84 करोड़ रुपए के मूल्य के भिलाई इस्पात संयंत्र, भिलाई में ईंधन एवं फ्लक्स पेराई प्रसुविधाओं (पैकेज संख्या 064) का आमेलन।
- 294.92 करोड़ रुपए के मूल्य की राजीव गांधी ज्ञान प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के चरण–1 में दो संघटक परिसरों का बासार एवं नजविद, आंध्र प्रदेश में संनिर्माण।
- झारखंड राज्य में नए पॉलिटेक्निक संस्थानों/इंजीनियरिंग कॉलेजों का संनिर्माण और विकास, विद्यामान तकनीकी संस्थानों को सुदृढ़ करना और 498.14 करोड रुपए की लागत से अन्य अवसंरचनात्मक विकास सकर्म।

- 100 एमबीबीएस वार्षिक दाखिले वाले आयुर्विज्ञान कॉलेज का संनिर्माण और शासकीय जिला अस्पताल बाड़मेर का 198.45 करोड रुपए की लागत से उन्नयन।
- 161.69 करोड रुपए की लागत से राष्ट्रीय भेषजी शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (एनआईपीईआर), गुवहाटी के संपूर्ण परिसर का सनिर्माण।
- सिंगरोली, मध्यप्रदेश में 113.46 करोड रुपए की लागत से इंटेक कुंए, जल उपचार संयंत्र, वितरण पाइप लाइनों, ओवरहेड टैंक का संनिर्माण एवं गृहस्थों को कनेक्शन प्रदान करना।
- केंद्रपाडा में 110.16 करोड़ रुपए मूल्य के 100 विस्तरों वाले मातृ–शिशु जिला मुख्यालय अस्पताल का निर्माण।
- भारत–बांग्लादेश सीमा के साथ मिजोरम में 259.06 करोड रुपए की लागत से सीमा सड़क/बाड़ का संनिर्माण।
- भारत–बांग्लादेश सीमा के साथ मिजोरम राज्य में 181.16 करोड रुपए की लागत से फ्लड लाइटिंग का संनिर्माण।
- सीमा सुरक्षा बल के लिए भारत–बांग्लादेश सीमा के साथ मिजोरम एवं त्रिपुरा में 357.20 करोड रुपए की लागत से सीमा चौकियों का संनिर्माण।
- जिला सुंदरगढ़ उड़ीसा में 417.77 करोड रुपए की लागत पर आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल स्थापित करने के लिए परियोजना प्रबंधन एवं कार्य निष्पादन परामर्श
- खिलपाड़ा, त्रिपुरा में ओटीपीसी के पलाटना, उदयपुर त्रिपुरा में 105. 02 करोड रुपए के मूल्य के 2x363.3 मेगावाट गैस आधारित संयुक्त चक्र विद्युत संयंत्र के लिए नगर का संनिर्माण

भारत में पूरी की गई परियोजनाएं

कंपनी ने वर्ष के दौरान निम्नलिखित मुख्य परियोजनाएं पूरी कर ली है:

- गुमला, झारखंड में पॉलिटेक्निक संस्थान का कंस्ट्रक्शन।
- लेटकोर, शिलांग में एस्ट्रो टर्फ फुटबॉल मैदान का कंस्ट्रक्शन।
- लेटकोर, शिलांग मैं असम राइफल के लिए प्रशिक्षण शैड का कंस्ट्रक्शन।
- असम राइफल बटालियन मुख्यालय स्थापन के लिए जोखासवयंग में गैर आवासीय और आवासीय निवास का कंस्ट्रक्शन।
- सूर्यमणि नगर, अगरतला मैं त्रिपुरा विश्वविद्यालय के चरण– 2 परियोजना कार्य (भाग–1) का कंस्ट्रक्शन।
- एनआईडी गांधीनगर परिसर और अहमदाबाद परिसरों में क्रमशः विद्यार्थी भोजनालय, मनोरंजन खंड और छात्रा छात्रावास (रिमोल्डिंग़ नया) का कंस्ट्रक्शन।
- कूचिंद,जिला संभल पुर और चंपुआ जिला क्योझर, ओडिशा में कलिंगा मॉडल आवासीय विद्यालयों का कंस्ट्रक्शन।
- पल्लूर हिल्स, कनीसी, बरहमपुर, जिला गंजाम, ओडीशा मैं वृहत्त शहरी शिक्षा परिषर का कंस्ट्रक्शन।
- नोपादर, जिला कांधमल, ओडिशा मैं एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल का निर्माण।
- चरण–1 का कंस्ट्रक्शन अनुसंधान और विकास कार्यालय सहित अनुसंधान प्रयोगशाला, छात्रावास खंड, अतिथि

गृह, टाइप–3 आवासीय क्वार्टर, सुरक्षा लॉज, प्राणी फार्म, एसटीपी से मिलकर बना है जिसके अंतर्गत एनआईएबी के हैदराबाद स्थित एसोसिएटेड वर्क्स हैं।

- एनएक्स भवन का कंस्ट्रक्शनऔर चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट, चेन्नई में क्रूस यात्री सूकर केंद्र के विद्यमान यात्री टर्मिनल मैं सुधार करने का कार्य।
- शासकीय राजा जी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, मदुरै के लिए अति विशेषज्ञता अस्पताल का पीएमएसएसवाई चरण–2 के अधीन मदुरै, तमिलनाडु में कंस्ट्रक्शन।
- बेलगांव जिलाः कर्नाटक के बेहोंगल कस्बे को यूजीडी स्कीम जो निम्नलिखित से मिलकर बनी हैः

(क) सीवर लाइनों का उपलब्ध कराया जाना, बिछाया जाना और उन्हें जोड़ना, मेन होल चेंबर का कंस्ट्रक्शन, स्क्रीन चेंबर, ग्रिट चौंबर और बैट बैल। (ख) 8.28 एमएलडी क्षमता के तलछट बेसिन (एसटीपी) और एलाइड वर्क्स का कंस्ट्रक्शन।

- आईआईएससी परिसर, बेंगलुरु में नए रसायन विज्ञान भवन का कंस्ट्रक्शन

5. आदेश पुस्तिका स्थिति

वित्त वर्ष 2018–19 की समाप्ति पर कार्य निष्पादन के अधीन परियोजनाओं (59 सं.) का हाथ में शेष कार्य 4078.70 करोड रुपए है (जिसके अंतर्गत 64.52 करोड रुपए के मूल्य की परियोजनाएं सम्मिलित नहीं है जो होल्ड/स्थगन पर हैं)।

6. एमओयू के अधीन कार्यनिष्पादन की रेटिंग

लोक उद्यम विभाग (डीपीई) में कंपनी द्वारा सरकार के साथ वर्ष 2017–18 में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अर्थों में कंपनी के कार्यनिष्पादन को ''अच्छा'' रेटिंग प्रदान की है।

7. निगम शासन

ईपीआई विधिक, नैतिक और पारदर्शी रीति में कारबार के संचालन के लिए सुदृढ़ निगम शासन पद्धतियों के लिए प्रतिबद्ध है। कंपनी यह विश्वास करती है कि दीर्घावधि में अच्छी निगम शासन पद्धतियां सभी पणधारियों के लिए धन का सृजन करती हैं। ईपीआई लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी निगम शासन मार्गदर्शक सिद्धांतों का अनुपालन कर रही है और त्रैमासिक तथा वार्षिक आधार पर भारी उद्योग विभाग (डीएचआई) को अनुपालना रिपोर्ट प्रस्तुत करती है।

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट तथा निगम शासन पर रिपोर्ट इस निदेशकों की रिपोर्ट के साथ क्रमशः उपाबंध–क और उपाबंध–ख पर उपाबद्ध हैं।

8. क्रेडिट रेटिंग

आईसीआरए की रेटिंग समिति ने प्रत्यय रेखा में आईसीआरए की दीर्घावधि रेटिंग ''आईसीआरए एए–''को संशोधित करके ए कर दिया है। दीर्घावधि रेटिंग 'स्थिर'' है। और आईसीआरए की रेटिंग समिति ने क्रेडिट श्रृंखला के लिए लघु अवधि रेटिंग ''आईसीआरए ए1–प्लस'' की भी पुनः पुष्टी की है।

9. सतर्कता कार्यकलाप

सतर्कता प्रभाग स्वयं की ओर से सुनिश्चित करता है कि संगठन के सारे कृत्य संपूर्ण पारदर्शिता, जवाबदेही एवं

सत्यनिष्ठा से किए जाएं। यह प्रभाग सभी सत्यापनीय आरोपों/तथ्यों की जांच करता है जिनकी उसको विभिन्न माध्यमों से रिपोर्ट की जाती है तथा भ्रष्ट व्यवहार का निवारण करने के लिए यह आवश्यक कार्रवाई की भी सिफारिश करता है।

परियोजनाओं का भली प्रकार अग्रिम में निरीक्षण किया जाता है और अब उसकी रिपोर्टों में कार्य सोंपने में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रियाओं कार्यस्थल वर्क्स और पूर्ति आदि में कमियों (यदि कोई हों) को इंगित करते हुए चरणबद्ध सुधारों का सुझाव देते हुए प्रबंधन को भेजा जाता है। अवधि के दौरान प्रचालन में पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए अनेक नई पहलें की गई हैं तथा सीवीसी के निर्देशों का अनुपालन करने के लिए समय–समय पर विभिन्न कार्यालयों को अनुदेश जारी किए जाते हैं। सूचना प्रदाता नीति, कपट निवारण नीति, उत्तम सेवा, शिकायत, लोक शिकायत निवारण प्रणाली और सूचना का अधिकार अधिनियम के उप बंधुओं को ईपीआईएल में सही परिप्रेक्ष्य में कार्यान्वित किया जा रहा है।

कंपनी ने अपने विभिन्न कार्यालयों पर केंद्रीय सतर्कता आयोग के निर्देशों के अनुसार 29 अक्टूबर 2018 से 3 नवंबर 2018 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया। इस अवसर पर निम्नलिखित कार्यक्रम जैसे ''नए भारत में भ्रष्टाचार उन्मूलन के पश्चात जीवन का उन्नयन'' पर एक निबंध प्रतियोगिता, ''मेरी दृष्टि में भ्रष्टाचार का स्वरूप'' पर पोस्टर प्रतियोगिता, ''भ्रष्टाचार की बुराई'' पर एक स्लोगन प्रतियोगिता, इस वर्ष की थीम, "भ्रष्टाचार का उन्मूलन करो– नए भारत का निर्माण करो" पर एक व्याख्यान ईपीआईएल के कॉरपोरेट कार्यालय, नई दिल्ली में 1 नवंबर 2018 को आयोजित किया गया। इस व्याख्यान को श्रीमती अर्चना वर्मा, आईएएस, अपर सचिव, केंद्रीय सतर्कता आयोग ने संबोधित किया। ईपीआईएल के सभी कर्मचारियों/सलाहकारों/संविदा कर्मचारियों के लिए कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था।

वर्ष 2018–19 के दौरान 26 मामलों में से (2 वर्ष के प्रारंभ में और 24 वर्ष के दौरान प्राप्त किए गए) 24 सतर्कता मामलों का निपटान कर दिया गया है और वर्ष के अंत के दौरान 2 मामले लंबित हैं।

10. मानव संसाधन

कंपनी अपने मानव संसाधन के विकास पर ध्यान केंद्रित करती है। परियोजना कार्य निष्पादन के क्षेत्र में नए उभरते हुए परिक्षेत्रों के साथ गति बनाए रखने के लिए यह अपनी जनशक्ति को उभरते हुए क्षेत्रों में प्रशिक्षित करती है। कर्मचारियों को आंतरिक और बाहरी प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सेमिनारों और कार्यशालाओं के लिए के लिए प्रायोजित किया जा रहा है ताकि उनके तकनीकी, संचार और वैयक्तिक कौशल को समय–समय पर विभिन्न स्तरों पर बढ़ाया जा सके। कंपनी अपने कर्मचारियों के कल्याण पर ध्यान केंद्रित करती है जिसके अंतर्गत अल्पसंख्यक और महिला कर्मचारी भी है और उसने अपनी वर्तमान जनशक्ति को प्रतिधारित करने के लिए सभी प्रयास किए हैं। सेवानिवृत्ती पश्च चिकित्सा फायदा, भविष्य निधि, उपदान, समूह दुर्घटना बीमा और फायदा निधि स्कीम जैसी सामाजिक सुरक्षा की स्कीमें कंपनी में हैं।

31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार कंपनी में 327 कर्मचारी हैं जिसके अंतर्गत कंपनी में 41 महिला कर्मचारी हैं। 327 कर्मचारियों में से 287 कर्मचारी तकनीकी और व्यावसायिक रूप से अर्हित हैं।

11. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कार्मिक

कंपनी में 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की संख्या 11 है, जिसमें से 10 पुरुष और 1 महिला कर्मचारी है तथा अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों की संख्या 52 है, जिसमें से 49 पुरुष और 03 महिला कर्मचारी हैं।

12. निःशक्त व्यक्ति

कंपनी में 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार 02 कर्मचारी निःशक्त थे जो कंपनी की कुल जनशक्ति का 0.61 प्रतिशत है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/निःशक्त व्यक्तियों के संबंध में समय–समय पर जारी सभी राष्ट्रपतीय अनदेशों का कंपनी अनुसरण करती है।

13. राजभाषा/हिन्दी का प्रसार

राजभाषा/हिंदी के प्रसार के लिए निम्नलिखित पहलें की गई/कदम उठाए गए

"स्वर्गीय शंकर दयाल सिंह" नामक एक समृद्धि पुरस्कार योजना आरंभ की गई है और इसे सितंबर 2013 से कार्यान्वित किया जा रहा है ताकि कर्मचारियों को आगे आकर प्रत्येक वर्ष सितंबर माह में "हिंदी दिवस"/"हिंदी पखवाड़ा समारोह" मैं आयोजित वार्षिक समारोह में आगे आकर भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। अधिकतम संख्या में पुरस्कार प्राप्त करने वाला विजेता, स्कीम के अधीन पुरस्कार/शील्ड प्राप्त करने का हकदार होगा। राजभाषा अधिनियम, 1963 (यथा संशोधित, 967) की धारा 3(3) को अप्रैल 2013 में ईपीआई की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है, जोकि कंपनी के विभिन्न कार्यों में हिंदी और अंग्रेजी भाषा के आज्ञापक उपयोग पर बल देती है। हिंदी के कार्यान्वयन पर त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट अब गृह कार्य मंत्रालय (राजभाषा विभाग) को अप्रैल 2013 से मंत्रालय द्वारा पत्र, तारीख 16 अप्रैल 2013 द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार ऑनलाइन प्रस्तुत की जाती है। राजभाषा के महत्व के संबंध में कर्मचारियों के बीच जागरूकता सृजित करने के लिए त्रैमासिक आधार पर हिंदी कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं। ईपीआई एनएआरएकेएस (नागर राजभाषा कार्यान्वयन समिति) की सदस्य है और प्रत्येक वर्ष अक्टूबर/नवंबर माह में एनआरएकेएस द्वारा आयोजित किए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों और प्रतिस्पर्धाओं (हिंदी में) में नियमित आधार पर नामनिर्देशन भेजे जाते हैं। 1 सितंबर से 14 सितंबर तक प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस/हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया जाता है जिसमें कर्मचारियों और उनके कुटुंब के लिए विभिन्न प्रतिस्पर्धाएं जैसे लेखन प्रतियोगिता, कविता वाचन, चित्र अभिव्यक्ति, श्रुतलेखन, टिप्पण–प्रारूपण, हस्ताक्षर, वाद विवाद प्रतियोगिता आदि का आयोजन किया जाता है। किसी भी रूप में हिंदी लेखन में विभिन्न पब्लिक सेक्टर उपक्रमों को ईपीआई के निमित्त योगदान अर्थात लेख/निबंध नियमित आधार पर किया जाता है। वर्ष 2016 में राजभाषा के कार्यान्वयन के लिए हमें हमारे मंत्रालय के साथ भारत सरकार की राजभाषा विभाग द्वारा विशेष सराहना मिली। राजभाषा नीति के अनुसार कंपनी की वेबसाइट द्विभाषिक प्ररूप के लिए तैयार है। हिंदी भाषा में शासकीय पत्राचार में योगदान देने के लिए कर्मचारियों के बीच उत्साह उत्पन्न करने के लिए एक नकद पुरस्कार स्कीम भी है।

14. कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के अधीन शिकायतों का प्रकटन

कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 का उद्देश्य कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न के विरुद्ध और लैंगिक उत्पीड़न का निवारण करने के लिए और लैंगिक उत्पीड़न की शिकायतों तथा उससे उपाबद्ध या संबंधित विषयों के निपटान के लिए संरक्षण का उपबंध करना है। अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों का कठोरता से अनुपालन किया जाता है।

कंपनी ने लैंगिक उत्पीड़न की शिकायतों के निपटान के लिए और ऐसी शिकायतों के समयबद्ध निपटान के लिए एक शिकायत समिति का गठन किया है। तथापि वर्ष के दौरान कोई शिकायत प्राप्त नहीं की गई थी।

15. लोकक्रय नीति

लोकक्रय नीति, 2012 प्रतिस्पर्धा के मूल सिद्धांतों पर आधारित है जो सुदृढ़ क्रय नीतियों और मालों या सेवाओं की आपूर्ति के आदेशों के निष्पादन के लिए एक प्रणाली के अनुसार जो न्यायोचित, समतुल्य, पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी और लागत प्रभावी है।

कंपनी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रमों की समग्र वृद्धि और साम्या विकास को प्रोत्साहित करने में विश्वास करती है उनकी भागीदारी को निःशुल्क निविदा दस्तावेजों, ईएमडी जमा से छूट देकर, निविदाकरण प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए ई–उपापन को अंगीकार करके बढ़ाया जा सकता है।

16. निदेशकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक नीति

अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक की नियुक्ति पुनरीक्षित अनुसूची ''ख'' 1,80,000–3,20,000/– रु0 (औद्योगिक मंहगाई भत्ता) वेतनमान पर और निदेशकों की नियुक्ति पुनरीक्षित अनुसूची ''ख'' 1,60,000–2,90,,000/– रूपए, औद्योगिक मंहगाई भत्ता, पैटर्न पर की जाती है। उनके निबंधनों और शर्तों को भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय, भारी उद्योग विभाग द्वारा नियत किया जाता है।

17. प्रशासनिक व्यय में मितव्ययिता

वर्ष के दौरान सरकार के मितव्ययिता उपायों पर अनुदेशों का पालन किया गया।

18. निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक के ब्यौरे जिन्हें वर्ष के दौरान नियुक्त किया गया था या जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया था।

अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक (सीईओ), निदेशक (वित्त) (सीएफओ), कृत्यशील निदेशक, और कंपनी सचिव को प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) घोषित किया गया है

वर्ष 2018–19 के दौरान नियुक्त निदेशक/प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी)

निदेशक का नाम/केएमपी	पदनाम	अवधि
श्री एस.एस. रावत, निदेशक (परियोजना प्रबंधन), ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड	अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक एवं निदेशक (परियोजनाएं) का अतिरिक्त प्रभार	15.09.2018से#
श्रीमती दीपिका मेहता	कंपनी सचिव	01.10.2018 से

भारी उद्योग विभाग ने आदेश संख्या 12–16/1/2017–टीएसडब्ल्यू (भाग) तारीख 14 सितंबर 2018 द्वारा श्री एस. एस रावत को अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक एवं और निदेशक (परियोजनाएं) बीएंडआर का पदभार सौंपा है। श्री शिवानंद, संयुक्त सचिव, भारी उद्योग विभाग जिनकी पद अवधि को तारीख 15 सितंबर 2018 से 6 मार्च की और अवधि के लिए 15 दिसंबर 2018 से या इन पदों पर नियमित पदधारी की नियुक्ति होने तक या अगला आदेश होने तक इनमें से जो भी पहले हो, बढ़ाया गया है।

वर्ष 2018–19 के दौरान निदेशक/प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी), जो पद पर नहीं रहे/जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया

निदेशक का नाम/केएमपी	पदनाम	अवधि
श्री वीनू गोपाल	निदेशक (परियोजनाएं)	30 जून 2018 को अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त
श्री एन. शिवानंद, संयुक्त सचिव, भारी उद्योग विभाग	अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक और निदेशक (परियोजनाएं) का अतिरिक्त प्रभार	13 अप्रैल 2017 से 14 सितंबर 2018 तक
श्रीमती सुधा वेंकट वरदन	कंपनी सचिव	1 अक्टूबर 2018 तक

निदेशकों/प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के और ब्योरे तथा उनमें वित्त वर्ष के समापन तक पश्चातवर्ती परिवर्तनों को निगम शासन रिपोर्ट तथा एमजीटी–9 (वार्षिक विवरणी का सार) में दिया गया है

19. निदेशकों का दायित्व विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के अधीन यथाअपेक्षित आपके निदेशक एतद्वारा पुष्टि करते हैं :

(i) वार्षिक लेखों को तैयार करने में, लागू लेखांकन मानकों का तात्विक विचलन के संबंध में उचित स्पष्टीकरण के साथ अनुसरण किया गया हैय

(ii) निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया है और उन्हें सतत रूप से लागू किया है तथा ऐसे निर्णय और आकलन किए हैं जो न्यायोचित और बुद्धिमत्तापूर्ण हैं जिससे 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए कंपनी के मामलों और उस अवधि के लिए लाभ का सही और न्यायोचित दृश्य प्रस्तुत किया जा सकेय

(iii) कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुसार कंपनी की आस्तियों के लिए सुरक्षापायों और कपट तथा अन्य अनियमितताओं के निवारण के लिए पर्याप्त लेखांकन अभिलेखों के अनुरक्षण के लिए उचित और पर्याप्त सावधानी रखी गई हैय

(iv) यह कि सतत आधार पर वार्षिक लेखे तैयार किए गए हैंय और

(v) निदेशकों ने सभी लागू विधियों के उपबंधों की अनुपालना का सुनिश्चय करने के लिए उचित प्रणालियां बनाई है और ऐसी प्रणालियां पर्याप्त हैं और प्रभावी रूप से कार्य कर रही हैं।

20. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 के अधीन स्वतंत्र निदेशक द्वारा घोषणा

श्री सुशांत बालिगा, स्वतंत्र निदेशक, डॉ. अनीता चौधरी, स्वतंत्र निदेशक ने यह घोषणा दी है कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(6) में उपबंधित स्वतंत्रता के मानदंड को पूरा करते हैं।

21. बैठकों की संख्या

वर्ष 2018–19 के दौरान निदेशक बोर्ड की छह (6) बैठकें आयोजित की गईं, बोर्ड और बोर्ड की उप समिति की बैठकों के ब्योरे इस रिपोर्ट से उपाबद्ध निगम शासन की रिपोर्ट में उपाबंध–ख पर दिए गए हैं।

22. अनुषंगी कंपनी/एसोसिएट्स/संयुक्त उद्यम

अनुषंगी कंपनी

19 मई 2016 को 10 लाख रूपए की संदत पूंजी के साथ ईपीआई द्वारा 51 प्रतिशत, मैसर्स भारत अरबन इन्फ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, सोलापुर, (बीयूआईडीपीएल) 39 प्रतीशत और मैसर्स दाराशा एंड कंपनी प्राइवेट

लिमिटेड, (डीसीपीएल) मुंबई द्वारा 10: के साथ ईपीआई की एक अनुषंगी कंपनी ईपीआई अरबन इंफ्रा डेवलपर्स लिमिटेड (ईपीआईयूआईडीएल) को भूमि पार्सलों आदि के विकास के लिए निगमित किया गया है।

ईपीआईयूआईडीएल के परिसमापन के लिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 361 के अधीन याचिका अनुमोदन के लिए लंबित है। इस याचिका को फाइल करने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2018–19 के लिए लेखा परीक्षा किए बिना वित्तीय विवरणों पर ईपीआईएल के समेकित लेखों में विचार किया गया था।

23. समेकित वित्तीय विवरण

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 129(3) और लेखांकन मानक– 21 के अनुसरण में, कंपनी ने समेकित वित्तीय विवरण तैयार किए हैं जिसके अंतर्गत अनुषंगी कंपनी अर्थात ईपीआईयूआईडीएल है, जिन्हें आगामी वार्षिक साधारण बैठक (एजीएम) के समक्ष कंपनी के वित्त वर्ष 2018–19 के एकल वित्तीय विवरणों के साथ रख दिया जाएगा।

अनुषंगी/सहबद्ध कंपनियों/संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरणों की मुख्य विशेषताओं को अंतर्विष्ट करने वाला विवरण प्रारूप एओसी– 1 में वित्तीय विवरणों के साथ उपाबद्ध है।

24. लेखापरीक्षक

क) कानूनी और शाखा लेखापरीक्षक

भारत के महालेखा नियंत्रक और परीक्षक (सीएंडएजी) द्वारा वर्ष 2018–19 के लिए कंपनी के लिए नियुक्त कानूनी और शाखा लेखापरीक्षक नीचे दिए अनुसार हैं –

क्रम सं.	फर्म का नाम	क्षेत्र
1	मैसर्स केपीएमसी एंड एसोसिएट्स, नई दिल्ली	कानूनी लेखापरीक्षक–निगम कार्यालय एवं समेकन
शाखा लेखापरीक्षक :		
1	मैसर्स अय्यर एंड कंपनी, नई दिल्ली	उत्तरी क्षेत्र शाखा लेखापरीक्षक
2	मैसर्स एम. रघुनाथ एंड कंपनी, कोलकाता	पूर्वी क्षेत्र एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र शाखा लेखापरीक्षक
3	मैसर्स ए. एस. एल. एंड कंपनी, मुंबई	पश्चिमी क्षेत्र शाखा लेखापरीक्षक
4	मैसर्स टी. सेल्वाराज एंड कंपनी, चैन्नई	दक्षिणी क्षेत्र शाखा लेखापरीक्षक
5	मैसर्स एच. सी. शाह एंड कंपनी, ओमान	ओमान, शाखा लेखापरीक्षक
6	मैसर्स रनवीरा एसोसिएट्स, श्रीलंका	श्रीलंका, शाखा लेखापरीक्षक
7.	मैसर्स दाव मी मी सौई, म्यांमार	म्यामार शाखा लेखा परीक्षक

ख) सचिवालयी लेखापरीक्षक

कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और चयन) नियम 2014 के नियम 9(1) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 के उपबंधों के अनुसरण में वर्ष 2018–19 के लिए कंपनी ने मैसर्स विशाल अग्रवाल एंड एसोसिएट्स को शाखा लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया है।

ग) लागत लेखापरीक्षक

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय की अधिसूचना, तारीख 31 जुलाई 2018 के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) के अधीन विनिर्दिष्ट लागत लेखे और अभिलेखों को तैयार किया गया है और अनुरक्षण किया गया है।

कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के उपबंधों के अनुसरण में वर्ष 2018–19 के लिए मैसर्स ए जी अग्रवाल एंड एसोसिएट्स को लागत लेखाकार के रूप में नियुक्त किया है।

25. कानूनी लेखापरीक्षक और शाखा लेखापरीक्षक द्वारा की गई प्रत्येक अर्हता, रिजर्वेशन या प्रतिकूल टिप्पणी या प्रकटन पर बोर्ड का स्पष्टीकरण या टिप्पणियां

कानूनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट

वर्ष 2018–19 के लिए कानूनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट और लेखाओं पर टिप्पणियों पर प्रत्युत्तर, यदि कोई हैं तो उन्हें इस रिपोर्ट के साथ उपाबद्ध किया गया है।

सचिवालयी लेखापरीक्षा रिपोर्ट

वर्ष 2018–19 के लिए सचिवालयी लेखापरीक्षा रिपोर्ट टिप्पणियों पर प्रत्युत्तर, यदि कोई हैं तो उन्हें इस रिपोर्ट के साथ उपाबद्ध किया गया है। सचिवालयी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में कोई अर्हता, रिजर्वेशन नहीं है। ईपीआई के अविनिधान, अनुषंगी कंपनी अर्थात ईपीआईयूआईडीएल का समापन, सीबीआई द्वारा चालू मामले जिसके अंतर्गत निलंबन मामले हैं, के संबंध में तात्विक सूचना/पर्यवेक्षणों को रिपोर्ट में शामिल किया गया है

26. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अधीन उधार, प्रतिभूति या विनिधानों की विशिष्टियां

वर्ष 2018–19 के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अधीन कोई उधार, प्रतिभूति या विनिधान नहीं किया गया है।

27. विशिष्टियों का प्रकटन

कंपनी (लेखांकन) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के उपबंधों के अनुसरण में ऊर्जा, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा अर्जन तथा व्ययन के संरक्षण पर सूचना के ब्यौरे नीचे दिए अनुसार हैं :

27.01 ऊर्जा दक्षता और उसका संरक्षण

ईपीआई अपने कार्यालय परिसरों और निष्पादन के लिए उसे सौंपी गई विभिन्न परियोजनाओं में ऊर्जा दक्ष उपस्करों के उपयोग पर लगातार बल दे रहा है ताकि पारिस्थितिकी और पर्यावरण पर प्रभाव को न्यूनतम किया जा सके। एक संनिर्माण परियोजना प्रबंधन संगठन होने के नाते ईपीआई ऐसी परियोजनाओं को कार्यान्वित कर रहा है जो ऊर्जा की बचत करने के लिए डिजाइन की गई हैं जैसे एचवीएसी प्रणाली में बीएमएस, प्रकाश के लिए एलइडी सज्जा, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के रूप में सौर प्रणाली, औद्योगिक परियोजनाओं में बेहतर दक्षता और ऊर्जा की कम खपत के लिए स्वचालन। डाटा केंद्र में हम दक्षता में वृद्धि करने के लिए और ऊर्जा के संपूर्ण उपयोग के लिए मोडुलर यूपीएस का उपयोग करते हैं। ईपीआई ने अपने स्वयं के परिसरों में ग्रिड से जुड़े हुए 10 किलो वाट के छत पर लगे हुए सौर संयंत्र प्रतिष्ठापित किए हैं।

निम्नलिखित पद्धतियों के अनुसार, पीएमसी/ईपीसी नियंत्रण आदि में नुकसान को कम करने के लिए वितरण लाइनों में हम ऊर्जा की बचत कर रहे हैं:–

क) फेस भार का संतुलनः

व्यष्टिक चरण क्रम पर असामान भार के परिणाम स्वरूप संघटक ट्रांसफार्मर, केवल, संचालकों, मोटरों को अधिक तप्त कर देते हैं। जिस से नुकसान में वृद्धि होती है और असंतुलित वोल्टेज स्थितियों के अधीन इसका परिणाम मोटर में खराबी के रूप में होता है।

ख) पावर फैक्टर कंट्रोलर का उपयोग करके ऊर्जा की बचत :

निम्न पावर फैक्टर से करंट में वृद्धि होती है और इसका परिणाम नुकसान में वृद्धि के रूप में होता है तथा इससे वोल्टेज प्रभावित होती है। हम पावर फैक्टर कंट्रोलर या स्वचालित पावर फैक्टर कंट्रोलर युक्तियों का उपयोग करते हैं।

ग) पीएलसी द्वारा स्वचालन :

कच्ची सामग्रियों को हैंडल करने के लिए औद्योगिक परियोजनाओं में हम पीएलसी का उपयोग करके संपूर्ण स्वचालन तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं।

घ) सॉफ्ट स्टार्टर का उपयोगः

सॉफ्ट स्टार्टर शुरुआती करंट को निर्बंधित करने में सहायता प्रदान करते हैं और यह एक निर्वाचित स्टार्ट भी प्रदान करते हैं और कन्वेयर एवं एचटी उपस्कर अनुप्रयोगों में प्रचालको को रोकते हैं।

ङ) **डाटा केंद्र परियोजनाओं** के लिए प्रबंधन प्रणाली का निर्माण

च) **नुकसान से बचने** के लिए इक्यूपमेंट के रिसीविंग स्थान पर बोल्टता में कमी को सीमित करना

27.02 प्रौद्योगिकी अवशोषण

(क) अनुसंधान और विकास

कंपनी के कार्य की प्रकृति को देखते हुए अनुसंधान एवं विकास के लिए सीमित स्थान है क्योंकि, ईपीआई ग्राहकों की आवश्यकता के आधार पर कार्य का निष्पादन करती है। तथापि ईपीआई ने सक्रिय रूप से पूर्वविरचना प्रौद्योगिकी, ग्लास फाइबर रिइंफोर्सड जिप्सम (जीएफआरजी) प्रणाली और लाइट गेज शीट फ्रेम ढांचा (एलजीएसएफ) प्रणाली उपलब्ध कराई है।

(ख) प्रौद्योगिकी विलयन

कंपनी प्रौद्योगिकी के और संनिर्माण तकनीक के उन्नयन के लिए लगातार प्रयास कर रही है। स्मार्ट शहर अभियान परियोजना (एससीएम) अर्थात वहनीय आवास, एकीकृत मल्टीमॉडल परिवहन, खुले स्थानों का सृजन और परिरक्षण तथा अपशिष्ट और परिवहन प्रबंधन, रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण को कार्यान्वित किया जा रहा है।

ईपीआई ने अंतरराष्ट्रीय परियोजनाओं के लिए अद्यतन सीमा अवसंरचना और निगरानी प्रणाली विकसित की है जिसमें भौतिक और इलेक्ट्रॉनिक रूप से नियंत्रित रोक, वास्तविक समय प्रदर्शित निगरानी मानिटरी को अंगीकार किया गया है जिसमें संवेदकों, प्रकाशिक फाइबर केबल और एचआरसी कैमरा का उपयोग का उपयोग किया गया है, जो अंतरराष्ट्रीय सीमा को घुसपैठ/दुर्व्यापार का निवारण करते हुए बचाव करता है और सुरक्षित रखता है।

(ग) सूचना प्रौद्योगिकी और उपक्रम संसाधन आयोजना (ईआरपी)

सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों का विभिन्न कृत्यों जैसे वेतन, लेखांकन, बैंक प्रतिभूति प्रणाली, जैवमिति उपस्थिति प्रणाली, शिकायत मानीटरी प्रणाली, ऑनलाइन भर्ती प्रणाली और भविष्य निधि न्यास प्रबंधन प्रणाली के लिए अपने कार्यान्वयन के अंतिम चरण में है।

ईआरपी– एसएपी का एचआर एवं वेतन पर्ची, वित्तीय प्रबंधन और दस्तावेज प्रबंधन मॉडयूल के लिए कार्यान्वयन आरंभ कर लिया गया है एसएपी में जीएसटी को शामिल करने का कार्य भी पूरा कर लिया गया है। कंपनी ने आईपीवी6 मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार सभी कंप्यूटरों/उपसाधनों को प्रतिस्थापित कर लिया है यउसके पास एक वीडियो संगोष्ठी प्रणाली है जिसमें सभी प्रादेशिक कार्यालयों को संपर्क उपलब्ध कराया गया है तथा उसने एक निगम कार्यालय तथा प्रादेशिक कार्यालयों में सफलतापूर्वक एमपीएलएस (वैन) को कार्यन्वित कर लिया है।

27.03 विदेशी मुद्रा अर्जन और व्यय

वर्ष 2018–19 के दौरान कंपनी ने पूर्ववर्ती वर्ष में 79,699 लाख रुपए के मुकाबले 1,11,760 लाख रुपए की विदेशी मुद्रा मुद्रा अर्जित की। वर्ष 2018–19 में उपगत विदेशी व्यय 2017–18 में 74,645 लाख रुपए के मुकाबले 2017–18 में 1,07,540 लाख रुपए रहा।

28. गुणवत्ता, स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन

इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड कुछ प्रथम भारतीय ठेकेदारी कंपनियों में से एक है जिसे गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (क्यूएमएस) के लिए नवीनतम आईएसओ 9001:2015 और पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली (क्यूएमएस) के लिए आईएसओ 14001:2015 (ईएमएस) से प्रमाणित किया गया है । इस प्रकार ये गुणवत्ता और पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली (क्यूईएमएस) को कवर करती है। प्रमाणन के स्कोप में औद्योगिक और अन्य सनिर्माण परियोजनाओं की अवधारणा में भारत और विदेशों में प्रतिष्ठापन तक बहु–विषयी अवसंरचना, औद्योगिक और अन्य संनिर्माण परियोजनाओं का डिजाइन, उपाप्ति और कार्यान्वयन शामिल है।

कंपनी को निगमित कार्यालय के संबंध में वृत्तिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा निर्धारण श्रृंखला (ओएचएसएएस) 18001:2007 अर्थात वृत्तिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (ओएचएसएमएस) से भी प्रमाणित किया गया है। जो ईपीआई के निगम कार्यलय को लागू होती है।

29. कर्मचारियों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन यथा अपेक्षित कानूनी सूचना

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 197 और तद्धीन बनाए गए नियम सरकारी कंपनियों को कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय की अधिसूचना, तारीख 5 जून 2015 के अनुसार लागू नहीं होते हैं।

30. निगम सामाजिक दायित्व (सीएसआर) और भरणीयता

निदेशकों की इस रिपोर्ट के साथ निगम सामाजिक दायित्व (सीएसआर) और भरणीयता पर एक रिपोर्ट उपाबंध–ग के रूप में उपाबद्ध है।

31. आंतरिक वित्तीय नियंत्रण

कंपनी के पास उसके कारबार के व्यवस्थित और दक्ष संचालन को सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण है जिसके अंतर्गत कंपनी की नीतियों का अनुपालन, उसकी आस्तियों के सुरक्षोपाय, कपट का निवारण, लेखांकन अभिलेखों की शुद्धता और विश्वासनीयता और विश्वसनीय वित्तीय सूचना का समय पर तैयार करना शामिल है।

32. मुख्य कार्यपालक अधिकारी/मुख्य वित्त अधिकारी प्रमाणन

मुख्य कार्यापालक अधिकारी/मुख्य वित्त अधिकारी प्रमाणन निगम शासन पर रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

33. जमा

वर्ष 2018–19 के दौरान कंपनी ने कोई जमा आमंत्रित नहीं किया है जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन आता है या उसकी अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं करता है।

34. नातेदार पक्षकारों के साथ संविदाओं या इन्तजामों की विशिष्टियां

कंपनी, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 में निर्दिष्ट संबंधित नातेदार के साथ किसी संविदा या इन्तजाम में प्रविष्ट नहीं हुई है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3) और कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8 के अधीन यथापेक्षित प्ररूप एओसी–2 में विशिष्टियां उपाबंध–घ में संलग्न हैं।

35. चालू समुत्थान प्रस्थिति और कंपनी के भावी प्रचालन को प्रभावित करने वाले विनियामकों या न्यायालयों या अधिकरणों द्वारा पारित महत्वपूर्ण और तात्विक आदेशों के ब्यौरे

लेखाओं की टिप्पणियों में आकस्मिक दायित्व में घोषित से भिन्न कोई महत्वपूर्ण या तात्विक आदेश विनियामकों या न्यायालयों या अधिकरणों द्वारा पारित नहीं किया गया हो जो कंपनी की चालू अस्तित्व प्रस्थिति और भावी प्रचालनों को प्रभावित करता है।

36. वार्षिक रिटर्न का उद्धरण

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013, की धारा 92 (3), धारा 134 (3) की अपेक्षा के अनुसार वार्षिक रिर्टन का उद्धरण इस रिपोर्ट के उपाबंध–ड. पर उपाबद्ध है। कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय की अधिसूचना तारीख 31 जुलाई 2018 के साथ पठित कंपनी (संशोधन) अधिनियम 2017 के अनुसार इस अपेक्षा को समाप्त कर दिया गया है।

37 आभार

आपके निदेशक भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय, भारी उद्योग विभाग और भारत सरकार और राज्य सरकारों के विभिन्न मंत्रालयों तथा संगठनों से प्राप्त सहयोग और समर्थन की दिल से सराहना करते हैं। आपके निदेशक विभिन्न ग्राहकों और बैंकों के प्रति भी अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं जिन्होंने आपकी कंपनी में विश्वास रखा और हम, उप–ठेकेदारों, ग्राहकों, सलाहकारों के परियोजनाओं के कार्यान्वयन में दिए गए योगदान की भी सराहना करते हैं। आप के निदेशक शासकीय लेखा परीक्षकों, कानूनी लेखा परीक्षकों, सचिवालय लेखा परीक्षकों और लागत लेखा परीक्षकों का भी उनके द्वारा दिए गए सुझावों के लिए धन्यवाद करते हैं। बोर्ड अपने सभी कर्मचारियों कि उनकी मूल्यवान सेवाओं और उनके द्वारा दिए गए सहयोग के लिए उनकी सराहना करता है तथा उसे विश्वास है कि वह भविष्य में बेहतर कार्य निष्पादन हासिल करने के लिए अपना सर्वोत्तम देकर कंपनी में योगदान करना जारी रखेंगे।

बोर्ड के लिए और उसके निमित

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 16 जुलाई 2019

ह0/–
(एस. एस. रावत)
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक (ए/सी)
डीआईएन : 07555572

प्रबंधन परिचर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

उद्योग ढांचा और विकास

अवसंरचना क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का एक मुख्य चालक है। यह क्षेत्र भारत के समग्र विकास को नवोदित करने के लिए अत्यधिक रूप से उत्तरदाई है तथा इसे उन नीतियों को आरंभ करने के लिए जिनसे देश में समयबद्ध रूप से विश्व स्तरीय अवसंरचना सृजित करने को सुनिश्चित करने के लिए सरकार का अत्यधिक ध्यान प्राप्त होता है। अवसंरचना क्षेत्र में विद्युत, पुल, बांध, सड़कें और शहरी अवसंरचना विकास सावंत है। वर्ष 2018 में विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स कार्य निष्पादन सूचकांक (एलपी आई) 2018 में भारत का 167 देशों में से 44 वां स्थान था।

औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) के अनुसार अप्रैल 2000 से दिसंबर 2018 तक कंस्ट्रक्शन विकास क्षेत्र (कस्बे, आवासन, निर्मित अवसंरचना और कंस्ट्रक्शन विकास परियोजनाएं) में प्राप्त किया गया प्रत्यक्ष विदेशी विनिधान 24.91 एक बिलियन अमेरिकी डॉलर था। भारत में लॉजिस्टिक क्षेत्र सीएजीआर के 10.5 प्रतिशत की दर से वृद्धि कर रहा है और इसके वर्ष 2020 तक 215 बिलियन अमरीकी डालर तक पहुंचने की आशा है।

देश में भरणीय विकास के लिए वर्ष 2022 तक 50 ट्रिलियन (777.73 बिलियन अमेरिकी डॉलर) के बराबर विनिधान की आवश्यकता है। अवसंरचना क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय विनिधानकर्ता, भारत में महत्वपूर्ण सूची दर्शा रहे हैं। किस क्षेत्र में कुछ प्रमुख विनिधान नीचे सूचीबद्ध किए गए हैं।

- वर्ष 2018 में भारत में अवसंरचना क्षेत्र में 1.97 बिलियन अमेरिकी डॉलर के समतुल्य प्राइवेट साम्य और जोखिम पूंजी का विनिधान हुआ।
- जून 2018 में एशियन इन्फ्राट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (एआईआईबी) ने राष्ट्रीय विनिधान एवं अवसंरचना निधि (एनआईआईएफ) में 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर के विनिधान की घोषणा की

सरकारी पहलें

- भारत सरकार अवसंरचना क्षेत्र मुख्यतः राजमार्ग, नवी और को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक संभव पहल कर रही है। भारत सरकार ने अवसंरचना क्षेत्र को 4.56 लाख करोड़ रुपए (63.20 बिलियन अमेरिकी डॉलर) का आवंटन करके एक बृहत्त प्रोत्साहन दिया है।
- भारतीय रेल ने संघीय बजट 2019–20 के अधीन 66.77 बिलियन रुपए (9.25 बिलियन अमेरिकी डॉलर का आवंटन प्राप्त किया। इस आवंटन में से 64.587 करोड़ (11.51 बिलियन अमेरिकी डॉलर) सड़क परिवहन और राजमार्ग के लिए आवंटित किए गए हैं जबकि 3899.9 करोड़ रुपए (540.53 बिलियन अमेरिकी डॉलर) पवन और सौर ऊर्जा परियोजना के साथ हरित ऊर्जा कॉरिडोर परियोजना की क्षमता में वृद्धि करने के लिए आवंटित किए गए हैं; 888.00 करोड रुपए (110.88 मिलियन अमेरिकी डॉलर) का आवंटन राज्य सरकार के जिला अस्पतालों के स्तर पर आयुर्विज्ञान महाविद्यालयों (स्नातकोत्तर स्थान) और 1361.00 करोड रुपए (188.63 मिलियन अमेरिकी डॉलर) शासकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालयों (स्नातक पूर्व स्थान) और सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं का उन्नयन करने के लिए आवंटित किए गए हैं।
- भू संपदा क्षेत्र को आर्थिक वृद्धि का नेतृत्व करने के लिए प्रक्षेपित किया गया है जो अपने जीडीपी योगदान को दोगुना करके वर्ष 2025 तक लगभग 13% कर देगा। भू संपदा क्षेत्र के भीतर अकेला आवास क्षेत्र भारतीय जीडीपी में 5–6% का योगदान करता है भारत की जन शक्ति का लगभग 10% प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से कंस्ट्रक्शन उद्योग द्वारा सृजित होता है और इसके द्वारा जोड़ी गई नौकरियों के वर्ष 2025 तक 172 तक पहुंच जाने की आशा है।

- भारत में वहनीय आवास को बढ़ावा देने के लिए सरकारी टहलने थी पिछले तीन–चार वर्ष के दौरान वृद्धि को बल दिया है। भारत का भू संपदा क्षेत्र विकासशील देशों के समान विश्वव्यापी हो रहा है। अवसंरचना स्तर प्रदान किए जाने से ना केवल यह क्षेत्र एक आकर्षित विनिधान का अवसर बन गया है अपितु यह और अधिक विदेशी प्रत्यक्ष भी विनिधान के प्रवाह से भारत की गतिशील वृद्धि का भी प्रचार कर रहा है।
- भरणीय आवास सरकार का स्पष्ट रूप से एक केंद्रीय एजेंडा रहा है और उद्योग के भीतर वृद्धि, जनशक्ति और कौशल की भारी अतिरिक्त आवश्यकता को प्रदर्शित करती है। तीव्र शहरीकरण, वृद्धि करने की इच्छा और भारत के 2/3 टियर के शहरों में तेजी से बढ़ती हुई आर्थिक समानता से नई वृद्धि ऊर्जा के उदय से भरणीय आवास हासिल करना शेष था। भरणीय आवास के वित्त पोषण से वर्ष 2022 तक 6 लाख करोड़ कारबार अवसरों के समतुल्य होने की आशा है।

अतः इस बात की भविष्यवाणी की जा सकती है कि भारत अवसंरचना निर्माण में सारवान वृद्धि का साक्षी होगा क्योंकि अवसंरचना क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र बन गया है जिस पर भारत सरकार सबसे अधिक ध्यान दे रही है। देश में भवनों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए, भारत सरकार ने आने वाले वर्षों में निर्माण परियोजनाओं को शीघ्र अनुमोदन प्रदान करने के लिए एकल स्थान अनापत्ति सुविधा प्रदान करने का निश्चय किया है।

एसडब्ल्यूओटी विश्लेषण

सुदृढ़ताएं

1. सिविल इंजीनियरिंग परियोजना प्रबंधन में साबित क्षमता।
2. बहु–विषयी परियोजनाएं हाथ में लेने की क्षमता।
3. इंजीनियरिंग एवं कंस्ट्रक्शन के लगभग सभी क्षेत्रों में व्यापक रेंज की सेवाओं का प्रस्ताव कर सकती है।
4. अखिल भारतीय उपस्थिति।
5. उच्च कर्मचारी उत्पादकता

खामियां

1. ढांचागत विनियामक और नीति फ्रेमवर्क या भली प्रकार परिभाषित परिचालन और वित्तीय विनियमों का अभाव।
2. स्वयं की कोई विनिर्माण कार्य क्षमता का ना होना।
3. संपूर्ण संगठन में आईटी कौशल में वृद्धि की आवश्यकता।
4. बीओटी/डीबीएफओटी/अन्य ढंग से परियोजनाओं के निष्पादन मैं अनुभव का ना होनाझ
5. अत्यधिक प्रतिस्पर्धी बाजार में प्रचालन।

अवसर

1. सभी इंफ्रास्ट्रक्चर उक्त क्षेत्रों में ग्रीन फील्ड परियोजनाओं के लिए अवसर।
2. सुदृढ़ जनसंख्या वृद्धि और बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था से इंफ्रास्ट्रक्चर की मांग बढ़ती है।
3. इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र के लिए एफडीआइ मानकों में ढील दी गई है।
4. भारतीय और विदेशी कंपनियों के साथ प्रौद्योगिकी गठबंधनों के अवसर।
5. बाजार में उपस्थित भागीदारों के बीच अधिक नम्यता से परियोजना पित्त पोषण और बीओटी/बीओएलडीटी/बीओओटी के लिए नए साधन प्राप्त होते हैं।

चुनौतियां

1. प्राकृतिक आकस्मिक आपदाएं जैसे भूकंप और बाढ़ अनिश्चित होती हैं और इससे कंस्ट्रक्शन वृद्धि प्रभावित होती है।
2. भूमि अनापत्ति मुद्दों से इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन परियोजनाओं में प्रमुख रूप से विलंब होता है।
3. स्ट्रक्चर बाजार में अनेक कंपनियां हैं जिनके पास पर्याप्त धन है।
4. बी ओ टी परियोजनाओं की तरफ पलायन यूपीआई के कार्यकरण के पारंपरिक तरीकों से भिन्न है।
5. स्थापित ईपीसी कंपनियों की विद्युत, पतन, दूरसंचार आदि में उपस्थिति।

खंडवार और उत्पादवार कार्यनिष्पादन

वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान कंपनी के आवर्त में औद्योगिक, प्रक्रिया संयंत्र, सामग्री हस्तालन, वैद्युत और सीमा प्रबंधन परियोजना घटक 67.24 प्रतिशत के साथ सबसे बड़ा योगदानकर्ता रहे, जिसके पश्चात आवास एवं भवन संकर्म हैं जिसके अंतर्गत हस्पताल परियोजना घटक है इस घटक की प्रतिशत भागीदारी घटकर पिछले वर्ष में 36.53 प्रतिशत के मुकाबले 30.64 प्रतिशत हो गई है। जल आपूर्ति एवं पर्यावरण स्कीम घटक और बांध एवं सिंचाई परियोजना घटक में पिछले वर्ष की तुलना में कमी आई है और उनका प्रतिशत शेयर क्रमशः 1 प्रतिशत और 0.99 प्रतिशत है।

नीचे दी गई सारणी कंपनी के प्रचालनों का खंड वार विश्लेषण प्रस्तुत करती है :

(करोड़ रुपए)

क्र.सं.	खंड वार परियोजनाएं	2016–17		2017–18		2018–19	
		आवर्त	%	आवर्त	%	आवर्त	%
1	आवास एवं भवन संकर्म जिसके अंतर्गत हस्पताल परियोजना हैं	678.00	41.81	587.24	36.53	548.37	30.64
2	बांध एवं सिंचाई परियोजनाएं	49.19	3.03	51.84	3.23	17.72	0.99
3	औद्योगिक प्रसंस्करण संयंत्र, सामग्री हस्तालन और वैद्युत एवं सीमा प्रबंधन परियोजनाएं	802.21	49.47	929.48	57.82	1203.43	67.24
4	जल आपूर्ति एवं पर्यावरणीय स्कीमें	68.60	4.23	37.01	2.30	17.85	1.00
5	परिवहन संरचनाएं	18.75	1.16	–	–	2.30	0.13
6	अन्य परियोजनाएं	4.70	0.29	1.84	0.12	–	–
	योग	1621.45	100.00	1607.41	100.00	1789.67	100.00

संभावना

ईपीआई की विशेषता बड़ी संख्या में मध्यम और बड़े आकार की सिविल एवं अवसंरचना परियोजनाओं, एकीकृत मॉडर्न शहरों जिसमें सभी संलग्न अवसंरचना, प्रतिष्ठित पब्लिक और बहुमंजिला भवनों का निष्पादन करना है ईपीआई के कार्यकलापों में लगभग सभी प्रकार के उद्योग आते हैं। ईपीआई ने विशिष्ट क्षेत्रों में परियोजनाओं के निष्पादन के लिए विश्व के विभिन्न ख्याति प्राप्त संगठनों के साथ सहयोग किया है।

आंतरिक नियंत्रण प्रणालियां और उनकी पर्याप्तता

कंपनी में आंतरिक नियंत्रणों के लिए पर्याप्त प्रणाली है और सुविरचित प्रक्रियाएं हैं जो सभी वित्तीय और प्रचालन कृत्यों को कवर करती हैं। इनको पर्याप्त लेखांकन नियंत्रणों, अर्थव्यवस्था की मॉनीटरी और प्रचालनों की प्रभावशीलता, अप्राधिकृत उपयोग या नुकसान से आस्तियों के संरक्षण और वित्तीय तथा प्रचालन सूचना की विश्वसनीयता के संबंध में युक्तियुक्त आश्वासन प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। इन नियंत्रणों का नियमित रूप से उनकी दक्षता और प्रभावशीलता के लिए पुनर्विलोकन किया जाता है।

प्रचालन कार्यनिष्पादन के संबंध में वित्तीय कार्यनिष्पादन पर चर्चा

वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान कंपनी ने पूर्ववर्ती वर्ष के 160741 लाख रूपए के आवर्त की तुलना में 179105 लाख रूपए का आवर्त हासिल किया और पूर्ववर्ती वर्ष के 171 लाख रूपए के कर–पूर्व लाभ की तुलना में 2963 लाख रुपए की हानि उपगत की। वर्ष के लिए समग्र मार्जिन पूर्ववर्ती वर्ष के 812 लाख रूपए की तुलना में (2271) लाख रुपए रहा।

कंपनी का निबल मूल्य 3303 लाख रूपए घटकर वर्ष 2017–18 में 23067 लाख रुपए से घटकर वर्ष 2018–19 में 19764 लाख रुपए हो गया।

लाभ की अपर्याप्तता और नकद की अनुपलब्धता के कारण वित्त वर्ष 2018–19 में बोर्ड द्वारा शून्य लाभांश घोषित करने की सिफारिश की गई है।

मानव संसाधन, औद्योगिक संबंध मंच जिसके अंतर्गत नियोजित लोगों की संख्या है, में तात्विक विकास

कंपनी का ध्यान भारत के साथ–साथ विदेशों में विशेषकर मध्य पूर्व, अफ्रीका और दक्षिण एशिया मैं परियोजनाएं प्राप्त करने पर है। लक्ष्य को हासिल करने को सुकर बनाने के लिए कंपनी चालू परियोजनाओं के साथ–साथ नई परियोजनाओं के निष्पादन के लिए प्रत्येक स्तर पर विशेषीकृत कौशल के साथ सर्वोत्तम प्रतिभा को हासिल करने का उद्देश्य रखती है। 2018–19 के दौरान 1 कर्मचारी।

इसके साथ कंपनी सभी स्तरों पर अनेक इन हाउस और बाहरी प्रशिक्षण कार्यक्रम, सेमिनार और कार्यशालाओं का आयोजन करके कर्मचारियों के तकनीकी और प्रबंधकीय कौशल का विकास करने के लिए सभी आवश्यक प्रयास करती है। वित्त वर्ष 2018–19 में कोई इन हाउस प्रशिक्षण संचालित नहीं किया गया और 34 मानव दिवस का बाहरी प्रशिक्षण संचालित किया गया था।

पर्यावरणीय संरक्षण और परिरक्षण, तकनीकी परिक्षण, विदेशी मुद्रा की बचत

क) पर्यावरणीय संरक्षण एवं परिक्षण

कंपनी पर्यावरणीय संरक्षण और उसके परिक्षण के प्रति अपने उत्तरदायित्व के संबंध में पूर्णतः भिज्ञ है। पारिस्थिकी संरक्षण इस समय बहुत महत्वपूर्ण है। यह समीचीन है कि किसी समुदाय में विकास की प्रक्रिया उसके पर्यावरण के अनुरुप होने के साथ–साथ उस समुदाय की विशिष्ट संस्कृति के अनुरूप होनी चाहिए। कंपनी सामाजिक रूप से एक उत्तरदायी संगठन है और वह पर्यावरणीय चिंताओं पर आईएसओ नीति और प्रक्रिया मैनुअल के अधीन अपनी पर्यावरणीय प्रबंध प्रणाली के माध्यम से ध्यान दे रही है और उसे पर्यावरणीय प्रबंध प्रणालियों (ईएमएस) को कवर करते हुए आईएसओ–14001:2015 से प्रमाणित किया गया है।

पर्यावरण के गहन अनुकूल और ऊर्जा की बचत करने वाले उपाय जैसे भस्म ईंटो और पोर्टलैंड पोजालाना सीमेंट का अनिवार्य उपयोग, वृक्षारोपण, अपशिष्ट जल का फिर से उपयोग/अपशिष्ट उपचार प्रणाली, सौर और पवन

ऊर्जा जैसी नवीकरणीय ऊर्जा, प्रकाश संवेदक, कम किया जा सकने वाला प्रकाश, तापीय इंसुलेशन, कार्यस्थल आदि पर कंस्ट्रक्शन के दौरान टैंकर के माध्यम से जल का छिड़काव को अंगीकृत किया जाता है। कंपनी अनेक पर्यावरणीय उपायों जैसे ध्वनि नियंत्रण, तेल एवं गैस रिसाव का नियंत्रण, जल के दुरुपयोग का नियंत्रण, दुबे का नियंत्रण आदि जैसे उपायों और वृक्षारोपण करने का भी अनुसरण करती है। कंपनी ने परियोजनाओं के निष्पादन में एकीकृत पर्यावास निर्धारण के लिए हरित रेटिंग (जीआरआईएचए) को अंगीकार किया है जिसका परिणाम पर्यावरण के रक्षण के साथ–साथ ऊर्जा की बचत के रूप में हुआ है। पर्यावरण अनुकूल उपस्कर जैसे सौर प्रकाश आदि का भी निगम कार्यालय/विभिन्न परियोजना स्थलों पर प्रतिस्थापन किया जा रहा है।

(ख) प्रौद्योगिकीय संरक्षण

प्रौद्योगिकी संरक्षण के एक भाग के रूप में, ईपीआई ने संनिर्माण लागत और समय को कम करने के लिए तथा पर्यावरणीय प्रदूषण में कटौती करने के लिए निम्नलिखित तरीकों का उपयोग करना आरंभ किया है।

- सड़कों का निर्माण करने और बाड की नींव को स्थिर करने के लिए चूना पत्थर/धातुमल जैसी खनन की गई सामग्रियों का उपयोग।
- शून्य निस्सारण के साथ अवशिष्ट उपचार जिसके अंतर्गत पुनर्चक्रण, लवणता को कम करने के लिए पारिस्थितिकी संवेदी प्रभावी सूक्ष्म जीवाणु प्रौद्योगिकी सहित ऑनलाइन उपचार।
- वृहत्त आवास और अन्य संनिर्माण परियोजनाओं के लिए तीव्र मोनोलिथिक आपदा रोधी प्रौद्योगिकी को अंगीकार करना।

(ग) विदेशी मुद्रा संरक्षण

कंपनी हमेशा विदेशी मु.द्रा की बचत करने का प्रयास करती है। घरेलू आवश्यकताओं के लिए स्वदेश में निर्मित सामग्रियों और मशीनों की खरीद की जाती है जो कंपनी से विदेशी मुद्रा के बाहिर्गमन को रोकती है। नई प्रौद्योगिकियों, इंजीनियरी नूतनों, आदि को स्वंय के डिजाइन का विकास करने के लिए अंगीकृत किया जाता है।

प्रौद्योगिकियों का अनुकूलतम उपयोग करने के लिए और आधुनिक उत्पादन तथा प्रसंस्करण सुविधाओं की भारत में स्थापना करने के लिए मशीनरी, मशीनरी के समुचित उपांतरणध्अंगिकरण के लिए, उपस्कर और विदेश आधारित प्रौद्योगिकीय डिजाइन को स्वदेशी स्रोतों से खरीदा जाता है। भारतीय परिस्थितियों की भीषणता के अधीन प्रचालन के लिए अंगीकार करने के लिए सभी प्रक्रियाओं को भीषण परीक्षण और जांचों से गुजारा जाता है। मूल्यवान विदेशी मुद्रा का व्यय भारतीय दक्षता का विस्तृत इंजीनियरी, विनिर्माण एवं सुविधाओं के संयोजन में नई प्रौद्योगिकियों और विदेश में विकसित जानकारी को अपनाकर उन्नत डिजाइन एवं तकनीकी विशेषताओं के माध्यम से न्यूनतम किया गया है।

सचेत करने वाला विवरण

इस प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट का विवरण कंपनी के उद्देश्यों, प्रेक्षणों का वर्णन करता है जो लागू विधियों और विनियमों के अर्थातरगत आगे बढ़ने के लिए कथन हैं। वास्तविक परिणाम अभिव्यक्त या समझे गए परिणामों से सारवान रूप से या तात्विक रूप से भिन्न हो सकते हैं, महत्वपूर्ण विकास कंपनी के प्रचालनों को प्रभावित कर सकते हैं जिनके अंतर्गत अवसंरचना क्षेत्र में अवमूल्यन की प्रवृत्ति, भारत में आर्थिक पर्यावरण में महत्वपूर्ण परिवर्तन, मुद्रा विनिमय दर में उतार–चढ़ाव, कर, विधियां, मुकदमेबाजी और श्रमिक संबंध हैं।

निगम शासन पर रिपोर्ट

1. निगम शासन पर कंपनी का दर्शन

कंपनी के मिशन/ध्येय कथन में ''पणधारियों के मूल्य का वर्धन'' का उत्कीर्ण किया गया है। कंपनी दृढ़ता से यह विश्वास करती है कि अच्छे निगम शासन से सभी पणधारियों के लिए अविछिन्न आधार पर मूल्य का सृजन होता है। निगम शासन मुख्यतः पारदर्शिता, तात्विक तथ्यों का पूर्ण प्रकटन, बोर्ड की स्वतंत्रता और सभी पणधारियों के साथ न्यायोचित व्यवहार से संबंधित है। इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड का निगम प्रशासन पर दर्शन निम्नानुसार है :

''पेशेवरता का प्रयोग करना और कंपनी के सभी पणधारियों के लिए मूल्य का सृजन करने के लिए प्रभावी, उत्तरदायी और पारदर्शी होना है''।

2. निदेशक बोर्ड

(क) बोर्ड की संरचना

ईपीआई के बोर्ड के सभी निदेशकों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रशासनिक मंत्रालय (अर्थात भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय) के माध्यम से की जाती है।

ईपीआई का निदेशक बोर्ड 3 कृत्यशीलध्पूर्णकालिक निदेशक/2 सरकारी नामनिर्देशित निदेशक तथा 3 स्वतंत्र निदेशकों से मिलकर बना है। 31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार 3 पद खाली थे अर्थात, शेष कृत्यशील निदेशकों के 2 पद और अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, निदेशक (परियोजनाएं) का पद रिक्त था। अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक के पद का अतिरिक्त पदभार अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, निदेशक (परियोजनाएं) के पद का अतिरिक्त प्रभार श्री एस एस रावत, निदेशक (परियोजना प्रबंधन), ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड (बीएंडआर) द्वारा धारण किया जा रहा है। प्रशासनिक मंत्रालय को उक्त स्थिति से अवगत करा दिया गया है।

(ख) निदेशक बोर्ड की संरचना के ब्यौरे; निदेशक की श्रेणीय बोर्ड की बैठकों और वार्षिक साधारण बैठक (एजीएम) में उपस्थिति; और वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान धृत अन्य निदेशक पद नीचे दिए अनुसार हैं :

निदेशकों का नाम	श्रेणी	भाग ली गई बोर्ड की बैठक	26 सितंबर 2018 को आयोजित अंतिम वार्षिक साधारण बैठक में उपस्थिति (29 सितंबर 2018 के लिए स्थगित)	अन्य पब्लिक कंपनियों में धृत निदेशक पदों की संख्या (जिसके अंतर्गत	अवधि
(क) अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) एवं निदेशक (परियोजनाएं) (अतिरिक्त प्रभार)					
श्री एन. शिवानंद, संयुक्त सचिव,	अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) निदेशक	3/3	लागू नहीं	3 (टीएमटीपी, ईपीआई यू आई	15 जून, 2017 से 14

भारी उद्योग विभाग डीआईएनः 0785 2689	(परियोजनाएं) (अतिरिक्त प्रभार)	2/2		डी एल, एचपीसीएल)*	सितंबर 2018 तक(नीचे दिए गए टिप्पण को निर्दिष्ट करें)
श्री एस. एस. रावत, निदेशक (परियोजना प्रबंधन) ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड (बीएंडआर) डीआईएनः 07555572	अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) निदेशक (परियोजनाएं) (अतिरिक्त प्रभार)	3/3	हां *(सिवाय स्थगित वार्षिक साधारण बैठक के)	1 ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड	15 सितंबर 2018 से (नीचे दिए गए टिप्पण को निर्दिष्ट करें)
(ख) पूर्णकालिक/कृत्यशील निदेशक					
श्री एसपीएस बक्शी, डीआईएनः 02548430	अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	5 फरवरी, 2009 से 30 सितंबर 2018 तक (नीचे दिए गए टिप्पण को निर्दिष्ट करें)
श्री वीनू गोपाल, डीआईएनः 05173442	निदेशक (परियोजनाएं)	1/1	लागू नहीं	1 (ईपीआईयू आईडीएल)*	2 जनवरी, 2012 से 30 जून 2018 तक
श्री लेखराज डीआईएनः 077948 94#	निदेशक (वित्त)	6/6	हां	कुछ नहीं	13 अप्रैल, 2017 से
(ग) सरकारी नामनिर्देशती/अंशकालिक शासकीय निदेशक					
श्री विश्वजीत सहाय, संयुक्त सचिव, भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय डीआईएनः 06840620	निदेशक	3/4	नहीं	4 (एच.एम.टी.एल, एचएमटीएलएम टीएल, एचईसीएल, एचएमटी, (आई) लिमिटेड)*	3 नवंबर, 2016 से 16 नवंबर 2018 तक(नीचे दिए गए टिप्पण को निर्दिष्ट करें)
श्री सिया शरन, मुख्य लेखा नियंत्रक, (सीसीए) भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय डीआईएनः 07401363	निदेशक	2/2	लागू नहीं	2 (एचईसीएल, एचएमटीएम टीएल)*	11 जनवरी, 2016 से 7 अगस्त 2018 तक(नीचे दिए गए टिप्पण को निर्दिष्ट करें)

श्रीमती नीलम एस. कुमार मुख्य लेखा नियंत्रक, (सीसीए) भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय डीआईएनः 0008220197	निदेशक	2/3	हां *(सिवाय स्थगित वार्षिक साधारण बैठक के)	कुछ नहीं	23 अगस्त 2018 से (नीचे दिए गए टिप्पण को निर्दिष्ट करें)
श्रीमती सुकृति लिखी, संयुक्त सचिव, भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय डीआईएनः 01825997	निदेशक	2/2	लागू नहीं	3 (टीएमटीपी, सीसीआई, एनईपीए लिमिटेड)	16 नवंबर 2018 से (नीचे दिए गए टिप्पण को निर्दिष्ट करें)
(घ) स्वतंत्र निदेशक/अंशकालिक (गैर–शासकीय) निदेशक					
श्री सुशांत बालिगा, प्रबंध विज्ञान संकाय दिल्ली विश्वविद्यालय डीआईएनः 06462815 (ईपीआईयूआईडीएल)'	निदेशक	6/6	हां	1 (ईपीआईयू आईडीएल)* से 31 मई 2019 को त्यागपत्र)	18 नवम्बर, 2015 से (नीचे दिए गए टिप्पण को निर्दिष्ट करें)
डॉ. अनीता चौधरी आईएएस, सचिव, भू संसाधन विभाग (सेवानिवृत्त), भारत सरकार डीआईएनः 07328842 (एनपीसीआईएल)'	निदेशक	5/6	नहीं	1 (एनपीसी आइएल)*	1 दिसम्बर, 2015 से (नीचे दिए गए टिप्पण को निर्दिष्ट करें)

इस्तेमाल किए गए संक्षेपाक्षरः

टीएमटीपी टूमुकूरू मशीन टूल पार्क
एचपीसीएल– हिंदुस्तान पेपर कार्पोरेशन लिमिटेड
एच.एम.टी.एल एच.एम.टी लिमिटेड
एचईसीएल हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड
एनपीसीआईएल न्यूक्लिअर पावर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
ईपीआईयूआईडीएल ईपीआई अर्बन इंफ्रा डेवलपर्स लिमिटेड
सीसीआई सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
एचएमटीएलएमटीएल एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड
एचएमटी (आई) एल एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड

#डीआईएन तारीख 15 अप्रैल 2017 को आवंटित।

टिप्पण

वर्ष 2018–19 के दौरान और तत्पश्चात इस रिपोर्ट की तारीख तक बोर्ड की निदेशकता में निम्नलिखित परिवर्तन हुए।

1. श्री वीनू गोपाल निदेशक (परियोजनाएं) ने ईपीआई के निदेशक पद से 30 जून 2018 (अपराहन)। से 30 जून 2018 को अपनी अधिवर्षिता पर पद छोड़ दिया।

2. श्री वीनू गोपाल, निदेशक (परियोजनाएं) कि 30 जून 2018 (अपराहन) को अधिवर्षिता पर श्री शिवानंद, संयुक्त सचिव, भारी उद्योग विभाग एवं अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक को भारी उद्योग विभाग के आदेश संख्या

12–16/2/2017–टीएसडब्ल्यू (भाग) तारीख 29 जून 2018 द्वारा 1 जुलाई 2018 से 3 मास की अवधि या नियमित पदधारी की नियुक्ति होने तक या अगला आदेश इनमें से जो भी पूर्व पर हो, को निदेशक (परियोजनाएं) का अतिरिक्त पदभार सौंपा गया था।

3. तारीख 7 अगस्त 2018 के पत्र द्वारा श्री सिया शरन ने इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड की निदेशकता को 7 अगस्त 2018 से छोड़ दिया।भारी उद्योग विभाग के आदेश संख्या 16/7/2015–टीसीडब्ल्यू, तारीख 23 अगस्त 2018 द्वारा श्रीमती नीलम एस. कुमार, मुख्य लेखा नियंत्रक (सीसीए), उद्योग मंत्रालय को श्री सिया शरन के स्थान पर ईपीआई के निदेशक बोर्ड में अंशकालीन निदेशक नियुक्त किया गया था।

4. भारी उद्योग विभाग के आदेश संख्या 12–16/1/2017–टीसीडब्ल्यू (भाग फाइल) 14.9.2018 के शेशन द्वारा अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक और निदेशक (परियोजनाएं) का अतिरिक्त प्रभार श्री एस एस रावत, निदेशक (परियोजना प्रबंधन) बी एंड आर को श्री एन. शिवानंद, संयुक्त सचिव, भारी उद्योग विभाग के स्थान पर 15 सितंबर 2018 से 3 माह की अवधि के लिए या अगला आदेश होने तक, इनमें से जो भी पूर्व पर हो को सौंपा गया था। बाद में श्री एन. शिवानंद ने अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) और निदेशक (परियोजनाएं) (अतिरिक्त प्रभार) का पद 14 सितंबर 2018 से छोड़ दिया था।

5. श्री एस.पी.एस. बक्शी 30 सितंबर 2018 को अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त हो गए हैं।

6. भारी उद्योग विभाग के आदेश संख्या 16/7/2015–टीएसडब्ल्यू, तारीख 16 नवंबर 2018 द्वारा श्रीमती सुकृति लिखी, संयुक्त सचिव, भारी उद्योग विभाग को ईपीआई के बोर्ड में श्री विश्वजीत सहाय, संयुक्त सचिव, भारी उद्योग विभाग के स्थान पर अंशकालिक शासकीय निदेशक नियुक्त किया गया था। तत्पश्चात श्री विश्वजीत सहाय ने ईपीआई की निदेशकता 16 नवंबर 2018 को छोड़ दी।

7. भारी उद्योग विभाग के आदेश संख्या 16/11/2016–टीसीडब्ल्यू, तारीख 4 दिसंबर 2018 द्वारा श्री सुशांत बलिगा और डॉक्टर अनिता चौधरी को 1 वर्ष की अवधि के लिए या अगला आदेश होने तक इनमें से जो भी पूर्वोत्तर हो, क्रमशः 17 नवंबर 2018 और 30 नवंबर 2018 से पुनः नियुक्त किया गया है।

8. ईपीआई के अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक और निदेशक (परियोजनाएं) के श्री एस. एस रावत, निदेशक (परियोजना प्रबंधन) बी एंड आर को अतिरिक्त प्रभार का 15 दिसंबर 2018 या नियमित की इन पदों पर नियुक्ति या अगला आदेश होने तक, इनमें से जो भी पूर्वोत्तर हो 6 मास की और अवधि के लिए विस्तार किया गया था, यह पदावली 14 जून 2019 को समाप्त हो गई है। विस्तार के अगले आदेश का इंतजार किया जा रहा है।

(ग) बोर्ड की प्रक्रिया

निदेशक बोर्ड कंपनी के अच्छे शासन और कार्यकरण का सुनिश्चय करने के लिए मुख्य भूमिका का निर्वाह करता है। बोर्ड की बैठकें साधारणतया कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय, नई दिल्ली में आयोजित की जाती हैं। बोर्ड नियमित अंतरालों पर कंपनी की भौतिक और वित्तीय प्रगति पर चर्चा करने के लिए बैठकें करता है। बोर्ड अवधिक रूप से सभी लागू विधियों की अनुपालना प्रास्थिति का पुनरीक्षण करता है। बैठकों के लिए कार्यवृत्त की टिप्पणियां संबंधित अधिकारियों द्वारा तैयार की जाती है और उनका अनुमोदन अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक सहित कृत्यकारी निदेशकों द्वारा उन्हें सभी निदेशकों को भेजने से पूर्व किया जाता है। कंपनी सचिव यह सुनिश्चय करता है कि निदेशकों और ज्येष्ठ प्रबंधन को बैठकों में प्रभावी विनिश्चय करने के लिए सभी सूसंगत सूचना, ब्यौरे और दस्तावेज उपलब्ध कराए जांए। निदेशक बोर्ड द्वारा विनिश्चय विचार–विमर्श के पश्चात किए जाते हैं।

(घ) बोर्ड की बैठकों की संख्या

वित वर्ष 2018–19 के दौरान निदेशक बोर्ड की छह (6) बैठकें आयोजित की गईं थी, जिनके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

क्रम सं.	बैठक की तारीख	बोर्ड की संख्या	उपस्थित निदेशकों की संख्या
1.	03.05.2018	7	7
2.	27.07.2018	6	6
3.	24.08.2018	5	5
4.	26.09.2018	6	4
5.	20.12.2018	6	5
6.	19.03.2019	6	6

(ङ) स्वतंत्र निदेशकों की बैठकें

वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों ने 29 मार्च 2019 को ईपीआई के कॉरपोरेट कार्यालय, नई दिल्ली–110003 में (कार्यशील निदेशकों, शासकीय निदेशकों, या प्रबंधन के सदस्यों की उपस्थिति के बिना) कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची प्ट–स्वतंत्र निदेशकों के लिए संहिता, की अनुपालना में बैठक की।

(च) 31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार बोर्ड में निवेशकों का संक्षिप्त विवरण

I) श्री एस. एस. रावत, अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) तथा निदेशक (परियोजनाएं) (अतिरिक्त प्रभार)

श्री एस. एस. रावत को अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और निदेशक (परियोजनाएं), इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड का अतिरिक्त प्रभार 15 सितंबर 2018 से सौंपा गया है श्री एस. एस. रावत प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, जी बी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर, उत्तराखंड से बी. टैक (सिविल इंजीनियरिंग) हैं तथा उनके पास आई आई एम, इंदौर से प्रबंधन में 1 वर्षीय स्नातकोत्तर प्रमाण पत्र (आवासीय) है।

श्री रावत ने, एसएआईएल, राउरकेला इस्पात संयंत्र (17 अगस्त 1992 से) डोमेन परियोजना और संविदा के अधीन कार्य किया। श्री एस. एस. रावत ब्रिज एंड रूफ कंपनी (आई) लिमिटेड में 15 जून 2016 से निदेशक (परियोजना प्रबंधन) के रूप में कार्य कर रहे हैं और उन्हें ब्रिज एंड्र रूफ के अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था।

II) श्री लेखराज, निदेशक (वित्त)

श्री लेखराज को ईपीआई में भारी उद्योग विभाग के आदेश तारीख 13 अप्रैल 2017 द्वारा निदेशक (वित्त) के रूप में नियुक्त किया गया है। वह चार्टर्ड अकाउंटेंट है और उनके पास वित्त और लेखा के विभिन्न क्षेत्रों में 33 वर्ष से अधिक का अनुभव है और वह नीति विरूपण से वास्तविक सफलतापूर्वक कार्य निष्पादन तक कारबार विनिश्चयों मैं अंतर्वलित रहे हैं। उनके पास निगम विधियों और वाणिज्य सिद्धांतों, लेखांकन, बजटिंग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कराधान, वित्तीय घटनाएं, कानूनी/सीएजी/स्टोक लेखा परीक्षा, बैंकिंग, बोर्ड मामलों आदि से संबंधित लगभग सभी क्षेत्रों में अनुभव है. ईपीआई में सम्मिलित होने से पूर्व श्री लेखराज ने वित्तीय कृतियों में विभिन्न स्तरों पर एनटीपीसी के साथ कार्य किया है और उन्होंने विधिक मामलों के निपटान को भी संभाला है। वह सीईआरसी से व्योहार करने के लिए विनियामक समूह का भी एक भाग रहे हैं।

उन्होंने एक स्वतंत्र कंपनी अर्थात एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड (एनवीवीएन) जो एनटीपीसी लिमिटेड की एक सौ प्रतिशत समानुषंगी है के वित्तीय कृत्यों की भी अध्यक्षता की है। एन वी वी एन में अपने कार्यकाल के दौरान ऊर्जा के एक संभावित वैकल्पिक स्रोत के रूप में ग्रिड से जुड़े हुए सौर ऊर्जा संयंत्रों को बनाने वाले

एक समूह का भी नेतृत्व किया था। उन्होंने समूह का नेतृत्व नीति दस्तावेजोंध्सौर ऊर्जा के माध्यम से सृजन के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों, राज्यों के साथ संपर्क का प्रबंध करने, विद्युत खरीद/विक्रय के लिए करारों और अन्य विधिक दस्तावेजों का प्रारूपण करने और सौर विद्युत विकासकर्ताओं (एसपीडी) के साथ विधिक करार करने, विद्युत व्यापार कारबार के लिए विपणन मॉडल को अंतिम रूप देने, विद्युत एक्सचेंजों में विद्युत का कारबार करने, प्राप्तियों की प्रतिभूति करने, बांग्लादेश को विद्युत का निर्यात करने आदि की अवधारणा बनाने के माध्यम से किया। उनकी उपलब्धियों में पूर्व संचित स्लैबो, एवैस्टस सीटों, सीमेंट उद्योग मैं उपयोग के लिए कोल आधारित विद्युत संयंत्रों में सृजित फ्लाई ऐस, पेंट उद्योग में सेनोस्फेयर (जो फ्लाई ऐस का एक उपउत्पाद है) के उपयोग के विक्रय के माध्यम से राजस्व सृजन सम्मिलित है।

III) श्रीमती सुकृति लिखी, संयुक्त सचिव, भारी उद्योग विभाग और अंशकालिक शासकीय निदेशक

श्रीमती सुकृति लिखी, संयुक्त सचिव भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उपक्रम मंत्रालय, भारत सरकार भारतीय प्रशासनिक सेवा के हरियाणा कैडर से संबंध रखती हैं। वह आईएएस में वर्ष 1993 में सम्मिलित हुईं।

वह लेडी श्रीराम महाविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातक हैं, श्रीमती लिखी ने लिखी दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से समाजशास्त्र में मास्टर डिग्री हासिल की है और उन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय से लोक प्रशासन में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने वित्त मंत्रालय, भारत सरकार मैं वित्तीय सेवा विभाग में निदेशक के रूप में और बाद में उन्होंने वाशिंगटन, डीसी में भारतीय दूतावास के साथ काउंसलर इकोनॉमिक सेवा की है।

उनके पास प्रशासन का व्यापक और भिन्नतापूर्ण अनुभव है। हाल ही में वह हरियाणा सरकार में, हरियाणा पावर जेनरेशन कारपोरेशन लिमिटेड की प्रबंध निदेशक थी। जिससे पूर्व वह एच ए एफईडी (हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड) की प्रबंध निदेशक और हरियाणा सरकार में सचिव (वित्त) थी।

IV) श्रीमती नीलम एस. कुमार,मुख्य लेखा नियंत्रक, भारी उद्योग विभाग और अंशकालिक शासकीय निदेशक

श्रीमती नीलम एस. कुमार को भारी उद्योग विभाग के तारीख 23 अगस्त 2018 के आदेश के अनुसरण में शासकीय नामनिर्देशिति के रूप में ईपीआई का अंशकालिक शासकीय निदेशक नियुक्त किया गया है। श्रीमती नीलम एस. कुमार 1984 बैच की आईसीएएस अधिकारी हैं। इस समय उन्हें मुख्य लेखा नियंत्रक, उद्योग मंत्रालय के रूप में तैनात किया गया है। वह डीआईपीपी, डीएचआई, डीपीई और एमएसएमई के बजट एवं लेखा, संदाय और खजाना कार्यों को देखती हैं।

V) श्री सुशांत बालिगा, स्वतंत्र निदेशक

श्री सुशांत बालिगा ईपीआई में एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में तारीख 18 नवंबर 2015 से सम्मिलित हुए। श्री बालिगा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास (1972) से बी टेक है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली (1975) से एमटेक हैं, प्रबंध विज्ञान संकाय, दिल्ली विश्वविद्यालय से एमबीए (2006) हैं। वह इंटरनेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ अर्थक्वेक इंजीनियरिंग एंड सिस्मोलॉजी में सुकुवा विश्वविद्यालय, जापान से भूकंप में प्रमाण पत्र धारक हैं (1980)। स्नातक होने के पश्चात वह 1 वर्ष के लिए मारूंगाओ बार्स बर्थ, गोवा के संनिर्माण के लिए रोडियो–हजरत (अब अफकौन) के साथ नियोजित थे। वह इंजीनियरी सेवा परीक्षा (1974) के माध्यम से सहायक कार्यपालक इंजीनियर वर्ग–1 के रूप में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग में सम्मिलित हुए। अपनी सेवा के दौरान उन्होंने डिजाइन कार्यालयों से (बिहार, झारखंड और ओडिशा का प्रभारी मुख्य इंजीनियर) आंचलिक प्रमुख के रूप में विभिन्न पदों पर कार्य किया और विभिन्न प्रकार के ग्राहकों के लिए परियोजनाओं को निष्पादित किया। सेवा की इस अवधि के दौरान वह विभिन्न संगठनों अर्थात नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन

लिमिटेड में कार्यपालक निदेशक के रुप में भी तैनात हुए थे। जहां पर उन्होंने कारबार विकास, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कारबार योजना, कॉरपोरेट स्तर पर परामर्श, कॉरपोरेट योजना, परामर्श, डिजाइन और परियोजना मनिटरी के अतिरिक्त दक्षिण जोन में परियोजनाओं को कार्यान्वित कियाय कर्मचारी राज्य बीमा निगम में मुख्य इंजीनियर रहेय राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण में निदेशक थे जो विभिन्न विश्व बैंक और एडीबी वित्त पोषित परियोजनाओं के लिए उत्तरदाई थे। वह भारत सरकार से मई 2011 में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के अपर महानिदेशक के रूप में सेवा करने के पश्चात सेवानिवृत्त हुए।

अपनी सेवानिवृत्ति के पश्चात व भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़, भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुणे, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, एफ आई सी सी आई, राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड, दिल्ली विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, विश्व बैंक आदि के साथ विभिन्न सलाहकारी क्षमताओं में नियोजित रहे हैं और उन्होंने ब्रिज एंड रूफ (इंडिया) लिमिटेड के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक का पद धारण किया है। उन्होंने अध्यक्ष, शैक्षिक परिषद, डीपीसी का पद भी धारण किया है। वह भारतीय सड़क कांग्रेस और भारतीय माध्यस्थम परिषद का आजीवन सदस्य भी हैं।

VI) डॉ. अनीता चौधरी, स्वतंत्र निदेशक

डॉ. अनीता चौधरी, भारतीय प्रशासनिक सेवा (76 एचवाई), भारत सरकार, भू–संसाधन विभाग से सचिव के रूप में सेवानिवृत्त हुई। उन्होंने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से 'ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छे शासन के लिए एक साधन के रूप में सूचना प्रौद्योगिकी' विषय पर पीएचडी की है। वह फर्गुसन महाविद्यालय, पुणे से अंग्रेजी साहित्य में निष्णात है और यूनिवर्सिटी ऑफ बरमिंघम, यूनाइटेड किंगडम से सामाजिक विज्ञान में निष्णात हैं। इस समय वह इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से सूचना का अधिकार और सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर शोध कर रही है। उन्होंने देश और विदेश में महत्वपूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रम किए हैं। इसमें से कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम कोरिया में कृषि विपणन और हार्वर्ड में वित्त और लोकनीति है।

भारतीय प्रशासनिक सेवा में 37 वर्ष के अपने कैरियर के दौरान उन्होंने राज्य और केंद्रीय सरकार में वित्त, गृह, उद्योग, शहरी विकास, ग्रामीण विकास, खाद्य और कपड़ा के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण पद धारण किए हैं। वह भारत सरकार के केंद्रीय कुटीर उद्योग निगम की प्रबंध निदेशक रही है। व एनपीसीआईएल में एक स्वतंत्र निदेशक हैं। व गृह मंत्रालय और आईएफसीआई में स्वतंत्र वाह्य मॉनिटर भी हैं।

(छ) निदेशकों की नियुक्ति

सभी निदेशकों की नियुक्ति (अंशकालिक निदेशकों, स्वतंत्र निदेशकों, महिला निदेशकों सहित) प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय के माध्यम से राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

नियुक्त किए गए निदेशक, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय की अधिसूचना तारीख 13 जून 2017 द्वारा, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 152(6) और(7) (अर्थात चक्रानुक्रम में निदेशकों की सेवानिवृत्ति) के अपराधों को ध्यान में रखते हुए सेवानिवृत्ति की शर्ट के अधीन नहीं है।

3. बोर्ड की समितियां

बोर्ड की समितियां कंपनी के शासन ढांचे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और उनका गठन विशिष्ट क्षेत्रोंध्कार्यकलापों से निपटने के लिए किया जाता है जिनका कंपनी से संबंध होता है और जिनका नजदीक से पुनर्विलोकन करने की आवश्यकता होती है। बोर्ड की समितियों का गठन बोर्ड के औपचारिक अनुमोदन के अधीन स्पष्ट रुप से दी गई भूमिका जिनका निर्वहन बोर्ड के सदस्यों द्वारा किया जाना विचारित है, करने के लिए एक अच्छी प्रशासन पद्धति के एक भाग के रूप में किया जाता है। बोर्ड अपने उत्तरदायित्व का निष्पादन समितियों

द्वारा करता है। संबंधित समिति का अध्यक्ष बोर्ड को समिति की बैठकों में की गई चर्चा से सूचित करता है। सभी समितियों की बैठकों के कार्यवृत्त को समीक्षा के लिए बोर्ड के समक्ष रखा जाता है।बोर्ड की समिति विशेषता आमंत्रितों को बैठक में शामिल होने के लिए जैसा वह उचित समझे अनुरोध कर सकती है। बोर्ड ने इस समय कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार समितियों की स्थापना की है।

i) संपरीक्षा समिति

निदेशकों में परिवर्तन के साथ संपरीक्षा समिति का पुनर्गठन किया गया था। संपरीक्षा समिति का इस समय गठन नीचे दिए अनुसार हैः

1.	श्री सुशांत बालिगा, स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
2.	डॉ. अनीता चौधरी, स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
3.	श्रीमती नीलम एस. कुमार, अंशकालिक शासकीय निदेशक	सदस्य

श्री लेख राज निदेशक (वित्त) लेखा परीक्षा समिति की बैठकों में स्थाई आमंत्रिती हैं।

टिप्पणः

- श्री सिया शरन 7 अगस्त 2018 तक सदस्य थे।
- श्री विश्वजीत सहाय, अंशकालीन निदेशक 20 अगस्त 2018 से 26 सितंबर 2018 तक सदस्य थे।
- श्रीमती नीलम एस. कुमार 26 सितंबर 2018 से अंशकालिक शासकीय निदेशक हैं।

वर्ष 2018–19 के दौरान समिति की 20 जुलाई 2018, 24 अगस्त 2018, 19 दिसंबर 2018 और 19 मार्च 2019 को चार बैठकें हुई थी।

उपस्थिति के ब्यौरे नीचे दिए अनुसार हैं :

सदस्य	उनकी पदावधि के दौरान क्रमशः आयोजित की गई बैठकों की संख्या	भाग ली गई बैठकों की संख्या
श्री सुशांत बालिगा, अंशकालिक गैर शासकीय निदेशक–अध्यक्ष	4	4
डॉ. अनीता चौधरी, अंशकालिक गैर शासकीय निदेशक–सदस्य	4	4
श्री सिया शरन, अंशकालिक गैर शासकीय निदेशक–सदस्य@	1	0
श्री विश्वजीत सहाय, गैर अंशकालिक शासकीय निदेशक–सदस्य#	1	1
श्रीमती नीलम एस. कुमार, गैर अंशकालिक शासकीय निदेशक–सदस्य*	2	1

@7 अगस्त 2018 तक सदस्य #20 अगस्त 2018 से 26 सितंबर 2018 तक सदस्य *26 सितंबर 2018 से सदस्य

संपरीक्षा समिति के निर्देश के निबंधन

संपरीक्षा समिति के निर्देश के निबंधन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 117 और निगम शासन पर डीपीई मार्गदर्शक सिद्धांतों की अपेक्षाओं के अनुरूप हैं। इन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 के निबंधनों के अनुसार 21 जुलाई, 2014 से निम्नानुसार संशोधित किया गया है :–

1. कंपनी के लेखापरीक्षकों की नियुक्ति, पारिश्रमिक और नियुक्ति के निबंधनों की सिफारिश।
2. लेखापरीक्षकों की स्वतंत्रता और कार्यनिष्पादन तथा लेखा प्रक्रिया की प्रभावशीलता का पुनरीक्षण और मानीटरी।
3. वित्तीय विवरण और उसमें लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की जांच।
4. संबंधित पक्षकारों के साथ कंपनी के संव्यवहारों के पश्चातवर्ती उपांतरण का अनुमोदन।
5. अंतः निगम ऋणों और विनिधानों की संवीक्षा।
6. कंपनी के वचनबंधों या आस्तियों का मूल्यांकन, जहां यह आवश्यक हो।
7. आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों और जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का मूल्यांकन।
8. लोक प्रस्तावना और संबंधित मामलों जहां लागू हों, के माध्यम से इक्ट्ठा की गई निधियों के अंतिम उपयोग की मानीटरी।
9. लेखापरीक्षा समिति आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों, लेखापरीक्षा के स्कोप, जिसके अंतर्गत लेखापरीक्षकों का पर्यवेक्षण और बोर्ड को प्रस्तुत करने से पूर्व वित्तीय विवरण का पुनर्विलोकन भी है के विषय में लेखापरीक्षकों की टिप्पणियां मांग सकती है और अन्य किसी संबंधित मुद्दों पर आंतरिक और कानूनी लेखापरीक्षकों तथा कंपनी के प्रबंधन के साथ विचार–विमर्श कर सकती है।
10. लेखापरीक्षा समिति को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177(4) में विनिर्दिष्ट मदों के संबंध में या उसे बोर्ड द्वारा इस प्रयोजन के लिए निर्दिष्ट मदों पर जांच करने का प्राधिकार होगा और इस प्रयोजन के लिए उसे बाह्य स्रोतों से व्यावसायिक परामर्श अभिप्राप्त करने की शक्ति होगी और कंपनी के अभिलेखों में अंतर्विष्ट सूचना तक उसकी पूरी पहुंच होगी।
11. कंपनी या बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति आंतरिक लेखापरीक्षकों के परामर्श से आंतरिक लेखापरीक्षा के संचालन के लिए स्कोप, कार्यकरण, अवधि और विधि की विरंचना करेगी।
12. कंपनी की वित्तीय रिपोर्ट करने की प्रक्रिया और उसकी वित्तीय सूचना के प्रकटन को देखना ताकि यह सुनिश्चय किया जाए सके कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त और विश्वसनीय है।
13. कानूनी लेखापरीक्षकों को कानूनी लेखापरीक्षकों द्वारा दी गई किसी अन्य सेवा के लिए संदाय का अनुमोदन।
14. बोर्ड को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करने से पूर्व वार्षिक वित्तीय विवरणियों का निम्नलिखित के विशिष्ट संदर्भ में पुनर्विलोकन :
    - क. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के निबंधनों के अनुसार बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल किए जाने के लिए निदेशकों के दायित्व का विवरण में शामिल किए जाने के लिए अपेक्षित मुद्दे।
    - ख. लेखांकन नीतियों और पद्धतियों में परिवर्तन, यदि कोई हों, और उसके कारण।
    - ग. प्रबंधन द्वारा उनके निर्णय के उपयोग के आधार पर प्राक्कलनों को अंतर्वलित करती हुई प्रमुख लेखांकन प्रविष्टियां।
    - घ. लेखापरीक्षा में पता लगाए जाने के कारण उदभूत वित्तीय विवरणों में किए गए महत्वपूर्ण समायोजन।
    - ङ. वित्तीय विवरणियों से संबंधित विधिक अपेक्षाओं का अनुपालन।
    - च. संबंधित पक्षकार संव्यवहार का प्रकटनध्पुनर्विलोकन।
    - छ. प्रारूप लेखापरीक्षा रिपोर्ट में अर्हताएं।

15. बोर्ड को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करने से पूर्व वित्तीय विवरणियों का प्रबंधन के साथ त्रैमासिक पुनर्विलोकन।

16. प्रबंधन के साथ आंतरिक लेखापरीक्षकों के कारण निष्पादन, आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता का पुनर्विलोकन।

17. आंतरिक लेखापरीक्षा कृत्य, यदि कोई हो की पर्याप्तता का पुनर्विलोकन जिसके अंतर्गत आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग का ढांचा, कर्मचारीवृंद और विभाग की अध्यक्षता करने वाले कार्यकारी की ज्येष्ठता, रिपोर्ट करने का ढांचा, कवरेज और आंतरिक लेखापरीक्षा की आवृत्ति भी है।

18. किसी महत्वपूर्ण प्रकटन पर आंतरिक लेखापरीक्षकों औरध्या लेखापरीक्षकों के साथ चर्चा और उसपर अनुवर्ती कार्रवाई।

19. आंतरिक लेखापरीक्षकोंध्लेखापरीक्षकों द्वारा उन मामलों में आंतरिक जांच से हुए प्रकटन का पुनर्विलोकन जहां किसी कपट या अनियमितता या तात्विक प्रकृति की आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की असफलता और बोर्ड को उस विषय को रिपोर्ट करने का पुनर्विलोकन।

20. लेखापरीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व लेखापरीक्षा की प्रकृति और स्कोप की चर्चा के साथ–साथ लेखापरीक्षा पश्च किसी चिंता वाले क्षेत्र का पता लगाने के लिए चर्चा।

21. जमाकर्ताओं, डिबेंचर धारकों, शेयरधारकों (घोषित लाभांश के असंदाय की दशा में) और लेनदारों को संदाय में सारवान व्यतिक्रम के कारणों की जांच।

22. सूचना देने वाले, सतर्कता तंत्र के कार्यकरण का पुनर्विलोकन।

23. नियंत्रक और महालेखापरीक्षक लेखापरीक्षा में लेखापरीक्षा पर्यवेक्षणों पर अनुवर्ती कार्रवाई का पुनर्विलोकन।

24. संसद की लोक उद्यम समिति (सीओपीयू) द्वारा की गई सिफारिशों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई का पुनर्विलोकन।

25. स्वतंत्र लेखापरीक्षक, आंतरिक लेखापरीक्षक और निदेशक बोर्ड के बीच संचार के लिए एक खुले पथ का उपबंध।

26. कवरेज की संपूर्णता, निरर्थक प्रयासों में कमी और सभी लेखापरीक्षा संसाधनों का प्रभावी उपयोग करने का सुनिश्चय करने के लिए स्वतंत्र लेखापरीक्षकों के साथ पुनर्विलोकन।

27. स्वतंत्र लेखापरीक्षक और प्रबंधन के साथ निम्नलिखित पर विचार और पुनर्विलोकनः

    क. आंतरिक नियंत्रणों की पर्याप्तता जिसके अंतर्गत कम्पयूटरीकृत सूचना प्रणाली नियंत्रण और सुरक्षा भी है, और

    ख. संबंधित पता लगाई गई चीजें और स्वतंत्र लेखापरीक्षकों और आंतरिक लेखापरीक्षकों का प्रबंधन के प्रत्युत्तरों के साथ सिफारिशें।

28. निम्नलिखित पर प्रबंधन, आंतरिक लेखापरीक्षक और स्वतंत्र लेखापरीक्षक के साथ विचार और पुनर्विलोकन :

    क. वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण पता लगाई गई चीजें जिसके अंतर्गत पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा सिफारिशें भी हैं।

    ख. लेखापरीक्षा कार्य के दौरान सामने आई कोई कठिनाईयों जिसके अंतर्गत कार्यकलापों के स्कोप पर या अपेक्षित सूचना तक पहुंच पर कोई निर्बंधन भी है।

29. लेखापरीक्षा समिति को निम्नलिखित के संबंध में भी शक्तियां होगी :

    क. संदर्भ के निबंधनों के अंतर्गत किसी कार्यकलाप की जांच

    ख. किसी कर्मचारी पर और उससे किसी सूचना को प्राप्त करना

ग. निदेशक बोर्ड के अनुमोदन के अधीन रहते हुए बाह्य विधिक या अन्य व्यवसायिक परामर्श अभिप्राप्त करना

घ. सुसंगत विशेषज्ञता रखने वाले बाह्य व्यक्तियों की उपस्थिति सुनिश्चित करना, यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझे

ङ. सूचना प्रदाताओं की संरक्षा करना।

30. लेखापरीक्षा समिति निम्नलिखित सूचना का पुनर्विलोकन करेगी :

क. प्रबंधन चर्चा और वित्तीय स्थिति का विश्लेषण तथा प्रचालनों का परिणाम।

ख. प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत संबंधित पक्षकार संव्यवहारों का विवरण।

ग. प्रबंधन पत्र/कानूनी लेखा परीक्षकों द्वारा जारी आंतरिक नियंत्रण कमजोरियों के पत्र।

घ. आंतरिक नियंत्रण कमजोरियों से संबंधित आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्टें।

ङ. मुख्य आंतरिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति और पद से हटाने को लेखापरीक्षा समिति के समक्ष रखा जाएगाय और

च. मुख्य कार्यकारीध्मुख्य वित्तीय अधिकारी द्वारा विवरणों का स्पष्टीकरण/ घोषणा।

31. कोई अन्य कृत्य जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 और तद्वीन बनाए गए नियमों और डीपीई निगम शासन मार्ग निर्देशों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

ii) निगम सामाजिक दायित्व (सीएसआर) और भरणीयता समिति

कंपनी ने तारीख 15.03.2013 को (तत्पश्चात पुनर्गठित) को एक स्वतंत्र निदेशक की अध्यक्षता में बोर्ड स्तरीय निगम सामाजिक दायित्व और भरणीयता समिति का गठन किया है। कंपनी ने कंपनी (निगम सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के उपबंधों के अनुसरण में समिति का गठन किया गया है।

इस समय समिति में निम्नलिखित सदस्य हैं।

1. डॉ. अनीता चौधरी, स्वतंत्र निदेशक — अध्यक्ष
2. श्री सुशांत बालिगा, स्वतंत्र निदेशक — सदस्य
3. श्री लेखराज, निदेशक (वित्त) — सदस्य

वर्ष 2018–19 के दौरान समिति ने 24 अगस्त 2018 को बैठक की थी।

उपस्थिति के विवरण नीचे दिए अनुसार हैं–

सदस्य	उनकी पदावधि के दौरान क्रमशः आयोजित की गई बैठकों की संख्या	भाग ली गई बैठकों की संख्या
डॉ. अनीता चौधरी, स्वतंत्र निदेशक–अध्यक्ष	1	1
श्री सुशांत बालिगा, स्वतंत्र निदेशक–सदस्य	1	1
श्री लेखराज, निदेशक (वित्त) – सदस्य	1	1

कंपनी द्वारा निगम सामाजिक उत्तरदायित्व और भरणीयता पहलों के अधीन हाथ में लिए गए कार्यकलापों के ब्यौरे निदेशकों की रिपोर्ट के साथ निगम सामाजिक उत्तरदायित्व पर रिपोर्ट के उपाबंध में उपाबद्ध है।

iii) पारिश्रमिक समिति

निदेशकों/ज्येष्ठ प्रबंधन की नियुक्ति के निबंधन और शर्तें सरकारी मार्गदर्शक सिद्धांतों/डीपीई मार्गदर्शक सिद्धांतों द्वारा शासित होती हैं।

पारिश्रमिक समिति का गठन कंपनी अधिनियम की धारा 178 और निगम शासन पर डीपीई मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार वार्षिक बोनसध्परिवर्तनशील वेतन पूल और कार्यकारियों को तथा ऐसे पर्यवेक्षकों को जो किसी संगम में नहीं हैं को उसके वितरण का विनिश्चय करने के लिए किया गया है। इस समय समिति निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनी है :

1. श्री सुशांत बालिगा, स्वतंत्र निदेशक–अध्यक्ष
2. डॉ. अनीता चौधरी, स्वतंत्र निदेशक–सदस्य
3. श्रीमती नीलम एस कुमार, अंशकालिक शासकीय निदेशक–सदस्य

श्री लेखराज, निदेशक (वित्त) पारिश्रमिक समिति की बैठकों में स्थायी आमंत्रिती हैं।

टिप्पण:

- ☐ श्री सिया शरन 7 अगस्त 2018 तक सदस्य थे।
- ☐ श्री विश्वजीत सहाय 26 सितंबर 2018 तक सदस्य थे।
- ☐ श्रीमती नीलम एस. कुमार 26 सितंबर 2018 से सदस्य है

वर्ष 2018–19 के दौरान समिति ने 3 मई 2018, 27 जुलाई 2018 और 19 मार्च 2019 को 3 बैठकें की थी।

उपस्थिति के विवरण नीचे दिए अनुसार हैं–

सदस्य	उनकी पदावधि के दौरान क्रमशः आयोजित की गई बैठकों की संख्या	भाग ली गई बैठकों की संख्या
श्री सुशांत बालिगा, अंशकालिक गैर शासकीय निदेशक, अध्यक्ष	3	3
डॉ. अनीता चौधरी, अंशकालिक गैर शासकीय निदेशक–सदस्य	3	3
श्री विश्वजीत सहाय, अंशकालिक शासकीय निदेशक–सदस्य@	2	2
श्री सिया शरन, अंशकालिक गैर शासकीय निदेशक–सदस्य#	2	2
श्रीमती नीलम एस. कुमार, अंशकालिक शासकीय निदेशक–सदस्य*	1	1

@26 सितंबर 2018 तक सदस्य #7 अगस्त 2018 तक सदस्य *26 सितंबर 2018 से सदस्य

4. अन्य उप समितियां

कंपनी के ज्येष्ठ प्रबंध कार्मिकों (अर्थात् बोर्ड स्तर से नीचे) से मिलकर बनने वाली निम्नलिखित समितियां विद्यमान है।

शेयर अंतरण समिति

कंपनी की सभी शेयरों के अंतरणों और पारेषणों की निगरानी के लिए एक शेयर अंतरण समिति हैं। शेयर अंतरण को रजिस्टर करने और निक्षेपागारों आदि के साथ समन्वय करने के लिए एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड रजिस्ट्रार और शेयर अंतरक एजेंट हैं।

शेयर अंतरण समिति कंपनी के अधिकारियों अर्थात वित्त प्रभाग के प्रमुख, विधिक प्रभाग के प्रमुख और संविदा प्रभाग के प्रमुख से मिलकर बनी है। वर्ष के दौरान शेयरों का कोई अंतरण नहीं हुआ है।

कंपनी की प्राधिकृत और शेयर पूंजी क्रमशः 909.40 करोड़ रुपए (10 रुपए के प्रत्येक 909,404,600 साम्या शेयरों में विभाजित) और 35.42 करोड़ रुपए (10 रुपए के प्रत्येक 35,422,688 साम्या शेयरों में विभाजित) है।

31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार कंपनी का शेयर धृति पैट्रन नीचे दिए अनुसार है

क्रम सं.	शेयरधारक का नाम	शेयरों की संख्या	प्रतिशत धृति
1.	भारत का राष्ट्रपति, भारी उद्योग एवं लोक उद्यम विभाग	35415677	99.98
2.	अन्य (जिसके अंतर्गत छह पब्लिक सेक्टर उपक्रम अर्थात् हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लि., भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लि. एंड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन लि., त्रिवेणी स्ट्रकचरल लि., हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लि. और ईपीआई शेयर धारक न्यास) शामिल हैं	7011	0.02

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने तारीख 22 जनवरी 2019 की अधिसूचना द्वारा सरकारी कंपनियों को शेयरों के डिमैटेरियलाइजेशन से छूट प्रदान की है।

जोखिम प्रबंधन

कंपनी द्वारा सामना किए जाने वाले जोखिम का पता लगाने, मूल्यांकन करने और उसे कम करने के लिए एक जोखिम प्रबंधन नीति की विरचना की है। जोखिम प्रबंधन नीति के मुख्य उद्देश्य जोखिम की पहचान करने के लिए, उसका मूल्यांकन करने के लिए और उसे कम करने के लिए एक फ्रेमवर्क को परिभाषित करना है ताकि पूर्व क्रियाशीलता को बढ़ावा दिया जाए न कि प्रतिक्रियाकारी प्रबंधन को, सम्पूर्ण संगठन में विनिश्चय करने की गुणवत्ता में सहायता करके उसमें सुधार करने का उपबंध किया जा सके।

जोखिम प्रबंधन पर समझ बढ़ाने के लिए कार्मिकों को स्कोप, डीपीई, आईसीएआई आदि द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यशालाओं/पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों के लिए नामनिर्दिष्ट किया जाता है।

जोखिम प्रबंधन समिति

जोखिम प्रबंधन समिति दोहरी संरचना से मिलकर बनी है, अर्थात् पांच सदस्यीय निगम स्तरीय समिति, जिसका सीधे नियंत्रण पर्यावेक्षण और मार्गदर्शन निदेशक (परियोजनाएं) द्वारा किया जाएगा और चार क्षेत्र स्तरीय समितियां, जो क्षेत्रों के अध्यक्षों से मिलकर बनेगी, जो क्षेत्रीय/स्थल स्तर पर निगम स्तरीय समिति को नियमित आधार पर रिपोर्ट करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

5. प्रकटन

i) वर्ष 2018–19 के दौरान कृत्यकारी निदेशकों को संदत्त पारिश्रमिक और स्वतंत्र निदेशकों को संदत्त बैठक फीस के ब्यौरे नीचे दिए अनुसार हैं :

क. कृत्यकारी/पूर्णकालिक निदेशक :

(रूपए में)

निदेशक का नाम	वेतन	लाभ	कार्य निष्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन	योग
श्री एस. पी. एस. बक्शी अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक*	15,00,382	–	–	15,00,382
श्री लेख राज निदेशक (वित्त)	41,96,383	1,96,200	–	43,92,583
श्री वीनू गोपाल निदेशक (परियोजनाएं) *** (30 जून 2018 तक)	8,09,244	49,050	–	8,58,294

* 20 मार्च 2017 से निलंबित 30 सितम्बर 2018 को अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त हो गए हैं। पूर्वोक्त संदाए में निर्वाह भत्ता सम्मिलित है।

*** श्री वीनू गोपाल 30 जून 2018 को अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त हो गए हैं।

ख : स्वतंत्र निदेशक :

(रूपए में)

निदेशक का नाम	बैठे हुए शुल्क		स्वतंत्र निदेशकों की बैठक	कुल
	बोर्ड बैठक	समिति की बैठक		
श्री सुशांत बालिगा	90,000	80,000	15,000	1,85,000
डॉ. अनिता चौधरी	75,000	80,000	15,000	1,70,000

स्वतंत्र निर्देशकों को प्रति बोर्ड स्तरीय बैठक के लिए @15000/– रुपए और बोर्ड स्तरीय समिति की बैठक के लिए 10,000/– रुपए प्रति बोर्ड स्तरीय समिति बैठक का संदाय किया जाता है। स्वतंत्र निदेशकों को स्वतंत्र निर्देशकों की बैठक में भाग लेने के लिए प्रति बैठक @15000/– रूपए कि दर से भी फीस का संदाय किया जाता है।

ii) सभी निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा नियत वेतनमानों में की जाती है। तदनुसार, अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक की नियुक्ति 1,80,,000 रुपए – 3,20,,000 रुपए (आईडीए) के पुनरीक्षित अनुसूची, ''ख'' वेतनमान में की गई है और सभी पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति 1,60,000 रुपए–2,90,,000 रुपए (आईडीए) के पुनरीक्षित अनुसूची, ''ख'' वेतनमान में की गई है। उनकी नियुक्ति के अन्य निबंधनों और शर्तों को भी भारत सरकार द्वारा भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय, भारी उद्योग विभाग द्वारा नियत किया जाता है।

iii) निदेशकों की नियुक्ति के निबंधनों और शर्तों के अनुसार उनके पारिश्रमिकों और अंशकालिक (गैर–शासकीय) निदेशकों को पात्र बैठक फीस के अतिरिक्त किसी भी निदेशक का कंपनी के साथ कोई तात्विक या धनीय संबंध नहीं है जो उनके स्वतंत्र निर्णय को प्रभावित करे।

iv) वर्ष के दौरान तात्विक रूप से पक्षकार से संबंधित कोई महत्वपूर्ण संव्यवहार नहीं हुए थे जो अधिकांशतः कंपनी के हितों से संभाव्य रूप से प्रतिकूल हों। लेखांकन मानक 18 प्रारूप के अनुसार संबंधित पक्षकार संव्यवहार का ब्यौरा लेखाओं की टिप्पणियों का भाग बनता है।

v) विभिन्न विभागों से प्राप्त कानूनी अनुपालना रिपोर्ट को कानूनी शोध्यों की प्रास्थिति के साथ बोर्ड के समक्ष रखा जाता है।

vi) सिवाय बिक्री कर मामले जो अपील के अधीन हैं, किसी कानूनी निकाय द्वारा शास्ति या कठोर अलोचना का कोई दृष्टांत नहीं हुआ है।

vii) कंपनी डीपीई द्वारा जारी सीपीएसई के लिए निगम शासन पर मार्गदर्शक सिद्धांतों की सभी अपेक्षाओं का अनुपालन कर रही है।

viii) वर्ष के दौरान राष्ट्रपतीय विनिदेशों का अनुसरण किया गया है।

ix) वर्ष के दौरान लेखा बहियों और लेखाओं में किसी खर्च जो कारबार व्यय के प्रयोजनों के लिए नहीं है और कोई व्यय जो व्यक्तिगत प्रकृति का है निदेशक बोर्ड और उच्च प्रबंधन द्वारा उपगत नहीं किया गया है।

x) कंपनी में कपट के निवारण, उसका पता लगाने और उसके रिपोर्ट करने के लिए सितम्बर, 2010 से कपट निवारण नीति लागू है।

xi) कुल व्ययों के प्रतिशत के रूप में अन्य व्यय 2.02 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2017–18 में 1.43 प्रतिशत रहे हैं। कुल व्ययों के प्रतिशत के रूप में वित्तीय व्यय 0.30 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2017–18 में 0.28 प्रतिशत रहे हैं। टर्नओवर के लगभग पूर्व वर्ष के समान रहने के बावजूद कंपनी प्रशासनिक व्यय और वित्तीय व्यय के प्रतिशत को व्यापक रूप से पूर्व वर्ष से कम रखने में सफल रही है।

xii) कंपनी के वित्तीय विवरणों की बाबत कंपनी के प्रधान कार्यकारी अधिकारी और प्रधान वित्त अधिकारी द्वारा एक प्रमाणपत्र उपाबंध–ख1 पर रखा गया है।

xiii) कंपनी की वेबसाइट (www.engineeringprojects.com) कंपनी के अधिकारिक समाचारों जैसे वार्षिक रिपोर्ट, निविदाएं और रोजगार के अवसर आदि को प्रदर्शित करती है।

6. साधारण निकाय बैठकें :

i) कंपनी की पिछली तीन वार्षिक साधारण बैठकों के ब्यौरे नीचे दिए अनुसार हैं :

एजीएम	वित्तीय वर्ष	एजीएम की तारीख और समय	स्थान (रजिस्ट्रीकृत कार्यलय)
48वीं	2017–18	26 सितम्बर, 2018 को 12.00 बजे अपराहन (29 सितम्बर, 2018 को 10:00 बजे प्रातः के लिए स्थगित)	कोर–3, स्कोप कॉम्प्लैक्स, (चौथा तल), 7 लोधी रोड, नई दिल्ली–110003
47वीं	2016–17	28 सितम्बर, 2017 को 11.30 बजे प्रातः (28 सितंबर, 2017 को 05:45 बजे सायं के लिए स्थगित)	कोर–3, स्कोप कॉम्प्लैक्स, (चौथा तल), 7 लोधी रोड, नई दिल्ली–110003
46वीं	2015–16	30 सितम्बर, 2016 को 11.30 बजे प्रातः	कोर–3, स्कोप कॉम्प्लैक्स,(चौथा तल), 7 लोधी रोड,नई दिल्ली–110003

वित्त वर्ष 2018–19 के लिए 49वीं वार्षिक साधारण बैठक की सूचना में दिन, तारीख, समय, वार्षिक साधारण बैठक का स्थल, रूट मानचित्र के साथ अंतर्विष्ट है।

ii) पिछली तीन एजीएम में पारित विशेष संकल्पों के ब्यौरे

एजीएम	वित्तीय वर्ष	पारित विशेष संकल्प के ब्यौरे
48वीं	2017–18	कुछ नहीं
47वीं	2016–17	ईपीआई की अनुषंगी कंपनी (और उसकी शाखा) अर्थात अर्बन इंफ्रा डेवलपर्स लिमिटेड (ईपीआईयूआईडीएल) को स्वैच्छिक समापन/परिसमापन द्वारा बंद करना
46वीं	2015–16	संगम ज्ञापन में संशोधन

7 सूचना का अधिकार

''सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005'' की अपेक्षाओं के अनुसार कंपनी ने कार्यापालक निदेशक (पी एंड एम) को लोक सूचना अधिकारी (पीआईओ) और दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई और गुवाहाटी के प्रादेशिक प्रमुखों को सहायक लोक सूचना अधिकारी (एपीआईओ) नियुक्त किया है। कार्यकारी निदेशक (वित्त) प्रथम अपील प्राधिकारी है।

वर्ष के दौरान सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन अनुरोध की गई सूचना उपदर्शित समय के भीतर 96 आवेदकों/अनुरोधकर्ताओं को प्रदान की गई।

वर्ष 2018–19 के दौरान प्राप्त सूचना का अधिकार आवेदनों के ब्यौरे नीचे के अनुसार हैं:

1.	1 अप्रैल 2018 की स्थिति के अनुसार लंबित सूचना का अधिकार आवेदनों की संख्या	0
2.	वर्ष 2018–19 के दौरान प्राप्त सूचना का अधिकार आवेदनों की संख्या	96
3.	वर्ष 2018–19 के दौरान निपटान किए गए सूचना का अधिकार आवेदनों की संख्या	96
4.	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार लंबित सूचना का अधिकार आवेदनों की संख्या	0

8. शेयरधारकों के साथ संपर्क के साधन

कंपनी की संदत्त पूंजी का 99.98 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा धृत है और शेष 0.02 प्रतिशत छह सीपीएसई और इन सीपीएसई के निमित सृजित न्यास द्वारा धृत है।

कंपनी की द्विभाषी वार्षिक रिपोर्ट अन्य सुसंगत सूचना के साथ कंपनी की वेबसाइट पर पोस्ट की जाती है और इसे संसद् के समक्ष भी रखा जाता है। वार्षिक रिपोर्ट आदि को भौतिक प्ररूप के साथ इलेक्ट्रॉनिकी रीति में भी जारी किया जा रहा है।

9. संपरीक्षा टिप्पणियां

कानूनी संपरीक्षकों और सचिवालय संपरीक्षकों की टिप्पणियों के प्रत्युत्तर को निदेशकों की रिपोर्ट के साथ संलग्नक के रूप में सम्मिलित किया गया है। निदेशकों की रिपोर्ट के साथ भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों का प्रत्युत्तर, यदि कोई हो, तो को निदेशकों की रिपोर्ट के साथ एक वर्धन के रूप में उपाबद्ध कर दिया जाएगा।

10. निदेशक बोर्ड का प्रशिक्षण

कंपनी, कंपनी के निदेशक बोर्ड में नए नियुक्त निदेशकों को आरंभिक प्रशिक्षण प्रदान करती है। प्रशिक्षण में कंपनी

के विषय में संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण और कंपनी के कार्यनिष्पादन के विषय में महत्वपूर्ण डाटा, संगम ज्ञापन और संगम अनुच्छेद ईपीआई का ब्रोशर, डीपीई द्वारा निगम शासन पर जारी मार्गदर्शक सिद्धांत, निदेशक बोर्ड की बैठकों पर सचिवालयी मानक (एसएस–1) और साधारण बैठकों पर सचिवालय मानक (एसएस–2), स्वतंत्र निदेशक–पर आईसीएसआई द्वारा प्रकाशित पुस्तिका, कपंनी अधिनियम, 2013 आदि शामिल है। निदेशकों को स्कोप द्वारा और निदेशक संस्थान (आईओडी) आदि द्वारा जब भी आयोजित किए जाएं, आयोजित सेमिनारों/संगोष्ठियों के लिए भी प्रायोजित किया जाता है।

11. सूचना प्रदाता नीति

ईपीआई में वर्ष 2010 से ही सूचना प्रदाता नीति विद्यमान है, जो उन व्यक्तियों के उत्पीड़न के लिए पर्याप्त सुरक्षोपायों का उपबंध करती है, जो ऐसे तंत्र का उपयोग करते हैं और लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष तक समुचित या आपवादिक मामलों में सीधे पहुंच का उपबंध करती है।

सभी कर्मचारी अध्यक्ष, संपरीक्षा समिति को अधिमानता लिखित में संरक्षित प्रकटन करने के लिए पात्र हैं।

इस नीति की विरचना निगम शासन पर डीपीई मार्गदर्शक सिद्धांतों की अनुपालना के लिए की गई थी। यह कंपनी (बोर्ड की बैठक और उसकी शक्तियां) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 की अपेक्षाओं को भी पूरा करती है, जो वास्तविक चिंताओं या शिकायतों की रिपोर्ट करने के लिए निदेशकों और कर्मचारियों के लिए सतर्कता तंत्र की स्थापना का उपबंध करती है।

वर्ष के दौरान किसी कार्मिक को संपरीक्षा समिति तक पहुंच से नहीं रोका गया है।

12. आचार संहिता

निदेशक बोर्ड ने बोर्ड के सदस्यों और कंपनी के ज्येष्ठ प्रबंधन के लिए कारबार आचार–और नैतिकता की संहिता अधिकथित की है। आचार संहिता को कंपनी की वेबसाइट www.engineeringprojects.com पर होस्ट किया गया है। कंपनी के बोर्ड के सभी सदस्यों और प्रमुख अधिकारियों ने संहिता की अनुपालना के लिए प्रतिज्ञान किया है। इस प्रभाव की एक घोषणा इस रिपोर्ट के साथ **उपाबंध–ख2** के रूप में उपाबद्ध है।

इसके अतिरिक्त श्री सुशांत बालिगा, स्वतंत्र निदेशक और डॉ. अनिता चौधरी, स्वतंत्र निदेशक ने एक घोषणा की है कि वह कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(6) में उपबंधित स्वतंत्रता के मानदंड को पूरा करते हैं।

13. अनुपालना प्रमाणपत्र

यह रिपोर्ट सीपीएसई के लिए निगम शासन पर सभी मार्गदर्शक सिद्धांतों की अपेक्षाओं का अनुपालन करती है और मार्गदर्शक सिद्धांतों के उपाबंध–VII में वर्णित सभी सुझाव दी गई लागू मदों को कवर करते हैं। डीपीई द्वारा विहित निगम शासन अपेक्षाओं की अनुपालना पर एक त्रैमासिक रिपोर्ट प्रशासनिक मंत्रालय को भी नियमित रूप से भेजी जाती है। सीपीएसई के निगम शासन पर मार्गदर्शक सिद्धांतों की शर्तों की अनुपालना के संबंध में व्यवसायरत कंपनी सचिव से अभिप्राप्त प्रमाणपत्र रिपोर्ट को **उपाबंध–ख3** के रूप में उपाबद्ध किया गया है।

उपाबंध–ख1

कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुख्य वित्तीय अधिकारी द्वारा वित्तीय विवरणों पर प्रमाणपत्र / घोषणा

हमने इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड की 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों और रोकड़ प्रवाह विवरण का पुनर्विलोकन कर लिया है और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार :

(i) इन विवरणों में कोई तात्विक असत्य विवरण अंतर्विष्ट नहीं है या किसी तात्विक तथ्य का लोप नहीं किया गया है या ऐसा कोई विवरण अंतर्विष्ट नहीं है जो भ्रामक हो;

(ii) यह विवरणियां इकट्ठे कंपनी के मामलों का सही और न्यायोचित दृश्य प्रस्तुत करती हैं और यह विद्यमान लेखांकन मानकों, लागू विधियों और विनियमों के अनुसार हैं;

(iii) हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार वर्ष 2018–19 के दौरान कंपनी ने ऐसा कोई संव्यवहार दर्ज नहीं किया है जो कपटपूर्ण, अविधिमान्य या कंपनी की आचार–संहिता का उल्लंघनकारी है;

(iv) हम वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रणों को स्थापित करने और बनाए रखने के दायित्व को स्वीकार करते हैं तथा हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन कर लिया है और हमने लेखापरीक्षकों और लेखापरीक्षा समिति को ऐसे आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन या प्रचालन में कमियों, यदि कोई हों, जिसके विषय में हम भिज्ञ हैं और उनके लिए की गई कार्रवाई और उनको दूर करने के लिए उठाए जाने वाले प्रस्तावित कदमों का प्रकटन कर दिया है;

(v) हमने लेखापरीक्षकों और लेखा परीक्षा समिति को निम्नलिखित इंगित कर दिया है :

क) वर्ष 2018–19 के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण परिवर्तनय

ख) वर्ष 2018–19 के दौरान लेखांकन नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन और उनका वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियों में प्रकटन कर दिया गया है। और

ग) गंभीर कपट के मामले जिनकी हमें जानकारी हो गई है और उसमें प्रबंधन या किसी कर्मचारी का शामिल होना जिसकी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका है।

ह0 / –
(लेखराज)
निदेशक (वित्त) एवं
मुख्य वित्त अधिकारी
डीआईएनः 07794894

ह0 / –
(एस. एस. रावत)
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक (ए.सी) एवं
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
डीआईएनः 07555572

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 16 जुलाई 2019

अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक (ए/सी) द्वारा वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान बोर्ड के सदस्यों और ज्येष्ठ प्रबंधन द्वारा आचार संहिता की अनुपालना के संबंध में घोषणा।

अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक (ए/सी) द्वारा वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा आचार संहिता की अनुपालना के संबंध में घोषणा। मैं, एस. एस. रावत अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक (ए.सी) इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड एतद्वारा घोषणा करता हूं कि कंपनी के बोर्ड के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन (सिवाय निलंबन के अधीन) ने कंपनी के वर्ष 2018–19 के दौरान कारबार आचरण और नैतिक संहिता के अनुपालन के लिए प्रतिज्ञान किया है।

ह0/–
(एस. एस. रावत)
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक (ए/सी)
डीआईएन : 07555572

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 16 जुलाई 2019

उपाबंध–ख3

निगम शासन प्रमाणपत्र

सेवा में

सदस्य,

इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड,
कोर 3, स्कोप कॉम्प्लैक्स,
7 इंस्टिट्यूशनल एरिया,
लोधी रोड, नई दिल्ली–110003

हमने 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट (इंडिया) लिमिटेड (जिसे इसमें इसके पश्चात कंपनी कहा गया है) की निगम शासन जैसाकि अधिसूचना संख्या 1, संख्या 18 (8)/2005–जीएम, जो मूलतः 22.06.2007 को जारी की गई थी और समय–समय पर संशोधित लोक उद्यम विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन द्वारा जारी उपदर्शित, ''केंद्रीय पब्लिक सेक्टर उपक्रम, 2010 के लिए निगम शासन के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों (जिसे इसमें इसके पश्चात मार्गदर्शक सिद्धांत कहा गया है) में यथा उपदर्शित शर्तों की अनुपालना की शर्तों'' की जांच कर ली है।

निगम शासन की शर्तों की अनुपालना का दायित्व प्रबंधन का है। हमारी जांच कंपनी द्वारा ऊपर वर्णित मार्गदर्शक सिद्धांतों में उपदर्शित निगम शासन की शर्तों की अनुपालना का सुनिश्चय करने के लिए कंपनी द्वारा अंगीकृत प्रक्रियाओं और उनके कार्यान्वयन तक सीमित है। इसलिए यह कंपनी के वित्तीय विवरणों की न ही लेखापरीक्षा है और न ही उनपर किसी राय की अभिव्यक्ति।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी में तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों और सूचना के अनुसार हम एतद्वारा प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने पूर्व वर्णित मार्गदर्शक सिद्धांतों में परिकलपित निगम शासन की शर्तो की सिवाय कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के जो कि सरकारी द्वारा की जा रही है और यह ज्ञात है कि नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है, अनुपालना की है।

हम आगे यह और कथन करते हैं कि ऐसी अनुपालना न ही कंपनी की भावी साध्यता का और न ही उस प्रभावशीलता की दक्षता जिससे प्रबंधन ने कंपनी के कार्यों का संचालन किया है, आश्वासन है।

कृते एजीबी एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

ह0/–
एफसीएस नितिन रावत
(भागीदार)
सी. पी. संख्या 10554

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 21.06.2019

निगम सामाजिक उत्तरदायित्व और भरणीयता रिपोर्ट

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3) और धारा 135(2) के साथ पठित कंपनी (निगम सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 8 के अनुसरण में,)

1. कंपनी की निगम सामाजिक उत्तरदायित्व नीति पर एक संक्षिप्त रूपरेखा जिसके अंतर्गत हाथ में ली जाने वाली प्रस्तावित परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर एक विहंगम दृष्टि और निगम सामाजिक उत्तरदायित्व नीति तथा परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर वेब लिंक के प्रतिनिर्देश :

सामाजिक रूप से जिम्मेदार निगम नागरिक होने के नाते आपकी कंपनी परियोजना स्थल में और उसके आसपास लोगों के जीवन स्तर में बृद्धि करके पारस्परिक विश्वास और आदर द्वारा सकारात्मक और स्थायी छाप सृजित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

निगम सामाजिक उत्तरदायित्व एक ऐसा प्रभावी साधन है जो अधिकांशतः निगम और सामाजिक क्षेत्र के अभिकरणों के बीच भरणीय वृद्धि और समाजिक उदेश्य के विकास के लिए सामंजस्य बिठाता है। ईपीआई की निगम सामाजिक उत्तरदायित्व नीति अधिकांश रूप से समुदाय के लिए कल्याणकारी उपायों का और सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास के माध्यम से समाज में अंशदान का उपबंध करती है और सामाजिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की आवश्यकता के प्रति यह संवेदनशील है।

सीएसआर विजन

''अधिकांश रूप से समाज के लिए कार्य करना और उनके जीवन स्तर में सुधार करना तथा एक निगम निकाय के रूप में ईपीआई की सकारात्मक और सामाजिक रूप से जिम्मेदार धारणा तैयार करना''।

सीएसआर उद्देश्य

ईपीआई की सीएसआर नीति का बृहत का रूप से उद्देश्य समुदाय और समाज के लिए नैतिक और जिम्मेदार व्यवहार का अनुपालन करना है और आधिकांश रूप से समुदाय के कल्याण और भरणीय विकास के लिए कार्यक्रम हाथ में लेना है।

कंपनी की निगम सामाजिक उत्तरदायित्व नीति और योजना कंपनी की वेबसाइट www.engineeringprojects.com पर भी उपलब्ध है।

2. निगम सामाजिक उत्तरदायित्व समिति की संरचना

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 और कंपनी (निगम सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के उपबंधों के अनुसार ईपीआई के पास बोर्ड स्तरीय निगम सामाजिक उत्तरदायित्व नीति निगम सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) और भरणीयता समिति है जिसकी अध्यक्षता एक स्वतंत्र निदेशक द्वारा की जाती है।

बोर्ड स्तरीय समिति की भूमिका निम्नलिखित है–

(क) एक निगम सामाजिक उत्तरदायित्व नीति की विरंचना करना और बोर्ड को उसकी सिफारिश करना जो अनसूची–VII में यथाविनिर्दिष्ट कंपनी द्वारा हाथ में लिए जाने वाले कार्यकलापों को उपदर्शित करेगी।

(ख) खंड (क) में निर्दिष्ट कार्यकलापों पर उपगत किए जाने वाले व्यय की रकम की सिफारिश करना और

(ग) समय–समय पर कंपनी की निगम सामाजिक उत्तरदायित्व नीति की मॉनीटरी करना।

इस समय निगम सामाजिक उत्तरदायित्व और भरणीयता समिति में निम्नलिखित सदस्य हैं:

1. डॉ. अनीता चौधरी स्वतंत्र निदेशक–अध्यक्ष
2. श्री सुशांत बालिगा, स्वतंत्र निदेशक–सदस्य
3. श्री लेख राज, निदेशक (वित्त)–सदस्य

निगम सामाजिक उत्तरदायित्व और भरणीयता समिति की बैठकों और उपस्थिति के ब्यौरे निगम शासन रिपोर्ट में दिए गए हैं। इस समिति की एक नोडल अधिकारी द्वारा सहायता की जाती है।

3. पिछले तीन वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी का औसत शुद्ध लाभ :

पिछले तीन वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी का औसत शुद्ध लाभ/हानि (1272.693) लाख रुपए होती है पिछले 3 वर्ष के लिए शुद्ध लाभ अर्थात 2015–16,2016–17, और 2017–18 के लिए क्रमशः 105.77 लाख रुपए, 108.48 लाख रुपए और (4032.33) लाख रुपए था।

4. विहित निगम सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय (ऊपर मद 3 में रकम का 2 प्रतिशत): शून्य

5. वित्त वर्ष के दौरान निगम सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय के ब्यौरे :

(क) वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए खर्च की जाने वाली कुल रकम–शून्य

(ख) व्यय न की गई रकम, यदि कोई हो :

कंपनी के पहले के व्यवहार के अनुसार कोई खर्च ना किया गया शेष व्यपगत प्रकृति का होता है। 1.33 लाख रुपए की व्यय नहीं हुई रकम पूर्व वर्ष के बजट से शेष थी इसे भविष्य के कार्यकलापों में उपयोग के लिए अग्रणीत किया गया है। अग्रणीत की गई रकम में 0.95 लाख रुपए सम्मिलित हैं जिनके लिए पूर्व वर्ष में दिए गए कार्यकलापों के लिए कार्यान्वयन अभिकरण ने दावा नहीं किया था पूर्व वर्ष के लिए 0.056 लाख और 0.33 लाख रुपए खर्च ना की गई शेष रकम है।

यद्यपि वर्ष 2018–19 के लिए किसी बजट का आवंटन नहीं किया गया था।

(ग) वह रीति जिसमें वित्त वर्ष के दौरान रकम व्यय की गई है, के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं (यह वह रकम है जिसको पूर्व वर्ष के कार्यकलापों के बजट के लिए संदेश किया गया था)–वर्ष 2018–19 के दौरान कोई कार्यकलाप हाथ में नहीं लिए गए थे।

6. कंपनी द्वारा पिछले तीन वित्त वर्ष या उनके किसी भाग के लिए औसत शुद्ध लाभ के 2 प्रतिशत को व्यय करने में असफल रहने की दशा में कंपनी अपनी बोर्ड रिपोर्ट में रकम को व्यय न करने के कारणों को बताएगी : लागू नहीं।

7. निगम सामाजिक उत्तरदायित्व समिति का उत्तरदायित्व विवरण कि निगम सामाजिक उत्तरदायित्व नीति की मॉनीटरी निगम सामाजिक उत्तरदायित्व उद्देश्यों तथा कंपनी की नीति की अनुपालना के अनुसार है।

   निगम सामाजिक उत्तरदायित्व समिति ने पुष्टि की है कि निगम सामाजिक उत्तरदायित्व नीति कंपनी के निगम सामाजिक उत्तरदायित्व उद्देश्यों और नीति के अनुसार है।

ह0/–	**ह0/–**
(श्री लेख राज)	**(डॉ. अनीता चौधरी)**
निदेशक (वित्त) एवं सदस्य	**(अध्यक्ष, निगम सामाजिक उत्तरदायित्व समिति)**
निगम सामाजिक उत्तरदायित्व समिति	

तारीख : 16 जुलाई 2019
स्थान : नई दिल्ली

उपाबंध–घ

प्ररूप संख्या एओसी–2

(अधिनियम की धारा 134 की उपधारा (3) के खंड (ज) और कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(2) के अनुसरण में)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट संबंधित पक्षकारों के साथ कंपनी द्वारा की गई विशिष्टियों/इन्तजामों के प्रकटन जिसके अंतर्गत उसके तीसरे परंतुक के अधीन कतिपय सन्निकट संव्यवहार भी हैं, के प्रकटन के लिए प्ररूप।

1. उन संविदाओं या इन्तजामों या संव्यवहारों के ब्यौरे जो सन्निकट आधार पर नहीं हैं।

क्र.सं.	विशिष्टियां	ब्यौरे
क)	संबंधित पक्षकार(रों) का नाम और संबंध की प्रकृति	शून्य
ख)	संविदा/इन्तजाम/संव्यवहार की प्रकृति	शून्य
ग)	संविदा/इन्तजाम/संव्यवहार की अवधि	शून्य
घ)	संविदा या इन्तजाम या संव्यवहार के प्रमुख निबंधन जिसके अंतर्गत मूल्य भी है, यदि कोई हो	शून्य
ड.)	ऐसी संविदा या इन्तजाम या संव्यवहार में प्रविष्ट होने का न्यायोचित्य	शून्य
च)	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तारीख	शून्य
छ)	अग्रिम के रूप में संदत्त रकम, यदि कोई हो	शून्य
ज)	वह तारीख जिसको धारा 188 के पहले परंतुक के अधीन यथा–अपेक्षित विशेष संकल्प साधारण बैठक में पारित किया गया था	शून्य

2. सन्निकट आधार पर संविदा या इन्ताजाम या संव्यवहार के ब्यौरे

क्र.सं.	विशिष्टियां	ब्यौरे
क)	संबंधित पक्षकार(रों) का नाम और संबंध की प्रकृति	शून्य
ख)	संविदा/इन्तजाम/संव्यवहार की प्रकृति	शून्य
ग)	संविदा/इन्तजाम/संव्यवहार की अवधि	शून्य
घ)	संविदा या इन्तजाम या संव्यवहार के प्रमुख निबंधन जिसके अंतर्गत मूल्य भी है, यदि कोई हो	शून्य
ड.)	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तारीख	शून्य
च)	अग्रिम के रूप में संदत्त रकम, यदि कोई हो	शून्य

बोर्ड के लिए और उसके निमित

ह०/–

(एस. एस. रावत)

अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक (ए/सी)

डी आई एन: 07555572

स्थान: नई दिल्ली

तारीख : 16 जुलाई 2019

उपाबंध–ङ

प्ररूप संख्या एमजीटी–9

वार्षिक विवरणी का सार

31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष की स्थिति के अनुसार

[(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 (3) और कंपनी (प्रबंध और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12(1) के अनुसरण में)]

I. रजिस्ट्रीकरण और अन्य ब्यौरे :

i) सीआईएनः –**यू27109डीएल1970जीओआई117585**

ii) रजिस्ट्रीकरण तारीख : **16 अप्रैल, 1970**

iii) कंपनी का नाम : **इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड**

iv) कंपनी की श्रेणी/उप–श्रेणी : **लघु रत्न, श्रेणी II (अनुसूची ख)**

v) रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता और संपर्क के ब्यौरे : **कोर–3, स्कोप कॉम्प्लैक्स, 7 लोधी रोड, नई दिल्ली–110003, टेलीफोन : 91–11–24361666**

vi) क्या सूचीबद्ध कंपनी है हां/नहीं : **नहीं**

vii) रजिस्ट्रार और अंतरण अभिकर्ता, यदि कोई हो, का नाम, पता और संपर्क के ब्यौरे :

नाम : **एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड**

पता : **एफ–65, पहली मंजिल, औखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज–1, नई दिल्ली–110020**

संपर्क संख्या : **41406149-52**

II. कंपनी का प्रधान कारबार कार्यकलाप

कंपनी के कुल आवर्त का 10 प्रतिशत या अधिक अंशदान करने वाले सभी कारबार कार्यकलापों का कथन किया जाएगा :–

क्र.सं.	मुख्य उत्पादों/सेवाओं का नाम और विवरण	उत्पाद/सेवा का एनआईसी कूट *	कंपनी के कुल आवर्त में प्रतिशतता
1.	भवन का संनिर्माण	410	31%
2.	अन्य सिविल इंजीनियरी परियोजनाओं का संनिर्माण	429	67%

* राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण के अनुसार – सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

III. धृति, अनुषंगी और सहबद्ध कंपनियों की विशिष्टियां –

क्र. सं.	कंपनी का नाम और पता	सीआईएन/ जीएलएन	धृति/ अनुषंगी/ सहबद्ध	धारण किए गए शेयरों की प्रतिशतता	लागू धारा
1	ईपीआई अर्बन इंफ्रा डेवलपर्स लिमिटेड* कोर–3, स्कोप कॉम्प्लैक्स, 7 लोधी रोड, नई दिल्ली–110003	यू45309डीएल 2016जीओआई299995	अनुषंगी कंपनी	51%	2(87)

* ईपीआई ने इपीआईयूआईडीएल को बंद करने/ईपीआईयूआईडीएल से बाहर निकालने का विनिश्चय कर लिया है। तद्नुसार कंपनी के सारांश समापन के लिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 361 के अधीन इपीआई द्वारा क्षेत्रीय निदेशक (उत्तर) के एक याचिका प्रस्तुत की गई है।

IV. शेयरधारण पैटर्न (कुल साम्या के प्रतिशत के रूप में साम्या शेयर पूंजी विभाजन)

i) श्रेणी–वार शेयर धारण

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के प्रारंभ में धृत शेयरों की संख्या				वर्ष के अंत में धृत शेयरों की संख्या				वर्ष के दौरान प्रतिशत परिवर्तन
	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का प्रतिशत	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का प्रतिशत	
अ. प्रस्तावित (1) भारतीय									
क) व्यष्टिक/एचयुएफ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ख) केंद्रीय सरकार	शून्य	35415677	35415677	99.98	शून्य	35415677	35415677	99.98	शून्य
ग) राज्य सरकार(रें)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
घ) निगमित निकाय	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ङ) बैंक/वि.सं.	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
च) केई अन्य) 6 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम और 1 न्यास	शून्य	7011	7011	0.02	शून्य	7011	7011	0.02	शून्य
उप–योग (अ) (1):–	**शून्य**	**35422688**	**35422688**	**100**	**शून्य**	**35422688**	**35422688**	**100**	**शून्य**
(2) **विदेशी** क) प्रवासी भारतीय व्यष्टिक	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ख) अन्य व्यष्टिक	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ग) निगमित निकाय	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
घ) बैंक/वि.सं.	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ङ.) कोई अन्य.	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
उप–योग (अ) (2):–	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
प्रस्तावकों की कुल शेयर धृति (अ) = (अ)(1)+(अ) (2)	**शून्य**	**35422688**	**35422688**	**100**	**शून्य**	**35422688**	**35422688**	**100**	**शून्य**
आ.सार्वजनिक शेयर धृति 1. संस्थाएं क) पारस्परिक निधियां	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ख) बैंक/वि.सं.	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ग) केंद्रीय सरकार	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
घ) राज्य सरकार(रें)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ङ) जोखिम पूंजी निधियां	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
च) बीमा कंपनियां	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

छ) वि.सा.नि.	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ज) विदेशी जोखिम निधियां	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
झ) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
उप–योग (अ) (1):–	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2. गैर–संस्थाएं क) निगमित निकाय i) भारतीय	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ii) विदेशी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ख) व्यष्टिक i) 1 लाख रुपए तक नाममात्र व्यष्टिक शेयरधारण धृति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ii) 1 लाख रुपए से अधिक नाममात्र व्यष्टिक शेयरधारण धृति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ग) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
उप–योग(ख)(2):– कुल सार्वजनिक शेयर धृति (आ)=(आ)(1)+(आ)(2)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ग. जीडीआर एवं एडीआर के लिए अभिरक्षकों द्वारा धृत शेयर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुलयोग (अ+आ+ई)	शून्य	35422688	35422688	100	शून्य	35422688	35422688	100	शून्य

(ii) प्रस्तावकों की शेयर धृति

क्र. सं.	शेयरधारक का नाम	वर्ष के प्रारंभ में धृत शेयरों की संख्या			वर्ष के अंत में धृत शेयरों की संख्या			
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	कुल शेयरों का आडमान/ई किए गए शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	कुल शेयरों का आडमान/ई किए गए शेयरों का प्रतिशत	वर्ष के दौरान शेयर धृति में प्रतिशत परिवर्तन
1	भारत का राष्ट्रपति (भारी उद्योग और लोक उपक्रम मंत्रालय के माध्यम से)	35415677	99.98%	शून्य	35415677	99.98%	शून्य	शून्य
	योग	**35415677**	**99.98%**	**शून्य**	**35415677**	**99.98%**	**शून्य**	**शून्य**

(iii) प्रस्तावकों की शेयर धृति में परिवर्तन (कृपया विनिर्दिष्ट करें, तब भी जब कोई परिवर्तन नहीं हो) – कोई परिवर्तन नहीं

क्र.सं.		वर्ष के प्रारंभ में शेयर धृति		वर्ष के दौरान संचयी शेयर धृति	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत
	वर्ष के प्रारंभ में	35415677	99.98	35415677	99.98
	वृद्धि/कमी (अर्थात् आवंटन/ अंतरण/ बोनस/स्वीट साम्या आदि) के कारणों को विनिर्दिष्टि करते हुए वर्ष के दौरान प्रस्तावकों की शेयर धृति में तारीख–वार वृद्धि/कमी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	वर्ष के अंत में	**35415677**	**99.98**	**35415677**	**99.98**

(iv) दस सर्वोच्च शेयरधारकों (निदेशक, प्रस्तावक और डीजीआर तथा एडीआर) का शेयर धारण पैटर्न :

क्र.सं.		वर्ष के प्रारंभ में शेयर धृति		वर्ष के दौरान संचयी शेयर धृति	
	<u>वर्ष के प्रारंभ में</u> वृद्धि/कमी (अर्थात् आवंटन/अंतरण/ बोनस/स्वीट साम्या आदि) के कारणों को विनिर्दिष्ट करते हुए वर्ष के दौरान प्रस्तावकों की शेयर धृति में तारीख–वार वृद्धि/कमी	**शेयरों की संख्या**	**कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत**	**शेयरों की संख्या**	**कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत**
1.	भारत का राष्ट्रपति	35415677	99.9784	35415677	99.98
2.	भारी इंजीनियरी निगम लिमिटेड	3575	0.0101	3575	0.0101
3.	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	1892	0.0053	1892	0.0053
4.	माइनिंग एंड एलॉइड मशीनरी कारपोरशन लिमिटेड	490	0.00138	490	0.00138
5.	त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड	490	0.00138	490	0.00138
6.	इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड	350	0.000988	350	0.000988
7.	हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड	210	0.000592	210	0.000592
8.	ईपीआई शेयरधारक न्यास	4	0.0000112	4	0.0000112

(v) निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक की शेयर धृति :

क्र.सं.		वर्ष के प्रारंभ में शेयर धृति		वर्ष के दौरान संचयी शेयर धृति	
	वर्ष के प्रारंभ में शेयर धृति वृद्धि/कमी (अर्थात् आवंटन/अंतरण/बोनस/स्वीट साम्या आदि) के कारणों को विनिर्दिष्ट करते हुए वर्ष के दौरान प्रस्तावकों की शेयर धृति में तारीख–वार वृद्धि/कमी	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत
1.	श्री एस पी एस बक्शी, अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक (तारीख 20 मार्च 2017 से निलंबित) (30 सितंबर 2018 को अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त हो गए हैं।) वर्ष के प्रारंभ में वर्ष के अंत में	शून्य शून्य	शून्य शून्य	शून्य शून्य	शून्य शून्य
2.	श्री एन शिवानंद, अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार (15 जून 2017 से 14 सितंबर 2018 तक) और निदेशक (परियोजनाएं) का अतिरिक्त प्रभार 1 जुलाई 2018 से 14 सितंबर 2018 तक वर्ष के प्रारंभ में वर्ष के अंत में	शून्य शून्य	शून्य शून्य	शून्य शून्य	शून्य शून्य
3.	श्री एस. एस. रावत, अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार और निदेशक (परियोजनाएं) का अतिरिक्त प्रभार (15 सितंबर 2018 से नियुक्त) वर्ष के प्रारंभ में वर्ष के अंत में	शून्य शून्य	शून्य शून्य	शून्य शून्य	शून्य शून्य
4.	श्री वीनू गोपाल, निदेशक (परियोजनाएं) 30 जून 2018 से निदेशक नहीं रहे) वर्ष के प्रारंभ में वर्ष के अंत में	शून्य शून्य	शून्य शून्य	शून्य शून्य	शून्य शून्य
5.	श्री लेख राज निदेशक (वित्त) (13 अप्रैल 2017 से नियुक्त) वर्ष के प्रारंभ में वर्ष के अंत में	शून्य शून्य	शून्य शून्य	शून्य शून्य	शून्य शून्य
6.	श्री विश्वाजीत सहाय, सरकारी नामनिर्देशिती निदेशक (16 नवंबर 2018 से निदेशक नहीं रहे) वर्ष के प्रारंभ में वर्ष के अंत में	शून्य शून्य	शून्य शून्य	शून्य शून्य	शून्य शून्य
7.	श्री सिया शरन, सरकारी नामनिर्देशिती निदेशक (7.8.2018 को पद छोड दिया) वर्ष के प्रारंभ में वर्ष के अंत में	शून्य शून्य	शून्य शून्य	शून्य शून्य	शून्य शून्य
8.	श्रीमती नीलम एस. कुमार, सरकारी नामनिर्देशिति निदेशक (23 अगस्त 2018 से नियुक्त) वर्ष के प्रारंभ में वर्ष के अंत में	शून्य शून्य	शून्य शून्य	शून्य शून्य	शून्य शून्य
9.	श्रीमती सुकृति लिखी, सरकारी नामनिर्देशिति निदेशक (16 नवंबर 2018 से नियुक्त) वर्ष के प्रारंभ में वर्ष के अंत में	शून्य शून्य	शून्य शून्य	शून्य शून्य	शून्य शून्य
10.	श्री सुशांत बालिगा, स्वतंत्र निदेशक वर्ष के प्रारंभ में वर्ष के अंत में	शून्य शून्य	शून्य शून्य	शून्य शून्य	शून्य शून्य
11.	डॉ. अनीता चौधरी, स्वतंत्र निदेशक वर्ष के प्रारंभ में वर्ष के अंत में	शून्य शून्य	शून्य शून्य	शून्य शून्य	शून्य शून्य

12.	श्रीमती सुधा वी. वरदन, कंपनी सचिव (1.10.2018 से कंपनी सचिव नहीं रहे) वर्ष के प्रारंभ में वर्ष के अंत में	 शून्य शून्य	 शून्य शून्य	 शून्य शून्य	 शून्य शून्य
13.	श्रीमती दीपिका मेहता, कंपनी सचिव (1.10.2018 से नियुक्त) वर्ष के प्रारंभ में वर्ष के अंत में	 शून्य शून्य	 शून्य शून्य	 शून्य शून्य	 शून्य शून्य

V. ऋणता

कंपनी की ऋणता जिसके अंतर्गत बकाया ब्याज/उदभूत किन्तु जो संदाय के लिए शोध्य नहीं है।

	प्रतिभूत ऋण, जिसके अंतर्गत जमा नहीं हैं	अप्रतिभूत ऋण	जमा	कुल ऋणता
वित्त वर्ष के प्रारंभ में ऋणता i) मूल रकम ii) शोध्य ब्याज किन्तु जो संदत्त नहीं किया गया है iii) उद्भूत ब्याज किन्तु जो शोध्य नहीं है	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
योग (i+ii+iii)	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**
वित्त वर्ष के दौरान ऋणता में परिवर्तन ● वर्धन ● कमी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
शुद्ध परिवर्तन	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**
वर्ष के अंत में ऋणता i) मूल रकम ii) शोध्य ब्याज किन्तु जो संदत्त नहीं किया गया है iii) उद्भूत ब्याज किन्तु जो शोध्य नहीं है	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
योग (i+ii+iii)	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**

VI. निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक का पारिश्रमिक

क. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों और/या प्रबंधक का पारिश्रमिक :

क्र.सं.	पारिश्रमिक की विशिष्टियां	प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक/प्रबंधक का नाम			कुल रकम
		अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक (सीईओ)*	श्री वीनू गोपाल निदेशक (परियोजनाएं)	श्री लेख राज निदेशक (वित्त) (सीएफओ)	
1	समग्र वेतन				
	(क) आय–कर अधिनियम,1961 की धारा 17(1) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार वेतन	9,37,056	6,19,236	35,67,803	51,24,095
	(ख) आय–कर अधिनियम,1961 की धारा 17(2) के अधीन परिलब्धियों का मूल्य	1,27,570	1,26,861	2,92,375	5,46,806
	(ग) आय–कर अधिनियम,1961 की धारा 17(3) के अधीन वेतन के स्थान पर लाभ	0	0	0	0
2	स्टॉक का विकल्प	0	0	0	0
3	स्वीट साम्या	0	0	0	0
4	कमीशन				
	–लाभ के प्रतिशत के रूप में	0	0	0	0
	–अन्य, विनिर्दिष्ट करें	0	0	0	0

5	अन्य,कानूनी निधियों एवं अन्य प्रतिपूर्तियों को अभिदाय	0	0	0	0
	योग (क)	**10,64,626**	**7,46,097**	**38,60,178**	**56,70,901**
	अधिनियम के अनुसार ऊपरी सीमा	लागू नहीं होता, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 सरकारी कंपनियों को कार्पोरेट कार्य मंत्रालय की अधिसूचना संख्या तारीख 5 जून, 2015 के निबंधनों में लागू नहीं होगी।			

* 20 मार्च 2017 से निलंबित (30 सितंबर 2018 को अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त) और संदाए मैं निर्वाह भत्ता सम्मिलित है। श्री एन शिवानंद, संयुक्त सचिव, भारी उद्योग विभाग जिन्होंने अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक (सीएमडी) का अतिरिक्त प्रभार 15 जून 2017 से 14 सितंबर 2018 तक और निदेशक (परियोजनाएं) का पद 1 जुलाई 2018 से 14 सितंबर 2018 तक संभाला था, श्री एस. एस. रावत, निदेशक (परियोजना प्रबंधन) जिन्होंने अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक (सीएमडी) और निदेशक (परियोजनाएं) का अतिरिक्त प्रभार 15 सितंबर 2018 से संभाला है, उन्हें किसी वेतन या भत्ते का भुगतान नहीं किया गया है

ख. अन्य निदेशकों का पारिश्रमिक :

क्र.सं.	पारिश्रमिक की विशिष्टियां	निदेशक का नाम		कुल रकम
		श्री सुशांत बालिगा	श्रीमती अनीता चौधरी	
1.	स्वतंत्र निदेशक • बोर्ड/समिति बैठकों में उपस्थिति होने की फीस • कमीशन • अन्य, कृपया विनिर्दिष्टि करें	1,85,000	1,70,000	3,55,000
	योग (1)			
2.	अन्य, गैर–कार्यपालक निदेशक • बोर्ड/समिति बैठकों में उपस्थिति होने की फीस • कमीशन • अन्य, कृपया विनिर्दिष्टि करें	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	योग (2)			
	योग (ख)=(1+2)	1,85,000	1,70,000	3,55,000
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक			
	अधिनियम के अनुसार कुल ऊपरी सीमा	लागू नहीं होता, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 सरकारी कंपनियों को कार्पोरेट कार्य मंत्रालय की अधिसूचना संख्या तारीख 5 जून, 2015 के निबंधनों में लागू नहीं होगी।		

ग. प्रबंध निदेशक/प्रबंधक/पूर्णकालिक निदेशक से भिन्न प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक का पारिश्रमिक

क्र. सं.	पारिश्रमिक की विशिष्टियां	प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक				योग
		मु.का.अ.	कंपनी सचिव श्रीमति सुधा वी वर्धन (30.9.2018 तक)	कंपनी सचिव श्रीमति दीपिका मेहता (01.10.2018 से)	मु.वि.अ.	
1	समग्र वेतन					
	(क) आय–कर अधिनियम,1961 की धारा 17(1) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार वेतन	**0**	**9,58,660**	**5,12,735**	**0**	**14,71,395**
	(ख) आय–कर अधिनियम,1961 की धारा 17(2) के अधीन परिलब्धियों का मूल्य	0	0	0	0	0

	(ग) आय–कर अधिनियम,1961 की धारा 17(3) के अधीन वेतन के स्थान पर लाभ	0	0	0	0	0
2	स्टॉक का विकल्प	0	0	0	0	0
3	स्वीट साम्या	0	0	0	0	0
4	कमीशन – लाभ के प्रतिशत के रूप में – अन्य, विनिर्दिष्ट करें	0	0	0	0	0
5	अन्य, कृपया विनिर्दिष्ट करें	0	0	0	0	0
	योग	**0**	**9,58,660**	**5,12,735**	**0**	**14,71,395**

VII. शास्तियां/दंड/अपराधों का उपशमन : शून्य

किस्म	कंपनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	शास्ति/दंड/अधिरोपित उपशमन फीस के ब्योरे	प्राधिकारी (आरडी/एनसीएलटी/न्यायालय)	की गई अपील, यदि कोई हो (ब्यौरे दें)
क. कंपनी					
शास्ति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
दंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
उप–शमन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ख. निदेशक					
शास्ति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
दंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
उप–शमन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ग. व्यतिक्रमी अन्य अधिकारी					
शास्ति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
दंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
उपशमन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

ह0/–
(एस. एस. रावत)
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक (ए/सी)
डी आई एन: 07555572

स्थान: नई दिल्ली
तारीख : 16 जुलाई 2019

सचिवालयी लेखापरीक्षा रिपोर्ट

प्ररूप सं. एमआर–3

(31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनियां
(नियुक्ति और प्रबंधकीय कार्मिक पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 9 के अनुसरण में)

सेवा में

सदस्य,
इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड,
सीआईएनःयू27109डीएल1970जीओआई117585
कोर 3, स्कोप कॉम्प्लैक्स, 7
लोधी रोड, नई दिल्ली–110003

हमनें लागू कानूनी उपबंधों की अनुपालना में और **इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट (इंडिया) लिमिटेड** (जिसे इसमें इसके पश्चात **कंपनी** कहा गया है) द्वारा अच्छी निगम पद्धतियों की अनुपालना की सचिवालयी लेखापरीक्षा संचालित कर ली है। सचिवालयी लेखापरीक्षा उस रीति में की गई जो मुझे निगम व्यवहार/कानूनी अनुपालना का मूल्यांकन करने के लिए और उन पर राय व्यक्त करने के लिए युक्तियुक्त आधार प्रदान करती है।

कंपनी की लेखा बहियों, पेपरों, कार्यवृत्त पुस्तिकाओं, कार्यवृत पुस्तिकाओं, प्ररूपों और फाइल किए गए रिटर्नों और कंपनी द्वारा रखे गए अभिलेखों के सत्यापन के आधार पर कंपनी द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर, हम एतद्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में कंपनी ने लेखापरीक्षा अवधि के दौरान जो 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वित्त वर्ष को कवर करती है इसमें नीचे सूचीबद्ध किए गए कानूनी उपबंधों का अनुपालन किया है और यह भी मत व्यक्त करते हैं कि कंपनी की उचित बोर्ड प्रक्रियाएं और अनुपालना तंत्र उस सीमा और उस रीति में तथा नीचे दी गई रिपोर्टिंग की शर्त के अधीन रहते हुए है :

हमनें **इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट (इंडिया) लिमिटेड** (कंपनी) द्वारा 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के लिए रखी गई लेखा बहियों, पेपरों, कार्यवृत्त पुस्तिकाओं, प्ररूपों और फाइल किए गए रिटर्नों की निम्नलिखित के उपबंधों के अनुसार जांच कर ली है :

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके अधीन बनाए गए नियम।

(ii) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (एससीआरए) और उसके अधीन बनाए गए नियम।

(iii) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और उसके अधीन बनाए गए उपनियम।

(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 और तदधीन बनाए गए नियम और विनियम, जो उस सीमा तक जहां तक प्रत्यक्ष विदेशी विनिधान और विदेशी प्रत्यक्ष विनिधान तथा वाणिज्यक उधार हों।

(v) निम्नलिखित विनियम और मार्गदर्शक सिद्धांत, जो भारत का प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (सेबी, अधिनियम) के अधीन विहित किए गए हैं :

(क) भारत का प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का सारवान अर्जन और टेकओवर) विनियम, 2011

(ख) भारत का प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (भेदिया कारबार प्रतिषेध) विनियम, 1992

(ग) भारत का प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी निर्गम और प्रकटन अपेक्षा) विनियम, 2009

(घ) भारत का प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी स्टाक विकल्प स्कीम और कर्मचारी क्रय स्कीम)

मार्गदर्शक सिद्धांत, 1999 और भारत का प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी फायदा) विनियम, 2014

(ङ) भारत का प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) प्रतिभूतियों का जारी करना और सूचीकरण विनियम, 2008

(च) कंपनियों के संबंध में और ग्राहकों से व्यौहार करने के लिए भारत का प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रजिस्ट्रार के निर्गम और शेयर अंतरक अभिकर्ता) विनियम, 1993

(छ) भारत का प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (साम्या शेयरों का असूचीकरण) विनियम, 2009 य और

(ज) भारत का प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों का पुनः क्रय करना) विनियम, 1998

(vi) निम्नलिखित विधियां और उनके तदधीन बनाए गए नियमों को प्रबंधन द्वारा कंपनी के लिए विनिर्दिष्टतः लागू के रूप में पहचाना गया है।

(क) लोक उद्यम विभाग मार्गदर्शक सिद्धांत, तारीख 14 मई 2010 भारी उद्योग और लोक उपक्रम मंत्रालय द्वारा को जारी किए गए हैं

(ख) आय–कर अधिनियम, 1961

(ग) माल और सेवा कर अधिनियम, 2017

(घ) सेवाकर विधि

(ङ) मूल्य वर्धित कर/केंद्रीय विक्रय कर अधिनियमध्डव्ल्यूसीटी

(च) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और तद्धीन बनाए गए नियम

(छ) विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम, 1999

(ज) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986

(झ) जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974

(ञ) वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981

(ट) भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1999

(ठ) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

(ड) अन्य श्रम विधियां और तदधीन बनाए गए नियम :

- संनिर्णमाण कर्मकार (रोजगार और सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996
- वाणिज्यिक दूकान और प्रतिष्ठापन अधिनियम
- ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970
- कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923
- कर्मचारी भविष्य–निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952
- कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948
- समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976
- प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961
- न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948
- उपदान संदाय अधिनियम, 1972

- मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936
- बोनस संदाय अधिनियम, 1965
- महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिघनिघ्यम, 2013

हमने निम्नलिखित के लागू खंडों की समीक्षाधीन वर्ष के दौरान अनुपालना की भी जांच कर ली है :

(क) इंस्टीट्यूट आफ कंपनी सेक्रेटरिज आफ इंडिया द्वारा जारी सचिवालयी मानक और केंद्रीय सरकार द्वारा बोर्ड और साधारण अधिवेशन के संबंध में अधिसूचित का कंपनी ने किसी तात्विक अननुपालना के बिना पालन किया है।

(ख) कंपनी ने किसी भी स्टॉक एक्सचेंज के साथ कोई सूचीकरण करार नहीं किया है, क्योंकि कंपनी स्टॉक एक्सचेंज के साथ सूचीबद्ध नहीं है और इसलिए इस विषय में अनुपालना के संबंध में किसी पर्यवेक्षण की अपेक्षा नहीं है;

हम यह और रिपोर्ट करते हैं कि समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने अधिनियम, नियमों, विनियमों, मार्गदर्शक सिद्धांतों, मानकों आदि का, जिनका ऊपर वर्णन किया गया है, बिना किसी तात्विक अनुपालन और निम्नलिखित पर्यवेक्षणों के अधीन रहते हुए अनुपालन किया है :

1. खंड (ii) और खंड (v) में वर्णित अधिनियम, नियम, विनियम, मार्गदर्शक सिद्धांत, मानक किसी पर्यवेक्षण की अपेक्षा नहीं करते हैं, चूंकि कंपनी एक असूचीबद्ध निकाय है और वे लागू नहीं होते हैं।
2. खंड (iii) और खंड (iv) में वर्णित अधिनियम, नियम, विनियम, किसी पर्यवेक्षण की अपेक्षा नहीं करते हैं, चूंकि विचाराधीन अवधि के दौरान ऐसी कोई घटना नहीं हुई है।
3. ऊपर खंड (vi) विनिर्दिष्टतः लागू विधियों के संबंध में हम पर्यवेक्षण करते हैं कि कंपनी में ऐसी पर्याप्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं हैं, जो कंपनी के आकार और प्रचालनों के अनुसार सभी लागू विधियों, विनियमों और मार्गदर्शक सिद्धांतों की मानीटरी और अनुपालन करने के लिए पर्याप्त हैं।
4. हम यह रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने हमारी, राय में कंपनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों का अनुपालन किया है और उस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों का और कंपनी अधिनियम 2013 प्रावधान जो कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अधिसूचित है और बिना किसी भी साम्रगी के गैर अनुपालन नियमों के बिना कंपनी एसोशियसन के ज्ञापन और लेख वर्तमान रिपोर्ट तथा सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्टें पालन किया है।

हम यह और रिपोर्ट करते हैं कि :

कार्यपालक निदेशकों, गैर कार्यपालक निदेशकों, और स्वतंत्र निदेशकों के उचित संतुलन के साथ कंपनी के निदेशक बोर्ड का सम्यकतः गठन किया गया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक बोर्ड के गठन में परिवर्तनों को अधिनियम के उपबंधों की अनुपालना में किया गया है

सभी निदेशकों को बोर्ड की बैठकों, कार्यवृत्त पर पर्याप्त सूचना दी गई और कार्यवृत्त पर विस्तृत टिप्पणियां कम से कम सात दिन पूर्व अग्रिम में भेजी गईं सिवाय लघु सूचना के, जहां अपेक्षित अनुपालना की गई है और बैठक से पूर्व और सूचना तथा कार्यवृत्त मदों पर स्पष्टीकरण अभिप्राप्त करने के लिए और बैठकों में फलदायक सहभागिता के लिए प्रणाली विद्यमान है।

बहुमत के विनिश्चयों को करते समय असहमत सदस्यों के मतों पर ध्यान दिया गया और कार्यवृत्त के एक भाग के रूप में उन्हें अभिलिखित किया गया।

कंपनी ने अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के अधीन आवश्यक अनुमोदन प्राप्त कर लिए हैं और निदेशकों ने उनकी नियुक्ति के संबंध में पात्रता की अपेक्षाओं, उनके स्वतंत्र होने और कारबार संचालन की संहिता तथा निदेशक और प्रबंधकीय

कार्मिकों के लिए नैतिकता की अनुपालना के प्रकटन का पालन किया है।

हम यह और भी रिपोर्ट करते हैं कि लेखा परीक्षा अवधि के दौरान निम्नलिखित विशिष्ट घटनाएं/कार्रवाइयों का पर्यवेक्षण किया गया :

1. हम यह और सूचित किया गया है कि मंत्रिमंडल आर्थिक कार्य समिति (सीसीईए) के कंपनी के उसी प्रकार के सी पी एस ई के साथ आमेलन के माध्यम से सामरिक विनिधान की प्रक्रिया के संबंध में 17 फरवरी 2016 का विनिश्चय को 13 फरवरी 2019 को आयोजित बैठक में और आगे उपांतरित कर दिया गया है ताकि सभी पात्र सीपीएसई और प्राइवेट क्षेत्र के अस्तित्वों विनिधान की प्रक्रिया में बोली लगाने के लिए अनुज्ञात किया जा सके। सी सी ई ए ने 19 मार्च 2019 को आयोजित अपनी बैठक में सभी गैर कोर आस्तियों को अभिहित करने का निश्चय किया और इस प्रकार यह आस्तियां संव्यवहार का भाग नहीं बनेगी। भारत सरकार द्वारा सामरिक विनिधान के लिए हित की अभिव्यक्ति (ईओआई) को विभिन्न समाचार पत्रों में 29 जून 2019 को पहले ही प्रकाशित कर दिया गया है।

2. हमें यह और सूचित किया गया है कि ईपीआई अर्बन इंफ्रा डेवलपर्स लिमिटेड (ईपीआईयूआईडीएल सीआईएनः यू45309डीएल2016 जीओआई 299995) जिसे 19 मई 2016 को कंपनी" की 51 प्रतिशत साम्या सहभागिता के साथ निगमित किया गया था तथा अभी भी वह प्रचालन नहीं कर रही है। स्वैच्छिक रूप से इसके परीसमापन के प्रस्ताव को शेयरधारकों में से एक (39% शेयर धृति के साथ) द्वारा नामंजूर कर दिया गया है। पश्चातवर्ती रूप से शेष दो शेयर धारक जो 49: शेयर धारण कर रहे हैं, ईपीआई के 51: शेयरों के लिए "प्रस्ताव के लिए आमंत्रण" के माध्यम से प्रस्ताव सफल नहीं हो सका। 12 सितंबर 2018 को प्रादेशिक निदेशक (उत्तर) को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 361 के अधीन ईपीआईयूआईडीएल के त्वरित परिसमापन के लिए एक याचिका प्रस्तुत की गई है, जो अभी भी लंबित है।

3. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, सीबीआई ने तीन मामले रजिस्टर किए हैं और मुख्य प्रबंध निदेशक सहित "कंपनी" के कुछ कर्मचारियों के विरुद्ध एफ आई आर फाइल की है। इनमें से दो मामले"कंपनी" के अभियुक्त कर्मचारियों द्वारा किसी विशिष्ट पक्षकार के पक्ष में निविदा प्रदान करने के लिए अवैध लाभ लेने के संबंध में हैं और ये कर्मचारी निलंबित हैं। निदेशक जो निलंबित है भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय के आदेश के निबंधनों में कंपनी के दिन प्रतिदिन के कार्यों में शामिल नहीं हो रहा है और वह 30 सितंबर 2018 को अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त हो गया है। इसके अतिरिक्त जैसा हमें स्पष्टीकरण दिया गया है कंपनी को प्राथमिकी में एक पक्षकार नहीं बनाया गया है इससे उसके वित्तीय विवरणों पर किसी प्रभाव की परिकल्पना नहीं है।

कृते विशाल अग्रवाल एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

ह0/–
(सीएस विशाल अग्रवाल)
एफसीएस संख्या 7242
सी पी संख्या 7710

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 16 जुलाई 2019

इस रिपोर्ट को हमारे समसंख्यक तारीख के पत्र के साथ, जिसे उपाबंध–क के साथ पढ़ा जाए और यह इस रिपोर्ट का एक अभिन्न भाग है।

"उपाबंध क"

सेवा में

सदस्य,
इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट (इंडिया) लिमिटेड,
सीआईएन : यू 27109 डीएल 1970 जीओआई 117585,
कोर 3, स्कोप कॉम्प्लैक्स, 7, लोधी रोड,
नई दिल्ली–110003

हमारी समसंख्यंक तारीख की रिपोर्ट का इस पत्र के साथ पठन किया जाए।

1. सचिवालय अभिलेखों का अनुरक्षण कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है और हमारा दायित्व इन सचिवालीय अभिलेखों पर हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर राय व्यक्त करने का है।

2. हमने उन लेखापरीक्षा पद्धतियों और पद्धतियों का अनुपालन किया है जो सचिवालयीय अभिलेखों की अंतर्वस्तु के सही होने की बाबत युक्तियुक्त आश्वासन प्राप्त करने के लिए समुचित है। सत्यापन परीक्षण के आधार पर यह सुनिश्चित किया गया कि सचिवालीय अभिलेखों में सही तथ्यों को उपदर्शित किया जाए। हमारा विश्वास है कि जिन प्रक्रियाओं और पद्धतियों का हमने अनुसरण किया है वे हमारी राय में युक्तियुक्त आधार प्रदान करती है।

3. हमने कानूनी लेखापरीक्षकों, कर प्राधिकारियों, लागत लेखापरीक्षकों और नियंत्रण और महालेखापरीक्षक, लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट को लागू वित्तीय विधियों, जिसके अंतर्गत प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर विधियां हैं, पर निर्भर किया है। लेखांकन मानक वित्तीय अभिलेखों की शुद्धता और उपयुक्तता, लागत अभिलेख और कंपनी की लेखा बहियां संबंधी लेखापरीक्षकों और अन्य नामनिर्दिष्ट व्यवसायियों की समीक्षा के अधीन रही हैं।

4. जहां भी अपेक्षित था हमने प्रबंधन से विधियों, नियमों, विनियमों और घटनाओं के विषय में अनुपालना के लिए अभ्यावेदन अभिप्राप्त किया है।

5. कॉरपोरेट और अन्य लागू विधियों, नियमों, विनियमों, मानकों के उपबंधों का अनुपालन प्रबंधन का दायित्व है, हमारी जांच प्रक्रियाओं के सत्यापन के लिए जांच के आधार तक सीमित थी।

6. सचिवालीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भावी साध्यता और न ही उस प्रभावशीलता की पर्याप्तता के विषय में कोई आश्वासन नहीं है, जिसमें कंपनी का प्रबंधन अपने कार्यों का संचालन कर रहा है।

कृते विशाल अग्रवाल एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

ह0/–
(सीएस विशाल अग्रवाल)
एफसीएस संख्या 7242
सी पी संख्या 7710

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 16 जुलाई 2019

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में सदस्य
इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड,

एकल वित्तीय विवरणियों पर रिपोर्ट

हमने मैसर्स **इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड** ('ईपीआइईएल/"कंपनी") के संलग्न वित्तीय विवरणों की जांच कर ली है, जो 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार समाप्त हुए वर्ष के लिए तुलनपत्र, लाभ और हानि का विवरण, नकद प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के सारांश और अन्य स्पष्टीकारक सूचना से मिलकर बना है जिसमें उस तारीख को कंपनी के 4 (चार) क्षेत्रों अर्थात् पश्चिम क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र मैं स्थित कंपनी के प्रादेशिक कार्यालयों और ओमान, श्रीलंका तथा म्यांमार की 3 (तीन) विदेशी शाखाओं के रिटर्न की अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा और कार्पोरेट कार्यालय, और अलवर कार्यलयों की हमारे द्वारा लेखा परीक्षा की गई है।

अर्हित राय का आधार

हम निम्नलिखित विषयों की ओर ध्यान आकृष्ट करते हैं:

1. व्यापार प्राप्य, ऋण और अग्रिम, ग्राहक का अग्रिम, प्रतिधारण थाना, सुरक्षा जमा का शेष पुष्टि/मिलान की शर्त के अधीन है (टिप्पण संख्या 2.43 को निर्दिष्ट करें)

आस्तियां	रकम (रुपए में)
वर्क्स के लिए अग्रिम	33,70,43,770
प्राप्य सुरक्षा जमा और प्रतिधारण धन	2,07,02,,02,196
व्यापार प्राप्य (गैर चालू)	60,13,57,993
व्यापार प्राप्य (चालू)	3,47,15,38,700
अन्य प्राप्य	2,01,22,09,093
कुल प्राप्य	**8,49,23,51,752**

उनका वित्तीय विवरणों पर परिणामिक प्रभाव, यदि कोई हो, बिना पता लगाए रहता है हम उपरोक्त पुष्टि ना किए गए शेष पर अपनी राय बनाने में असमर्थ हैं।

2 व्यापार संदेय और अन्य पक्षकारों को संदेय का शेष पुष्टि/मिलान की शर्त के अधीन है (टिप्पण संख्या 2.43 को निर्दिष्ट करें)

आस्तियां	रकम (रुपए में)
व्यापार संदेय (दीर्घ अवधि)	1,17,40,00,042
प्राप्य संदेय (चालू)	4,94,94,21,033
सुरक्षा जमा एवं प्रतिधारण धन संदेय	3,04,36,94,345
सुरक्षा जमा एवं प्रतिधारण धन संदेय ©	61,10,76,884

ग्राहक के अग्रिम	33,86,74,080
ग्राहक के अग्रिम (चालू)	3,73,44,24,661
ग्राहकों को संदेय अन्य	1,40,85,298
कुल संदेय	**13,86,53,76,343**

उनका वित्तीय विवरणों पर परिणामिक प्रभाव, यदि कोई हो, बिना पता लगाए रहता है। इन परिस्थितियों में हम उपरोक्त पुष्टि ना किए गए शेष पर अपनी राय बनाने में असमर्थ हैं।

3. मैसर्स यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड(यूसीआईएल) से व्यापार प्राप्य, प्रतिधारण एवं अन्य वसूली के लेखे 31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार 23,68,95,695/– रुपए होते हैं। इस प्राप्य इस प्राप्त या के विरुद्ध 7,46,77,718/–रुपए उप ठेकेदारों को भुगतान करने के लिए लंबित है। इस प्रकार कुल बकाया जिसके लिए उपबंध किए जाने की आवश्यकता है 16,22,17,977/– रुपए होता है। उपरोक्त रकम 10 वर्ष से अधिक से है और कंपनी की संदेहस्पद/ ऋण और अग्रिम के लिए अंगीकृत लेखांकन नीति के अनुसार शत–प्रतिशत उपयोग किया जाना अपेक्षित है। प्रबंधन ने 31 मार्च 2019 तक 4,43,77,000/– रुपए का बंद किया है। आता अपेक्षित उपबंध 11,78,40,977/– रुपए कम है और परिणाम स्वरूप ई पी आई एल की हानि को उतनी ही रकम से कम दर्शाया गया है (टिप्पण संख्या 2.46(क) को निर्दिष्ट करें)।

4. लेखांकन मानक(ए एस)–7(संनिर्माण संविदाएं), एएस–18 (नातेदार पक्षकार प्राक्कटन) और ए एस–19(पट्टे) द्वारा अपेक्षित प्राक्कटन नाही प्रादेशिक कार्यालयों (आर ओ) द्वारा उनके वित्तीय विवरणों में दिए गए हैं ना ही उन पर संबंधित आर ओ लेखा परीक्षकों द्वारा टिप्पणी की गई है। इसलिए मुख्यालय स्तर पर हम इन लेखांकन मांगों में उचित प्रकटन पर कोई राय बनाने में असमर्थ हैं।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार सिवाय ऊपर पैरा में वर्णित "अर्हित राय के लिए आधार" के प्रभावों के, पूर्वक एकल वित्तीय विवरणियां कंपनी अधिनियम, 2013 द्वारा अपेक्षित सूचना को अपेक्षित रीति में प्रदान करती हैं तथा भारत में साधारणतया स्वीकृत लेखांकन मानकों के अनुसार 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार कंपनी की और उस तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए उसके लाभ और रोकड़ प्रवाह की सही और उचित तस्वीर प्रस्तुत करती है।

राय का आधार

हमने अपनी लेखा परीक्षा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अधीन विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों (एसएएस) के अनुसार संचालित की है। इन मानकों के अधीन हमारे उत्तरदायित्व का हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरण भाग में लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व मैं और वर्णन किया गया है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी नैतिक आचार संहिता के अनुसार नैतिक आचार अपेक्षाओं सहित जो कंपनी अधिनियम 2013 और उसके अधीन नियमों के उपबंधों के अधीन वित्तीय विवरणों कि हमारी लेखा परीक्षा से सुसंगत है, हम कंपनी से स्वतंत्र हैं और हमने इन अपेक्षाओं तथा नैतिक आचरण संहिता के अनुसार अपने नैतिक आचरण के उत्तरदायित्व को पूरा किया है। हम विश्वास करते हैं कि लेखा परीक्षा साक्ष्य जो हमने अभिप्राप्त किया है हमारी राय का आधार बनाने के लिए पर्याप्त और समुचित है।

मामले का बल

हम निम्नलिखित मामलों पर ध्यान आकृष्ट करते हैं

1. "संदेहास्पद ऋणों/सुधारों और अग्रिम"–उपबंध पर लेखांकन नीति सं 1.10 की ओर तथा संदेहास्पद

ऋणों/सुधारों और अग्रिम"—का उपबंध पर प्रबंधन द्वारा मामले के पूर्व अनुभव/प्रगति/निर्धारण के आधार पर 10 वर्ष से अधिक के लिए बकाया शोध्यों की दशा में परियोजना के आधार पर शुद्ध वसूलनीय रकम के लिए ध्यान आकर्षित किया जाता है।

2. म्यामार शाखा का प्रचालन 3 मई 2018 को आरंभ किया गया था। यद्यपि म्यामार शाखा ने इस तथ्य का वित्तीय विवरणों में प्राक्कटन नहीं किया था। इसके अतिरिक्त वर्ष 2018—19 के लिए तैयार लाभ और हानि और लेखा विवरण 3 मई 2018 से 31 मार्च 2019 के लिए पूरे वर्ष के लिए तैयार किया गया है।

3. ईपीआईएल द्वारा म्यामार परियोजना में सी एंड सी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड की ओर से उपलब्ध कराई गई 45,54,00,000/—रुपए की बैंक गारंटी के लिए केवल 10,12,36,194/—रुपए प्राप्त किए हैं और शेष को ओमान में किए गए कार्य के लिए प्रतिभूति माना गया है। टिप्पण संख्या2.29 (ख) निर्दिष्ट करें।

4. सी एंड सी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड म्यांमार में संयुक्त उद्यम " ईपीआई—सी एंड सी जेवी (अनिगमित)"हमारा 60% स्टेक भागीदार और ओमान परियोजना में हमारा मुख्य ठेकेदार एनसीएलटी में दिवाला कार्यवाहिओं का इस समय सामना कर रहे हैं और यह मामला अग्रिम चरण में है। इसका परिणाम और ईपीआईएल के वित्तीय विवरणों पर उसके वित्तीय प्रभाव का पता नहीं लगाया जा सकता है।

5. टिप्पण संख्या 2.41 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा 3 मामले रजिस्टर करने और ईपीआईएल कुछ कर्मचारियों के विरुद्ध एफ आई आर दर्ज करने का वर्णन करता है जिसमें से 2 मामले अभियुक्त कर्मचारियों द्वारा निविदा देने के लिए अवैध प्रलोभन लेने के संबंध में है। इस संबंध में अभी जांच चालू है।

पूर्व उक्त मामलों के संबंध में हमारी राय अर्हित नहीं है

वित्तीय विवरणों और उन पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट से भिन्न अन्य सूचना

कंपनी का निदेशक बोर्ड अन्य सूचना के लिए उत्तरदाई है। अन्य सूचना प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण, बोर्ड की रिपोर्ट में सम्मिलित अन्य सूचना से मिलकर बनी है किंतु इसके अंतर्गत एकल वित्तीय विवरण और उन पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट नहीं है।

हमारी राय में एक कल वित्तीय विवरण मैं अन्य सूचना सम्मिलित नहीं है और हम उन पर कोई आश्वासन निष्कर्ष अभिव्यक्त नहीं करते हैं।

एकल वित्तीय विवरणों कि हमारी लेखा परीक्षा के संबंध में हमारा उत्तरदायित्व अन्य सूचना का पठन करना है और ऐसा करने में इस बात पर विचार करना है कि क्या अन्य सूचना वित्तीय विवरण के साथ या लेखा परीक्षा मैं अभिप्राप्त हमारी जानकारी से तात्विक रूप से असंगत है या अन्यथा तात्विक रूप से भ्रामक प्रतीत होती है।

हमारे द्वारा निष्पादित कार्य के आधार पर हमारा यह निष्कर्ष है कि इस अन्य सूचना में तात्विक मिथ्या कथन है, इस तथ्य की रिपोर्ट करने की हमसे अपेक्षा है, इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है।

प्रबंधन और जो एकल वित्तीय विवरणों के शासन के लिए प्रभारी हैं, के उत्तरदायित्व

कंपनी का निदेशक बोर्ड कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 134(5) में कथित मामलों के लिए इन एकल वित्तीय विवरणियों को तैयार करने और प्रस्तुत करने के संबंध में उत्तरदायी है जो कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्यनिष्पादन (साम्या में परिवर्तन) और नकद प्रवाह का भारत में साधारणतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों जिसके अंतर्गत

कंपनी अधिनियम की धारा 133 के अधीन विनिर्दिष्ट लेखांकन मानक हैं, के अनुसार सही और न्यायोचित दृश्य प्रस्तुत करते हैं। इस उत्तरदायित्व में कंपनी की आस्तियों का सुरक्षापायों और कपट का तथा अन्य अनियमितताओं का पता लगाने के लिए अधिनियम के उपबंधों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन अभिलेखों का अनुरक्षणय समुचित लेखांकन नीतियों का चयन और उन्हें लागू करना। ऐसे निर्णय और आकलन करना जो युक्तियुक्त तथा प्रबुद्ध हों। तथा वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति और तैयारी से सुसंगत आंतरिक नियंत्रण का डिजाइन, कार्यान्वयन और अनुरक्षण शामिल है जो वित्तीय विवरणियों को तैयार करने और प्रस्तुत करने में सुसंगत हैं जो लेखांकन अभिलेखों की शुद्धता का सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से कार्य कर रहा था जो किसी तात्विक मिथ्या कथन से मुक्त, चाहे कपटपूर्ण हो या त्रुटिवश, सही और न्यायोचित तस्वीर प्रदान करे। वित्तीय विवरण तैयार करने में, निदेशक बोर्ड कंपनी के एक चालू समुत्थान के रूप में बने रहने की योग्यता, चालू समुत्थान से संबंधित मामलों का प्रकटन और लेखांकन के चालू समुत्थान आधार का उपयोग करना जब तक की निदेशक बोर्ड या तो कंपनी के परीसमापन की इच्छा ना रखते हैं या प्रसारण बंद करने की इच्छा न रखते हैं या ऐसा न करने का उनके पास कोई वास्तविक विकल्प ना हो। निदेशक बोर्ड कंपनी की वित्तीय रिपोर्ट करने की प्रक्रिया का भी पर्यवेक्षण करने के लिए उत्तरदायीं है।

लेखापरीक्षकों का एकल वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य इस संबंध में युक्ति युक्त आश्वासन अभिप्राप्त करना है कि क्या संपूर्ण रूप में वित्तीय विवरण चाहे कपट या त्रुटि के कारण तात्विक मिथ्या कथन से स्वतंत्र हैं या नहीं और लेखा परीक्षकों की एक ऐसी रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी राय सम्मिलित है। युक्तियुक्त आश्वासन एक ऊंचे स्तर का आश्वासन है किंतु यह इस बात की गारंटी नहीं है कि एसएएस के अनुसार संचालित की गई लेखा परीक्षा हमेशा मिथ्या कथन का पता लगाएगी जब वह विद्यमान हो। मिथ्या कथन किसी कपट या त्रुटि से उत्पन्न हो सकते हैं और इन्हें तात्विक माना जाता है यदि व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से उनसे इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ता द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की युक्तियुक्त संभावना हो।

अन्य मामले

हमने कंपनी की एकल वित्तीय विवरणियों में शामिल 4 (चार) प्रादेशिक कार्यालयों और 3 (तीन) विदेशी शाखाओं की वित्तीय विवरणियों/सूचना की लेखापरीक्षा नहीं की हैजिन्हें कंपनी के एक कल वित्तीय विवरणों में शामिल किया गया है जिनकी विवरणियां/वित्तीय सूचना 31 मार्च, 2019 (31 मार्च, 2018) की स्थिति के अनुसार कुल 1,659.93 करोड रुपए (1,703.58 करोड रुपए) की कुल अस्तियों को प्रदर्शित करती है और उस तारीख की स्थिति के अनुसार 1,528.44 करोड़ रुपए (1,652.18 करोड रुपए) तथा 1,795.06 करोड रुपए (1,621.34 करोड रुपए)) के कुल राजस्व को जैसाकि एकल वित्तीय विवरणियों में विचार किया गया है प्रदर्शित करती है। इन कार्यालयोंध्शाखाओं की वित्तीय विवरणियांध्सूचना की भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त अन्य स्वतंत्र लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा की गई है जिनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है और जहां तक हमारी राय में इन शाखाओं के संबंध में शामिल की गई रकमों और प्रकटन का संबंध है केवल ऐसे लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है

इस विषय के संबंध में हमारी राय उपांतरित नहीं है।

अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. हमने, केंद्रीय सरकार द्वारा जारी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उपधारा (11) के निबंधनों में कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश 2016 (आदेश) द्वारा यथा अपेक्षित आदेश के पैरा 3 और पैरा 4 में विनिर्दिष्ट विषयों पर एक विवरण लागू होने के परिमाण तक, "उपाबंध" पर दिया है।

2. अधिनियम की धारा 143(3) की अपेक्षा अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

   (क) हमने वे सभी सूचना और स्पष्टीकरण अभिप्राप्त कर लिए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक हैं।

   (ख) हमारी राय में जहां तक लेखा बहियों की जांच से प्रतीत होता है, कंपनी द्वारा विधि द्वारा अपेक्षित उचित लेखा बहियां रखी गई हैं (और हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजनों के लिए पर्याप्त उचित विवरण या शाखाओं से जिनका हमने भ्रमण नहीं किया है प्राप्त कर ली गई हैं)।

   (ग) कंपनी के शाखा कार्यालयों की रिपोर्ट जिनकी लेखापरीक्षा शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा अधिनियम, 143(8) के अधीन की गई है, हमें भेजी गई है और उससे हमने इस रिपोर्ट को तैयार करने में उचित रूप से व्यौहार किया है।

   (घ) इस रिपोर्ट में व्यौहार किया गया तुलनपत्र, लाभ और हानि विवरण तथा नकद प्रवाह विवरण लेखा बहियों और उन शाखाओं से प्राप्त रिटर्नों के अनुरूप हैं जिनका हमने भ्रमण नहीं किया है।

   (ङ) हमारी राय में पूर्वोक्त एकल वित्तीय विवरण कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित धारा 133 के अधीन विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं।

   (च) 31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार निवेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन ओं के आधार पर, जिन्हें निदेशक बोर्ड द्वारा अभिलेख पर लिया गया है, 31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार कोई भी निदेशक अधिनियम की धारा 164(2) के निबंधनों में निदेशक नियुक्त किए जाने के लिए निर्रहित नहीं है।

   (छ) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता के संबंध में और ऐसे नियंत्रण की प्रचालन प्रभावशीलता पर हमारी उपाबंध "ग" पर पृथक रिपोर्ट को निर्दिष्ट करें।

   (ज) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसरण में लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य विषय हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार :

      i. कंपनी ने लंबित मुकदमेबाजी के प्रभाव का उसकी वित्तीय प्रस्थिति पर अपने वित्तीय विवरणों में प्रकटन किया है–वित्तीय विवरणों पर टिप्पण सं.2.26 को निर्दिष्ट करें।

      ii. कंपनी ने लागू विधि या लेखांकन मानकों के अधीन यथा–अपेक्षित उपबंध दीर्घावधि संविदाओं जिसके अंतर्गत व्युत्पनी संविदाएं हैं, पर पहले से ही पता लगाए जा सकने वाले तात्विक नुकसान, यदि कोई हो, के लिए उपबंध किया है।

      iii. ऐसी कोई रकम नहीं थी जिसको विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि में कंपनी द्वारा अंतरित करने की अपेक्षा थी।

3. निगम/अलवर कार्यालय की हमारे द्वारा लेखा परीक्षा और 7 (सात) प्रादेशिक कार्यालयों/विदेश स्थित शाखाओं की भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त स्वतंत्र लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा की बाबत 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अधीन भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निदेशों के अनुसरण में रिपोर्ट के संबंध में उपाबंध "ग" पर पृथक रिपोर्ट को निर्दिष्ट करें।

कृते के.पी.एम.सी एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट
एफआरएन 005359सी

ह0/–
पंकज कुमार
(भागीदार)
(सदस्यता संख्या 073291)

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 16 जुलाई 2019
यूडीआईएन:19073291एएएएपी6912

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का उपाबंध–क

31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए **इंजीनियरिंग प्रोजेक्टस (इंडिया) लिमिटेड "(ईपीआईएल")** के समसंख्यक तारीख की हमारी रिपोर्ट में निर्दिष्टः

(i) (क) कंपनी ने पूरी विशिष्टियों को उपदर्शित करते हुए जिसके अंतर्गत नियत आस्तियों के मात्रात्मक ब्यौरे और प्रास्थिति है समुचित अभिलेखों का अनुरक्षण किया है।

(ख) सभी मदों को वर्ष में एक बार कवर करने के लिए नियत आस्तियों के सत्यापन के लिए कंपनी के पास एक कार्यक्रम है, जो हमारी राय में कंपनी के आकार तथा उसकी आस्तियों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए युक्तियुक्त है। ऐसे सत्यापन में तात्विक खामी ध्यान में नहीं आई है।

(ग) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, स्थावर संपत्तियों के हक विलेख, सिवाय निम्नलिखित के,कंपनी के नाम में धृत हैं।

आस्तियों का विवरण	मामलों की संख्या	क्षेत्र (वर्ग फुट में)	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार समग्र खंड (रुपए में)	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार शुद्ध खंड (रुपए में)
पट्टा धृत भवन	1.	61,066	6,36,11,348	4,02,33,643

(ii) (क) प्रबंधन ने वर्ष के दौरान युक्तियुक्त अंतराल पर माल सूची का भौतिक सत्यापन किया। कंपनी की माल सूची चालू संनिर्माण कार्य और सामग्री के स्टॉक से मिलकर बनी है।

(ख) हमारी राय में और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार प्रबंधन द्वारा अनुसरण की जाने वाली मालसूचियों के भौतिक सत्यापन की प्रक्रियाएं आवृत्ति कंपनी के आकार और उसके कारबार की प्रकृति को देखते हुए युक्तियुक्त है।

(ग) हमारी राय में और हमें दी गई सूचना और हमें दिए गए तता अग्रेषित किए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी मालसूची के समुचित मात्रात्मक अभिलेखों का अनुरक्षण कर रही है और भौतिक सत्यापन के दौरान कोई तात्विक खामी नहीं पाई गई है।

(iii) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने न तो प्रतिभूत या अप्रतिभूत ऋणों को कंपनियों, फर्मों या अन्य पक्षकारों को जिन्हें कंपनी अधिनियम,, 2013 की धारा 189 के अधीन अनुरक्षित रजिस्टर में सूचीबद्ध किया गया है, प्रदान किया है न ही उनसे उन्हें लिया है। परिणामस्वरूप आदेश के खंड 3(iii) (क), 3(iii) (ख) और 3(iii) (ग) के उपबंध कंपनी को लागू नहीं होते हैं, अतः इस पर कोई टिप्पण नहीं है।

(iv) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 185 और धारा 186 के निबंधनों में कोई ऋण, विनिधान, गारंटी और प्रतिभूति नहीं दी है।

(v) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने जनता से कोई जमा स्वीकार नहीं किया है।

(vi) हमें दिए गए स्पष्टीकरण और दी गई जानकारी के अनुसार कंपनी लागत अभिलेखों का अनुरक्षण कर रही है और यह कंपनी (लागत अभिलेख और लेखा परीक्षा) नियम, 2014 के नियम 6(4) के अनुसरण की शर्त के अधीन है। कंपनी द्वारा नियुक्त लागत लेखा कार्य 31 मार्च 2019 समाप्त हुए वर्ष के लिए क्रमशः 24 अगस्त, 2018 को लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत की है। कंपनी द्वारा नियुक्त मैसर्स एजी. अग्रवाल एंड एसोसिएट्स लागत लेखा परीक्षक ने 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए अपनी लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी।

(vii) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, और प्रस्तुत की गई लेखा बहियों और अभिलेखों और हमारी जांच के आधार पर हमारी राय हैं किः

(क) कंपनी साधारणतया विवादास्पद और कानूनी देय को जमा करने में नियमित रही है जिसके अंतर्गत भविष्य निधि, आय–कर, विक्रय कर, मूल्यवर्धित कर, सीमा शुल्क, सेवा कर, माल और सेवा कर और अन्य कानूनी देय जैसा की समुचित प्राधिकारियों के पास लागू है, । हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार वित्त वर्ष 31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार कोई विवादास्पद कानूनी बकाया उस तारीख से जिसको वह संदेय होते हैं से 6 माह से अधिक अवधि के लिए विद्यमान नहीं है।

क्र. सं.	क्षेत्र का नाम	कानून का नाम	शोध्यताओं की प्रकृति	रकम (रुपए में)	वह अवधि जिससे रकम संबंधित है	वह मंच जहां विवाद लंबित है
1	पूर्वी क्षेत्र कार्यालय, कोलकाता	पश्चिम बंगाल	वाणिज्यक कर	2,02,96,133.59	2005–06	पश्चिम बंगाल कर अधिकरण, कोलकाता
2	पूर्वी क्षेत्र कार्यालय, कोलकाता	पश्चिम बंगाल	वाणिज्यक कर	11,61,775.00	2007–08	पश्चिम बंगाल वाणिज्यिक कर अपील एवं पुनरीक्षण बोर्ड, कोलकाता
3	पूर्वी क्षेत्र कार्यालय, कोलकाता	पश्चिम बंगाल	वाणिज्यक कर	41,045.00	2008–09	41,045 रुपए की मांग थी मामले का। प्रतिदाए की संगणना कर प्राधिकारियों के पास प्रक्रियाधीन है
4	पूर्वी क्षेत्र कार्यालय, कोलकाता	पश्चिम बंगाल	वाणिज्यक कर	19,13,545.00	2009–10	विशेष आयुक्त पश्चिम बंगाल वाणिज्यक कर, कोलकाता
5	पूर्वी क्षेत्र कार्यालय, कोलकाता	पश्चिम बंगाल	वाणिज्यक कर	7,62,67,338.17	2011–12	पश्चिम बंगाल कराधान अधिकरण, कोलकाता
6	पूर्वी क्षेत्र कार्यालय, कोलकाता	पश्चिम बंगाल	वाणिज्यक कर	4,15,40,656.49	2012–13	वरिष्ठ संयुक्त आयुक्त (प्रथम अपील), पश्चिम बंगाल वाणिज्यक कर, कोलकाता
7	पूर्वी क्षेत्र कार्यालय, कोलकाता	पश्चिम बंगाल	वाणिज्यक कर	10,30,28,642.17	2013–14	पश्चिम बंगाल कराधान अधिकरण, कोलकाता
8	पूर्वी क्षेत्र कार्यालय, कोलकाता	पश्चिम बंगाल	वाणिज्यक कर	1,36,29,849.84	2014–15	पश्चिम बंगाल कराधान अधिकरण, कोलकाता
9	पूर्वी क्षेत्र कार्यालय, कोलकाता	पश्चिम बंगाल	वाणिज्यक कर	3,67,34,392.00	2015–16	संयुक्त आयुक्त वाणिज्यक कर सीएयु–आई, बेलियाघाटा द्वारा मांग आदेश दिया गया
10	पूर्वी क्षेत्र कार्यालय, कोलकाता	पश्चिम बंगाल	वाणिज्यक कर	1,15,91,497.00	2017–18	संयुक्त आयुक्त विक्रय कर कोलकाता, दक्षिणी सर्कल द्वारा अंतिम लेखा परीक्षा रिपोर्ट जारी
11	पूर्वी क्षेत्र कार्यालय, कोलकाता	सेवा कर	विभाग कर	4,18,63,946.00	2005–06 से 2007–08	सीईएसटीएटी, कोलकाता

12	पूर्वी क्षेत्र कार्यालय, कोलकाता	सेवा कर विभाग		37,46,050.,00	2010–11 से, 2012–13	सीईएसटीएटी, कोलकाता
13	पूर्वी क्षेत्र कार्यालय, कोलकाता	सेवा कर विभाग		75,09,137.00	2011–2012 से 2015–16	सीजीएसटी एवं सीईएक्स, अपील–1, कोलकाता द्वारा मांग आदेश पारित
14.	पूर्वी क्षेत्र कार्यालय, कोलकाता	सेवा कर विभाग	मांग	36,17,680.00	2004–05 से 2005–06	सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपील अधिकरण, पूर्वी क्षेत्र खंडपीठ, कोलकाता के समक्ष फाइल
15.	दक्षिणी क्षेत्र कार्यालय, चैन्नई	आंध्र प्रदेश मूल्य वर्धित कर	मांग	44,48,905.00	2008–2009 एवं 2009-2010	आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, हैदराबाद
16.	उत्तरी क्षेत्र कार्यालय, नई दिल्ली	उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948	मांग	8,72,500	1993–94	विक्रय कर अधिकरण
17.	उत्तरी क्षेत्र कार्यालय, नई दिल्ली	सेवा कर	मांग/शास्ति	9,83,80.264	2012–13	दिल्ली उच्च न्यायालय
18.	पश्चिम क्षेत्र कार्यालय, मुंबई	छत्तीसगढ़ जीएसटी	मांग	95,86,707	2013–14	अपील अधिकरण
19.	पश्चिम क्षेत्र कार्यालय, मुंबई	छत्तीसगढ़ जीएसटी	मांग	1,53,15,051	2014–15	अपर आयुक्त
20.	पश्चिम क्षेत्र कार्यालय, मुंबई	छत्तीसगढ़ मूल्य वर्धित कर	भाग	35,54,970	2014–15	अपर आयुक्त
21.	पश्चिम क्षेत्र कार्यालय, मुंबई	स्रोत पर कर कटौती में व्यतिक्रम	मांग	6,31,060	2014–18	अपर आयुक्त
		योग		**49,57,31,144**		

(viii) हमारे लेखा परीक्षा प्रक्रिया और प्रबंधन द्वारा हमें नहीं गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने किसी वित्तीय संस्था, बैंक, सरकार और डिवेंचर धारकों को शोध्य के पुनर्संदाय में कोई व्यतिक्रम नहीं किया है।

(ix) कंपनी ने प्रारंभिक लोक प्रस्ताव या भावी लोक प्रस्ताव और आवधिक ऋण (जिसके अंतर्गत ऋण लिखित हैं) के माध्यम से कोई धन इकट्ठा नहीं किया है। तदनुसार, आदेश का पैरा 3(ix) लागू नहीं होता है।

(x) हमारी जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने मामला रजिस्टर किया है और ईपीआई के तीन कर्मचारियों के विरुद्ध एफ आई आर फाइल की है। यह मामला ईपीआई के अभियुक्त कर्मचारियों द्वारा निविदा देने के लिए अवैध लाभ लेने के संबंध में है। इसके अतिरिक्त स्पष्टीकरण दिया गया है ईपीआई को प्राथमिकी में एक पक्षकार नहीं बनाया गया है और वित्तीय विवरणों में किसी वित्तीय प्रभाव की परिकल्पना नहीं की गई है। सभी 3 मामलों में जांच जारी है (टिप्पण संख्या 2.41 को निर्दिष्ट करें)

(xi) कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 463(v) तारीख 5 जून 2015 के निबंधनों में दी गई छूट के मद्देनजर, प्रबंधकीय पारिश्रमिक के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची V के साथ पठित धारा 197 के उपबंध कंपनी को लागू नहीं होते हैं ।

(xii) कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है। तदनुसार, आदेश का पैरा 3(xii) लागू नहीं होता है।

(xiii) मैं दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर नातेदार पक्षकारों के साथ सभी संव्यवहार कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 177 और धारा 188 जहां भी वह लागू होती है के अनुसार हैं और लेखांकन मानक और कंपनी अधिनियम 2013 की अपेक्षा अनुसार वित्तीय विवरणों में ब्यौरों का प्रकटन किया गया है।

(xiv) कंपनी ने शेयरों या पूर्णता या भागतः संपरिवर्तनीय डिबेंचरों का कोई अधिमानी आवंटन/ प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं किया है।

(xv) हमें दी गई सूचना और उपलब्ध कराए गए स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने निदेशकों यह उन से संबद्ध व्यक्तियों के साथ कोई गैर–रोकड़ संव्यवहार नहीं किया है। तदनुसार, आदेश का पैरा 3(xv) लागू नहीं होता है।

(xvi) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45–आईए के उपबंध कंपनी को लागू नहीं होते हैं।

कृते के.पी.एम.सी एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट
एफआरएन 005359सी

ह0/–
पंकज कुमार
(भागीदार)
(सदस्यता संख्या 073291)

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 16 जुलाई 2019

इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर समसंख्यिक दिनांक की रिपोर्ट का स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का उपाबंध

कंपनी अधिनियम 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उपधारा 3 के खंड (i) के अधीन आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड ("कंपनी") की 31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार उस तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए कंपनी की एकल वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखा परीक्षा के साथ वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा कर ली है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी का संबंधित निदेशक बोर्ड, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शक सिद्धांत में कथित अनिवार्य आंतरिक नियंत्रण संघटक पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को बनाए रखने के लिए और स्थापित करने के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को डिजाइन करना, कार्यान्वित करना और बनाए रखना शामिल है जिसके अंतर्गत कंपनी की नीतियों का अनुपालन, उसकी आस्तियों का सुरक्षोपाय, कपटों और त्रुटियों का निवारण तथा पता लगाना, लेखांकन अभिलेखों की शुद्धता और पूर्णतः तथा वित्तीय सूचना की विश्वसनीयता और समयबद्ध तैयारी, जैसा कि कंपनी अधिनियम 2013 के अधीन अपेक्षित है, सम्मिलित है ताकि वह उसके कारबार का व्यवस्थित और दक्ष प्रचालन करने का प्रभावी रूप से निश्चय कर सकें।

लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर राय अभिव्यक्त करने का है। हमने अपनी लेखापरीक्षा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शक नोट और कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(10) के अधीन विहित माने गए भारतीय चार्टर्ड लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखापरीक्षा पर मानकों जहां तक वह आर्थिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा को लागू होते हैं के अनुसार की है और दोनों को भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान द्वारा जारी किए गए हैं। वह मानक और मार्गदर्शक नोट अपेक्षा करते हैं कि हम नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करें और लेखापरीक्षा की योजना यह युक्ति युक्त आश्वासन अभिप्राप्त करने के लिए करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किया गया था और बनाए रखा गया था तथा क्या ऐसे नियंत्रण सभी तात्विक परिप्रेक्ष्य में प्रभावी रूप से प्रचालन कर रहे थे।

हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता तथा उनकी प्रचालन प्रभावशीलता के विषय में लेखापरीक्षा साक्ष्य अभी प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं को करना अंतर्वलित है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण कि हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के संबंध में यह समझ अभिप्राप्त करना कि किसी तात्विक खामी के विद्यमान होने के जोखिम का निर्धारण किया जाता है तथा निर्धारित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की परिचालन प्रभावशीलता की जांच करना और उसके डिजाइन का मूल्यांकन करना समलित है। चयन की गई प्रक्रिया लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती है जिसके अंतर्गत वित्तीय कथनों

में तात्विक त्रुटियों चाहे कपट या त्रुटि के कारण हो, के जोखिम का निर्धारण करना है।

हम विश्वास करते हैं कि लेखापरीक्षा साक्ष्य जो हमने अभिप्राप्त किया है वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर हमारी लेखा परीक्षा राय के आधार के लिए पर्याप्त और समुचित है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर किसी कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के संबंध में तर्कपूर्ण आश्वासन देने के लिए डिजाइन किया गया है और बाहरी प्रयोजनों के लिए विवरण साधारणतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणियों को तैयार किया जाता है। किसी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर वह नीतियां और प्रक्रियाएं सम्मिलित है जो,–

(1) उन अभिलेखों के अनुरक्षण से संबंधित है, जो युक्ति युक्त विवरण, शुद्धता, और न्यायोचित रूप से कंपनी की आस्तियों, के संव्यवहार और कार्यों को परिलक्षित करते हैं,

(2) इस बात का युक्तियुक्त आश्वासन प्रदान करते हैं कि संव्यवहारों को वैसे ही अभिलिखित किया जा रहा है जैसा साधारणतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए अनुज्ञात करने के लिए आवश्यक है और कंपनी की प्राप्तियां और व्यय को प्रबंधन तथा निदेशकों के प्राधिकरण के अनुसार ही किया जा रहा है; और

(3) कंपनी की आस्तियों का अप्राधिकृत अर्जन, उपयोग या निपटान को निवारित करने या उनका समय पर पता लगाने के संबंध में युक्तियुक्त आश्वासन प्राप्त करने के लिए जिनका वित्तीय विवरणों पर तात्विक प्रभाव हो सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की निहित सीमा

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की सीमा के कारण मिलीभगत या अनुचित प्रबंधन के कारण नियंत्रणों पर अध्यारोही प्रभाव हो सकता है, त्रुटि या कपट के कारण तात्विक मिथ्या कथन हो सकते हैं और उनका पता नहीं चल सकता है। इसके अतिरिक्त भविष्य में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के मूल्यांकन का प्रक्षेपण इस जोखिम के अधीन है कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थितियों में या नीतियों या प्रक्रियाओं में अनुपालना के स्तर में गिरावट आने के कारण अपर्याप्त हो जाए।

मत

हमारे मत में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण मानदंड जिसकी स्थापना भारतीय चार्टर्ड लेखाकार संस्थान द्वारा जारी "वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शक नोट में कथित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य संघटक पर विचार करते हुए" कंपनी में सभी परिप्रेक्ष्य में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की एक पर्याप्त प्रणाली है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसा आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार प्रभावी रूप से कार्य कर रहा है। तथापि हमने नोट किया है कि–

क) शेष की पुष्टि अभिप्राप्त करने और पक्षकारों के साथ मिलान करने की प्रक्रिया में कतिपय सुधार करने की आवश्यकता है।

ख) लेखा परीक्षा के पूरा होने से पहले वित्त वर्ष के लिए किसी भी समय पिछली तारीख में प्रविष्ठियां डाली जा सकती हैं। सैप प्रणाली में और सुधार की आवश्यकता है।

ग) कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, प्रबंधन ने 26.50 करोड रुपए की ओवरड्राफ्ट सीमा अभिप्राप्त करने के लिए बैंक के पास ग्राहक की समर्पित जमा वर्क्स निधि को गिरवी रखा है। 31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार 8.91 करोड रुपए बकाया है।

कृते के.पी.एम.सी एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट
एफआरएन 005359सी

ह0/–
पंकज कुमार
(भागीदार)
(सदस्यता संख्या 073291)

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 16 जुलाई 2019

उपाबंध ग कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) में निर्दिष्ट

क्र.	निदेश	प्रत्युत्तर
I.	क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन संव्यवहारों को प्रोसेस करने की प्रणाली है? यदि हां तो वित्तीय विविक्षताओं के साथ लेखाओं की अखंडता पर आईटी प्रणाली के बाहर किए गए लेखाओं की विविक्षतांए।	कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन संव्यवहारों को प्रोसेस करने की प्रणाली है। कंपनी ने एसएपी प्रणाली पर लेखों को अनुरक्षित किया है।
II.	क्या कंपनी की किसी विद्यामान ऋण या पुनर्संदाय करने में असमर्थता के कारण किसी उधार दाता द्वारा दिए गए ऋण/उधार/ब्याज आदि के त्यजन/बट्टे खाते में डालने के मामलों का कोई पुनर्गठन किया गया है? यदि हां तो वित्तीय प्रभाव का कथन किया जाए।	हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा अभिलेखों के हमारी जांच के आधार पर किसी विद्यमान ऋण का कोई पुनर्गठन नहीं है या किसी विद्यमान उधार या उधार दाता द्वारा दिए गए किसी उधार/ ऋण/ब्याज के त्यजन/बट्टे खाते में डालने के कोई मामले नहीं है।
III.	केंद्रीय/राज्य अभिकरण से विनिर्दिष्ट स्कीमों के लिए प्राप्त/प्राप्य निधियों को उचित रूप से गणना में लिया गया है/उपयोग किया गया है? विचलन के मामलों को सूचीबद्ध करें।	हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा अभिलेखों की जांच के आधार पर केंद्रीय/राज्य अधिक रनों से कोई निधि प्राप्त नहीं की गई है/प्राप्य नहीं है

कृते के.पी.एम.सी एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट
एफआरएन 005359सी

ह0/–
पंकज कुमार
(भागीदार)
सदस्यता संख्या 073291

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 16 जुलाई 2019

अनुपालना प्रमाण पत्र

हमने इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड के लेखाओं की 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के महालेखा नियंत्रक और परीक्षक द्वारा जारी निदेशों/उपनिदेशों के अनुसार कंपनी अधिनियम 2013, की धारा 143(5) के अधीन लेखा परीक्षा संचालित की है और प्रमाणित करते हैं कि हमने हमें जारी सभी निदेशों/उपनिदेशों का अनुपालन किया है।

कृते के.पी.एम.सी एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट
एफआरएन 005359सी

ह0/–
पंकज कुमार
(भागीदार)
(सदस्यता संख्या 073291)
यूडीआईएनः190 73291एएएएपी6912

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 16 जुलाई 2019

लेखा परीक्षकों की अर्हता पर कंपनी का प्रत्युत्तर

<table>
<tr><th>क्रम संख्या</th><th>लेखा परीक्षक की अर्हता</th><th>कंपनी का प्रत्युत्तर</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>व्यापार प्राप्य का शेष, ऋण एवं अग्रिम, ग्राहक का अग्रिम, प्रतिधारण धन, सुरक्षा जमा पुष्टि मिलान के अधीन है (टिप्पण संख्या 2.43 को निर्दिष्ट करें)
<table>
<tr><th>आस्ति</th><th>रकम (रुपए में)</th></tr>
<tr><td>कार्य के लिए अग्रिम</td><td>33,70,43,770</td></tr>
<tr><td>सुरक्षा जमा एवं प्रतिधारण धन</td><td>2,07,02,02,196</td></tr>
<tr><td>व्यापार प्राप्य (गैर चालू)</td><td>60,13,57,993</td></tr>
<tr><td>व्यापार प्राप्य (चालू)</td><td>3,47,15,38,700</td></tr>
<tr><td>अन्य प्राप्य</td><td>2,01,22,09,093</td></tr>
<tr><td>कुल प्राप्य</td><td>8,49,23,51,752</td></tr>
</table>
उनका वित्तीय विवरणपर परिणामिक प्रभाव,यदि कोई हो, बिना पता लगाए रहता है। इन परिस्थितियों में पूर्वोक्त पुष्टि ना किए गए शेष के संबंध में हम कोई राय बनाने में असमर्थ है</td><td>व्यापार प्राप्य का शेष, ऋण एवं अग्रिम, ग्राहक का अग्रिम, प्रतिधारण धन, सुरक्षा जमा,के शेष का मिलान करने की प्रथा का संपूर्ण उद्योग में अनुसरण की जाने वाली प्रथा के अनुसार कंपनी द्वारा पिछले अनेक वर्ष से अनुसरण किया जा रहा है</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>व्यापार प्राप्य के शेष और अन्य पक्षकारों को संदेय पुष्टि मिलान के अधीन है (टिप्पण संख्या 2.43 को निर्दिष्ट करें)
<table>
<tr><th>दायित्व</th><th>रकम (रुपए में)</th></tr>
<tr><td>व्यापार संदेय (दीर्घ अवधि)</td><td>1,17,40,00,042</td></tr>
<tr><td>व्यापार संदेय (चालू)</td><td>4,94,94,21,033</td></tr>
<tr><td>संदेय सुरक्षा जमा एवं प्रतिधारण धन</td><td>3,04,36,94,345,</td></tr>
<tr><td>संदेय सुरक्षा जमा एवं प्रतिधारण धन ©</td><td>61,10,76,884</td></tr>
<tr><td>ग्राहक के अग्रिम</td><td>33,86,74,080</td></tr>
<tr><td>ग्राहक के अग्रिम (चालू)</td><td>3,73,44,24,661</td></tr>
<tr><td>ग्राहकों को संदेय अन्य</td><td>1,40,85,298</td></tr>
<tr><td>कुल संदेय</td><td>13,86,53,76,343</td></tr>
</table>
उनका वित्तीय विवरण पर परिणामिक प्रभाव, यदि कोई हो, बिना पता लगाए रहता है। इन परिस्थितियों में पूर्वोक्त पुष्टि ना किए गए शेष के संबंध में हम कोई राय बनाने में असमर्थ है</td><td>व्यापार संदेय शेष और अन्य का मिलान करने की प्रथा का संपूर्ण उद्योग में अनुसरण की जाने वाली प्रथा के अनुसार कंपनी द्वारा पिछले अनेक वर्ष से अनुसरण किया जा रहा है</td></tr>
</table>

क्रम संख्या	लेखा परीक्षक की अर्हता	कंपनी का प्रत्युत्तर
3.	मैसर्स यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (यूसीआईएल) से 31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार व्यापार प्राप्य, प्रतिधारण एवं अन्यप्राप्य 23,68,95,695/– रुपएहोते हैं। यह रकम 10 वर्ष से अधिक पुरानी है और कंपनी की संदेश पद ऋण/उधार और अग्रिम के लिए अंगीकृत लेखांकन नीति के अनुसार शत प्रतिशत उपबंध अपेक्षित है। प्रबंधन ने 31 मार्च 2019 तक 4,43,70,000/– रुपए का उपबंध किया है। इस प्रकार अपेक्षित उपबंध 19,25,18,695/– रुपए कम है और इसके परिणाम स्वरूप ईपीआईएल का नुकसान कम दर्शाया गया है (टिप्पण संख्या 2.46 (क) को निर्दिष्ट करें)	कंपनी की लेखांकन नीति संख्या 10 के अनुसार 10 वर्ष से अधिक पुराने प्राप्य की दशा में उपबंध का किया जाना अपेक्षित है। क्योंकि परियोजना कार्यालय ने यूसीआईएल को अंतिम दिन 14 जून 2009 को दिया है इसलिए 31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार उपबंध की श्रेणी के अधीन बकाया रकम नहीं आती है। कंपनी ने मैसर्स यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (यूसीआईएल) से बकाया पुरानी रकम को वसूलने के गंभीर प्रयास किए हैं । वित्त वर्ष के दौरान भी बकाया भुगतान के मुद्दे को निर्दिष्ट करते हुए सीएमडी, यूसीआईएल सहित वरिष्ठ प्रबंधन के साथ अनेक बैठकें की गई थीं। इसका शीघ्र निपटान हो जाने की आशा है
4.	लेखांकन मानक (एएस)–7 (संनिर्माण संविदाएं) एएस–18 (संबंधित पक्ष कार प्रकटन और एएस–19 (पट्टे) के अधीन प्रकटन को ना तो क्षेत्रीय कार्यालयों (आरओ) द्वारा उनके वित्तीय विवरणों में मान्यता दी जाती है ना ही उन पर संबंधित क्षेत्रीय लेखा परीक्षकों द्वारा टिप्पणी की जाती है। इसलिए हम मुख्यालय स्तर पर इन लेखांकन मांगों पर उचित प्रकटन परकोई राय बनाने में असमर्थ हैं।	कंपनी ने पूर्व प्रथा के अनुसार अनेक वर्ष से निगम कार्यालय में लेखांकन मानक (एएस)–7 (संनिर्माण संविदाएं) एएस–18 (संबंधित पक्षकार प्रकटन और एएस–19 (पट्टे) को शाखाओं से लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों पर विचार करने के पश्चात उन्हें शामिल किया है।

मामले पर बल पर प्रत्युत्तर (एकल वित्तीय विवरण):

क्रम संख्या	मामले पर बल	कंपनी के प्रत्युत्तर
1.	"संदेहास्पद ऋणों/ उधारों और अग्रिम के लिए उपबंध" पर लेखांकन नीति संख्या 1.10 और परियोजना के आधार पर शुद्ध प्राप्य "संदेहास्पद ऋणों/ उधारों और अग्रिम के लिए प्रबंधन के इस मामले में पूर्व अनुभव/ प्रगति/ निर्धारण के आधार पर 10 वर्ष से अधिक बकाया की दशा में ध्यान आकृष्ट किया जाता है।	ईपीआईएल द्वारा उक्त लेखांकन नीति का अनुसरण किया जा रहा है।
2.	म्यामार शाखा का परिचालन 3 मई 2018 को आरंभ किया गया था। तथापि इस तथ्य का म्यामार शाखा द्वारा वित्तीय विवरणों में प्रकटन नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त 3 मई 2018 से 31 मार्च 2019 की अवधि के लिए लाभ और हानि लेखा तैयार किए जाने के स्थान पर वर्ष 2018–19 के पूरे वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखा तैयार किया गया।	अनुपालन के लिए नोट किया गया।
3.	ईपीआईएल द्वारा म्यामार परियोजना में सी एंड सी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड की ओर से उपलब्ध कराई गई 45,54,00,000/– करोड़रुपए की बैंक गारंटी के लिए केवल 10,12,36,194/– रुपए प्राप्त किए हैं और शेष को ओमान में किए गए कार्य के लिए प्रतिभूति माना गया है। टिप्पण संख्या 2.29 (ख) निर्दिष्ट करें।	ईपीआईएल द्वारा सी एंड सी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड की ओर से उपलब्ध कराई गई 45,54/– करोड़ रुपए की बैंक गारंटी जारी करने के समय ईपीआईएल द्वारा 10,12/– करोड़ रुपए उक्त बैंक गारंटी के विरुद्ध सिक्योरिटी के रूप में प्राप्त किए हैं इसके अतिरिक्त 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 7 करोड भारतीय रुपए) सी एंड सी कंस्ट्रक्शन, म्यामार से लिए गए थे। इसके पश्चात ओमान परियोजना के बिलों के विरुद्ध 2 करोड रुपए सिक्योरिटी के रूप में प्रीतिधारित कर लिए लिए गए। इसलिए पूर्वोक्तबैंक गारंटी के विरुद्ध आज की तारीख तक ईपीआईके पास उपलब्ध कुल सिक्योरिटी 19 करोड रुपए है।इसके अतिरिक्त सी एंड सी कंस्ट्रक्शनने म्यामार परियोजना के प्रत्येक बिल से 2 करोड रुपए वसूलने का तब तक के लिए वचन बंध दिया हैजब तक ई पी आई एलउक्त बैंक गारंटी के विरुद्ध पूरी तरह से प्रतिभूत नहीं होजाती है और असफलता की दशा में शेष रकम को ओमान परियोजना से वसूला जाएगा।

क्रम संख्या	मामले पर बल	कंपनी के प्रत्युत्तर
4.	सीएंडसी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड म्यांमार में संयुक्त उद्यम "ईपीआई–सीएंडसी जेवी (अनिगमित) "हमारा 60% स्टेक भागीदार और ओमान परियोजना में हमारा मुख्य ठेकेदार एनसीएलटी में दिवाला कार्यवाहियों का इस समय सामना कर रहे हैं और यह मामला अग्रिम चरण में है। इसका परिणाम और ईपीआईएल के वित्तीय विवरणों पर उसके वित्तीय प्रभाव का पता नहीं लगाया जा सकता है।	मामले पर बल केवल एक तथ्य की विषय वस्तु है आज की तारीख तक किसी वित्तीय विविक्षा की परिकल्पना नहीं की गई है।
5.	टिप्पण संख्या 2.41 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जो यह विवरण करता है कि ईपीआई के कुछ कर्मचारियों के विरुद्ध केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने तीन मामले रजिस्टर किए हैं और ईपीआईएल के कुछ कर्मचारियों के विरुद्ध प्राथमिकी फाइल की हैं। जिनमें से दो मामले ईपीआई के कुछ कर्मचारियों द्वारा निविदा प्रदान करने के लिए कथित अवैध लाभ के आरोप में हैं। जांच/पूछताछ अभी भी जारी है।	इसका कंपनी के वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

एकल तुलनपत्र 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार

(रकम रुपए में)

	विवरण	टिप्पण सं.	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार	
I.	**साम्या और दायित्व**					
1	**शेयर धारकों की निधियां :**					
	क) शेयर पूंजी	2.1	**354,226,880**		354,226,880	
	ख) आरक्षितियां और अधिशेष	2.2	**1,622,206,136**	**1,976,433,016**	1,952,456,493	2,306,683,373
2.	**शेयर आवदेन**					
	लंबित पैसा आवंटन					
3	**गैर–चालू दायित्व**					
	क) अन्य दीर्घावधि दायित्व	2.3	**4,570,453,765**		4,074,044,815	
	ख) दीर्घावधि उपबंध	2.4	**295,118,236**	**4,865,572,001**	274,541,026	4,348,585,841
4	**चालू दायित्व**					
	क) लघु अवधि उधार	2.5				
	ख) व्यापार संदेय	2.6	**588,546,889**			
	i) एमएसएमई को देय		**18,257,846**		5,761,885	
	ii) अन्य को देय		**4,931,163,187**		4,945,186,136	
	ग) अन्य चालू दायित्व	2.7	**5,652,835,654**		7,446,535,543	
	घ) लघु अवधि उपबंध	2.8	**300,245,485**	**11,491,049,061**	262,242,097	12,659,725,661
	योग			**18,333,054,078**		19,314,994,875
II.	**आस्तियां**					
1	**गैर–चालू आस्तियां**					
	क) मूर्त आस्तियां	2.9(i)	**80,333,595**		89,872,952	
	i) संपत्ति, संयत्र और उपस्कर	2.9 (ii)	**2,584,987**		6,040,573	
	ख) अमूर्त आस्तियां	2.10	**196,499,931**		158,838,339	
	ग) आस्थगित कर आस्तियां (शुद्ध)	2.11	**3,068,131,133**		2,550,682,520	
	घ) दीर्घावधि ऋण और अग्रिम	2.12	**2,613,567,086**	**5,961,116,732**	2,538,519,259	5,343,953,643
	ड) अन्य गैर–चालू आस्तियां					
2	**चालू आस्तियां**					
	क) चालू विनिधान	2.13	–		–	
	ख) माल सूचियां	2.14	**1,877,153**		18,740,308	
	ग) व्यापार प्राप्य	2.15	**3,471,538,700**		3,610,991,289	
	घ) नकद और नकद समतुल्य	2.16(i)	**2,602,355,590**		3,510,982,464	
	ङ.) अन्य बैंक शेष	2.16(ii)	**787,445,665**		410,945,709	
	च) लघु अवधि ऋण और अग्रिम	2.17	**1,903,736,891**		3,058,686,197	
	छ) अन्य चालू आस्तियां	2.18	**3,604,983,347**	**12,371,937,346**	3,360,695,265	13,971,041,232
	योग			**18,333,054,078**		19,314,994,875
	महत्वपूर्ण लेखांकन	1	–			
	लेखाओं पर टिप्पणियां	2.1 से 2.52				

लेखांकन नीतियां और टिप्पणियां वित्तीय विवरणों पर अभिन्न अंग हैं

कृते हमारी समसंख्यक तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते निदेशक बोर्ड के लिए और उसकी ओर से
कृते के.पी.एम.सी एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट
फर्म रजिस्ट्रीकरण सं.005359सी

ह0/–
(लेख राज)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन07794894

ह0/–
(एस. एस. रावत)
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
(अतिरिक्त प्रभार)
डीआईएन07555572

ह0/–
(सी.ए पंकज कुमार)
भागीदार
सदस्यता संख्या 073291
स्थान: नई दिल्ली
तारीख: 16 जुलाई, 2019

ह0/–
(एन के शर्मा)
कार्यकारी निदेशक (वित्त)

ह0/–
(दीपिका मेहता)
कंपनी सचिव

एकल लाभ और हानि 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार

(रकम रुपए में)

	विवरण	टिप्पण संख्या	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार
I.	प्रचालनों से राजस्व	2.19	**17,91,04,86,804**	16,07,40,98,507
II.	अन्य आय	2.20	**51,751,171**	15,26,79,188
III.	**कुल आय (I+II)**		**17,96,22,37,975**	1,62,26,777,695
IV.	**व्यय :**			
	प्रचालन व्यय	2.21	**17,16,71,38,366**	15,01,46,94,282
	कर्मचारी पारिश्रमिक और फायदा	2.22	**76,20,54,377**	78,52,15,766
	वित्तीय लागतें	2.23	**5,01,47,981**	4,85,70,364
	अवक्षयण एवं अपाकरण व्यय	2.9	**1,89,63,577**	1,54,67,875
	अन्य व्यय	2.24	**25,95,43,142**	32,67,10,361
	कुल व्यय		**18,257,847,443**	16,19,06,58,648
V.	**अपवादी और असाधारण मदों से पूर्व लाभ और कर (III-IV)**		**(29,56,09,468)**	3,61,19,047
VI.	पूर्वावधि व्यय (शुद्ध)		**6,46,857**	1,89,87,494
VII.	**असाधारण मदों और कर से पूर्व लाभ (V-VI)**		**(29,62,56,325)**	1,71,31,553
VIII.	असाधारण मदें	–		
IX.	**कर से पूर्व लाभ/(हानि) (VII-VIII-IX)**	2.25	**(29,62,56,325)**	1,71,31,553
X	असाधारण मदें	–		
XI	**कर से पूर्व लाभ/(हानि) (IX-X)**		**(29,62,56,325)**	1,71,31,553
XII.	कर व्यय		**1,13,50,000**	
	चालू कर	2.11	**4,34,30,628**	(28,80,365)
	पहले के वर्षों के लिए कर समायोजन (शुद्ध)		**2,82,24,996**	(2,91,49,35)
	अस्थगित कर		**(3,76,61,592)**	1,02,22,957
XIII.	**जारी रखे गए प्रचालनों से लाभ/(हानि) (XI-XII)**		**(33,02,50,357)**	13,53,896
XIV	जारी ना रखे गए प्रचालनों से लाभ/(हानि)		–	–
XV	जारी ना रखे गए प्रचालनों का कर व्यय		–	–
XVI	**जारी ना रखे गए प्रचालनों से (कर के पश्चात) लाभ/(हानि)(XIV-XV)**		–	–
XVII	**वर्ष के लिए लाभ/(हानि) (XIII-XVI)**		**(33,02,50,357)**	**13,53,896**
XVIII	**प्रति शेयर अर्जन (आधारी एवं डायलूटिड)**	2.39	**(9.32)**	0.04
	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	1		
	लेखाओं पर टिप्पणियां	2.1से 2.52	–	–

लेखांकन नीतियां और टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं

निदेशक बोर्ड के लिए और उसकी ओर से

हमारी समसंख्यक तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते निदेशक बोर्ड के लिए और उसकी ओर से
कृते के.पी.एम.सी एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट
फर्म रजिस्ट्रीकरण सं.005359सी

ह0/–
(लेख राज)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन07794894

ह0/–
(एस. एस. रावत)
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
(अतिरिक्त प्रभार)
डीआईएन07555572

ह0/–
(सी.ए पंकज कुमार)
भागीदार
सदस्यता संख्या 073291
स्थानः नई दिल्ली
तारीखः 16 जुलाई, 2019

ह0/–
(एन के शर्मा)
कार्यकारी निदेशक (वित्त)

ह0/–
(दीपिका मेहता)
कंपनी सचिव

31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए एकल रोकड़ प्रवाह विवरण

(रकम रुपए में)

विशिष्टियां	2018–19	2017–18
प्रचालन कार्यकलापों से नकद प्रवाह		
कर पूर्व शुद्ध लाभ	(29,62,56,325)	1,71,31,553
निम्नलिखित के लिए समयोजन	29,64,11,585	1,67,95,260
अवक्षयण और अपाकरण	1,89,63,577	1,54,67,875
आस्तियों की बिक्री से (लाभ)/हानि (शुद्ध)	75,104	1,09,501
नियत जमा पर ब्याज	(73,36,407)	(1,28,72,589)
विदेशी मुद्रा में विनिमय परिवर्तन का प्रभाव		
नकद एवं नकद समतुल्य		
कार्यशील पूंजी परिवर्तनों से पूर्व प्रचालन लाभ	(28,45,54, 051)	1,98,36,340
माल सूचियों में कमी (वृद्धि)	1,68,63,155	2,09,12,781
बिल न बनाए गए राजस्व में कमी (वृद्धि)	(37,11,48,715)	27,98,25,041
विभिन्न लेनदारों में (वृद्धि) कमी	2,67,43,169	(68,55,11,814)
धारणाधिकार के अधीन नियत जमा में कमी वृद्धि	(22,85,833)	6,69,44,272
ऋणों एवं अग्रिम में कमी (वृद्धि)	65,29,37,710	83,45,36,889
चालू देनदारियों एवं उपबंधों में (वृद्धि)/कमी	55,57,53,543	52,46,14,619
प्रचालनों से सृजित रोकड़	(51,73,63,366)	1,06,11,58,127
आय–कर	(3,39,94,032)	(1,57,77,657)
प्रचालनों कार्यकलापों से शुद्ध नकद	(55,13,57,397)	1,04,53,80,470
विनिधान कार्यकलापों से नकद प्रवाह		
स्थिर आस्तियों का क्रय/संनिर्माण	(62,35,267)	(1,21,72,954)
आस्तियों के विक्रय से आगम	1,91,529	1,11,640
ब्याज आय	2,29,88,386	(1,70,24,787)
3 माह से अधिक परिपक्वता वाले नियत जमा	(37,42,14,125)	(41,09,45,709)
विनिधान कार्यकलापों से शुद्ध नकद	(35,72,69,477)	44,0031,810
वित्तीय कार्यकलापों से नकद प्रवाह		
संदत्त लाभांश		
संदत्त लाभांश कर		
वित्तीय कार्यकलापों में उपयोग किया गया शुद्ध नकद		
विदेशी मुद्रा में विनिमय के मद्दे विनिमय परिवर्तन का प्रभाव		
नकद एवं नकद समतुल्य		
नकद एवं नकद समतुल्य शुद्ध वृद्धि/(कमी)	(90,86,26,873)	60,53,48,661
वर्ष के आरम्भ में नकद एवं नकद समतुल्य	3,51,09,82,464	2,90,56,33,803
वर्ष के अंत में नकद एवं एवं नकद समतुल्य	2,60,23,55,590	3,51,09,82,464
नकद और नकद समतुल्य का मिलान		
हाथ में नकद (टिप्पण संख्या 2.16 को निर्दिष्ट करें)	15,205	2,00,309
हाथ में चौक (टिप्पण संख्या 2.16 को निर्दिष्ट करें)	–	
संव्यवहार में विप्रेषण	–	
चालू खातों में बैंक के पास शेष (टिप्पण संख्या 2.16 को निर्दिष्ट करें)	51,20,63,218	99,00,57,946
अन्य बैंकों में नियत शेष जमा (टिप्पण संख्या 2.16 को निर्दिष्ट करे)	2,09,02,77,167	2,52,07,24,209
नकद एवं नकद समतुल्य	2,60,23,55,590	3,51,09,82,464
वर्ष के अंत में नकद एवं नकद समतुल्य	2,60,23,55,590	3,51,09,82,464

टिप्पणः

1. नकद एवं नकद समतुल्य में नकद और बैंकों में शेष सम्मिलित है जिसके अंतर्गत धारानाधिकारध्मार्जिन नियत जमा को छोड़कर नियत जमा और लिक्वड विनिधान है।
2. पूर्वक रोकड़ प्रवाह विवरणी को भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक ए एस–3 "नकद प्रवाह विवरणी" के अनुसार प्रत्यक्ष विधि का उपयोग करते हुए तैयार किया गया है।
3. नकद एवं नकद समतुल्य में नकद और अन्य बैंक शेष और बैंकों के पास जमा सम्मिलित है।
4. पूर्व वर्ष के आंकड़ों का पुनः समूहीकरण किया गया है और जहां आवश्यक हो उन्हें पुनः दिया गया है।

हमारी समसंख्यक तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

निदेशक बोर्ड के लिए और उसकी ओर से

कृते निदेशक बोर्ड के लिए और उसकी ओर से
कृते के.पी.एम.सी एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट
फर्म रजिस्ट्रीकरण सं.005359सी

ह0/–
(लेख राज)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन07794894

ह0/–
(एस. एस. रावत)
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
(अतिरिक्त प्रभार)
डीआईएन07555572

ह0/–
(सी.ए पंकज कुमार)
भागीदार
सदस्यता संख्या 073291
स्थानः नई दिल्ली
तारीखः 16 जुलाई, 2019

ह0/–
(एन के शर्मा)
कार्यकारी निदेशक (वित्त)

ह0/–
(दीपिका मेहता)
कंपनी सचिव

एकल वित्तीय विवरणियों के टिप्पण
(31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए)

1. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. लेखांकन का आधार

(क) वित्तीय विवरणियां ऐतिहासिक लागत अभिसमय के अधीन वास्तविक अर्जन के आधार पर भारत में साधारणतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार तैयार की गई हैं और उन्हें कंपनी (लेखांकन) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पाठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 और कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के सुसंगत उपबंधों का अनुपालन करने के लिए तैयार किया गया है।वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए अंगीकार की गई लेखांकन नीतियां सिवाय निम्नलिखित के, पूर्व वर्ष के लिए अनुपालन की गई के अनुसार हैं:

(ख) सभी आस्तियों और दायित्वों को कंपनी अधिनियम, 2013 की अधिकथित अनुसूची–III के अनुसार चालू या गैर चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है। प्रचालनों की प्रकृति और उस समय जिसके भीतर आस्तियों को नकद या नकद समतुल्य में कारबार के साधारण प्रक्रम में प्राप्त करने की संभावना है। कंपनी ने अपने प्रचालन चक्र को आस्तियां और दायित्वों को चालू और गैर–चालू में वर्गीकृत करने के प्रयोजन के लिए 12 मास में रखा है।

2. आकलनों का उपयोग

वित्तीय विवरणों का साधारणतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप तैयार करना अपेक्षा करता है कि प्रबंधन आकलन और पूर्वधारणा करे कि जो आस्तियों और दायित्वों की रिपोर्ट की गई मात्रा को प्रभावित करें और वित्तीय विवरण की तारीख को और रिपोर्ट की गई अवधि के दौरान प्रचालनों का परिणाम आकस्मिक आस्तियों और दायित्वों का प्रकटन, यदि कोई है। तथापि यह आकलन प्रबंधन की चालू घटनाओं और कार्रवाईयों की जानकारी पर आधारित है, वास्तविक परिणाम इन आकलनों और पुनरीक्षणों, यदि कोई हों से भिन्न हो सकते हैं, इनको चालू और भावी अवधियों में मान्यता दी गई है।

3. राजस्व को मान्यता

(क) संविदा राजस्व को उस स्तर तक मान्यता दी गई है जहां तक आर्थिक फायदे कंपनी को प्राप्त होंगे और राजस्व का विश्वसनीय रूप से मापन किया जा सकता है। राजस्व को संकर्म की समग्र लागत और संपूर्ण करने की विधि के प्रतिशत का उपयोग करते हुए समानुपात मार्जिन को जोड़कर मान्यता दी गई है। संपूर्ण करने के प्रतिशत का अवधारण संविदा की कुल प्राक्कलित लागत की तारीख तक उपगत समानुपाती लागत का अवधारण करके किया जाता है।

(ख) वर्ष के अंत में निष्पादित किया गया कार्य किन्तु माप नहीं किया गयाध्भागतः निष्पादित कार्य को इंजीनियरों के प्रमाणपत्र के आधार पर गणना में लिया जाता है, ऐसी गणना से उदभूत प्रविष्टियों को उत्तरवर्ती लेखांकन वर्ष में विलोमतः कर दिया जाता है। तदनुसार, वास्तविक प्राप्ति/जारी किए गए बीजकों/दावों को जारी करने के समय कानूनी बाध्यताओं को पूरा किया जाता है।

(ग) परियोजनाओं के समयपूर्व बंद करने/समाप्त करने की दशा में राजस्व को उस संविदा मूल्य के परिमाण तक जिसकी वसूली संभावित है मान्यता दी जाती है।

(घ) सलाहकारी सेवाओं से राजस्व को समानुपातिक पूर्ण करना विधि के आधार पर मान्यता दी जाती है।

उन मामलों की दशा में जहां दावों के समय युक्तियुक्त निश्चितता के साथ वास्तविक संग्रहण नहीं किया गया है मान्यता को संग्रहण करने के समय तक स्थगित कर दिया जाता है।

(ड.) उन संविदाओं की दशा में जहां संविदा की लागत संविदा के राजस्व से अधिक हो जाती है, अनुमान लगाई गई हानि को तुरंत मान्यता दी जाती है।

(च) ग्राहक के साथ संविदा में बढ़ोतरी और अतिरिक्त संकर्म का उपबंध किया जाता है, माध्यस्थम पंचाटों से उदभूत दावों और बीमा दावों को प्राप्ति के आधार पर गणना में लिया जाता है।

(छ) विवाद/बातचीत और असंदेह/अप्राप्य नहीं समझे जाने वाले दावों के संबंध में संविदाकारी बाध्यताओं से उदभूत नुकसानों को अंतिम निपटान तक गणना में नहीं लिया जाता है।

(ज) संविदा को लेखांकन प्रयोजनों के लिए अंतिम बिलिंग, चालू करने के प्रमाण पत्र, वाणिज्यिक रूप से आरंभ करने, पूर्व समापन और/या क्षमापन इनमें से जो भी पहले हो, समाप्त माना जाता है। (ञ) बकाया रकम और लागू दर को गणना में लेते हुए ब्याज आय को समय समानुपात में मान्यता दी जाती है।

(झ) भाटक से राजस्व को किराएदार से पट्टा करार के आधार पर सिवाय वहां जहां वास्तविक संग्रहण को संदेहस्पद समझा जाता है, उदभूत होने के आधार पर मान्यता दी जाती है।

4. मालसूची

(i) सामग्रियां

(क) संनिर्माण सामग्रियां, उपभोज्य और भंडार एवं उपसाधनों जिसके अंतर्गत इस्पात, सीमेंट और पाइप नहीं है को क्रय के समय संविदा लागत पर प्रभारित किया जाता है। ऐसी बची हुई सामग्रियों के निपटान के लेखे विक्रय से आगतों को विक्रय के वर्ष में प्रकीर्ण आय में गणना में लिया जाता है।

(ख) इस्पात, सीमेंट और पाइपों के स्टॉक का मूल्यांकन लागत या शुद्ध प्राप्त हो सकने वाले मूल्य से कम पर किया जाता है। लागत में भाड़ा और अन्य संबंधित अनुषंगिक व्यय शामिल हैं और उनकी गणना भारित औसत लागत के आधार पर की जाती है।

(ii) चालू कार्य

चालू संनिर्माण कार्य का मूल्यांकन ऐसे समय तक लागत के आधार पर किया जाता है जब तक कार्य के परिणाम का विश्वसनीय रूप से पता नहीं लगाया जा सकता है।

5. विदेशी मुद्रा संव्यवहार

विदेशी परियोजनाओं की वित्तीय विवरणियों को निम्नलिखित रीति में परिभाषित किया जाता है :

(i) राजस्व मदों (आय और व्यय) को भारतीय मुद्रा में क्रय दर की सुसंगत वित्त वर्ष के प्रत्येक मास के अंतिम कार्य दिवस को विद्यमान मासिक औसत के आधार पर गणना में लिया जाता है।

(ii) संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर और गैर–धनीय मदों को संव्यवहार की तारीख को क्रय दर पर गणना में लिया जाता है।

(iii) अवक्षयण को आस्तियों के मूल्य को गणना में लेने के लिए उपयोग की गई दर पर गणना में लिया जाता है जिसपर अवक्षयण की संगणना की गई है।

(iv) माल सूचियों को प्रत्येक तुलनपत्र की तारीख को विद्यमान क्रय दर पर गणना में लिया जाता है।

(v) धनीय मदें (आस्तियां और दायित्व) तथा आकस्मिक दायित्वों को प्रत्येक तुलनपत्र की तारीख को विद्यमान अंतिम क्रय दरों पर गणना में लिया जाता है।

गणना में लिए जाने के परिणामस्वरूप शुद्ध विनिमय विभेद की पहचान वर्ष के लिए आय या व्यय के रूप में की जाती है।

6. संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर

संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर का लागत पर वसूलनीय कर, व्यापार बट्टा रिवेट घटा संचित अवक्षयण और नुकसान की हानियां, यदि हो को घटाकर कथन किया जाता है। इस लागत में खरीद कीमत, उधार लेने की लागत और कोई ऐसी लागत सम्मिलित है जो सीधे आस्तियों को उनकी कार्यकारी स्थिति में लाने के लिए आशयित इस्तेमाल के लिए संबंधित है, विदेशी मुद्रा में शुद्ध परिवर्तन, संविदा और समायोजन जो विनिमय दर में फेरफार से उत्पन्न होते हैं वह आस्ती के लेखे डाले जाते हैं।

पश्चातवर्ती लागतों को आस्ति की वहन रकम में सम्मिलित किया जाता है या पृथक आस्ति के रूप में उस को मान्यता दी जाती है, जैसा भी समुचित हो, ऐसा केवल तब किया जाता है जब इस बात की संभावना हो की मद से सहबद्ध भावी आर्थिक फायदे निकाय को प्रभाहित होंगे और लागत का विश्वसनीय रूप से अंकन किया जा सकता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर पर अवक्षयण कि संगणना सीधी रेखा के आधार पर आस्ति के उपयोगी जीवन पर आधारित होती है जिसे कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II के अनुसार दर्शाया जाता है और आस्ति के उपयोगी जीवन के दौरान 95% लागत को बट्टे खाते में डाला जाता है।

7. अवक्षयण :

(क) संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर के अवक्षयण की संगणना आस्ति के उपयोगी जीवन के आधार पर सीधी रेखा के आधार पर कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–II के अनुसार की जाती है और आस्तियों के संभावित उपयोगी जीवन के दौरान 95% लागत को बट्टे खाते में डाल दिया जाता है।

(ख) आस्तियों के उपयोगी जीवन के आधार पर उदभूत अवक्षयण की निम्नलिखित दरों को अंगीकृत किया गया है।

क्र.सं.	आस्तियों का विवरण	अवक्षयण की दर
1	**भवन (कारखाना भवन से भिन्न) आरसीसी फ्रेम ढांचा (एनईएसडी)**	1.58%
2	**अन्य अस्थायी संनिर्माण (जिसके अंतर्गत अस्थायी ढांचा आदि हैं (एनईएसडी)**	31.67%
3	सिविल संनिर्माण में उपयुक्त संयंत्र मशीनरी	
3(क)(i)	कंक्रीटकरण, क्रशिंग, पाइलिंग उपस्कर और सड़क बनाने की मशीन	7.92%
3(क)(ii)(क)	100 टन से अधिक क्षमता की क्रेनें	4.75%
3(क)(iii)(ख)	100 टन से कम क्षमता की क्रेनें	6.33%
3(क)(iii)	मृदा परिचालन उपस्कर	10.56%
3(क)(iv)	अन्य जिसके अंतर्गत सामग्री हथालन/पाइपलाइन/बैल्डिंग उपस्कर (एनईएसडी)	7.92%

4	**साधारण फर्नीचर और सज्जा (एनईएसडी)**	9.50%
5	**कार्यालय उपस्कर (एनईएसडी)**	19%
6 6(क) 6(ख)	**कम्प्यूटर और डाटा प्रसंस्करण इकाइयां (एनईएसडी)** सर्वर और नेटवर्क 'अंतिम उपयोगकर्ता इकाइयां जैसे डैस्कटॉप, लैपटॉप, साफ्टवेयर जिसके अंतर्गत उपयोक्ता अनुज्ञप्ति फीस, अन्य अमूर्त आस्तियां आदि हैं	 15.83% 31.67%
7 7(क) 7(ख)	**मोटरयान (एनईएसडी)** मोटरसाइकिल, स्कूटर एवं अन्य मोपेड मोटर बसें, मोटर लॉरी और भाटक पर उन्हें चलाने के कारबार से भिन्न मोटर कारें	 9.50% 11.88%

सिवाय उन आस्तियों के संबंध में जिनके लिए कोई अतिरिक्त शिफ्ट अवक्षयण (एनईएसडी) अनुज्ञात नहीं है जैसाकि उपदर्शित किया गया है, यदि किसी आस्ति का उपयोग वर्ष के दौरान किसी भी समय दोहरी शिफ्ट के लिए किया जाता है तो अवक्षयण उस अवधि के लिए 50 प्रतिशत बढ़ जाएगा और तिहरी शिफ्ट के लिए अवक्षयण की संगणना उस अवधि के लिए 100 प्रतिशत के आधार पर की जाएगी।

(ग) 5,000 रुपए या उससे कम लागत की संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर और मोबाइल फोन का क्रय वर्ष में पूर्णतः अवक्षयण किया जाता है।

(घ) पट्टाधृत भवन का अपाकरण पट्टे की अवधि के दौरान या विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान या उसकी संगणना कंपनी द्वारा अंगीकृत दरों पर की जाती है, इनमें से जो भी लघु हो। परपेच्युअल पट्टे के अधीन धृत भूमि का अपाकरण नहीं किया जा रहा है और उसे लागत के आधार पर अग्रनीत किया जाता है।

8. कर्मचारी फायदे

(i) लघु अवधि कर्मचारी फायदों को वर्ष के जिसमें संबंधित सेवा दी गई है के लाभ और हानि विवरण में गैर रियायती रकम पर एक व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

(ii) सेवानिवृत्ति उपरांत और अन्य दीर्घावधि कर्मचारी फायदों को उस वर्ष की लाभ और हानि विवरण में जिसमें कर्मचारी ने सेवा दी है एक व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है। व्यय को संदेय रकम के विद्यमान मूल्य पर मान्यता दी जाती है जिसे वास्तविक मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके अवधारित किया जाता है। सेवानिवृत्ति के उपरांत और अन्य दीर्घावधि फायदों के संबंध में वास्तविक लाभ और हानि को लाभ और हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है।

9. उपबंध, आकस्मिक दायित्व और आकस्मिक आस्तियां

उपबंधों को तब मान्यता दी जाती है जब कंपनी की किसी पूर्व घटना के परिणामस्वरूप बाध्यता हो और यह संभावना हो कि बाध्यता को निपटाने के लिए संसाधनों के ओवरफ्लो की अपेक्षा होगी और जिसके लिए एक विश्वसनीय आकलन किया जा सकता है। उपबंधों को उनके वर्तमान मूल्य पर रियायत नहीं दी जाती है और उनका अभिधारण तुलनपत्र की तारीख को बाध्यता का निपटान करने के लिए सर्वोत्तम आकलनों के आधार पर किया जाता है। प्रत्येक तुलनपत्र की तारीख को उपबंधों का पुनरीक्षण किया जाता है और चालू सर्वोत्तम आकलनों को उपदर्शित करने के लिए समायोजित किया जाता है। किसी आकस्मिक दायित्व का प्रकटन किया जाता है जब तक कि आर्थिक फायदों को मूर्त रूप देने के लिए संसाधनों के ओवरफ्लो की संभावना सुदूर न

हो। आकस्मिक दायित्वों को न तो मान्यता दी जाती है, न ही उनका वित्तीय विवरणों में प्रकटन किया जाता है।

10. संदेहस्पद ऋणों/उधारों और अग्रिमों के लिए उपबंध

भारत सरकार के विभागों और पीएसई ग्राहकों से संबंधित बंद हो गई परियोजनाओं में व्यापार प्राप्य/ऋणों और अग्रिमों की रकम को लेनदारों/ऋणों/अग्रिमों को जिस वर्ष वह देय होते हैं से 10 वर्ष तक प्राप्त करने के लिए अच्छा समझा जाता है। इन ऋणों को प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास किया जाता है जब तक कि ग्राहक के साथ अंतिम निपटान न किया जाए या माध्यस्थम अधिकरण/न्यायालय द्वारा विवाद के मामले में निर्णय न दे दिया जाए। संदेहस्पद ऋणों/उधारों और अग्रिमों से परियोजना के आधार पर शुद्ध प्राप्ति के लिए के लिए प्रबंधन के अनुभव/निर्धारण/पूर्ववर्ती अनुभव के आधार पर आवश्यक उपबंध किए जाते हैं यदि 10 वर्ष से अधिक से बकाया हैं। व्यापार प्राप्य/ऋणों और अग्रिमों को तब बट्टे खाते में डाल दिया जाता है जब उनकी वसूली न की जा सकती हो।

11. खंड रिपोर्टिंग

परियोजनाओं की भौगोलिक अवस्थिति के आधार पर कंपनी ने दो प्रारंभिक रिपोर्टिंग खंडों अर्थात घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय की पहचान की है।

12. आस्तियों का क्षीण हो जाना

प्रत्येक तुलनपत्र की तारीख को कंपनी की आस्तियां चाहे इस बात का कोई संकेत हो कि आस्तियां क्षीण हो गई हैं। यदि ऐसा कोई संकेत विद्यमान है तो कंपनी आस्तियों की वसूलनीय रकम का आकलन करती है। यदि आस्ति की ऐसी वसूलनीय रकम या रोकड़ सृजित करने वाली इकाई जिसकी आस्ति है से वसूली योग्य रकम उसकी चल रही रकम से कम है तो चल रही रकम को वसूलीय रकम से घटा दिया जाता है और कटौती को क्षीणता नुकसान माना जाता है और लाभ और हानि लेखे में इसको मान्यता दी जाती है। यदि तुलनपत्र की तारीख को यह संकेत हो कि पूर्व में निर्धारित क्षीणता नुकसान अब विद्यमान नहीं है तो वसूलनीय रकम का पुनःनिर्धारण किया जाता है और आस्ति को वसूलीय रकम में अधिकतम अवक्षयित ऐतिहासिक लागत की शर्त के अधीन रहते हुए, उपदर्शित किया जाता है और तदनुसार, लाभ और हानि लेखे में उसे विलोमतः कर दिया जाता है।

13. कराधान

वर्ष में कर के लिए उपबंध में आय–कर अधिनियम, 1961 की धारा 115 जेबी के उपबंधों के अनुसरण में संगणित संदेय बही खाता लाभ या अवधि के लिए करादेय आय के संबंध में संदेय कर की रकम को अवधारित चालू आय–कर आकलन शामिल हैं और अस्थिगित कर वह अस्थायी समय विभेद का कर प्रभाव है जो करादेय और लेखांकन आय को दर्शाता है जो एक अवधि में उदभूत होती है और पश्चातवर्ती एक या अधिक अवधियों में जो विलोमतः होने के लिए सक्षम है और जिसकी संगणना सुसंगत घरेलू कर विधियों के अनुसार की जाती है।

अस्थगित कर की गणना कर दरों और तुलनपत्र की तारीख को अधिनियमित कर विधियों या पश्चातवर्ती अधिनियमित कर विधियों के आधार पर की जाती है। अस्थगित कर आस्तियों को मान्यता उस सीमा तक दी जाती है जिसकी युक्तियुक्त निश्चितता है कि भविष्य में करादेय पर्याप्त आय ऐसी अस्थगित कर आस्तियों के विरूद्ध उपलब्ध होगी जिसको वसूला जा सकेगा। अग्रनीत हानियों और अवशोषित अक्षयण के संबंध में आस्थगित कर आस्तियों को उस सीमा तक मान्यता दी जाती है जिस तक यह अभासी निश्चितता है कि पर्याप्त

भावी करादेय आय उपलब्ध होगी जिससे ऐसी अस्थगित कर आस्तियों को वसूला जा सकेगा।

कर विधियों के अनुसार संदत्त न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी), जो भावी आय–कर दायित्व के समायोजन के रूप में भावी आर्थिक फायदे देता है को एक आस्ति माना जाता है यदि इस बात का विश्वसनीय साक्ष्य हो कि कंपनी भविष्य में अपना साधारण कर संदत्त करेगी। कंपनी इसका प्रत्येक तुलनपत्र की तारीख को पुनरीक्षण करती है और उस सीमा तक एमएटी प्रत्यय पात्रता की अग्रनीत रकम को लिखती है जिस सीमा तक इस बात का और विश्वासदायक साक्ष्य नहीं है कि कंपनी उस प्रत्यय का उपयोग विनिर्दिष्ट अवधि में करने में सफल होगी।

14. पट्टा

प्रचालित पट्टों के अधीन पट्टा संदायों को मान्यता व्यय के रूप में लाभ और हानि लेखे में सीधे रेखा आधार पर पट्टा निबंधन पर दी जाती है।

15. प्रति शेयर अर्जन

प्रति शेयर आधारिक अर्जन की संगणना साम्या शेयरधारकों (अधिरोपणीय करों की कटौती करने के पश्चात) से संबंधित अवधि के लिए शुद्ध लाभ या हानि की अवधि के दौरान बकाया साम्या शेयरों की भारित संख्या से भाग करके की जाती है।

प्रति शेयर कम होते अर्जन की संगणना करने के प्रयोजन के लिए शेयरधारिकों से संबंधित अवधि के लिए शुद्ध लाभ या हानि अवधि के दौरान बकाया शेयरों की भारित संख्या को कम होते संभावित साम्या शेयरों के प्रभाव के लिए समायोजित कर दिया जाता है।

16. पूर्वावधि मदें और पूर्व संदत्त व्यय

पूर्वावधि से संबंधित व्यय/आय और पूर्व संदत्त व्यय जो प्रत्येक मामले में 50,000 रुपए से अधिक नहीं हैं का चालू वर्ष के व्यय/आय के रूप में उपचार किया जाता है।

17. निगम कार्यालय उपरी शीर्ष आवंटन

वेतन और उससे संबंधित लागत से संबंधित निगम/मुख्यालय उपरी शीर्ष का ईपीआई के कुल टर्नओवर के अनुपात में ओमान परियोजना को टर्नओवर के अनुपात में आवंटन कर दिया गया है।

टिप्पण सं. 2.1

(रकम रुपए में)

शेयर पूंजी	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार
प्राधिकृत 10/-रुपए प्रत्येक के संदत्त 909404600 साम्या शेयर	**9,09,40,46,000**	9,09,40,46,000
(पूर्व वर्ष 10/-रुपए प्रत्येक के संदत्त 90,94,04,600 पूर्णतया संदत्त साम्या शेयर) **जारी अंशधृत और पूर्णतया संदत्त** 10/-रुपए के प्रत्येक 3,54,22,688 साम्या शेयर (पूर्व वर्ष 10/-रुपए के प्रत्येक के संदत्त 3,54,22,688 पूर्णतया संदत्त साम्या शेयर)	**35,42,26,880**	35,42,26,880
योग	**35,42,26,880**	35,42,26,880

टिप्पण 2.1 (क)

बकाया शेयरों की संख्या का पुनः समायोजन	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार
	संख्या	संख्या
वर्ष के प्रारंभ में	**3,54,22,688**	3,54,22,688
वर्ष के अंत में	**3,54,22,688**	3,54,22,688

टिप्पण 2.1 (ख)

5% से अधिक प्रत्येक शेयरधारक द्वारा धृत शेयरों की संख्या	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार	
	शेयरों की संख्या	प्रतिशत धृति	शेयरों की संख्या	प्रतिशत धृति
भारत का राष्ट्रपति	**3,54,15,677**	**99.98**	3,54,15,677	99.98

टिप्पण सं. 2.2

(रकम रुपए में)

आरक्षित एवं अधिशेष	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार
क) पूंजी आरक्षिति		
वर्ष के प्रारंभ में और अंत में शेष	**2,10,020**	2,10,020
ख) साधारण आरक्षिति		
वर्ष के प्रारंभ में शेष	**21,15,00,000**	21,15,00,000
जोड़ें : वर्ष के दौरान वर्धन	–	–
वर्ष के अंत में शेष	**21,15,00,000**	21,15,00,000
ग) लाभ और हानि के विवरण में अधिशेष		
वर्ष के प्रारंभ में शेष	**1,740,746,473**	1,739,392,577
जोड़ें : वर्ष के लिए लाभ/(हानि)	**(330,250,357)**	1,353,896
	–	–
घटाएं : संदत्त लाभांश*	–	–
घटाएं : लाभांश वितरण कर*	–	–
वर्ष के अंत में शेष	**1,410,496,116**	1,740,746,473
योग(क+ख+ग)	**1,622,206,136**	1,952,456,493

* कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (लेखांकन मानक) ने संशोधन नियम 2016 (सा. का.नि 364(अ) तारीख 30 मार्च 2016 को अधिसूचित करते हुए लेखांकन मानक (एएस) –4 आकास्मिक्ताएं और तुलन पत्र तारीख के पश्चात होने वाली घटनाएं को संशोधित किया है। संशोधित लेखाकन मानक एएस –4 का पैरा 14 उपबंध करता है कि यदि लाभांश की घोषणा तुलन पत्र की तारीख के पश्चात की जाती है तब ऐसे लाभांश को तुलन पत्र की तारीख को दायित्व के रूप में मान्यता नहीं दी जाती है क्योंकि उस तारीख को कोई बाध्यता विद्यामान नहीं थी।

यद्यपि, ईपीआई ने विनिधान और लोक आस्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) को अपर्याप्त वितरण योग्य लाभांश के कारण वित्त वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 के लिए लाभांश का संदाय करने से छूट प्रदान करने का आवेदन किया है। जैसा कि डीआईपीएएमके साथ चर्चा की गई है उन्होंने वित्त वर्ष 2017–18 और एवं वित्त वर्ष 2018–19 के लिए लाभांश का संदाय करने से छूट प्रदान कर दी है और यह अनुमोदन की प्रक्रिया के अधीन है।

टिप्पण सं. 2.3

(रकम रुपए में)

अन्य दीर्घावधि दायित्व	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार
व्यापार संदेय		
– सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम*	**–**	–
– अन्य	**1,174,000,042**	1,039,353,069
अन्य दायित्व,		
– प्रतिभूति जमा एवं प्रतिधारण धन#	**3,043,694,345**	2,164,649,278
– ग्राहक से प्राप्त अग्रिम	**338,674,080**	839,154,599
– ग्राहक को संदेय अन्य	**14,085,298**	30,887,869
योग	**4,570,453,765**	4,074,044,815

*सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 22 के निबंधनों में इन उपक्रमों को देंय रकम का प्रकटन किए जाने की अपेक्षा है। इन उपक्रमों से अधिनियम के अधीन रजिस्ट्री कृत होने की अपेक्षा है। अधिकांश विक्रेताओं से उनके रजिस्ट्रीकरण के संबंध में सुसंगत सूचना की अनुपस्थिति में अपेक्षित सूचना का उचित रूप से पता नहीं लगाया जा सकता है।

ईपीआईएल द्वारा मयांमार परियोजना में सीएंडसी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के निमित्त ईपीआईएल द्वारा बैंक प्रतिभूति के बदले 45.54 करोड रुपए में 10.12 करोड रुपए की रकम सम्मलित है और शेष को ओमान में किए गए कार्य के स्थान पर प्राप्त किया गया है।

टिप्पण सं. 2.4

(रकम रुपए में)

दीर्घावधि दायित्व	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार
कर्मचारी फायदा :		
–छुट्टी नकदीकरण	**125,702,577**	107,913,131
–दीर्घ सेवा पुरस्कार	**1,386,608**	2,382,554
–पश्च सेवानिवृत्ति चिकित्सा फायदे	**167,744,878**	163,997,811
–पश्च सेवानिवृत्ति यात्रा भत्ता	**284,173**	247,530
योग	**295,118,236**	274,541,026

टिप्पण सं. 2.5

(रकम रुपए में)

लघु अवधि उधार	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार
व्यापार संदेय		
–बैंक से मांग किए जाने पर संदेय ऋण #	**89,050,000**	-
अप्रतिभूत		
–बैंक से मांग किए जाने पर संदेय ऋण *	**499,496,889**	-
योग	**588,546,889**	-

कंपनी की कार्यशील पूंजी की अपेक्षा को पूरा करने के लिए 26,50,00,000 करोड रुपए ग्राहक के नियत जमा के विरुद्ध ओवरड्राफ्ट के लिए 8,90,50,000 रुपए (पूर्व वर्ष शून्य) की रकम (अर्थात ग्राहक के जमा धन में से)

*आईओबी दिल्ली के पास निधि आधारित सीमा के विरुद्ध स्वच्छ नकद प्रत्यय के लिए 49,94,96,889 रुपए (पूर्व वर्ष शून्य) के लिए रकम

टिप्पण सं. 2.6

(रकम रुपए में)

व्यापार संदेय	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार
व्यापार संदेय		
–सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रम *	**18,257,846**	5,761,885
–सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रमों से भिन्न	**4,931,163,187**	4,945,186,136
योग	**4,949,421,033**	4,950,948,021

* सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 22 के निबंधनों में इन उपक्रमों को देंय रकम का प्रकटन किए जाने की अपेक्षा है। इन उपक्रमों से अधिनियम के अधीन रजिस्ट्री कृत होने की अपेक्षा है। अधिकांश विक्रेताओं से उनके रजिस्ट्रीकरण के संबंध में सुसंगत सूचना की अनुपस्थिति में अपेक्षित सूचना का उचित रूप से पता नहीं लगाया जा सकता है। कंपनी के पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर वर्ष के अंत में 1,82,57,846 लाख रुपए (पूर्व वर्ष 57,61,885 लाख रुपए) सूक्ष्म लघु और मध्यम उपक्रमों को संदेय थे। वर्ष के लिए ब्याज की कोई रकम संदेय नहीं थी।

टिप्पण सं. 2.7

(रकम रुपए में)

अन्य चालू दायित्व	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार
ग्राहकों से अग्रिम	**3,734,424,661**	4,933,436,805
संदेय प्रतिभूति, प्रतिधारण और जमा	**611,076,884**	1,282,461,874
बकाया दायित्व	**100,186,554**	44,772,826
अन्य को संदेय रकम	**52,570,000**	91,982,646
संकर्म के लिए अग्रिम राजस्व	**886,920,666**	790,983,769
कर्मचारियों को संदेय*	**10,760,979**	11,657,987
कानूनी दायित्व	**256,895,910**	291,239,636
योग	**5,652,835,654**	7,446,535,543

* 31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए कार्यनिष्पादन संबंधी वेतन की 38,71,654 रुपए (पूर्व वर्ष 44,64,159 रुपए) रकम कतिपय कर्मचारियों को जारी करने के लिए लंबित है।

टिप्पण सं. 2.8

(रकम रुपए में)

लघु अवधि उपबंध	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार
संभावित हानि के लिए उपबंध	**137,547,903**	45,660,155
(भारतीय लेखांकन मानक 7 के अनुसार)		
आयकर के लिए उपबंध (विदेशी)	**43,430,628**	60,410,958
वेतन पुनरीक्षण के लिए उपबंध (3पीआरसी)#	**73,579,750**	54,303,797
कर्मचारी फायदा		
–छुट्टी नकदीकरण	**24,920,423**	21,273,786
–उपदान	**2,915,902**	67,802,518
–दीर्घ सेवा पुरस्कार	**477,220**	683,721
–पश्च सेवानिवृत्ति चिकित्सा फायदे	**17,301,763**	12,057,814
–पश्च सेवानिवृत्ति यात्रा भत्ता	**71,896**	49,348
योग	**300,245,485**	262,242,097

1 जनवरी 2017 से वेतन पुनरीक्षण (तीसरा पीआरसी)के संबंध में मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसरण में वित्त वर्ष वर्ष 2018–19 के दौरान लेखा बहियों में 1,92,75,953 (पूर्व वर्ष 3,68,03,79 7) रुपए का उपबंध किया गया है। 31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार संचित उपबंध 7,35,79,750 रुपए (पूर्व वर्ष 5,43,03,797 रुपए 31 मार्च 2018) है।

टिप्पण सं. 2.9 (i)

31.03.2019 की स्थिति के अनुसार संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर विवरण

(रकम रुपए में)

विवरण	समग्र खंड				अवक्षयण / अपाकरण				शुद्ध ब्लाक	
	अति शेष	वर्धन	विक्रय / बट्टे खाते में डाला गया	योग	अति शेष	वर्ष के दौरान	विक्रय/बट्टे खाते में डाला गया	योग	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर										
फ्री होल्ड भूमि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
पट्टा धृत भूमि	1,615,856			**1,615,856**	315,792	16,322		**332,114**	**1,283,742**	1,300,064
भवन फ्री होल्ड	4,687,325	-		**4,687,325**	2,685,926	95,297		**2,781,223**	**1,906,102**	2,001,399
पट्टा धृत भवन*	66,712,979			**66,712,979**	25,201,670	1,277,666		**26,479,336**	**40,233,643**	41,511,309
कम्प्यूटर और उपस्कर	48,600,852	814,922	615,080	**48,800,694**	41,009,956	3,101,781	527,369	**43,584,368**	**5,216,326**	7,590,896
कार्यालय और अन्य उपस्कर	25,059,725	760,707	313,371	**25,507,061**	19,113,829	2,338,858	363,403	**21,089,284**	**4,417,777**	5,945,896
संनिर्माण उपस्कर	62,640,644	-		**62,640,644**	44,932,835	1,858,776	(3)	**46,791,614**	**15,849,030**	17,707,809
फर्नीचर एवं सज्जा	27,219,695	214,382	627,886	**26,806,191**	16,248,159	1,742,714	411,184	**17,579,689**	**9,226,502**	10,971,536
वाहन	7,421,984		216,069	**7,205,915**	4,577,941	632,801	205,300	**5,005,442**	**2,200,473**	2,844,043
योग	**243,959,060**	**1,790,011**	**1,772,406**	**243,976,665**	**154,086,108**	**11,064,215**	**1,507,253**	**163,643,070**	**80,333,595**	89,872,952
पूर्व वर्ष	240,108,971	7,940,623	4,090,534	**243,959,060**	145,889,440	12,079,744	3,883,076	**154,086,108**	**89,872,952**	-

* स्कोप परिसर, नई दिल्ली में भवन के संबंध में कनवेंस विलेख में 3,74,41,925 रुपए (पूर्व वर्ष 3,74,41,925 रुपए) की लागत पर कंपनी के नाम से निष्पादन के लिए नियत आस्तियां लंबित हैं।

टिप्पण सं. 2.9(ii)

31.03.2019 की स्थिति के अनुसार अमूर्त आस्तियां

विवरण	समग्र खंड				अवक्षयण / अपाकरण				शुद्ध ब्लाक	
	अति शेष	वर्धन	विक्रय / बट्टे खाते में डाला गया	योग	अति शेष	वर्ष के दौरान	विक्रय/बट्टे खाते में डाला गया	योग	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
अमूर्त आस्तियां										
सॉफ्टवेयर (अर्जित)	17,796,157	4,445,256	31,930	**22,209,483**	11,755,584	7,899,362	30,450	**19,624,496**	**2,584,987**	6,040,573
योग	**17,796,157**	**4,445,256**	**31,930**	**22,209,483**	**11,755,584**	**7,899,362**	**30,450**	**19,624,496**	**2,584,987**	6,040,573
पूर्व वर्ष	13,803,752	4,232,331	239,926	**17,796,157**	8,593,695	3,388,131	226,242	**11,755,584**	**6,040,573**	-

टिप्पण सं. 2.10

(रकम रुपए में)

आस्थगित कर आस्तियां (शुद्ध)*	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार
नियत आस्तियों पर अवक्षयण	**(6,069,040)**	(8,336,100)
संदेहस्पद ऋणों के लिए उपबंध	**109,732,306**	112,078,286
कर्मचारी फायदे के लिए उपबंध (एएस–15)	**46,911,664**	39,846,958
अन्य जो अनुज्ञात नहीं किया गया	**45,925,001**	15,249,195
योग	**196,499,931**	158,838,339

*डीटीए की संगणना करने के लिए उपायोजित कर दर 33.384% है (आय–कर 30%, अधिभार 7%, स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर 4% है।)

टिप्पण सं. 2.11

(रकम रुपए में)

दीर्घावधि ऋण और अग्रिम	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार	
(अप्रत्याभूत, अच्छा समझा गया जब तक कि अन्यथा कथित नहीं है)				
संकर्म के लिए अग्रिम :				
–बीजी के विरुद्ध लिया गया स्थलीकरण अग्रिम	**144,721,483**		436,566,985	
–सामग्री के विरुद्ध लिया गया	**5,994,952**		-	
–अन्य अग्रिम	**186,327,335**		162,533,540	
अन्य अग्रिम जिन्हें संदेहस्पद समझा गया	**57,880,446**		57,880,446	
	394,924,216		656,980,971	
घटाएं –संदेहस्पद और खराब अग्रिम के लिए उपबंध	**57,880,446**	**337,043,770**	57,880,446	599,100,525
कर्मचारीवृंद उधार एवं अग्रिम		**1,294,643**		2,331,230
प्रतिभूति एवं प्रतिधारण राशि	**2,070,202,196**		1,458,625,096	
संदेहस्पद समझा गया	**85,312,179**		88,531,569	
	2,155,514,375		1,547,156,665	
घटाएं–संदेहस्पद और खराब वसूली के लिए अनुज्ञात	**85,312,179**	**2,070,202,196**	88,531,569	1,458,625,096
वसूलनीय अग्रिम कर/टीडीएस	**430,936,314**		557,675,160	
घटाएं–आयकर के लिए उपबंध से	**74,945,696**	**355,990,618**	269,798,903	287,876,257
अग्रिम कर (विदेशी)		**51,941,323**		51,941,323
एमएटी प्रत्यय (लेखांकन वर्ष 2018–19)		**-**		2,880,365
अप्रत्यक्ष कर (वसूलनीय, इनपुट कर प्रत्यय, अग्रिम)		**251,658,583**		147,927,724
योग		**3,068,131,133**		2,550,682,520

टिप्पण 2.12

(रकम रुपए में)

अन्य गैर–चालू आस्तियां	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार	
व्यापार प्राप्य				
अच्छा समझा गया अप्रत्यभूत	**601,357,993**		634,411,595	
संदेहस्पद समझा गया	**26,675,215**		69,939,383	**628,033,208**
	704,350,978			
घटाएं ; खराब एवं संदेहस्पद वसूलियां के लिए मोक	**26,675,215**	**601,357,993**	69,939,383	634,411,595
अन्य आस्तियां				
ग्राहकों, विक्रेताओं एवं अन्य से वसूलनीय	**2,012,209,093**		1,904,107,664	
संदेहस्पद समझा गया	**158,829,458**		119,373,159	
	2,171,038,551		2,023,480,823	
घटाएं ; खराब एवं संदेहस्पद वसूलनीय के लिए मोक	**158,829,458**	**2,012,209,093**	119,373,159	1,904,107,664
योग		**2,613,567,086**		2,538,519,259

टिप्पण सं. 2.13

(रकम रुपए में)

चालू विनिधान	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार
ईपीआई अर्बन इन्फ्रा डेवलपर्स लिमिटेड (अनुषंगी कंपनी) के 10 रुपए के 51,000 रुपए (पूर्व वर्ष 51,000 रुपए) के प्रत्येक पूर्णतः संदत्त शेयरों में विनिधान	**5,10,000**	5,10,000
घटाएं : विनिधान के के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान	**5,10,000**	5,10,000
योग	–	–

टिप्पण सं. 2.14

(रकम रुपए में)

मालसूचियां	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार
सामग्रियां :(लागत से निम्न या एनआरवी)		
–इस्पात	**1,836,355**	**9,261,365**
–सीमेंट	**40,798**	**1,862,625**
–पाइप तथा अन्य	**-**	**7,616,318**
योग	**1,877,153**	18,740,308

टिप्पण सं. 2.15

(रकम रुपए में)

व्यापार वसूलनीय	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार
(अच्छा समझा गया अप्रत्यतभूत जो निम्नलिखित के लिए बकाया है:–		
–छह माह से कम	**3,344,145,148**	3,517,500,639
–छह माह से अधिक	**127,393,552**	93,490,650
संदेहस्पद समझा गया	–	–
	3,471,538,700	3,610,991,289
घटाएं ; खराब एवं संदेहस्पद वसूलनीय के लिए मोक	–	–
योग	**3,471,538,700**	3,610,991,289

टिप्पण सं. 2.16 (i)

(रकम रुपए में)

नकद और नकद के समतुल्य	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार	
नकद और नकद के समतुल्य :				
बैंक में शेष				
–चालू खाते में*	**512,063,218**		990,057,946	
–नियम जमा (3 माह की परिपक्वता तक)**	**2,090,277,167**	**2,602,340,385**	2,520,724,209	3,510,782,155
हाथ में नकद		**15,205**		200,30
		2,602,355,590		3,510,982,464

टिप्पण सं. 2.16 (ii)

(रकम रुपए में)

नकद और बैंक शेष	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार
नियत जमा# (3 माह से अधिक परिपक्वता के साथ किंतु 12 माह से कम)	**29,545,665**	27,259,833
नियत जमा** (3 माह से अधिक परिपक्वता के साथ किंतु 12 माह से कम)	**757,900,000**	383,685,876
योग	**787,445,665**	410,945,709

*चालू खाते में ग्राहक के निमित 33,09,96,373 रुपए (पूर्ववर्ती वर्ष 49,98,89,671 रुपए) जमा के रूप में रखा गया है।

**चालू खाते में ग्राहक के निमित 2,74,52,06,575 रुपए (पूर्ववर्ती वर्ष 2,75,29,18,432 रुपए) जमा के रूप में रखा गया है। उपरोक्त नियत जमा कि शेष रकम जो 2,09,02,77,167 रुपए है (पूर्ववर्ती वर्ष 2,52,07,24,209), 26,50,00,000 (पूर्व वर्ष शून्य) को देना बैंक से लिए गए ओवरड्राफ्ट के विरुद्ध गिरवी रखा गया है।

31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार कंपनी ने 2,95,45,665 रुपए (पूर्व वर्ष 2,72,59,833 रुपए) की नियत आस्तियों को ग्राहकों/अन्य के पास धरोहर राशि जमा/प्रतिभूति जमा के लेखे गिरवी रखा है जिसमें से ग्राहक को प्रस्तुत नियत जमा 71,96,747 रुपए (पूर्व वर्ष 67,61,378 रुपए) विवादाधीन है, यह मामला न्यायालय में है।

टिप्पण सं. 2.17

(रकम रुपए में)

लघु अवधि ऋण एवं अग्रिम	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार	
(अप्रत्याभूत अच्छा समझा गया सिवाय अन्यथा कथन के)				
कार्य के लिए अग्रिम :	–		–	
–बीजी के विरुद्ध कार्य के लिए प्राप्त किया गया अग्रिम	**1,007,035,682**		1,618,728,799	
–सामग्री के विरुद्ध प्राप्त किया गया	**89,750,314**		133,290,238	
–अन्य अग्रिम	**32,396,110**	**1,129,182,106**	69,832,289	1,821,851,326
अप्रत्यक्ष कर (वसूलनीय अप्रत्यक्ष कर प्रत्यय, अग्रिम)		**428,503,605**		465,497,580
कर्मचारीवृंद ऋण एवं अग्रिम*		**2,603,222**		3,651,806
प्राप्य प्रतिभूति प्रतिधारण एवं धरोहर धन		**343,447,958**		767,685,485
योग		**1,903,736,891**		3,058,686,197

टिप्पण सं. 2.18

(रकम रुपए में)

अन्य चालू आस्तियां	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार
उद्भूत ब्याज किंतु बैंक जमा में शोध्य नहीं	**23,664,164**	39,316,143
पूर्व संदत्त व्यय	**67,757,570**	87,267,847
ग्राहकों, विक्रेताओं एवं अन्य से वसूलनीय	**1,010,271,118**	1,102,134,755
अनुषंगी कंपनी से वसूलनीय	**213,131**	47,871
राजस्व जिसका बिल नहीं बनाया गया है।	**2,503,077,364**	2,131,928,649
योग	**3,604,983,347**	3,360,695,265

टिप्पण सं. 2.19

(रकम रुपए में)

प्रचालनों से राजस्व	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार
किए गए कार्य का मूल्य	**17,896,705,983**	16,071,439,585
अन्य प्रचालन आय (पूर्वावधि)	**13,780,821**	2,658,922
योग	**17,910,486,804**	16,074,098,507

टिप्पण सं. 2.20

(रकम रुपए में)

अन्य आय	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार	
निम्नलिखित से अर्जित ब्याज आयः				
बैंक में जमा	**7,336,407**		12,872,589	
कर्मचारीवृंद अग्रिम	**134,608**		226,098	
अन्य (उप–ठेकेदारों / ग्राहक / आयकर प्रतिदाय)	**19,031,280**	**26,502,295**	61,287,080	74,385,767
अन्य गैर–प्रचालन आय				
खर्च न किया गया दायित्व / बट्टे खाते में डाला गया शेष	**5,859,771**		8,473,850	
प्रकीर्ण आय	**14,947,974**		19,951,449	
अग्रिम एएस 7 के अनुसार संभावित हानि के लिए उपबंध को विलोम करना	**4,441,131**	**25,248,876**	49,868,122	78,293,421
योग		**51,751,171**		**152,679,188**

टिप्पण सं. 2.21

(रकम रुपए में)

प्रचालन व्यय	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार
सिविल, मैकेनिकल और वैद्युत कार्य	**16,958,143,053**	14,895,069,195
डिजाइन और सलाहकारी प्रभार	**33,825,832**	58,423,775
अन्य प्रत्यक्ष व्यय	**65,390,002**	58,683,273
(लेखांकन मानक 7) के अनुसार भावी नुकसान के लिए उपबंध	**98,175,271**	-
संदत्त दावे	**10,359,904**	2,056,189
राजस्व	**1,244,304**	461,850
योग	**17,167,138,366**	15,014,694,282

टिप्पण सं. 2.22

(रकम रुपए में)

कर्मचारी पारिश्रमिक और फायदे	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार
वेतन और भत्ते#	**590,215,570**	594,862,128
भविष्य निधि एवं अन्य निधियों में अंशदान $	**46,643,701**	108,560,788
कर्मचारी कल्याण व्यय*	**125,195,106**	81,792,850
योग	**762,054,377**	785,215,766

वेतन एवं भत्तों में 1,92,75,953 रुपए (पूर्व वर्ष 3,68,03,797 रूपए) का उपबंध सम्मिलित है जो वेतन पुनरीक्षण के कारण सृजित किया गया है (तीसरा पीआरसी)

$ इसमें भविष्य निधि न्यास के कारण 25,27,384 रुपए (पूर्व वर्ष 45,915 रुपए) के ब्याज की कमी के कारण सम्मिलित हैं।

* इसके अंतर्गत चिकित्सा व्यय, छुट्टी नकदी करण दीर्घावधि सेवा पुरस्कार और अन्य कर्मचारी कल्याण व्यय सम्मिलित हैं।

टिप्पण संख्या 2.23

(रकम रुपए में)

वित्तीय लागत	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार
निम्नलिखित को संदत्त ब्याजः		
– बैंक	**20,340,248**	3,982,232
– अन्य	**29,807,733**	44,588,132
योग	**50,147,981**	48,570,364

टिप्पण सं. 2.24

(रकम रुपए में)

अन्य व्यय	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार
मुद्रण एवं लेखन सामग्री	6,711,723	8,434,043
दर और कर	6,177,667	5,901,778
डाक व्यय और दूरसंचार	11,024,430	13,497,727
मरम्मत एवं अनुरक्षण		
कार्यालय	32,990,096	35,368,297
भवन	7,652,920	1,463,237
अन्य नियत आस्तियां	81,952	107,577
जल, विद्युत एवं ईंधन प्रभार	9,577,721	11,597,149
निविदा व्यय	1,800,587	1,475,897
विज्ञापन एवं प्रचार	2,505,878	6,736,146
विधिक और व्यावसायिक प्रभार	1,006,904	5,051,458
संविदा पर परामर्श	3,210,927	4,108,134
बीमा	41,08,134	28,79,050
मनोरंजन	1,237,767	1,461,336
बैंक प्रभार	10,458,446	13,121,324
वाहन चलाना एवं अनुरक्षण	1,910,302	2,679,674
जनशक्ति विकास	1,940,515	138,182
नियत आस्तियों की बिक्री पर हानि	75,104	109,501
प्रायोक्ता फीस	-	115,000
यात्रा एवं अन्य अनुषंगी व्यय (घरेलू)$	58,058,083	67,527,190
यात्रा एवं अन्य अनुषंगी व्यय (विदेश)	4,904,064	4,616,831
सीएसआर एवं भरणीयता*	-	48,000
लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक@	1,818,210	1,665,163
कारबार संवर्धन	2,844,365	49,903,818
कार्यालय भाटक	12,012,390	11,419,024
कम्प्यूटर व्यय	5,843,168	4,187,130
सदस्यता एवं अंशदान फीस	168,290	307,762
फाइलिंग एवं रजिस्ट्रीकरण फीस	747,996	37,555
संदेहस्पद ऋणों, उधारों एवं अग्रिमों के लिए	46,981,270	41,301,295
संदेहस्पद वसूली के लिए बट्टे खाते में डाली गई रकम	583,160	2,946,497
अनुषंगी कंपनी में विनिधान के लिए उपबंध	583,160	2,946,497
विदेशी मुद्रा में परिवर्तन (लाभ)/हानि	(8,076,745)	(11,133,710)
प्रकीर्ण व्यय	3,977,425	11,378,641
योग	259,543,142	326,710,361

$ यात्रा और अन्य अनुषंगीव्ययों में स्थल पर कठोर जीवनयापन व्यय के 68,00,684 रुपए (पूर्ववर्ती वर्ष 80,62,540 रुपए) और निदेशकों के यात्रा व्यय 21,60,754/—रुपए(पूर्व वर्ष 21,17,309/—रूपए)

* कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के उपबंधों के अनुसरण में, कोई कंपनी जो लागू होने के सीमा को पूरा करती है से निगम सामाजिक उत्तरदायित्व पर तीन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2 प्रतिशत को व्यय करने की अपेक्षा है। वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा निगम सामाजिक उत्तरदायित्व पर 1,33,000 रुपए (पूर्व वर्षों के बजट से अग्रणीत रकम) को व्यय करने की अपेक्षा है। वर्ष के दौरान संनिर्माण/आस्तियों के अर्जन से भिन्न प्रयोजनों पर वास्तविक रूप में खर्च की गई रकम शून्य रूपए है

@लेखा परीक्षकों की संदाय के ब्यौरें:

(रकम रुपए में)

लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार
लेखापरीक्षा फीस#	**1,449,518**	1,259,375
कर लेखापरीक्षा#	**320,692**	293,088
अन्य सेवाएं (प्रमाणन फीस)	**48,000**	102,600
अन्य लागत	**-**	10,100
योग	**1,818,210**	1,665,163

जिसमें जीएसटी सम्मलित नहीं है (पूर्व वर्ष के आंकडों में सेवा कर सम्मलित है)

टिप्पण सं. 2.25

(रकम रुपए में)

पूर्व अवधि समायोजन (शुद्ध)	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार
आय		
प्रचालन आय	–	–
अन्य आय	**1,581,792**	–
घटाएं : व्यय		
प्रचालन व्यय	**999,046**	16,692,000
कर्मचारी पारिश्रमिक और फायदे	–	–
अवक्षयण	–	–
अन्य	**1,229,603**	2,295,494
योग	**(646,857)**	(18,987,494)

टिप्पण सं. 2.26

(रकम रुपए में)

	आकस्मिक दायित्व	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार
1	**विधिक और माध्यस्थम की बावत**		
क	अधिनिर्णयन के लिए लंबित दावे, उसके लिए रकम तब ली गई है जब युक्तियुक्त रूप से उसका पता लगाया जा सके।*	**4,65,45,33,142**	3,40,41,18,879
ख	उन मामलों के संबंध में जहां पंचाट कंपनी के पक्ष में प्रकाशित किया गया है किन्तु प्रतिपक्ष ने अपील कर दी है।*	**60,97,00,996**	18,33,39,791
2	विवाद/अपीलों के अधीन पूरे किए गए निर्धारणों के संबंध में विक्रय कर/संकर्म संविदा कर/सेवा कर की मांग के संबंध में।	**50,02,42,916**	47,85,53,255
3.	ग्राहक के निमित्त जारी की गई प्रतिभूतियों के संबंध में	**1,42,54,453**	1,42,54,453

* पूर्वोक्त के विरूद्ध कंपनी के प्रतिस्थानी दावे हैं

पूर्वोक्त विवादित मांग के विरुद्ध कंपनी ने 45,11,772 रुपए जमा कर दिए हैं

टिप्पण सं. 2.27

ईआरपी के कार्यान्वयन के लेखे अमूर्त आस्तियों के विकास के लिए निष्पादित शेष संविदाओं की आकलित रकम 79,95,000 रुपए (पूर्व वर्ष 64,05,196 रुपए), है, जिसके लिए उपबंध नहीं किया गया है, और वर्ष 2018–19 में इस निमित्त 37,37,256 रुपए की रकम का पूंजीकरण किया गया है।

टिप्पण सं. 2.28

विदेशी मुद्रा में व्यय :

(रकम रुपए में)

क्रम सं.	विशिष्टियां	31.03.19 को समाप्त वर्ष	31.03.18 को समाप्त वर्ष
1	प्रचालन व्यय	**10,66,69,81,771**	7,38,58,20,302
2	व्यावसायिक एवं सलाह प्रभार	**13,53,103**	1,56,89,866
3	विदेशी मुद्रा में फेरफार नुकसान	**9,77,405**	77,779
4	नियत आस्तियों का क्रय	**4,31,636**	2,00,991
5	**प्रशासनिक एवं अन्य व्यय**	–	
क	यात्रा	**90,60,075**	1,12,29,660
ख	निविदा व्यय	**-**	38,916
ग	अन्य	**7,51,85,556**	5,14,23,150
	योग	**10,75,39,89,546**	7,46,44,80,664

विदेशी मुद्रा में अर्जनः

(रकम रुपए में)

क्रम सं.	विशिष्टियां	31.03.19 को समाप्त वर्ष	31.03.18 को समाप्त वर्ष
1	संकर्म प्राप्तियां	**11,16,14,95,122**	7,95,44,96,532
2	ब्याज से आय	**52,54,063**	6,74,734
3	विदेशी मुद्रा में परिवर्तन से लाभ	**90,54,150**	1,07,21,332
4	अन्य	**2,04,886**	40,15,006
	योग	**11,17,60,08,221**	7,96,99,07,604

वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान ओमान से प्राप्त विदेशी मुद्रा 56,30,90,474 रुपए जो 80,75,000 अमरीकी डालरों के बराबर है (पूर्ववर्ती वर्ष 43,01,98,234 रूपए जो 66,90,000 अमरीकी डालरों के बराबर है)।

टिप्पण सं. 2.29

क) कंपनी ने विभिन्न बैंकों से बिना किसी प्रतिभूति के 5,99,94,68,247 रुपए (पूर्ववर्ती वर्ष 7,13,75,06,067 रुपए) की गैर–निधि आधारित प्रत्यय सीमा का उपयोग किया है। बिना किसी सुरक्षा के विभिन्न बैंकों से 759,86,00,000 (पूर्ववर्ती वर्ष 962,80,10,485) की स्वीकृत सीमा के विरुद्ध। इसके अंतर्गत ईपीआई–सीएंडसी–जेवी द्वारा मयांमार में निष्पादन की जाने वाली परियोजना के लिए 75.90,00,000 रुपए सम्मलित हैं, इसके अंतर्गत अग्रणी भागीदार अर्थात् सीएंडसी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के निमित्त बैंक प्रतिभूति के बदले 45.54,00,000 रुपए और स्वयं के निमित्त 30.36,00,000 रुपए की रकम सम्मलित है ।

ख) ईपीआईएल द्वारा मयांमार परियोजना में सीएंडसी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के निमित्त ईपीआईएल द्वारा बैंक प्रतिभूति के बदले 45.54,00,000 रुपए में 10,12,36,194 रुपए की रकम प्राप्त की है और शेष को ओमान में किए गए कार्य के स्थान पर प्राप्त किया गया है।

टिप्पण सं. 2.30

लेखांकन मानक 17 के अनुसार प्रकटन

कंपनी ने दो प्रारंभिक खंडों की पहचान की है अर्थात घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय। तदनुसार, खंड सूचना नीचे दिए अनुसार है:

प्रारंभिक खंड सूचना (भौगोलिक)

(रकम रुपए में)

विशिष्टियां	चालू वर्ष				पूर्व वर्ष			
	घरेलू	अंतर्राष्ट्रीय	अन–आबंटित	योग	घरेलू	अंतर्राष्ट्रीय	अन–आबंटित	योग
कारोबार की किस्म	संनिर्माण				संनिर्माण			
प्रचालनों से राजस्व	6,74,89,91,682	11,16,14,95,122	-	17,91,04,86,804	8,11,96,01,975	7,95,44,96,532	-	16,07,40,98,507
अन्य–आय	3,46,45,247	54,58,949	1,16,46,975	5,17,51,171	13,45,89,467	46,89,740	1,33,99,981	15,26,79,188
कुल आय	**6,78,36,36,929**	**11,16,69,54,071**	**1,16,46,975**	**17,96,22,37,975**	**8,25,41,91,442**	**7,95,91,86,272**	**1,33,99,981**	**16,22,67,77,695**
परिणाम								
अवक्षयण, ब्याज और कर से पूर्व आय	(27,89,07,380)	24,64,12,177	(19,46,49,564)	(22,71,44,767)	7,48,85,635	42,11,63,853	(41,48,79,697)	8,11,69,791
ब्याज	1,72,11,612	-	3,29,36,369	5,01,47,981	4,46,16,614	3,350	39,50,400	4,85,70,364
अवक्षयण	59,79,738	7,84,710	1,21,99,129	1,89,63,577	63,46,411	7,69,907	83,51,557	1,54,67,875
प्रचालन को जारी रखने से कर से पूर्व ब्याज	(30,20,98,730)	24,56,27,467	(23,97,85,062)	(29,62,56,325)	2,39,22,610	42,03,90,596	(42,71,81,653)	1,71,31,553
प्रचालन को जारी रखने से कर के पश्चात लाभ	2,39,22,610	35,99,79,638	(38,25,48,352)	13,53,896	23,77,69,027	19,51,6,958	(23,03,40,540)	2,69,45,445
मूर्त और अमूर्त आस्तियों में वर्धन	(30,20,98,730)	20,21,96,839	(23,03,48,466)	(33,02,50,357)	2,39,22,610	35,99,79,638	(38,25,48,352)	13,53,896
अन्य सूचना	**31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार**				**31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार**			
कुल आस्तियां	11,53,77,77,338	5,06,41,31,070	1,73,11,45,670	18,33,30,54,078	11,60,32,84,923	5,43,25,60,618	2,27,91,49,334	19,31,49,94,875
संपत्ति, संयत्र और उपस्कर (अग्रणीत रकम)	2,77,06,446	35,05,394	5,17,06,742	8,29,18,582	3,26,75,756	41,22,197	5,91,15,572	9,59,13,525
कुल दायित्व	10,18,10,68,168	5,10,59,11,037	1,06,96,41,857	16,35,66,21,062	11,02,31,28,763	5,49,86,49,817	48,65,32,922	17,00,83,11,502

टिप्पण सं. 2.31

लेखांकन मानक 7, 'संनिर्माण संविदाएं' की अपेक्षाओं के अनुसरण में प्रकटन:

(रकम रुपए में)

क्रम सं.	विशिष्टियां	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार
1	प्रचालनों से राजस्व	**17,91,04,86,804**	16,07,40,98,507
2	रिपोर्ट की तारीख तक उपगत संविदा लागत और गणना में लिया गया लाभ	**1,11,30,58,86,681**	97,90,36,11,580
3	प्राप्त अग्रिम	**4,07,30,98,741**	5,77,25,91,404
4	संविदा संकर्म के लिए ग्राहकों से शोध्य, समग्र रकम – जिसे आस्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया है	**2,50,30,77,364**	2,13,19,28,649
5	संविदा संकर्म के लिए ग्राहकों को शोध्य समग्र रकम – जिसे दायित्व के रूप में प्रस्तुत किया गया है (अग्रिम राजस्व से कार्य)	**88,69,20,666**	79,09,83,769
6	प्राप्य प्रतिधारण धन	**2,00,83,98,466**	1,84,77,37,062

प्रबंधन ने निर्धारण किया है और पाया है कि आईसीएआई द्वारा जारी लेखाकन मानक–7 के अनुसार विभिन्न परियोजनाओं में संभावित हानि के लेखे 9,81,75,271 रुपए का नया उपबंध करने की अपेक्षा है। यद्यपि पूर्व वर्षों में संभावित हानि के लिए के गए 44,41,131 रुपए के उपबंध को विलोम कर दिया गया है।

टिप्पण सं. 2.32

लेखांकन मानक 15 की अपेक्षाओं के अनुसरण में कर्मचारी फायदों का ब्यौरा

i) परिभाषित फायदा बाध्यता में परिवर्तन

(रकम रुपए में)

विशिष्टियां	उपदान	दीर्घवधि अनुकम्पा अनुपस्थिति	दीर्घ सेवा पुरस्कार	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा फायदा	सेवानिवृत्ति उपरांत यात्रा भत्ता
	(वित्तपोषित)	(वित्तपोषित नहीं)	(वित्तपोषित नहीं)	(वित्तपोषित नहीं)	(वित्तपोषित नहीं)
छूट की दर	7.50% *(7.85%)*	7.50% *(7.85%)*	7.50% *(7.85%)*	7.80% *(7.85%)*	7.50% *(7.85%)*
प्रतिकर स्तरों में वृद्धि की दर/प्रीमियम मुद्रास्फीति/यात्रा लागत	5.00%	5.00%	-	0.50%	3.00%
आस्तियों पर रिटर्न की संभावित दर	7.50% *(7.85%)*	–	–	–	–
सेवानिवृत्ति आयु*	60 वर्ष	60 वर्ष	60 वर्ष	60 वर्ष	60 वर्ष
मृत्यु सारणी*	आईएएलएम (2006–08) अल्टीमेंट	आईएएलएम (2006–08) अल्टीमेंट	आईएएलएम (2006–08) अल्टीमेंट	सेवानिवृत्ति पूर्व आईएएलएम (2006–08) अल्टीमेंट सेवानिवृत्ति पश्चः एलआईसी (1996–98) यूएलटी	आईएएलएम (2006–08) अल्टीमेंट
प्रति जोड़े की दर से औसत प्रतिदाय	–	–	–	51561 रुपए	–
	–	–	–	*(55772 रुपए)*	–
आयु*	कर्मचारी कारोबार (%)				
35 वर्ष तक	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%
36 से 45 वर्ष	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%
46 से ऊपर	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%

*पूर्व वर्ष के समान

विशिष्टियां	उपदान	दीर्घवधि अनुकम्पा अनुपस्थिति	दीर्घ सेवा पुरस्कार	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा फायदा	सेवानिवृत्ति उपरांत यात्रा भत्ता
	(वित्तपोषित)	(वित्तपोषित नहीं)	(वित्तपोषित नहीं)	(वित्तपोषित नहीं)	(वित्तपोषित नहीं)
वर्ष के प्रारंभ में प्रक्षेपित फायदा बाध्यता	18,74,03,962 *(12,83,38,870)*	12,91,86,917 *(13,47,23,447)*	30,66,275 *(44,87,540)*	17,60,55,625 *(18,46,51,434)*	2,96,878 *(7,84,605)*
चालू सेवा लागत	79,35,479 *(84,03,139)*	89,95,901 *(80,48,040)*	73,420 *(3,27,967)*	62,66,405 *(71,36,293)*	22,932 *(55,879)*
ब्याज लागत	1,36,91,482 *(95,17,860)*	93,06,177 *(95,03,991)*	2,13,867 *(3,24,496)*	1 ,33,47,097 *(1,34,85,962)*	21,368 *(54,994)*
बीमा (लाभ)/हानि	(1,01,57,565) *((1214116))*	3,36,64,696 *(8858597)*	(7,95,744) *((1548254))*	1 ,65,71,112 *((4712548))*	1,18,004 *((571385))*
अर्जन समायोजन	– –	– –	– –	– –	– –
संदत्त फायदा	(2,59,80,355) *((17656355))*	(3,05,30,691) *((31947158))*	(6,93,990) *((525474))*	(2,71,93,598) *((24505516))*	(1,03,113) *((27215))*
पूर्व सेवा लागत	*(6,00,14,564)*				
वर्ष के अंत में प्रक्षेपित फायदा बाध्यता	17,28,93,003 *(18,74,03,962)*	15,06,23,000 *(12,91,86,917)*	18,63,828 *(30,66,275)*	18,50,46,641 *(17,60,55,625)*	3,56,069 *(2,96,878)*

ii) योजना आस्तियां के न्यायोचित मूल्य में परिवर्तन (उपदान)

(रकम रुपए में)

विशिष्टियां	2018–19	2017–18
	(वित्तपोषित)	(वित्तपोषित)
अवधि के प्रारंभ में आस्तियों का न्यायोचित मूल्य	11,96,01,444	,40,12,636
योजना आस्तियों पर संभावित रिटर्न	86,80,452	84,77,577
बीमा अभिदाय	6,78,02,518	43,26,234
बीमा लाभ/(हानियां)	(1,26,958)	4,41,352
संदत्त फायदे	(2,59,80,355)	(1,76,56,355)
अर्जन समायोजन	–	–
अवधि के अंत में आस्तियों का न्यायोचित मूल्य	16,99,77,101	1 1,96,01,444

iii) तुलनपत्र में मान्यता दी गई

(रकम रुपए में)

विशिष्टियां	उपदान (वित्तपोषित)	दीर्घवधि अनुकम्पा अनुपस्थिति (वित्तपोषित नहीं)	दीर्घ सेवा पुरस्कार (वित्तपोषित नहीं)	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा फायदा (वित्तपोषित नहीं)	सेवानिवृत्ति उपरांत यात्रा भत्ता (वित्तपोषित नहीं)
वर्ष के अंत में परिभाषित फायदा बाध्यता	17,28,93,003 *(18,74,03,962)*	15,06,23,000 *(12,91,86,917)*	18,63,828 *(30,66,275)*	18,50,46,641 *(17,60,55,625)*	3,56,069 *(2,96,878)*
वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का न्यायोचित मूल्य	16,99,77,101 *(11,96,01,444)*	– –	– –	– –	– –
वित्तपोषित प्रास्थिति आस्ति/(दायित्व)	(29,15,902) *((6,78,02,518))*	(15,06,23,000) *((12,91,86,917))*	(18,63,828) *((30,66,275))*	(18,50,46,641) *((17,60,55,625))*	(3,56,069) *((2,96,878))*
तुलन पत्र में मान्यता प्रदान की गई शुद्ध (दायित्व)/आस्तियां	(29,15,902) *((6,78,02,518))*	(15,06,23,000) *((12,91,86,917))*	(18,63,828) *((30,66,275))*	(18,50,46,641) *((17,60,55,625))*	(3,56,069) *((2,96,878))*

iv) लाभ एवं हानि लेखे में मान्यता दिए गए व्यय

(रकम रुपए में)

विशिष्टियां	उपदान (वित्तपोषित)	दीर्घवधि अनुकम्पा अनुपस्थिति (वित्तपोषित नहीं)	दीर्घ सेवा पुरस्कार (वित्तपोषित नहीं)	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा फायदा (वित्तपोषित नहीं)	सेवानिवृत्ति उपरांत यात्रा भत्ता (वित्तपोषित नहीं)
चालू सेवा लागत	79,35,479 8 *(84,03,139)*	9,95,901 *(80,48,040)*	73,420 *(3,27,967)*	62,66,405 *(71,36,293)*	22,932 *(55,879)*
ब्याज की लागत	1,36,91,482 *(95,17,860)*	9 3,06,177 *(95,03,991)*	2,13,867 *(3,24,496)*	1,33,47,097 *(1,34,85,962)*	21,368 *(54,994)*
योजना आस्तियों पर संभावित रिटर्न	(86,80,452) *((8477577))*	- -	- -	- -	- -
अवधि में मान्यता दिया गया शुद्ध बीमा (लाभ)/हानि	(1,00,30,607) *((1655468))*	3,36,64,696 *(88,58,597)*	(7,95,744) *((1548254))*	1,65,71,112 *((4712548))*	1,18,004 *((571385))*
पूर्व सेवा लागत	*(6,00,14,564)* -	- -	- -	- -	- -
लाभ और हानि लेखे में मान्यता दिए गए कुल व्यय	29,15,902 *(6,78,02,518)*	5,19,66,774 *(2,64,10,628)*	(5,08,457) *((895791))*	3,61,84,614 *(1,59,09,707)*	1,62,304 *((460512))*

पूर्ववर्ती वर्ष के अंकों को इटैलिक्स एवं कोष्ठकों में उपदर्शित किया गया है (*)

(i) पिछले 5 वर्ष का तुलनात्मक डाटा–उपदान

(रकम रुपए में)

क्र. सं.	विशिष्टिया	31.03.19	31.03.18	31.03.17	31.03.16	31.03.15
क)	अवधि के अंत में परिभाषित फायदा बाध्यता	1 7,28,93,003	18,74,03,962	1 2,83,38,870	13,74,34,160	1 3,98,97,910
ख)	अवधि के अंत में योजना आस्ति	1 6,99,77,101	11,96,01,444	1 2,40,12,636	12,98,03,738	1 3,54,84,798
ग)	वित्त पोषित प्रस्थिति	(29,15,902)	(6,78,02,518)	(43,26,234)	(76,30,422)	(44,13,112)
घ)	योजना दायित्वों पर अनुभव समायोजन (हानि)/लाभ	(29,15,902)	(6,78,02,518)	(43,26,234)	(76,30,422)	(44,13,112)

(i) पिछले 5 वर्ष का तुलनात्मक डाटा –दीर्घ सेवा पुरस्कार

(रकम रुपए में)

क्र. सं.	विशिष्टिया	31.03.19	31.03.18	31.03.17	31.03.16	31.03.15
क)	अवधि के अंत में परिभाषित फायदा बाध्यता	1 5,06,23,000	12,91,86,917	1 3,47,23,447	13,22,99,042	1 2,80,71,143
ख)	अवधि के अंत में योजना आस्ति का उचित मूल्य	–	–	–	–	–
ग)	वित्त पोषण प्रास्थिति	(15,06,23,000)	(12,91,86,917)	(13,47,23,447)	(13,22,99,042)	(12,80,71,143)
घ)	तुलन पत्र में मान्यता प्रदान किया गया (दायित्व) /आस्ति	(15,06,23,000)	(12,91,86,917)	(13,47,23,447)	(13,22,99,042)	(12,80,71,143)

(i) पिछले 5 वर्ष का तुलनात्मक डाटा–सेवानिवृत्त पश्च चिकित्सा फायदा

(रकम रुपए में)

क्र. सं.	विशिष्टिया	31.03.19	31.03.18	31.03.17	31.03.16	31.03.15
क)	अवधि के अंत में परिभाषित फायदा बाध्यता	18,63,828	30,66,275	44,87,540	51,49,456	61,76,600
ख)	अवधि के अंत में योजना आस्ति का उचित मूल्य	–	–	–	–	–
ग)	वित्त पोषण प्रस्थिति	(18,63,828)	(30,66,275)	(44,87,540)	(51,49,456)	(61,76,600)
घ)	तुलन पत्र में मान्यता प्रदान किया गया (दायित्व) /आस्ति	(18,63,828)	(30,66,275)	(44,87,540)	(51,49,456)	(61,76,600)

(i) पिछले 5 वर्ष का तुलनात्मक डाटा–छुट्टी नकदीकरण

(रकम रुपए में)

क्र. सं.	विशिष्टियां	31.03.19	31.03.18	31.03.17	31.03.16	31.03.15
क)	अवधि के अंत में परिभाषित फायदा बाध्यता	1 8,50,46,641	17,60,55,625	1 8,46,51,434	17,03,64,891	1 2,87,94,211
ख)	अवधि के अंत में योजना आस्ति का उचित मूल्य	–	–	–	–	–
ग)	वित्त पोषण प्रास्थिति	(18,50,46,641)	(17,60,55,625)	(18,46,51,434)	(17,03,64,891)	(12,87,94,211)
घ)	तुलन पत्र में मान्यता प्रदान किया गया (दायित्व)/आस्ति	(18,50,46,641)	(17,60,55,625)	(18,46,51,434)	(17,03,64,891)	(12,87,94,211)

(i) पिछले 5 वर्ष का तुलनात्मक डाटा–छुट्टी यात्रा रियायत

(रकम रुपए में)

क्र. सं.	विशिष्टियां	31.03.19	31.03.18	31.03.17	31.03.16	31.03.15
क)	अवधि के अंत में परिभाषित फायदा बाध्यता	3,56,069	2,96,878	7,84,605	2,72,939	-
ख)	अवधि के अंत में योजना आस्ति का उचित मूल्य					
ग)	वित्त पोषण प्रास्थिति	(3,56,069)	(2,96,878)	(7,84,605)	(2,72,939)	-
घ)	तुलन पत्र में मान्यता प्रदान किया गया (दायित्व)/आस्ति	(3,56,069)	(2,96,878)	(7,84,605)	(2,72,939)	-

पिछले वर्ष के आंकड़ों को इटैलिक्स एवं कोष्ठकों में उपदर्शित किया गया है(*)।

कंपनी, लेखांकन मानक 15 के उपबंधों के अनुसार उपदान, दीर्घ अवधि प्रति पूरित अनुपस्थिति, पश्च सेवानिवृत्ति चिकित्सा फायदा, दीर्घ सेवा पुरस्कार और बीमाकंन के आधार पर सेवानिवृत्ति के पश्चात एक बार यात्रा भत्ता प्रदान करती है

टिप्पण सं.2.33

संबंधित पक्षकार प्रकटन

कंपनी (लेखांकन) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अधीन विनिर्दिष्ट लेखांकन मानक 18, ''संबंधित पक्षकार प्रकटन'' के अनुसार संबंधित पक्षकारों के नामों के साथ प्रबंधन द्वारा पहचाने गए और प्रमाणित संव्यवहार की समग्र रकम और वर्ष के अंत में शेष निम्नानुसार दिया गया है

i) श्री एन शिवानंद, संयुक्त सचिव, भारी उद्योग विभाग अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार 15 जून 2017 से 14 सितंबर 2018 तक धारण कर रहे थे। श्री शिवानंद, अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) को निदेशक (परियोजनाएं) का भी अतिरिक्त प्रभार भारी उद्योग विभाग द्वारा 1 जुलाई 2018 से 14 सितंबर 2018 तक सौंपा गया था। इसके पश्चात श्री एस एस रावत, निदेशक (परियोजना प्रबंधन) ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड को अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और निदेशक (परियोजनाएं) का अतिरिक्त प्रभार 15 सितंबर 2018 से 3 मार्च की अवधि के लिए सौंपा गया है जिसका 15 दिसंबर 2018 से 6 मार्च की और अवधि के लिए या इन पदों पर नियमित पदधारी की नियुक्ति होने तक या अगला आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो विस्तार किया गया है।

ii) प्रमुख प्रबंध कार्मिक जिसके साथ वर्ष के दौरान संव्यवहार किया गया था :

- श्री लेखराज, निदेशक (वित्त), 13 अप्रैल 2017 से
- श्री एसपीएस बक्शी, अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक (20 मार्च 2017 से निलंबित और 30 दिसंबर 2018 को अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त)
- श्री वीनू गोपाल निदेशक (परियोजनाएं) (30 जून 2018 को अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त)
- श्री सुशांत बालिगा, अंशकालिक, गैर शासकीय निदेशक (17 नवंबर 2018 से पुनः नियुक्त)
- डॉ. अनिता चौधरी, अंशकालिक, गैर शासकीय निदेशक (30 नवंबर 2018 से पुनः नियुक्त)
- श्रीमती सुधा वेंकटा वरदन, कंपनी सचिव (1 अक्टूबर 2018 को त्यागपत्र दिया)
- श्रीमती दीपिका मेहता, कंपनी सचिव (1 अक्टूबर 2018 से नियुक्त)

iii) ईपीआईएल अर्बन इंफ्रा डेवलपर्स लिमिटेड (ईपीआईयूआईडीएल) को ईपीआईएल की अनुषंगी के रूप में 19 मई 2016 को निगमित किया गया।

प्रारंभ में श्री एसपीएस बक्शी (ईपीआई से निलंबन के अधीन और 30 दिसंबर 2018 को अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्तऔर इसलिए ईपीआईयूआईडीएल अंशकालिक अध्यक्ष नहीं रहे) श्री वीनू गोपाल (ईपीआई से अधिवर्षिता के उपरांत सेवानिवृत्त और 30 जून 2018 से अंशकालिक निदेशक नहीं रहे) और श्री सुशांत बालिगा (ईपीआईयूआईडीएल से 31 मई 2019 को त्यागपत्र दे दिया) उन्हें अंशकालिक निदेशक के रूप में नाम निर्दिष्ट किया गया है। बोर्ड ने 25 जुलाई 2017 को आयोजित अपनी बैठक में श्री एन शिवानंद, जो ईपीआई के अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार देख रहे हैं को ईपीआईयूआईडीएल के निदेशक बोर्ड में अंशकालिक निदेशक नाम निर्दिष्ट किया है, उन्होंने ईपीआईयूआईडीएल से अपना पद 14 सितंबर 2018 से छोड़ दिया है।

श्री कपिल तारा, कार्यकारी निदेशक (डबल्यूआरओ), ईपीआई (इस समय ईपीआई से निलंबन के अधीन है) को अंशकालिक मुख्य कार्यपालक अधिकारी (केएमपी) नामनिर्देशित किया गया था और श्रीमती सुधा वेंकटा वरदन सीएस (ईपीआई) को इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी में अंशकालिक सीएस नामनिर्देशित किया गया है (उनके नाम निर्देशन को उनके द्वारा 1 अक्टूबर 2018 को ईपीआईएल से त्यागपत्र देने के कारण वापस ले लिया गया है)

अनुषंगी कंपनी के साथ व्यौहारों का ब्यौरा

(रकम रुपए में)

विशिष्टियां	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार	प्रकृति
अति शेष (प्राप्य रकम) {क}	**47,871**	69,700	नामे
अनुषंगी के निमित्त व्ययों की प्रतिपूर्ति {ख}	**1,65,260**	84,231	नामे
अनुषंगी से प्राप्त रकम{ग}	–	1,06,060	प्रत्यय
इति शेष (वसूलनीय रकम) {घ} (घ = क + ख–ग)	**2,13,131**	47,871	नामे

iv) 2 अगस्त, 2017 को ईपीआई–सीएंडसी "संयुक्त उद्यम" (अनिगमित), इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड और सीएंडसी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग विशिष्टियों के अनुसार दो लेन की सड़क के निर्माण का कार्य प्लेटवा–से भारत–म्यांमार सीमा (जोरिनपुई) म्यांमार के किन राज्य में 0.00 किलोमीटर से 109.20 किलोमीटर जिसमें सीएंडसी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड का 60% हित और इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड

का 40% हित है, विरचित किया गया। सीएंडसी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, संयुक्त उद्यम के अग्रणी भागीदार के रूप में कार्य करेगा। संयुक्त उद्यम के सामान्य खर्च के लिए 40% भाग के लिए 3,03,744 रुपए को वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान ईपीआईएल की लेखा बहियों में गणना में दिया गया है

31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड और ईपीआई–सीएंडसी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के बीच कोई संव्यवहार नहीं किया गया। ईपीआई के कार्य के भाग के लिए जिसे "अन्य अग्रिम" के अधीन टिप्पण संख्या 2.17 में सम्मिलित किया गया है, ईपीआई के कार्य के भाग के लिए वित्त वर्ष 2017–18 के दौरान विभिन्न पक्षकारों को 3,35,646 रुपए का अग्रिम दिया गया था।

v) कारबार के सामान्य प्रक्रम मैं संबंधित पक्षकारों के साथ निम्नलिखित संव्यवहार किए गए थे।

निदेशकों के पारिश्रमिक के ब्यौरे

(रकम रुपए में)

विशिष्टियां	2018–19	2017–18
वेतन	**53,69,346**	77,16,181
भविष्य निधि में अंशदान	**3,58,210**	4,55,722
मकान किराया	**4,02,825**	10,58,632
चिकित्सा व्यय	**6,20,878**	3,11,063
बैठक फीस	**3,55,000**	4,40,000

क) श्री एन शिवानंद, अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) और श्री एस. एस. रावत, अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)कंपनी में नियोजित नहीं है और इसलिए वर्ष 2018–19 के दौरान उन्हें किसी वेतन/भत्ते का संदाय नहीं किया गया है।

टिप्पण सं. 2.34

संनिर्माण सामग्री के स्टॉक के मात्रात्मक ब्यौरे नीचे दिए अनुसार हैं :

विशिष्टियां	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार	
	मात्रा (एमटी)	मूल्य (रुपए)	मात्रा (एमटी)	मूल्य (रुपए)
सीमेंट	**8.53**	**40,798**	376	18,62,625
इस्पात	**21.69**	**18,36,355**	224	92,61,365
इस्पात पाइप	–	–	26390 (आरएमटी)	76,16,318

टिप्पण सं. 2.35

आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) के विनिश्चय के अनुसार इंजीनियरिंग प्रोजेक्टस (इंडिया) लिमिटेड के सामरिक विनिवेश की वैसे ही केंद्रीय पब्लिक सेक्टर उपक्रमों के माध्यम से अर्जन द्वारा प्रक्रिया प्रगति पर है।

टिप्पण सं. 2.36

''उपबंध, आकस्मिक दायित्व और आकस्मिक आस्तियां'' पर लेखांकन मानक—29 के अधीन प्रकटन:

(रकम रुपए में)

विशिष्टियां	अतिशेष	वर्ष के दौरान किया गया उपबंध	वर्ष के दौरान संदत्त/ समायोजित	बट्टे खाते में डाले गए उपबंध	इतिशेष
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)=(ii+iii+iv-v)
परियोजना आकस्मिकताएं*	33,57,24,557	4,69,81,270	5,40,08,529	—	32,86,97,298
कर्मचारी फायदा	37,64,08,213	9,07,21,137	12,63,23,910	—	34,08,05,440
वेतन पुनरीक्षण (तीसरा पीआरसी)	5,43,03,797	1,92,75,953	—	—	7,35,79,750
योग	76,64,36,567	15,69,78,360	18,03,32,439	—	74,30,82,488
पूर्ववर्ती वर्ष	64,50,77,523	18,68,71,642	6,13,31,597	41,81,001	76,64,36,567

* परियोजना आधार पर प्राप्य रकम के लिए किया गया उपबंध (संदेय रकम को छोडकर)

राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण के अनुसार परिसमापक द्वारा ईपीआई के यूबी इंजीनियरिंग लिमिटेड (यूबीईएल) पर दावों को ध्यान में रखते हुए वर्ष के दौरान 31 मार्च 2019 तक किए गए 12 करोड रुपए के उपबंध के अतिरिक्त 4 करोड रुपए का उपबंध किया गया (31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार 16 करोड रुपए का कुल उपबंध) इसे प्रबंधन द्वारा विद्यमान स्थिति में युक्तियुक्त माना गया है और इसके लिए लेखा वहियों मैं उपबंध किया गया है जिसे पूर्वोक्त के अनुसार 16 करोड रुपए (निबल संदेय) के विरोध परियोजना आकास्मिकताओं के अधीन शामिल किया गया है।

टिप्पण सं. 2.37

प्रबंधन ने निर्धारण किया है और पाया कि नियत आस्तियों के मूल्य में कोई कमी नहीं आई है। इसलिए 31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार कोई उपबंध करने की आवश्यकता नहीं है।

टिप्पण सं. 2.38

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के उपबंधों के अनुसरण में, कोई कंपनी जो लागू होने के सीमा को पूरा करती है से निगम सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पर तीन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2 प्रतिशत को व्यय करने की अपेक्षा है। वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा निगम सामाजिक उत्तरदायित्व पर 1,33,000 रुपए (पूर्व वर्षों के बजट से अग्रणीत रकम) को व्यय करने की अपेक्षा है। वर्ष के दौरान निगम सामाजिक उत्तरदायित्व और भरणीयता कार्यकलापों पर खर्च की गई रकम शून्य है

टिप्पण सं. 2.39

प्रति शेयर आधारिक और कम किए गए अर्जन की संगणना कर के पश्चात लाभ 33,02,50,357 रुपए (पूर्व वर्ष 13,53,896 रुपए) को 3,54,22,688 के 10/—रुपए प्रत्येक पूर्णतः संदत्त साम्या शेयरों को विभाजित करके की जाती है।

	2018–19	2017–18
प्रति शेयर आधारिक और कम किया गया अर्जन (रुपए)	(9.32)	0.04

टिप्पण सं. 2.40

19 मई 2016 को ईपीआई की एक अनुषंगी कंपनी को "ईपीआई अर्बन इंफ्रा डेवलपर्स लिमिटेड (ईपीआईयूआईडीएल)" के रूप 10 लाख रुपए की संदत्त पूंजी से निगमित किया गया था, जो ईपीआई द्वारा 51 प्रतिशत, मैसर्स भारत अर्बन इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, सोलापुर द्वारा 39 प्रतिशत और मैसर्स दाराशा एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई (डीसीपीएल) द्वारा 10% के साथ भूमि पार्सलों आदि के विकास के लिए मिलकर बनी है।

अनुषंगी कंपनी अपने निगमन से ही प्रचालन नहीं कर रही है। एक सरकारी कंपनी होने के नाते, निदेशकों की नियुक्ति का प्रस्ताव जिसके अंतर्गत पहले निदेशकों से मिलकर बनने वाला अंतरिम बोर्ड का अनुमोदन है, को सरकार से अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया गया था और इसी बीच सरकार ने डीपीआई के सामरिक अविनिधान के लिए कार्रवाई आरंभ कर दी। क्योंकि सरकार ने अनुषंगी कंपनी की विरचना का समर्थन नहीं किया, ईपीआई ने ईपीआईयूआईडीएल के समापन के लिए स्वैच्छिक समापन/परीसमापन के लिए ईपीआईयूआईडीएल के शेयरधारकों के अनुमोदन की शर्त के अधीन रहते हुए मंजूरी दे दी और प्रशासनिक मंत्रालय ईपीआईयूआईडीएल को बंद करने के लिए सहमत हो गया। तथापि स्वैच्छिक परीसमापन के लिए 20 दिसंबर 2017 को आयोजित ईपीआईयूआईडीएल की पहली वार्षिक साधारण बैठक में बीयूआईडीपीएल सहमत नहीं हुआ। ईपीआई के अपने शेयरों का अन्य दो शेयरधारकों को प्रस्ताव करने के पश्चातवर्ती प्रयास सफल नहीं हुए थे। ईपीआई के बोर्ड समापन/प्रस्थान के लिए अन्य विकल्पों के लिए संबंधित प्राधिकारियों से मिलने का विनिश्चय किया।

वित्त वर्ष 2016–17 के दौरान अनुषंगी कंपनी में 5,10,000/–रुपए के विनिधान के लिए 100 प्रतिशत उपबंध किया गया है।

टिप्पण सं. 2.41

ईपीआई के कुछ कर्मचारियों के विरुद्ध सीबीआई ने तीन मामले रजिस्टर किए हैं और प्राथमिकी रजिस्टर की हैं। जिनमें से दो मामले वर्ष 2017–18 और एक मामला वित्त वर्ष 2016–17 के दौरान दर्ज किया गया है। यह मामले ईपीआई के कुछ कर्मचारियों द्वारा निविदा प्रदान करने के लिए अवैध लाभ के आरोप में हें। ईपीआई को प्राथमिकी में एक पक्षकार नहीं बनाया गया है। इससे उसके वित्तीय विवरणों पर किसी प्रभाव की परिकल्पना नहीं है।

यद्यपि आज की तारीख तक पूर्वोक्त मामले में जांच अभी भी प्रगति पर है।

टिप्पण संख्या 2.42

राष्ट्रीय जल आपूर्ति एवं निकासी बोर्ड (एनडब्ल्यूएसडीबी), श्री लंका (ग्राहक) ने चीनी निर्माता/पूर्तिकार द्वारा ईपीआईएल को प्रदान की गई बबुनिया जल आपूर्ति स्कीम के लिए पूर्ति किए गए एचडीपीई पाइपों को उनकी खराब क्वालिटी के कारण अस्वीकार कर दिया और ईपीआईएल को अच्छी क्वालिटी के पाइपों से बदलने के लिए कहा। ईपीआईएल ने चीनी पूर्तिकार को भुगतान जारी कर दिया था, यद्यपि ईपीआईएल को करार के निबंधनों के अनुसार एनडब्ल्यूएसडीबी से भुगतान (96 प्रतिशत) मिल गया। 18.78 करोड रुपए की समतुल्य रकम का दावा विनिर्माता के विरुद्ध माध्यस्थम में 31 अक्टूबर 2016 को विरुद्ध किया गया है। माध्यस्थ ने 29 जनवरी 2018 को लगभग 17.25 करोड रुपए का पंचाट ईपीआईएल को प्रदान किया और अब ईपीआईएल कोलंबो वाणिज्यिक उच्च न्यायालय में माध्यस्थम को डिक्री में परिवर्तित करने के लिए और चीनी विनिर्माता (जियांगसू कुयानलोंग, न्यू मैटेरियल कंपनी लिमिटेड) के विरुद्ध उसे लागू करने के लिए अग्रसर हो गई है। अस्वीकार किए गए पाइपों को बदलने के कारण संभावित हानि और इसमें एवं लागत के

बढ़ने के लिए 13.27 करोड़ रुपए (पाइपों के अवशिष्ट मूल्य पर विचार करते हुए) है, को वित्त वर्ष 2016–17 मैं गणना में लिया गया है और 5.96 करोड रुपए की और हनी को वित्त वर्ष 2017–18 के दौरान गणना में लिया गया है तथा इस संबंध में किसी और हानि की संभावना नहीं है।

टिप्पण संख्या 2.43

व्यापार प्राप्य, उधार एवं अग्रिम, ग्राहकों का अग्रिम, प्रतिधारण धन, प्राप्य/संदेय प्रतिभूति जमा और व्यापार संदेय पुष्टि और मिलान के अधीन हैं। प्रबंधन की राय में इनका वित्तीय विवरणों पर प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं है।

टिप्पण संख्या 2.44

प्रबंधन की राय में, कारबार के साधारण प्रक्रम में वसूली होने पर चालू आस्तियों का मूल्य तुलन पत्र में कथित से कम नहीं होगा।

टिप्पण संख्या 2.45

पूर्व अवधि से संबंधित व्यय/आय और पूर्व संदत्त व्यय प्रत्येक मामले में 1,00,000/–लाख रुपए से अधिक नहीं है को पूर्व वर्ष में 50,000 रुपए के विरुद्ध, चालू वर्ष के लिए व्यय/आय माना गया है। इसके परिणाम स्वरूप चालू वर्ष का व्यय/1,37,047 रुपए अधिक है, लाभ 1,37,047 रुपए कम है और चालू आस्तियां 1,37,047 रुपए कम है।

टिप्पण संख्या 2.46

क) मैसर्स यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (यूसीआईएल) से 31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार व्यापार प्राप्य, प्रतिधारण एवं अन्य वसूलियां 23,68,95, 695 रुपए हैं। पूर्वोक्त रकम 10 वर्ष से अधिक पुरानी है और इसे वसूलने के लिए लगातार प्रयास किया जाता है। अंतिम निपटान के लंबित होने तक अनुभव/प्रगति प्रबंधन द्वारा मामले का निर्धारण के आधार पर 31 मार्च 2019 तक 4,43,77,000/–रुपए का उपबंध किया गया है।

ख) बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर परियोजना को ग्राहक द्वारा अप्रैल 2017 में समाप्त कर दिया गया था। 31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार उप–अभिकरण से वसूली की जाने वाली रकम 43,06,21,757/–रुपए है, इसे टिप्पण संख्या 2.12 में 'अन्य गैर चालू आस्तियां' के अधीन " ग्राहक, विक्रेताओं एवं अन्य से वसूलनीय"उप दर्शित किया गया है। यह मामला ग्राहक एवं उप–अभिकरण दोनों के साथ मध्यस्थम के अधीन है।

ग) वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान 5 एलएलपीडी दुग्ध संयंत्र, 30 संपूर्ण एमटीपीडी विद्युत संयंत्र एवं सेवा एवं प्रयोगशाला स्थापन के देहरी और सोन में डिजाइन, अपूर्ति, उत्कीर्ण एवं चालू करने से संबंधित 83,29,77,163/–रुपए मूल्य की संविदा को ग्राहक द्वारा समाप्त कर दिया गया। 4,30,49,500/–रुपए की कुल रकम जो ग्राहक द्वारा सचल अग्रिम के विरुद्ध अधिक वसूल की गई है को, टिप्पण संख्या 2.12 में 'ग्राहक, विक्रेताओं एवं अन्य से वसूलनीय–गैर चालू आस्तियां' के अधीन दर्शित किया गया है।

टिप्पण संख्या 2.47

कंपनी को परियोजना प्रबंधन सलाहकार (पीएमसी) की क्षमता में दिए गए कार्य के संबंध में कार्य के परिमाण में अन्य बातों के साथ कंस्ट्रक्शन कार्यकलापों के लिए ठेकेदारों की नियुक्ति, ठेकों की मानिटरी और पर्यवेक्षण, युक्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई नीतियों से ठेकेदारों को भुगतान सम्मिलित है, कंपनी ठेके कार्य की संपूर्ण लागत को जिसके अंतर्गत पीएमसी फीस सम्मिलित है, " किया गया कार्य" शीर्ष के अधीन राजस्व के अधीन अपने टर्नओवर के रूप में मान्यता प्रदान करती है और तदनुसार ठेकेदार के कार्य की लागत को कार्य लागत के अधीनमान्यता दी जाती है। ऐसी परियोजनाओं से संबद्ध आस्तियों और दायित्व नियोक्ता के निमित्त न्यास में धृत को कंपनी की आस्ती और दायित्व के रूप में उसके तुलन पत्र में संबंधित शीर्षों के अधीन मान्यता दी जाती है। इसका कंपनी द्वारा लगातार अनुसरण किया जा रहा है जो अपने ठेकों

को लेखांकन मानक–7 के अधीन लागत जमा ठेका मानती है।

टिप्पण संख्या 2.48

यू बी इंजीनियरिंग लिमिटेड (यूबीईएल) को उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद और बिजनौर जिलों में वर्ष 2005 में पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (पीवीवीएनल) द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण का कार्य दिया गया था। यूबीईएल ने यूबीईएल और ईपीआई के बीच हुए समझौता ज्ञापन के माध्यम से इस कार्य का उप–ठेका इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड को दे दिया। वित्त वर्ष 2016–17 के दौरान यूबीईएल ने दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 10 के अधीन निगम दिवाला समाधान प्रक्रिया आरंभ कर दी। राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी), मुंबई की खंडपीठ ने यूबीईएल के आवेदन को स्वीकार कर लिया।

एनसीएलटी मुंबई खंडपीठ ने तारीख 5 दिसंबर 2017 के आदेश द्वारा यूबीईएल के पर इस मापन की उद्घोषणा की। ईपीआई ने परिसमापक के पास तारीख 4 जनवरी 2018 को अपना दावा प्रस्तुत किया। परिसमापक ने ईपीआई द्वारा प्रस्तुत दावे को अस्वीकार कर दिया, ईपीआई ने परिसमापक द्वारा ईपीआई के दावे को अस्वीकार करने को माननीय एनसीएलटी में चुनौती दी। माननीय एनसीएलटी तारीख 2 मई 2018 के अपने आदेश द्वारा परिसमापक के तारीख 13 जनवरी 2018 के आदेश को अपास्त कर दिया और परिसमापक को ईपीआई द्वारा प्रस्तुत दावों पर एक विचारशील आदेश के साथ ईपीआई को माननीय एनसीएलटी को पुनः आवेदन करने की स्वतंत्रता के साथ विचार करने का निर्देश दिया यदि दावों को फिर से अस्वीकार कर दिया जाता है। तारीख 2 मई 2018 के उक्त आदेश के अनुसरण में परिसमापक तारीख 3 फरवरी 2015 का एक नया आदेश जारी किया जिसमें उसने 13 जनवरी, 2018 के पहले आदेश को जारी करने से इंकार किया और यह और की कथन किया कि ईपीआई और यूबीईएल के बीच ठहराव एक संयुक्त उद्यम था न की प्रचालन देनदार और इसलिए दावों को अन्य पणधारी होने के नाते प्ररूप 'जी' में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार ईपीआई के पास 23.16 करोड रुपए यूबीईएल से बकाया थे (टिप्पण संख्या 2.11 और टिप्पणी संख्या 2.12 मैं सम्मिलित) तथा ठेकेदारों/विक्रेताओं को इस परियोजना से संबंधित 7.16 करोड रुपए संदेय थे। संविदा की शर्तों के अनुसार ठेकेदार संदाय के लिए केवल तभी पात्र होगा जब ईपीआई को ग्राहक से तब स्थानीय रकम प्राप्त होती है।

यूबीईएल की चालू दिवाला/परिसमापन कार्यवाहियों को ध्यान में रखते हुए ईपीआई ने यूबीईएल से वसूले जाने वाली रकम के लिए पूर्व वर्ष तक 12 करोड रुपए का उपबंध किया। प्रबंधन ने वर्ष 2018–19 के दौरान ईपीआई की लेखाहियों में यूबीईएल से बकाया के विरुद्ध युक्ति संगत आकलन के रूप में 4 करोड रुपए के और उपबंध पर विचार किया ताकि शुद्ध प्राप्त रकम 16 करोड़ रुपए का उपबंध किया जा सके (यूबीईएल से प्राप्त 23.16 करोड रुपए घटा 7.16 करोड रुपए जो बैक टू बैक आधार पर उप ठेकेदारों को संदेय हैं)

टिप्पण संख्या 2.49

वेतन और अन्य संबंधित लागत के लिए मुख्यालय व्यय 15,60,61,529/–रुपए का वित्त वर्ष 2018–19 के लिए ओमान को आवंटन किया गया है जिसमें ओमान में के शाखा लेखों में इसी मद्दे व्यय की कटौती का ओमान आयकर नियमों और भी विनियमों के अनुसार दावा किया गया है।

टिप्पण संख्या 2.50

कंपनी ने कतिपय कार्यालय और आवासीय परिसरों को परिचालन पट्टा पर लिया है जोकि संबंधित करारों के अनुसार समुचित नोटिस देकर रद्द किया जा सकता है। वर्ष के दौरान 2,05,30,408/–रुपए इन रद्द किए जा सकने वाले पट्टा प्रचालनों के लिए प्रभावित किए गए हैं।

कंपनी ने कतिपय आस्ति जैसे कार को रत्ना किए जा सकने वाले प्रचालन पट्टों पर लिया है। वर्ष के दौरान 4,92,404/–रुपए (पूर्व वर्ष 8,88,466/–रुपए) इन रद्द न किए जा सकने वाले प्रचालन पट्टों के लिए संद्त्त किए गए। इन पट्टों के संबंध में भावी न्यूनतम पट्टा संदाय नीचे दिए अनुसार हैं:

i) 1 वर्ष के पूर्व संदेय 4,45,296/–रुपए (पूर्व वर्ष 492,404/–रुपए)

ii) 1 वर्ष के पश्चात किंतु 5 वर्ष से पूर्व संदेय 7,79,268/–रुपए (पूर्व वर्ष 12,24,564/–रुपए

iii) 5 वर्ष के पश्चात संदेय कुछ नहीं (पूरे वर्ष कुछ नहीं)

टिप्पण संख्या 2.51

संयुक्त उद्यमों के संबंध में प्राक्कटन

क्रम संख्या	संयुक्त प्रचालनों का नाम (अनिगमित)	भागीदार और मूल देश	भागीदारी हित (प्रतिशत में) 31 मार्च की स्थिति के अनुसार	
			2019	2018
1.	ईपीआई–सी एंड सी संयुक्त उद्यम	सी एंड सी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, इंडिया	60%	40%
		इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड इंडिया	60%	40%

टिप्पण संख्या 2.52

पिछले वर्ष के अंको का मिलान, पुना समूहीकरण कर लिया गया है और उन्हें चालू वर्ष के वर्गीकरण/समूहीकरण के अनुरूप करने के लिए पुनः तैयार किया गया है।

हमारी समसंख्यक तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते निदेशक बोर्ड के लिए और उसकी ओर से
कृते के.पी.एम.सी एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट
फर्म रजिस्ट्रीकरण सं.005359सी

ह0/–
(लेख राज)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन07794894

ह0/–
(एस. एस. रावत)
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
(अतिरिक्त प्रभार)
डीआईएन07555572

ह0/–
(सी.ए पंकज कुमार)
भागीदार
सदस्यता संख्या 073291

ह0/–
(एन के शर्मा)
कार्यकारी निदेशक (वित्त)

ह0/–
(दीपिका मेहता)
कंपनी सचिव

स्थानः नई दिल्ली
तारीखः 16 जुलाई, 2019

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में सदस्य,

इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड,

समेकित वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

हमने मैसर्स इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड ("जिसे इसमें इसके पश्चात नियंत्रक कंपनी कहा गया है") और उसकी अनुषंगी (नियंत्रक और अनुषंगी कंपनी दोनों को इसमें इसके पश्चात "समूह कहा गया है") और संयुक्त रूप से नियंत्रित उसके संलग्न समेकित वित्तीय विवरणों की जांच कर ली है, जो 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार समाप्त हुए वर्ष के लिए समेकित तुलनपत्र और समेकित लाभ और हानि का विवरण, समेकित नकद प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के सारांश और अन्य स्पष्टीकारक सूचना से मिलकर बना है (जिसे इसमें इसके पश्चात समेकित वित्तीय विवरण कहा गया है)

अर्हित राय का आधार

हम निम्नलिखित विषयों की ओर ध्यान आकृष्ट करते हैं:

1. **व्यापार प्राप्य, ऋण और अग्रिम, ग्राहक का अग्रिम, प्रतिधारण धन, सुरक्षा जमा का शेष पुष्टि/मिलान की शर्त के अधीन है (टिप्पण संख्या 2.43 को निर्दिष्ट करें)**

आस्तियां	रकम (रुपए में)
वर्क्स के लिए अग्रिम	33,70,43,770
प्राप्य सुरक्षा जमा और प्रतिधारण धन	2,07,02,02,196
व्यापार प्राप्य (गैर–चालू)	60,13,57,993
व्यापार प्राप्य (चालू)	3,47,15,38,700
अन्य प्राप्य	2,01,22,09,093
कुल प्राप्य	**8,49,23,51,752**

उनका वित्तीय विवरणों पर परिणामिक प्रभाव, यदि कोई हो, बिना पता लगाए रहता है हम उपरोक्त पुष्टि ना किए गए शेष पर अपनी राय बनाने में असमर्थ हैं।

2 **व्यापार संदेय और अन्य पक्षकारों को संदेय का शेष पुष्टि/मिलान की शर्त के अधीन है (टिप्पण संख्या 2.43 को निर्दिष्ट करें)**

आस्तियां	रकम (रुपए में)
व्यापार संदेय (दीर्घ अवधि)	1,17,40,00,042
प्राप्य संदेय (चालू)	4,94,94,21,033
सुरक्षा जमा एवं प्रतिधारण धन संदेय	3,04,36,94,345

सुरक्षा जमा एवं प्रतिधारण धन ©	61,10,76,884
ग्राहक के अग्रिम	33,86,74,080
ग्राहक के अग्रिम (चालू)	3,73,44,24,661
ग्राहकों को संदेय अन्य	1,40,85,298
कुल संदेय	**13,86,53,76,343**

उनका वित्तीय विवरणों पर परिणामिक प्रभाव, यदि कोई हो, बिना पता लगाए रहता है। इन परिस्थितियों में हम उपरोक्त पुष्टि ना किए गए शेष पर अपनी राय बनाने में असमर्थ हैं।

3. मैसर्स यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (यूसीआईएल) से व्यापार प्राप्य, प्रतिधारण एवं अन्य वसूली के लेखे 31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार 23,68,95,695/–रुपए होते हैं। इस प्राप्य इस प्राप्त या के विरुद्ध 7,46,77,718/–रुपए उप ठेकेदारों को भुगतान करने के लिए लंबित है। इस प्रकार कुल बकाया जिसके लिए उपबंध किए जाने की आवश्यकता है 16,22,17,977/–रुपए होता है। उपरोक्त रकम 10 वर्ष से अधिक से है और कंपनी की संदेहस्पद/ ऋण और अग्रिम के लिए अंगीकृत लेखांकन नीति के अनुसार शत–प्रतिशत उपयोग किया जाना अपेक्षित है। प्रबंधन ने 31 मार्च 2019 तक 4,43,77,000/–रुपए का बंद किया है। आता अपेक्षित उपबंध 11,78,40,977/– रुपए कम है और परिणाम स्वरूप ई पी आई एल की हानि को उतनी ही रकम से कम दर्शाया गया है (टिप्पण संख्या 2.46(क) को निर्दिष्ट करें)।

4. लेखांकन मानक (एएस)–7(संनिर्माण संविदाएं), एएस–18 (नातेदार पक्षकार प्राक्कटन) और ए एस–19 (पट्टे) द्वारा अपेक्षित प्राक्कटन नाही प्रादेशिक कार्यालयों (आरओ) द्वारा उनके वित्तीय विवरणों में दिए गए हैं ना ही उन पर संबंधित आर ओ लेखा परीक्षकों द्वारा टिप्पणी की गई है। इसलिए मुख्यालय स्तर पर हम इन लेखांकन मांगों में उचित प्रकटन पर कोई राय बनाने में असमर्थ हैं।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार सिवाय ऊपर पैरा में वर्णित "अर्हित राय के लिए आधार" के प्रभावों के, पूर्वोक्त समेकित वित्तीय विवरणियां कंपनी अधिनियम, 2013 द्वारा अपेक्षित सूचना को अपेक्षित रीति में प्रदान करती हैं तथा भारत में साधारणतया स्वीकृत लेखांकन मानकों के अनुसार 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार कंपनी की और उस तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए उसके लाभ और रोकड़ प्रवाह की और उस तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए उसकी समेकित हानि और उसके समेकित नकद प्रवाह की सही और उचित तस्वीर प्रस्तुत करती है।

राय का आधार

हमने अपनी लेखा परीक्षा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अधीन विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों (एसए) के अनुसार संचालित की है। इन मानकों के अधीन हमारे उत्तरदायित्व का हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरण भाग में लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व मैं और वर्णन किया गया है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी नैतिक आचार संहिता के अनुसार नैतिक आचार अपेक्षाओं सहित जो कंपनी अधिनियम 2013 और उसके अधीन नियमों के उपबंधों के अधीन वित्तीय विवरणों कि हमारी लेखा परीक्षा से सुसंगत है, हम कंपनी से स्वतंत्र हैं और हमने इन अपेक्षाओं तथा नैतिक आचरण संहिता के अनुसार अपने नैतिक आचरण के उत्तरदायित्व को पूरा किया है। हम विश्वास करते हैं कि लेखा परीक्षा साक्ष्य जो हमने अभिप्राप्त किया है हमारी राय का आधार बनाने के लिए पर्याप्त और समुचित है।

मामले का बल

हम निम्नलिखित मामलों पर ध्यान आकृष्ट करते हैं

1. "संदेहास्पद ऋणों/सुधारों और अग्रिम"—उपबंध पर लेखांकन नीति सं.1.10 की ओर तथा संदेहास्पद ऋणों/सुधारों और अग्रिम"—का उपबंध पर प्रबंधन द्वारा मामले के पूर्व अनुभव/प्रगति/निर्धारण के आधार पर 10 वर्ष से अधिक के लिए बकाया शोध्यों की दशा में परियोजना के आधार पर शुद्ध वसूलनीय रकम के लिए ध्यान आकर्षित किया जाता है।

2. ईपीआईएल द्वारा म्यामार परियोजना में सी एंड सी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड की ओर से उपलब्ध कराई गई 45,54,00,000/—रुपए की बैंक गारंटी के लिए केवल 10,12,36,194/—रुपए प्राप्त किए हैं और शेष को ओमान में किए गए कार्य के लिए प्रतिभूति माना गया है। टिप्पण संख्या 2.29 (ख) निर्दिष्ट करें।

3. सी एंड सी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड म्यांमार में संयुक्त उद्यम " ईपीआई—सी एंड सी जेवी (अनिगमित)"हमारा 60% स्टेक भागीदार और ओमान परियोजना में हमारा मुख्य ठेकेदार एनसीएलटी में दिवाला कार्यवाहिओं का इस समय सामना कर रहे हैं और यह मामला अग्रिम चरण में है। इसका परिणाम और ईपीआईएल के वित्तीय विवरणों पर उसके वित्तीय प्रभाव का पता नहीं लगाया जा सकता है।

4. टिप्पण संख्या 2.41 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा तीन मामले रजिस्टर करने और ईपीआईएल कुछ कर्मचारियों के विरुद्ध एफ आई आर दर्ज करने का वर्णन करता है जिसमें से दो मामले अभियुक्त कर्मचारियों द्वारा निविदा देने के लिए अवैध प्रलोभन लेने के संबंध में है। इस संबंध में अभी अन्वेषण/जांच चालू है।

पूर्व उक्त मामलों के संबंध में हमारी राय अर्हित नहीं है

समेकित वित्तीय विवरणों और उन पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट से भिन्न अन्य सूचना

कंपनी का निदेशक बोर्ड अन्य सूचना के लिए उत्तरदाई है। अन्य सूचना प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण, बोर्ड की रिपोर्ट में सम्मिलित अन्य सूचना से मिलकर बनी है किंतु इसके अंतर्गत समेकित वित्तीय विवरण और उन पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट नहीं है।

हमारी राय में एक समेकित वित्तीय विवरण मैं अन्य सूचना सम्मिलित नहीं है और हम उन पर कोई आश्वासन निष्कर्ष अभिव्यक्त नहीं करते हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों कि हमारी लेखा परीक्षा के संबंध में हमारा उत्तरदायित्व अन्य सूचना का पठन करना है और ऐसा करने में इस बात पर विचार करना है कि क्या अन्य सूचना वित्तीय विवरण के साथ या लेखा परीक्षा मैं अभिप्राप्त हमारी जानकारी से तात्विक रूप से असंगत है या अन्यथा तात्विक रूप से भ्रामक प्रतीत होती है।

हमारे द्वारा निष्पादित कार्य के आधार पर हमारा यह निष्कर्ष है कि इस अन्य सूचना में तात्विक मिथ्या कथन है, इस तथ्य की रिपोर्ट करने की हमसे अपेक्षा है, इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है।

समेकित वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और उन पर शासन का उत्तरदायित्व

नियंत्रक कंपनी का निदेशक बोर्ड कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 134(5) में कथित मामलों के लिए इन समेकित वित्तीय विवरणियों को तैयार करने और प्रस्तुत करने के संबंध में उत्तरदायी है जो समूह की समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय कार्यनिष्पादन और समेकित नकद प्रवाह का जिसके अंतर्गत संयुक्त रूप से नियंत्रित प्रचालन है, भारत में साधारणतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों जिसके अंतर्गत कंपनी (लेखांकन) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ

पठित अधिनियम की धारा 133 के अधीन विनिर्दिष्ट लेखांकन मानक हैं, के अनुसार सही और न्यायोचित दृश्य प्रस्तुत करते हैं। समूह में सम्मिलित कंपनियों का संबंधित निदेशक बोर्ड समूह की आस्तियों का सुरक्षापायों और कपट का तथा अन्य अनियमितताओं का पता लगाने के लिए अधिनियम के उपबंधों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन अभिलेखों का अनुरक्षणय समुचित लेखांकन नीतियों का चयन और उन्हें लागू करनाय ऐसे निर्णय और आकलन करना जो युक्तियुक्त तथा प्रबुद्ध होंय तथा वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति और तैयारी से सुसंगत आंतरिक नियंत्रण का डिजाइन, कार्यान्वयन और अनुरक्षण शामिल है जो आंतरिक वित्तीय विवरणियों का अनुरक्षण करने और बनाए रखने के लिए सुसंगत हैं जो लेखांकन अभिलेखों की शुद्धता और पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से कार्य कर रहा था जो किसी तात्विक मिथ्या कथन से मुक्त, चाहे कपटपूर्ण हो या त्रुटिवश, सही और न्यायोचित तस्वीर प्रदान करे के लिए उत्तरदाई है।

समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने में समूह में सम्मिलित कंपनियों का संबंधित निदेशक बोर्ड एक चालू समुत्थान के रूप में समूह के उत्तरदायित्व का मूल्यांकन करने के लिए, चालू समुत्थान से संबंधित लागू विषयों का प्रकटन करने के लिए और लेखांकन के लिए चालू समुत्थान आधार का उपयोग करने के लिए तब तक उत्तरदाई है जब तक निदेशक बोर्ड या तो समूह का परीसमापन करने की इच्छा या प्रचालन बंद करने की इच्छा नहीं करते हैं या उनके पास ऐसा ना करने का कोई वास्तविक विकल्प है। ये निदेशक बोर्ड समूह के वित्तीय रिपोर्ट करने की प्रक्रिया की निगरानी करने के लिए भी उत्तरदाई हैं

लेखापरीक्षकों का समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य इस संबंध में युक्ति युक्त आश्वासन अभिप्राप्त करना है कि क्या संपूर्ण रूप में वित्तीय विवरण चाहे कपट या त्रुटि के कारण तात्विक मिथ्या कथन से स्वतंत्र हैं या नहीं और लेखा परीक्षकों की एक ऐसी रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी राय सम्मिलित है। युक्तियुक्त आश्वासन एक ऊंचे स्तर का आश्वासन है किंतु यह इस बात की गारंटी नहीं है कि एस ए के अनुसार संचालित की गई लेखा परीक्षा हमेशा मिथ्या कथन का पता लगाएगी जब वह विद्यमान हो। मिथ्या कथन किसी कपट या त्रुटि से उत्पन्न हो सकते हैं और इन्हें तात्विक माना जाता है यदि व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से उनसे इन समेकित वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ता द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की युक्तियुक्त संभावना हो।

अन्य मामले

हमने निम्नलिखित अनुषंगी और संयुक्त रूप से नियंत्रित प्रचालनों के वित्तीय विवरण वित्तीय सूचना की लेखा परीक्षा नहीं की है, जिनकी वित्तीय सूचना 31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार नीचे दी गई उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए कुल राजस्व और शुद्ध नकद प्रवाह उस परिमाण तक जिस तक उन्हें समेकित वित्तीय विवरणों में प्रदर्शित किया गया है, आस्तियों के विवरण को प्रदर्शित करती है।

अस्तित्व का नाम	आस्तियां (रु0 में)	कुल राजस्व (रु0 में)	शुद्ध नकद प्रवाह (रु0 में)
अनुषंगी			
ईपीआई अर्बन इंफ्रा डेवलपर्स लिमिटेड संयुक्त रूप से नियंत्रित प्रचालन	6,15,601	कुछ नहीं	कुछ नहीं
ईपीआई–सी एंड सी संयुक्त उद्यम* (अनिगमित)			
योग	**6,15,601**	**कुछ नहीं**	**कुछ नहीं**

* संयुक्त रूप से नियंत्रित प्रचालन करार 2 अगस्त 2017 को किया गया।

3,01,875 रुपए कर्मचारी फायदा व्यय और 4,57,485 रुपए अन्य व्यय के लिए हैं जिनको दोनों संयुक्त उद्यम भागीदारों द्वारा बांटा जाएगा। इसलिए इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड ने 7,59,360 रुपए (3,01,8754,57,485 रुपए) को 40 प्रतिशत को अपना हिस्सा माना है। संयुक्त उद्यम कि शेष आस्तियां और दायित्व अन्य संयुक्त उद्यम भागीदार अर्थात सी एंड सी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड से संबंधित है।

इस वित्तीय विवरण/वित्तीय सूचना की लेखा परीक्षा नहीं की गई है और यह हमें प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं और समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय जहां तक उसका संबंध इन अनुषंगी और संयुक्त रूप से नियंत्रित समुत्थानों के संबंध में प्रकट प्रकट की गई रकमों और प्रकटन से संबंधित है और अधिनियम की धारा 143 की (3) के निबंधनों में हमारी रिपोर्ट जहां तक उसका संबंध पूर्वक अनुषंगी और संयुक्त रूप से नियंत्रित समुत्थान से है एकमात्र रूप से इन लेखा परीक्षा ना की गई वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचना पर आधारित है। हमारी राय में और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचना तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार वित्तीय विवरण/वित्तीय सूचना इस समूह के लिए तात्विक नहीं है।

समूह के समेकित वित्तीय विवरणों में 31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए 84,283 रुपए की हानि (पूर्व वर्ष में 1,66,409 रुपए की हानि) सम्मिलित है जैसा कि अनुषंगी ईपीआई अरविंद इंफ्रा डेवलपर्स लिमिटेड के संबंध में समेकित वित्तीय विवरणों में विचार किया गया है। अनुषंगी कंपनी अपनी निगमन तारीख 19 मई 2016 से ही प्रचालन नहीं कर रही है और इसलिए लाभ और हानि के समेकित विवरण में शुद्ध हानि को "प्रचालन को जारी ना रखने से हानि" के रूप में उप दर्शित किया गया है। तथापि नियंत्रक कंपनी (ईपीआईएल) ने ने अपने वित्तीय विवरणों में अनुषंगी में विनिधान के मूल्य में पूर्ण कमी की है। (टिप्पण संख्या 2.13 को निर्दिष्ट करें)

उपरोक्त विषयों के संबंध में प्रबंधन द्वारा वित्तीय विवरणों और अन्य सूचना पर हमारी विश्वसनीयता के संबंध में समेकित विवरणों पर हमारी राय उपांतरित नहीं है।

अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143(3) की अपेक्षा अनुसार, सिवाय ऊपर पैरा "अन्य विषय" मैं वर्णित विषय के संभव प्रभाव के, हम रिपोर्ट करते हैं किः

   (क) हमने वे सभी सूचना और स्पष्टीकरण अभिप्राप्त कर लिए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक हैं।

   (ख) हमारी राय में जहां तक लेखा बहियों की जांच से और अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट से प्रतीत होता है, कंपनी द्वारा विधि द्वारा पूर्वोक्त समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए अपेक्षित उचित लेखा बहियां रखी गई हैं

   (ग) इस रिपोर्ट में व्यौहार किया गया समेकित तुलनपत्र, समेकित लाभ और हानि विवरण तथा समेकित नकद प्रवाह विवरण लेखा बहियों के अनुरूप है।

   (घ) हमारी राय में पूर्वोक्त समेकित वित्तीय विवरण कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित धारा 133 के अधीन विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं।

   (ङ) एक सरकारी कंपनी होने के नाते, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना सं सा. का. नी. 463 (ई) तारीख 5 जून 2015 के अनुसरण में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 की उपधारा (2) के उपबंध नियंत्री कंपनी को लागू नहीं होते हैं।

   (च) समूह की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता के संबंध में और ऐसे नियंत्रण की प्रचालन प्रभावशीलता पर हमारी उपाबंध "क" पर पृथक रिपोर्ट को निर्दिष्ट करें।

(छ) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसरण में लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य विषय हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार :

i. समेकित वित्तीय विवरणों ने लंबित मुकदमेबाजी का उसकी समेकित वित्तीय प्रस्थिति पर प्रभाव का अपने वित्तीय विवरणों में प्रकटन किया है—वित्तीय विवरणों पर टिप्पण सं. 2.26 को निर्दिष्ट करें।

ii. लागू विधि या लेखांकन मानकों के अधीन यथा—अपेक्षित उपबंध दीर्घावधि संविदाओं जिसके अंतर्गत व्युत्पनी संविदाएं हैं, पर पहले से ही पता लगाए जा सकने वाले तात्विक नुकसान, यदि कोई हो, के लिए समेकित वित्तीय विवरणों में उपबंध किया है।

iii. ऐसी कोई रकम नहीं थी जिसको विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि में समूह और संयुक्त रूप से नियंत्रित प्रचालन द्वारा अंतरित करने की अपेक्षा थी।

कृते के.पी.एम.सी एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट
एफआरएन 005359सी

ह0/—
पंकज कुमार
(भागीदार)
(सदस्यता संख्या 073291)

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 16 जुलाई 2019
यूडीआईएन:190 73291एएएएपी6912

इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों पर सम संख्या तारीख का स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का उपाबंध

कंपनी अधिनियम 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की धारा 3 के खंड (i)के अधीन आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने मैसर्स इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड (''नियंत्रक कंपनी'') और उसकी अनुषंगी कंपनी अर्थात् ईपीआई अर्बन इंफ्रा डेवलपर्स लिमिटेड (नियंत्रक और अनुषंगी कंपनी दोनों को इसमें इसके पश्चात " समूह कहा गया है") और संयुक्त रूप से नियंत्रित उसके अस्तित्व (ईपीआई–सीएंडसी ''संयुक्त उद्यम'') के 31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखा परीक्षा और समूह तथा उसके संयुक्त रूप से नियंत्रित अस्तित्व की उस तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लेखा परीक्षा कर ली है ।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर प्रबंधन का उत्तरदायित्व

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान (आईसीएआई) द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा पर जारी मार्गदर्शक सिद्धांत में कथित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अनिवार्य संघटक पर विचार करते हुए नियंत्रक कंपनी और उसकी अनुषंगी कंपनी जो भारत में निर्मित कंपनियां हैं का निदेशक बोर्ड आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को स्थापित करने के लिए और उन्हें बनाए रखने के लिए उत्तरदाई है। इस उत्तरदायित्व में ऐसे पर्याप्त वित्तीय नियंत्रण का डिजाइन, कार्यान्वयन, अनुरक्षण सम्मिलित है जो कारबार का सुचारू और दक्ष संचालन करने के लिए प्रभावी रूप से प्रचालन कर रहे थे। इसके अंतर्गत नियंत्रक कंपनी की नीतियों कान पालन करना, उसकी आस्तियों के सुरक्षापाय करना, कपट और त्रुटियों का निवारण करना और उनका पता लगाना, लेखांकन अभिलेखों की शुद्धता और पूर्णता तथा कंपनी अधिनियम 2013 की अपेक्षा अनुसार विश्वसनीय वित्तीय सूचना सम्मिलित हैं।

लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधार वित्तीय रिपोर्टिंग पर नियंत्रक कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर राय व्यक्त करने का है। हमने अपनी लेखा परीक्षा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शक नोट (मार्गदर्शक नोट) तथा आईसीएआई द्वारा जारी लेखा परीक्षा मानकों जिन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10)के अधीन आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा को यथा लागू परिमाण तक पीर की गई सीमा तक जो आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा दोनों को लागू है, दोनों को भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान द्वारा जारी किया गया है के अनुसार संचालित की है। वे मानक और मार्गदर्शक नोट अपेक्षा करते हैं कि हम नैतिक अपेक्षाओं का पालन करें और लेखापरीक्षा की योजना और निष्पादन इस तथ्य का युक्तियुक्त आश्वासन प्राप्त करने के लिए करें कि क्यों वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किया गया था और बनाए रखा गया था तथा ऐसे नियंत्रण में सभी तात्विक परिप्रेक्ष्य में प्रभावशीलता के साथ प्रचालन किया।

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की प्रभावशीलता के विषय में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं को करना अंतर वलित होता है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की एक समझ प्राप्त करना, इस जोखिम का निर्धारण करना कि क्या कोई तात्विक खामी विद्यमान है और यह जांच करना और मूल्यांकन करना कि आंतरिक नियंत्रण का डिजाइन डिजाइन और प्रचालन प्रभावशीलता निर्धारित जोखिम पर आधारित है। चयन की गई प्रक्रियाएं लेखापरीक्षकों के निर्णय पर आधारित होती हैं जिसके अंतर्गत वित्तीय विवरणियों में तात्विक मिथ्या कथन के जोखिमों का निर्धारण करना भी है चाहे कपटपूर्ण हो या त्रुटिवश।

हम विश्वास करते हैं कि हमारे द्वारा अभिप्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए पर्याप्त और यथोचित आधार प्रस्तुत करता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर किसी नियंत्रक कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के संबंध में तर्कपूर्ण आश्वासन देने के लिए डिजाइन किया गया है और बाहरी प्रयोजनों के लिए विवरण साधारणतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणियों को तैयार किया जाता है। किसी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर वह नीतियां और प्रक्रियाएं सम्मिलित है जो,–

(1) उन अभिलेखों के अनुरक्षण से संबंधित है, जो युक्ति युक्त विवरण, शुद्धता, और न्यायोचित रूप से नियंत्रक कंपनी के संव्यवहार और कार्यों को परिलक्षित करते हैं,

(2) इस बात का युक्तियुक्त आश्वासन प्रदान करते हैं कि संव्यवहारों को वैसे ही अभिलिखित किया जा रहा है जैसा साधारणतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए अनुज्ञात करने के लिए आवश्यक है और कंपनी की प्राप्तियां और व्यय को प्रबंधन तथा निदेशकों के प्राधिकरण के अनुसार ही किया जा रहा है; और

(3) कंपनी की आस्तियों का अप्राधिकृत अर्जन, उपयोग या निपटान को निवारित करने या उनका समय पर पता लगाने के संबंध में युक्तियुक्त आश्वासन प्राप्त करने के लिए जिनका वित्तीय विवरणों पर तात्विक प्रभाव हो सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की निहित सीमा

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की सीमा के कारण मिलीभगत या अनुचित प्रबंधन के कारण नियंत्रणों पर अध्यारोही प्रभाव हो सकता है, त्रुटि या कपट के कारण तात्विक मिथ्या कथन हो सकते हैं और उनका पता नहीं चल सकता है। इसके अतिरिक्त भविष्य में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के मूल्यांकन का प्रक्षेपण इस जोखिम के अधीन है कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थितियों में या नीतियों या प्रक्रियाओं में अनुपालना के स्तर में गिरावट आने के कारण अपर्याप्त हो जाए।

मत

हमारे मत में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, नियंत्रक कंपनी द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण मानदंड जिसकी स्थापना भारतीय चार्टर्ड लेखाकार संस्थान द्वारा जारी "वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शक नोट में कथित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य संघटक पर विचार करते हुए" कंपनी में सभी परिप्रेक्ष्य में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की एक पर्याप्त प्रणाली है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसा आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार प्रभावी रूप से कार्य कर रहा है। तथापि हमने नोट किया है कि–

क) शेष की पुष्टि अभिप्राप्त करने और पक्षकारों के साथ मिलान करने की प्रक्रिया में कतिपय सुधार करने की आवश्यकता है।

ख) लेखा परीक्षा के पूरा होने से पहले वित्त वर्ष के लिए किसी भी समय पिछली तारीख में प्रविष्ठियां डाली जा सकती हैं। सैप प्रणाली में और सुधार की आवश्यकता है।

ग) कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, प्रबंधन ने 26.50 करोड रुपए की ओवरड्राफ्ट सीमा अभिप्राप्त करने के लिए बैंक के पास ग्राहक की समर्पित जमा वर्क्स निधि को गिरवी रखा है। 31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार 8.91 करोड रुपए बकाया है।

कृते के.पी.एम.सी एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट
एफआरएन 005359सी

ह0/–
पंकज कुमार
(भागीदार)
(सदस्यता संख्या 073291)

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 16 जुलाई 2019
यूडीआईएन:19073291एएएएपी6912

लेखा परीक्षकों की अर्हता पर कंपनी का प्रत्युत्तर

<table>
<tr><th>क्रम संख्या</th><th>लेखा परीक्षक की अर्हता</th><th>कंपनी का प्रत्युत्तर</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>व्यापार प्राप्य का शेष, ऋण एवं अग्रिम, ग्राहक का अग्रिम, प्रतिधारण धन, सुरक्षा जमा पुष्टि मिलान के अधीन है (टिप्पण संख्या 2.43 को निर्दिष्ट करें)
<table>
<tr><th>आस्ति</th><th>रकम (रुपए में)</th></tr>
<tr><td>कार्य के लिए अग्रिम</td><td>33,70,43,770</td></tr>
<tr><td>सुरक्षा जमा एवं प्रतिधारण धन</td><td>2,07,02,02,196</td></tr>
<tr><td>व्यापार प्राप्य (गैर चालू)</td><td>60,13,57,993</td></tr>
<tr><td>व्यापार प्राप्य (चालू)</td><td>3,47,15,38,700</td></tr>
<tr><td>अन्य प्राप्य</td><td>2,01,22,09,093</td></tr>
<tr><td>कुल प्राप्य</td><td>8,49,23,51,752</td></tr>
</table>
उनका वित्तीय विवरणपर परिणामिक प्रभाव,यदि कोई हो, बिना पता लगाए रहता है। इन परिस्थितियों में पूर्वोक्त पुष्टि ना किए गए शेष के संबंध में हम कोई राय बनाने में असमर्थ है</td><td>व्यापार प्राप्य का शेष, ऋण एवं अग्रिम, ग्राहक का अग्रिम, प्रतिधारण धन, सुरक्षा जमा,के शेष का मिलान करने की प्रथा का संपूर्ण उद्योग में अनुसरण की जाने वाली प्रथा के अनुसार कंपनी द्वारा पिछले अनेक वर्ष से अनुसरण किया जा रहा है</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>व्यापार प्राप्य के शेष और अन्य पक्षकारों को संदेय पुष्टि मिलान के अधीन है (टिप्पण संख्या 2.43 को निर्दिष्ट करें)
<table>
<tr><th>दायित्व</th><th>रकम (रुपए में)</th></tr>
<tr><td>व्यापार संदेय (दीर्घ अवधि)</td><td>1,17,40,00,042</td></tr>
<tr><td>व्यापार संदेय (चालू)</td><td>4,94,94,21,033</td></tr>
<tr><td>संदेय सुरक्षा जमा एवं प्रतिधारण धन</td><td>3,04,36,94,345,</td></tr>
<tr><td>संदेय सुरक्षा जमा एवं प्रतिधारण धन ©</td><td>61,10,76,884</td></tr>
<tr><td>ग्राहक के अग्रिम</td><td>33,86,74,080</td></tr>
<tr><td>ग्राहक के अग्रिम (चालू)</td><td>3,73,44,24,661</td></tr>
<tr><td>ग्राहकों को संदेय अन्य</td><td>1,40,85,298</td></tr>
<tr><td>कुल संदेय</td><td>13,86,53,76,343</td></tr>
</table>
उनका वित्तीय विवरण पर परिणामिक प्रभाव, यदि कोई हो, बिना पता लगाए रहता है। इन परिस्थितियों में पूर्वोक्त पुष्टि ना किए गए शेष के संबंध में हम कोई राय बनाने में असमर्थ है</td><td>व्यापार संदेय शेष और अन्य का मिलान करने की प्रथा का संपूर्ण उद्योग में अनुसरण की जाने वाली प्रथा के अनुसार कंपनी द्वारा पिछले अनेक वर्ष से अनुसरण किया जा रहा है</td></tr>
</table>

क्रम संख्या	लेखा परीक्षक की अर्हता	कंपनी का प्रत्युत्तर
3.	मैसर्स यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (यूसीआईएल) से 31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार व्यापार प्राप्य, प्रतिधारण एवं अन्यप्राप्य 23,68,95,695/– रुपएहोते हैं। यह रकम 10 वर्ष से अधिक पुरानी है और कंपनी की संदेश पद ऋण/उधार और अग्रिम के लिए अंगीकृत लेखांकन नीति के अनुसार शत प्रतिशत उपबंध अपेक्षित है। प्रबंधन ने 31 मार्च 2019 तक 4,43,70,000/– रुपए का उपबंध किया है। इस प्रकार अपेक्षित उपबंध 19,25,18,695/– रुपए कम है और इसके परिणाम स्वरूप ईपीआईएल का नुकसान कम दर्शाया गया है (टिप्पण संख्या 2.46 (क) को निर्दिष्ट करें)	कंपनी की लेखांकन नीति संख्या 10 के अनुसार 10 वर्ष से अधिक पुराने प्राप्य की दशा में उपबंध का किया जाना अपेक्षित है। क्योंकि परियोजना कार्यालय ने यूसीआईएल को अंतिम दिन 14 जून 2009 को दिया है इसलिए 31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार उपबंध की श्रेणी के अधीन बकाया रकम नहीं आती है। कंपनी ने मैसर्स यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (यूसीआईएल) से बकाया पुरानी रकम को वसूलने के गंभीर प्रयास किए हैं । वित्त वर्ष के दौरान भी बकाया भुगतान के मुद्दे को निर्दिष्ट करते हुए सीएमडी, यूसीआईएल सहित वरिष्ठ प्रबंधन के साथ अनेक बैठकें की गई थीं। इसका शीघ्र निपटान हो जाने की आशा है
4.	लेखांकन मानक (एएस)–7 (संनिर्माण संविदाएं) एएस–18 (संबंधित पक्ष कार प्रकटन और एएस–19 (पट्टे) के अधीन प्रकटन को ना तो क्षेत्रीय कार्यालयों (आरओ) द्वारा उनके वित्तीय विवरणों में मान्यता दी जाती है ना ही उन पर संबंधित क्षेत्रीय लेखा परीक्षकों द्वारा टिप्पणी की जाती है। इसलिए हम मुख्यालय स्तर पर इन लेखांकन मांगों पर उचित प्रकटन परकोई राय बनाने में असमर्थ हैं।	कंपनी ने पूर्व प्रथा के अनुसार अनेक वर्ष से निगम कार्यालय में लेखांकन मानक (एएस)–7 (संनिर्माण संविदाएं) एएस–18 (संबंधित पक्षकार प्रकटन और एएस–19 (पट्टे) को शाखाओं से लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों पर विचार करने के पश्चात उन्हें शामिल किया है।

मामले पर बल पर प्रत्युत्तर (समेकित वित्तीय विवरण):

क्रम संख्या	मामले पर बल	कंपनी के प्रत्युत्तर
1.	"संदेहास्पद ऋणों/ उधारों और अग्रिम के लिए उपबंध" पर लेखांकन नीति संख्या 1.10 और परियोजना के आधार पर शुद्ध प्राप्य "संदेहास्पद ऋणों/ उधारों और अग्रिम के लिए प्रबंधन के इस मामले में पूर्व अनुभव/ प्रगति/ निर्धारण के आधार पर 10 वर्ष से अधिक बकाया की दशा में ध्यान आकृष्ट किया जाता है।	ईपीआईएल द्वारा उक्त लेखांकन नीति का अनुसरण किया जा रहा है।
2.	म्यामार शाखा का परिचालन 3 मई 2018 को आरंभ किया गया था। तथापि इस तथ्य का म्यामार शाखा द्वारा वित्तीय विवरणों में प्रकटन नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त 3 मई 2018 से 31 मार्च 2019 की अवधि के लिए लाभ और हानि लेखा तैयार किए जाने के स्थान पर वर्ष 2018–19 के पूरे वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखा तैयार किया गया।	अनुपालन के लिए नोट किया गया।
3.	ईपीआईएल द्वारा म्यामार परियोजना में सी एंड सी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड की ओर से उपलब्ध कराई गई 45,54,00,000/– करोड़रुपए की बैंक गारंटी के लिए केवल 10,12,36,194/– रुपए प्राप्त किए हैं और शेष को ओमान में किए गए कार्य के लिए प्रतिभूति माना गया है। टिप्पण संख्या 2.29 (ख) निर्दिष्ट करें।	ईपीआईएल द्वारा सी एंड सी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड की ओर से उपलब्ध कराई गई 45,54/– करोड़ रुपए की बैंक गारंटी जारी करने के समय ईपीआईएल द्वारा 10,12/– करोड़ रुपए उक्त बैंक गारंटी के विरुद्ध सिक्योरिटी के रूप में प्राप्त किए हैं इसके अतिरिक्त 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 7 करोड भारतीय रुपए) सी एंड सी कंस्ट्रक्शन, म्यामार से लिए गए थे। इसके पश्चात ओमान परियोजना के बिलों के विरुद्ध 2 करोड रुपए सिक्योरिटी के रूप में प्रीतिधारित कर लिए लिए गए। इसलिए पूर्वोक्तबैंक गारंटी के विरुद्ध आज की तारीख तक ईपीआईके पास उपलब्ध कुल सिक्योरिटी 19 करोड रुपए है।इसके अतिरिक्त सी एंड सी कंस्ट्रक्शनने म्यामार परियोजना के प्रत्येक बिल से 2 करोड रुपए वसूलने का तब तक के लिए वचन बंध दिया हैजब तक ई पी आई एलउक्त बैंक गारंटी के विरुद्ध पूरी तरह से प्रतिभूत नहीं होजाती है और असफलता की दशा में शेष रकम को ओमान परियोजना से वसूला जाएगा।

क्रम संख्या	मामले पर बल	कंपनी के प्रत्युत्तर
4.	सीएंडसी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड म्यांमार में संयुक्त उद्यम "ईपीआई–सीएंडसी जेवी (अनिगमित) "हमारा 60% स्टेक भागीदार और ओमान परियोजना में हमारा मुख्य ठेकेदार एनसीएलटी में दिवाला कार्यवाहियों का इस समय सामना कर रहे हैं और यह मामला अग्रिम चरण में है। इसका परिणाम और ईपीआईएल के वित्तीय विवरणों पर उसके वित्तीय प्रभाव का पता नहीं लगाया जा सकता है।	मामले पर बल केवल एक तथ्य की विषय वस्तु है आज की तारीख तक किसी वित्तीय विविक्षा की परिकल्पना नहीं की गई है।
5.	टिप्पण संख्या 2.41 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जो यह विवरण करता है कि ईपीआई के कुछ कर्मचारियों के विरुद्ध केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने तीन मामले रजिस्टर किए हैं और ईपीआईएल के कुछ कर्मचारियों के विरुद्ध प्राथमिकी फाइल की हैं। जिनमें से दो मामले ईपीआई के कुछ कर्मचारियों द्वारा निविदा प्रदान करने के लिए कथित अवैध लाभ के आरोप में हैं। जांच/पूछताछ अभी भी जारी है।	इसका कंपनी के वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

समेकित तुलनपत्र 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार

(रकम रुपए में)

	विवरण	टिप्पण सं.	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार	
I.	**साम्या और दायित्व**					
1	**शेयरधारकों की निधियां:**					
	क) शेयर पूंजी	2.1	**354,226,880**		354,226,880	
	ख) आरक्षितियां और अधिशेष	2.2	**1,622,411,396**		1,952,736,036	2,307,241,103
	ग) गैर नियंत्रण ब्याज		**197,210**	**1,976,835,486**	**2,78,187**	
2	**आवेदन के लिए लंबित शेयर अनुप्रयोग धन**					
3	**गैर चालू दायित्व**					
	क) अन्य दीर्घावधि दायित्व	2.3	**4,570,453,765**		4,074,044,815	
	ख) दीर्घावधि उपबंध	2.4	**295,118,236**	**4,865,572,001**	274,541,026	4,348,585,841
4	**चालू दायित्व**					
	क) लघु अवधि उधार	2.5	**588,546,889**		-	
	ख) व्यापार संदेय					
	i) एमएसएमई को देय		**18,257,846**		5,761,885	
	ii) एमएसएनई से अन्य को देय		**4,931,163,187**		4,945,186,136	
	ग) अन्य, चालू दायित्व	2.7	**5,652,835,654**		7,446,545,543	
	घ) लघु अवधि उपबंध	2.8	**300,245,485**	**11,491,049,061**	262,242,097	12,659,735,661
	योग			**18,333,456,548**		19,315,562,605
II.	**आस्तियां**					
1	**गैर–चालू आस्तियां**					
	क) मूर्त आस्तियां	2.9(i)	**80,333,595**		89,872,952	
	i) संपत्ति, संयत्र और उपस्कर					
	ख) अमूर्त आस्तियां	2.9(ii)	**2,584,987**		6,040,573	
	ग) आस्थगित कर आस्तियां (शुद्ध)	2.10	**196,499,931**		158,838,339	
	घ) दीर्घावधि ऋण और अग्रिम	2.11	**3,068,131,133**		2,550,682,520	
	ड.) अन्य गैर–चालू आस्तियां	2.12	**2,613,567,086**	**5,961,116,732**	2,538,519,259	5,343,953,643
2	**चालू आस्तियां**		–		–	
	क) माल सूचियां	2.13	**1,877,153**		18,740,308	
	ख) व्यापार प्राप्या	2.14	**3,471,538,700**		3,610,991,289	
	ग) नकद और नकद समतुल्य	2.15 (i)	**2,602,971,191**		3,51,15,98,066	
	घ) अन्य बैक शेष	2.15 (ii)	**787,445,665**		410,945,708	
	ड.) लघु अवधि ऋण और अग्रिम	2.16	**1,903,736,891**		3,058,686,197	
	च) अन्य चालू आस्तियां	2.18	**3,604,770,216**	**12,372,339,816**	33,60,76,47,397	13,971,608,962
	योग			**18,333,456,548**		19,315,562,605
	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	1				
	लेखाओं पर टिप्पणियां	2.1 से 2.52				

लेखांकन नीतियां और टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं

निदेशक बोर्ड के लिए और उसकी ओर से

यह हमारी समसंख्यक तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते निदेशक बोर्ड के लिए और उसकी ओर से
कृते के.पी.एम.सी एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट
फर्म रजिस्ट्रीकरण सं.005359सी

ह0/–
(लेख राज)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन07794894

ह0/–
(एस. एस. रावत)
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
(अतिरिक्त प्रभार)
डीआईएन07555572

ह0/–
(सी.ए पंकज कुमार)
भागीदार
सदस्यता संख्या 073291
स्थानः नई दिल्ली
तारीखः 16 जुलाई, 2019

ह0/–
(एन के शर्मा)
कार्यकारी निदेशक (वित्त)

ह0/–
(दीपिका मेहता)
कंपनी सचिव

लाभ और हानि का समेकित विवरण 31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार

(रकम रुपए में)

	विवरण	टिप्पण संख्या	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार
I.	प्रचालनों से राजस्व	2.18	**17,910,486,804**	16,074,098,507
II.	अन्य आय	2.19	**51,761,171**	152,679,188
III.	**कुल आय (I+II)**		**17,962,247,975**	16,226,777,695
IV.	**व्यय :**			
	प्रचालन व्यय	2.20	**17,167,138,366**	15,014,694,282
	कर्मचारी फायदा व्यय	2.21	**762,054,377**	785,215,766
	वित्तीय लागतें	2.22	**50,147,981**	48,570,364
	अवक्षयण एवं अपाकरण व्यय	2.9	**18,963,577**	15,467,875
	अन्य व्यय	2.23	**259,543,142**	326,720,361
	कुल व्यय		**18,257,847,443**	16,190,668,648
V.	**अपवादी और असाधारण मदों से पूर्व लाभ/(हानि) और कर (III-IV)**		**(295,599,468)**	36,109,047
VI.	पूर्वावधि व्यय (शुद्ध)	2.24	**646,857**	18,987,494
VII.	**असाधारण मदों और कर से पूर्व लाभ/(हानि) (V-VI)**		**(296,246,325)**	17,121,553
VIII.	असाधारण मदें		–	
IX.	**असाधारण मदों और कर से पूर्व लाभ/(हानि) (VII-VIII)**		**(296,246,325)**	17,121,553
X	असाधारण मदें		–	
XI	**कर से पूर्व लाभX(हानि) IX-X)**		**(296,246,325)**	17,121,553
XII.	कर व्यय			
	चालू कर	2.11	**43,430,628**	8,469,635
	पहले के वर्षों के लिए कर समायोजन (शुद्ध)		**28,224,996**	(2,914,935)
	अस्थगित कर		**(37,661,592)**	10,222,957
XIII.	**जारी रखे गए प्रचालनों से लाभ/(हानि) (XI-XII)**		**(330,240,357)**	1,343,896
XIV	जारी ना रखे गए प्रचालनों से लाभ/(हानि)		**(84,283)**	(166,409)
XV	जारी ना रखे गए प्रचालनों का कर व्यय		–	–
XVI	**जारी ना रखे गए प्रचालनों से (कर के पश्चात) लाभ/(हानि) (XIV-XV)**		**(84,283)**	(166,409)
XVII	**वर्ष के लिए लाभ/(हानि) (XIII-XVI)**		**(330,324,640)**	1,177,487
XVIII	**प्रति शेयर अर्जन (आधारी एवं डायलूटिड)**	2.39	**(9.33)**	0.03
	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	1	–	–
	लेखाओं पर टिप्पणियां	2.1से 2.52		

लेखांकन नीतियां और टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं

निदेशक बोर्ड के लिए और उसकी ओर से

यह हमारी समसंख्यक तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते निदेशक बोर्ड के लिए और उसकी ओर से
कृते के.पी.एम.सी एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट
फर्म रजिस्ट्रीकरण सं.005359सी

ह0/–
(लेख राज)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन07794894

ह0/–
(एस. एस. रावत)
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
(अतिरिक्त प्रभार)
डीआईएन07555572

ह0/–
(सी.ए पंकज कुमार)
भागीदार
सदस्यता संख्या 073291
स्थान: नई दिल्ली
तारीख: 16 जुलाई, 2019

ह0/–
(एन के शर्मा)
कार्यकारी निदेशक (वित्त)

ह0/–
(दीपिका मेहता)
कंपनी सचिव

31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए समेकित रोकड़ प्रवाह विवरण

(रकम रुपए में)

विशिष्टियां	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार
प्रचालन कार्यकलापों से नकद प्रवाह		
कर पूर्व शुद्ध लाभ	**(296,246,325)**	17,121,553
अनुषंगी में (लाभ)/हानि का समायोजन	**(165,260)**	(326,293)
अनुषंगी (लाभ)/हानि को समायोजित करने के पश्चात शुद्ध लाभ	**(296,411,585)**	16,795,260
निम्नलिखित के लिए समायोजन		
–अवक्षयण और अपाकरण	**18,963,577**	15,702,523
–आस्तियों की बिक्री से (लाभ)/हानि (शुद्ध)	**75,104**	109,501
–नियत जमा पर ब्याज	**(7,336,407)**	(12,872,589)
विदेशी मुद्रा में विनिमय परिवर्तन का प्रभाव		
नकद एवं नकद समतुल्य		
कार्यशील पूंजी परिवर्तनों से पूर्व प्रचालन लाभ	**(284,709,311)**	19,734,695
–माल सूचियों में कमी (वृद्धि)	**16,863,155**	20,912,781
–बिल न बनाए गए राजस्व में कमी (वृद्धि)	**(371,148,715)**	279,825,041
–विभिन्न लेनदारों में (वृद्धि) कमी	**26,743,169**	(685,511,814)
–धारणाधिकार के अधीन नियत जमा में कमी वृद्धि	**(2,285,833)**	39,684,440
–ऋणों एवं अग्रिम में कमी (वृद्धि)	**652,937,710**	834,536,889
–चालू देनदारियों एवं उपबंधों में (वृद्धि)/कमी	**(555,763,541)**	524,331,980
प्रचालनों से सृजित रोकड़	**(517,363,366)**	1,033,514,011
आय–कर	**(33,994,032)**	(15,777,657)
प्रचालनों कार्यकलापों से शुद्ध नकद	**(551,357,398)**	1,017,736,354
विनिधान कार्यकलापों से नकद प्रवाह		
–स्थिर आस्तियों का क्रय/संनिर्माण	**(6,235,268)**	(12,172,954)
–आस्तियों के विक्रय से आगम	**191,530**	111,640
–ब्याज आय	**22,988,386**	(17,024,787)
– एफडीआर 3 माह से अधिक परिपक्वता वाले नियत जमा	**(374,214,125)**	(383,685,875)
विनिधान कार्यकलापों से शुद्ध नकद	**(357,269,477)**	(412,771,976)
वित्तीय कार्यकलापों से नकद प्रवाह		
– एफडीआर 3 माह से अधिक परिपक्वता वाले नियत जमा		
–संदत्त लाभांश	-	-
–संदत्त लाभांश कर	-	-
वित्तीय कार्यकलापों में उपयोग किया गया शुद्ध नकद	-	-
विदेशी मुद्रा में विनिमय के मद्दे विनिमय परिवर्तन का प्रभाव		
–नकद एवं नकद समतुल्य		
नकद एवं नकद समतुल्य शुद्ध वृद्धि/(कमी)	**(908,626,875)**	604,964,378
वर्ष के आरम्भ में नकद एवं नकद समतुल्य	**3,511,598,066**	2,906,633,688
वर्ष के अंत में नकद एवं एवं नकद समतुल्य	**2,602,971,191**	3,511,598,066
नकद और नकद समतुल्य का मिलान		
हाथ में नकद (टिप्पण संख्या 2.15 को निर्दिष्ट करें)	**15,205**	200,309
हाथ में चौक (टिप्पण संख्या 2.15 को निर्दिष्ट करें)	-	-
संव्यवहार में विप्रेषण	-	-
चालू खातों में बैंक के पास शेष (टिप्पण संख्या 2.15 को निर्दिष्ट करें)		
अन्य बैंकों में नियत शेष जमा (टिप्पण संख्या 2.15 को निर्दिष्ट करे)	**512,678,819**	990,673,547
नकद एवं नकद समतुल्य	**2,090,277,167**	2,520,724,210
	2,602,971,191	3,511,598,066
वर्ष के अंत में नकद एवं नकद समतुल्य	**2,602,971,191**	3,511,598,066

टिप्पण:

1. नकद एवं नकद समतुल्य में नकद और बैंकों में शेष सम्मिलित है जिसके अंतर्गत धारानाधिकार/मार्जिन नियत जमा को छोडकर नियत जमा और लिक्वड विनिधान है।

2. पूर्वक रोकड़ प्रवाह विवरणी को भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक ए एस–3 " नकद प्रवाह विवरणी" के अनुसार प्रत्यक्ष विधि का उपयोग करते हुए तैयार किया गया है।

3. नकद एवं नकद समतुल्य में नकद और अन्य बैंक शेष और बैंकों के पास जमा सम्मिलित है।

4. पूर्व वर्ष के आंकड़ों का पुनः समूहीकरण किया गया है और जहां आवश्यक हो उन्हें पुनः दिया गया है।

हमारी समसंख्यक तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते निदेशक बोर्ड के लिए और उसकी ओर से

हमारी समसंख्यक तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते निदेशक बोर्ड के लिए और उसकी ओर से
कृते के.पी.एम.सी एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट
फर्म रजिस्ट्रीकरण सं.005359सी

ह0/–	ह0/–
(लेख राज)	(एस. एस. रावत)
निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
डीआईएन07794894	(अतिरिक्त प्रभार)
	डीआईएन07555572

ह0/–
(सी.ए पंकज कुमार)
भागीदार
सदस्यता संख्या 073291

ह0/–	ह0/–
(एन के शर्मा)	(दीपिका मेहता)
कार्यकारी निदेशक (वित्त)	कंपनी सचिव

स्थान: नई दिल्ली
तारीख: 16 जुलाई, 2019

समेकित वित्तीय विवरणियों के टिप्पण (31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए)

I. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. लेखांकन का आधार

(क) वित्तीय विवरणियां ऐतिहासिक लागत अभिसमय के अधीन वास्तविक अर्जन के आधार पर भारत में साधारणतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार तैयार की गई हैं और उन्हें कंपनी (लेखांकन) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पाठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 और कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम, 2013) के सुसंगत उपबंधों का अनुपालन करने के लिए तैयार किया गया है।वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए अंगीकार की गई लेखांकन नीतियां सिवाय निम्नलिखित के, पूर्व वर्ष के लिए अनुपालन की गई के अनुसार हैं:

(ख) सभी आस्तियों और दायित्वों को कंपनी अधिनियम, 2013 की अधिकथित अनुसूची—III के अनुसार वर्गीकृत किया गया है। प्रचालनों की प्रकृति और उस समय जिसके भीतर आस्तियों को नकद या नकद समतुल्य में कारबार के साधारण प्रक्रम में प्राप्त करने की संभावना है। कंपनी ने अपने प्रचालन चक्र को आस्तियां और दायित्वों को चालू और गैर—चालू में वर्गीकृत करने के प्रयोजन के लिए 12 मास में रखा है।

2. आकलनों का उपयोग

वित्तीय विवरणों का साधारणतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप तैयार करना अपेक्षा करता है कि प्रबंधन आकलन और पूर्वधारणा करे कि जो आस्तियों और दायित्वों की रिपोर्ट की गई मात्रा को प्रभावित करें और वित्तीय विवरण की तारीख को और रिपोर्ट की गई अवधि के दौरान प्रचालनों का परिणाम आकस्मिक आस्तियों और दायित्वों का प्रकटन, यदि कोई है। तथापि यह आकलन प्रबंधन की चालू घटनाओं और कार्रवाईयों की जानकारी पर आधारित है, वास्तविक परिणाम इन आकलनों और पुनरीक्षणों, यदि कोई हों से भिन्न हो सकते हैं, इनको चालू और भावी अवधियों में मान्यता दी गई है।

3. राजस्व को मान्यता

(क) संविदा राजस्व को उस स्तर तक मान्यता दी गई है जहां तक आर्थिक फायदे कंपनी को प्राप्त होंगे और राजस्व का विश्वसनीय रूप से मापन किया जा सकता है। राजस्व को संकर्म की समग्र लागत और संपूर्ण करने की विधि के प्रतिशत का उपयोग करते हुए समानुपात मार्जिन को जोड़कर मान्यता दी गई है। संपूर्ण करने के प्रतिशत का अवधारण संविदा की कुल प्राक्कलित लागत की तारीख तक उपगत समानुपाती लागत का अवधारण करके किया जाता है।

(ख) वर्ष के अंत में निष्पादित किया गया कार्य किन्तु माप नहीं किया गया/आगतः निष्पादित कार्य को इंजीनियरों के प्रमाणपत्र के आधार पर गणना में लिया जाता है, ऐसी गणना से उदभूत प्रविष्टियों को उत्तरवर्ती लेखांकन वर्ष में विलोमतः कर दिया जाता है। तदनुसार, वास्तविक प्राप्ति/जारी किए गए बीजकों/दावों को जारी करने के समय कानूनी बाध्यताओं को पूरा किया जाता है।

(ग) परियोजनाओं के समयपूर्व बंद करने/समाप्त करने की दशा में राजस्व को उस संविदा मूल्य के परिमाण तक जिसकी वसूली संभावित है मान्यता दी जाती है।

(घ) सलाहकारी सेवाओं से राजस्व को समानुपातिक पूर्ण करना विधि के आधार पर मान्यता दी जाती है। उन मामलों की दशा में जहां दावों के समय युक्तियुक्त निश्चितता के साथ वास्तविक संग्रहण नहीं किया गया है मान्यता को संग्रहण करने के समय तक स्थगित कर दिया जाता है।

(ड.) उन संविदाओं की दशा में जहां संविदा की लागत संविदा के राजस्व से अधिक हो जाती है, अनुमान लगाई गई हानि को तुरंत मान्यता दी जाती है।

(च) ग्राहक के साथ संविदा में बढ़ोतरी और अतिरिक्त संकर्म का उपबंध किया जाता है, माध्यस्थम पंचाटों से उदभूत दावों और बीमा दावों को प्राप्ति के आधार पर गणना में लिया जाता है।

(छ) विवादध्बातचीत और असंदेहध्अप्राप्य नहीं समझे जाने वाले दावों के संबंध में संविदाकारी बाध्यताओं से उदभूत नुकसानों को अंतिम निपटान तक गणना में नहीं लिया जाता है।

(ज) संविदा को लेखांकन प्रयोजनों के लिए अंतिम बिलिंग, चालू करने के प्रमाण पत्र, वाणिज्यिक रूप से आरंभ करने, पूर्व समापन और/या क्षमापन इनमें से जो भी पहले हो, समाप्त माना जाता है। (ञ) बकाया रकम और लागू दर को गणना में लेते हुए व्याज आय को समय समानुपात में मान्यता दी जाती है।

(झ) भाटक से राजस्व को किराएदार से पट्टा करार के आधार पर सिवाय वहां जहां वास्तविक संग्रहण को संदेहस्पद समझा जाता है, उदभूत होने के आधार पर मान्यता दी जाती है।

4. मालसूची

(i) सामग्रियां

(क) संनिर्माण सामग्रियां, उपभोज्य और भंडार एवं उपसाधनों जिसके अंतर्गत इस्पात, सीमेंट और पाइप नहीं है को क्रय के समय संविदा लागत पर प्रभारित किया जाता है। ऐसी बची हुई सामग्रियों के निपटान के लेखे विक्रय से आगतों को विक्रय के वर्ष में प्रकीर्ण आय में गणना में लिया जाता है।

(ख) इस्पात, सीमेंट और पाइपों के स्टॉक का मूल्यांकन लागत या शुद्ध प्राप्त हो सकने वाले मूल्य से कम पर किया जाता है। लागत में भाड़ा और अन्य संबंधित अनुषंगिक व्यय शामिल हैं और उनकी गणना भारित औसत लागत के आधार पर की जाती है।

(ii) चालू कार्य

चालू संनिर्माण कार्य का मूल्यांकन ऐसे समय तक लागत के आधार पर किया जाता है जब तक कार्य के परिणाम का विश्वसनीय रूप से पता नहीं लगाया जा सकता है।

5. विदेशी मुद्रा संव्यवहार

विदेशी परियोजनाओं की वित्तीय विवरणियों को निम्नलिखित रीति में परिभाषित किया जाता है :

(i) राजस्व मदों (आय और व्यय) को भारतीय मुद्रा में क्रय दर की सुसंगत वित्त वर्ष के प्रत्येक मास के अंतिम कार्य दिवस को विद्यमान मासिक औसत के आधार पर गणना में लिया जाता है।

(ii) संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर और गैर–धनीय मदों को संव्यवहार की तारीख को क्रय दर पर गणना में लिया जाता है।

(iii) अवक्षयण को आस्तियों के मूल्य को गणना में लेने के लिए उपयोग की गई दर पर गणना में लिया जाता है जिसपर अवक्षयण की संगणना की गई है।

(iv) माल सूचियों को प्रत्येक तुलनपत्र की तारीख को विद्यमान क्रय दर पर गणना में लिया जाता है।

(v) धनीय मदें (आस्तियां और दायित्व) तथा आकस्मिक दायित्वों को प्रत्येक तुलनपत्र की तारीख को विद्यमान अंतिम क्रय दरों पर गणना में लिया जाता है।

गणना में लिए जाने के परिणामस्वरूप शुद्ध विनिमय विभेद की पहचान वर्ष के लिए आय या व्यय के रूप में की जाती है।

6. संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर

संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर का लागत पर वसूलनीय कर, व्यापार बट्टा रिवेट घटा संचित अवक्षयण और नुकसान की हानियां, यदि हो को घटाकर कथन किया जाता है। इस लागत में खरीद कीमत, उधार लेने की लागत और कोई ऐसी लागत सम्मिलित है जो सीधे आस्तियों को उनकी कार्यकारी स्थिति में लाने के लिए आशयित इस्तेमाल के लिए संबंधित है, विदेशी मुद्रा में शुद्ध परिवर्तन, संविदा और समायोजन जो विनिमय दर में फेरफार से उत्पन्न होते हैं वह आस्ती के लेखे डाले जाते हैं।

पश्चातवर्ती लागतों को आस्ति की वहन रकम में सम्मिलित किया जाता है या पृथक आस्ति के रूप में उस को मान्यता दी जाती है, जैसा भी समुचित हो, ऐसा केवल तब किया जाता है जब इस बात की संभावना हो की मद से सहबद्ध भावी आर्थिक फायदे निकाय को प्रभाहित होंगे और लागत का विश्वसनीय रूप से अंकन किया जा सकता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर पर अवक्षयण कि संगणना सीधी रेखा के आधार पर आस्ति के उपयोगी जीवन पर आधारित होती है जिसे कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II के अनुसार दर्शाया जाता है और आस्ति के उपयोगी जीवन के दौरान 95% लागत को बट्टे खाते में डाला जाता है।

7. अवक्षयण :

(क) संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर के अवक्षयण की संगणना आस्ति के उपयोगी जीवन के आधार पर सीधी रेखा के आधार पर कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–II के अनुसार की जाती है और आस्तियों के संभावित उपयोगी जीवन के दौरान 95% लागत को बट्टे खाते में डाल दिया जाता है।

(ख) आस्तियों के उपयोगी जीवन के आधार पर उदभूत अवक्षयण की निम्नलिखित दरों को अंगीकृत किया गया है।

क्र.सं.	आस्तियों का विवरण	अवक्षयण की दर
1	**भवन (कारखाना भवन से भिन्न) आरसीसी फ्रेम ढांचा (एनईएसडी)**	1.58%
2	**अन्य अस्थायी संनिर्माण (जिसके अंतर्गत अस्थायी ढांचा आदि हैं (एनईएसडी)**	31.67%
3	सिविल संनिर्माण में उपयुक्त संयंत्र मशीनरी	
3(क)(i)	**कंक्रीटकरण, क्रशिंग, पाइलिंग उपस्कर और सड़क बनाने की मशीन**	7.92%
3(क)(ii)(क)	100 टन से अधिक क्षमता की क्रेनें	4.75%
3(क)(iii) (ख)	100 टन से कम क्षमता की क्रेनें	6.33%
3(क)(iii)	मृदा परिचालन उपस्कर	10.56%
3(क)(iv)	अन्य जिसके अंतर्गत सामग्री हथालन/पाइपलाइन/बैल्डिंग उपस्कर (एनईएसडी)	7.92%
4	**साधारण फर्नीचर और सज्जा (एनईएसडी)**	9.50%

5	**कार्यालय उपस्कर (एनईएसडी)**	19%
6	**कम्प्यूटर और डाटा प्रसंस्करण इकाइयां (एनईएसडी)**	
6(क)	सर्वर और नेटवर्क	15.83%
6(ख)	'अंतिम उपयोगकर्ता इकाइयां जैसे डैस्कटॉप, लैपटॉप, साफ्टवेयर जिसके अंतर्गत उपयोक्ता अनुज्ञप्ति फीस, अन्य अमूर्त आस्तियां आदि हैं	31.67%
7.	**मोटरयान (एनईएसडी)**	
7(क)	मोटरसाइकिल, स्कूटर एवं अन्य मोपेड	9.50%
7(ख)	मोटर बस, मोटर लॉरी और भाटक पर उन्हें चलाने के कारबार से भिन्न मोटर कारें	11.88%

सिवाय उन आस्तियों के संबंध में जिनके लिए कोई अतिरिक्त शिफ्ट अवक्षयण (एनईएसडी) अनुज्ञात नहीं है जैसाकि उपदर्शित किया गया है, यदि किसी आस्ति का उपयोग वर्ष के दौरान किसी भी समय दोहरी शिफ्ट के लिए किया जाता है तो अवक्षयण उस अवधि के लिए 50 प्रतिशत बढ़ जाएगा और तिहरी शिफ्ट के लिए अवक्षयण की संगणना उस अवधि के लिए 100 प्रतिशत के आधार पर की जाएगी।

(ग) 5,000 रुपए या उससे कम लागत की संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर और मोबाइल फोन का क्रय वर्ष में पूर्णतः अवक्षयण किया जाता है। (घ) पट्टाधृत भवन का अपाकरण पट्टे की अवधि के दौरान या विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान या उसकी संगणना कंपनी द्वारा अंगीकृत दरों पर की जाती है, इनमें से जो भी लघु हो। परपेच्युअल पट्टे के अधीन धृत भूमि का अपाकरण नहीं किया जा रहा है और उसे लागत के आधार पर अग्रनीत किया जाता है।

8. कर्मचारी फायदे

(i) लघु अवधि कर्मचारी फायदों को वर्ष के जिसमें संबंधित सेवा दी गई है के लाभ और हानि विवरण में गैर रियायती रकम पर एक व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

(ii) सेवानिवृत्ति उपरांत और अन्य दीर्घावधि कर्मचारी फायदों को उस वर्ष की लाभ और हानि विवरण में जिसमें कर्मचारी ने सेवा दी है एक व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है। व्यय को संदेय रकम के विद्यमान मूल्य पर मान्यता दी जाती है जिसे वास्तविक मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके अवधारित किया जाता है। सेवानिवृत्ति के उपरांत और अन्य दीर्घावधि फायदों के संबंध में वास्तविक लाभ और हानि को लाभ और हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है।

9. उपबंध, आकस्मिक दायित्व और आकस्मिक आस्तियां

उपबंधों को तब मान्यता दी जाती है जब कंपनी की किसी पूर्व घटना के परिणामस्वरूप बाध्यता हो और यह संभावना हो कि बाध्यता को निपटाने के लिए संसाधनों के ओवरफ्लो की अपेक्षा होगी और जिसके लिए एक विश्वसनीय आकलन किया जा सकता है। उपबंधों को उनके वर्तमान मूल्य पर रियायत नहीं दी जाती है और उनका अभिधारण तुलनपत्र की तारीख को बाध्यता का निपटान करने के लिए सर्वोत्तम आकलनों के आधार पर किया जाता है। प्रत्येक तुलनपत्र की तारीख को उपबंधों का पुनरीक्षण किया जाता है और चालू सर्वोत्तम आकलनों को उपदर्शित करने के लिए समायोजित किया जाता है। किसी आकस्मिक दायित्व का प्रकटन किया जाता है जब तक कि आर्थिक फायदों को मूर्त रूप देने के लिए संसाधनों के ओवरफ्लो की संभावना सुदूर न हो। आकस्मिक दायित्वों को न तो मान्यता दी जाती है, न ही उनका वित्तीय विवरणों में प्रकटन किया जाता है।

10. संदेहस्पद ऋणों/उधारों और अग्रिमों के लिए उपबंध

भारत सरकार के विभागों और पीएसई ग्राहकों से संबंधित बंद हो गई परियोजनाओं में व्यापार प्राप्य/ऋणों और अग्रिमों की रकम को लेनदारों/ऋणों/अग्रिमों को जिस वर्ष वह देय होते हैं से 10 वर्ष तक प्राप्त करने के लिए अच्छा समझा जाता है। इन ऋणों को प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास किया जाता है जब तक कि ग्राहक के साथ अंतिम निपटान न किया जाए या माध्यस्थम अधिकरण/न्यायालय द्वारा विवाद के मामले में निर्णय न दे दिया जाए। संदेहस्पद ऋणों/उधारों और अग्रिमों से परियोजना के आधार पर शुद्ध प्राप्ति के लिए के लिए प्रबंधन के अनुभव/निर्धारण/पूर्ववर्ती अनुभव के आधार पर आवश्यक उपबंध किए जाते हैं यदि 10 वर्ष से अधिक से बकाया हैं। व्यापार प्राप्य/ऋणों और अग्रिमों को तब बट्टे खाते में डाल दिया जाता है जब उनकी वसूली न की जा सकती हो। मध्यस्थ/अधिकरण/न्यायालय के पास लंबित मामलों के लिए कोई उपबंध नहीं किया जाता है।

11. खंड रिपोर्टिंग

परियोजनाओं की भौगोलिक अवस्थिति के आधार पर कंपनी ने दो प्रारंभिक रिपोर्टिंग खंडों अर्थात घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय की पहचान की है।

12. आस्तियों का क्षीण हो जाना

प्रत्येक तुलनपत्र की तारीख को कंपनी की आस्तियां चाहे इस बात का कोई संकेत हो कि आस्तियां क्षीण हो गई हैं। यदि ऐसा कोई संकेत विद्यमान है तो कंपनी आस्तियों की वसूलनीय रकम का आकलन करती है। यदि आस्ति की ऐसी वसूलनीय रकम या रोकड़ सृजित करने वाली इकाई जिसकी आस्ति है से वसूली योग्य रकम उसकी चल रही रकम से कम है तो चल रही रकम को वसूलीय रकम से घटा दिया जाता है और कटौती को क्षीणता नुकसान माना जाता है और लाभ और हानि लेखे में इसको मान्यता दी जाती है। यदि तुलनपत्र की तारीख को यह संकेत हो कि पूर्व में निर्धारित क्षीणता नुकसान अब विद्यमान नहीं है तो वसूलनीय रकम का पुनःनिर्धारण किया जाता है और आस्ति को वसूलीय रकम में अधिकतम अवक्षयित ऐतिहासिक लागत की शर्त के अधीन रहते हुए, उपदर्शित किया जाता है और तदनुसार, लाभ और हानि लेखे में उसे विलोमतः कर दिया जाता है।

13. कराधान

वर्ष में कर के लिए उपबंध में आय–कर अधिनियम, 1961 की धारा 115जख के उपबंधों के अनुसरण में संगणित संदेय बही खाता लाभ या अवधि के लिए करादेय आय के संबंध में संदेय कर की रकम को अवधारित चालू आय–कर आकलन शामिल हैं और अस्थिगित कर वह अस्थायी समय विभेद का कर प्रभाव है जो करादेय और लेखांकन आय को दर्शाता है जो एक अवधि में उदभूत होती है और पश्चातवर्ती एक या अधिक अवधियों में जो विलोमतः होने के लिए सक्षम है और जिसकी संगणना सुसंगत घरेलू कर विधियों के अनुसार की जाती है।

अस्थगित कर की गणना कर दरों और तुलनपत्र की तारीख को अधिनियमित कर विधियों या पश्चातवर्ती अधिनियमित कर विधियों के आधार पर की जाती है। अस्थगित कर आस्तियों को मान्यता उस सीमा तक दी जाती है जिसकी युक्तियुक्त निश्चितता है कि भविष्य में करादेय पर्याप्त आय ऐसी अस्थगित कर आस्तियों के विरूद्ध उपलब्ध होगी जिसको वसूला जा सकेगा। अग्रनीत हानियों और अवशोषित अक्षयण के संबंध में आस्थगित कर आस्तियों को उस सीमा तक मान्यता दी जाती है जिस तक यह अभासी निश्चितता है कि पर्याप्त भावी करादेय आय उपलब्ध होगी जिससे ऐसी अस्थगित कर आस्तियों को वसूला जा सकेगा।

कर विधियों के अनुसार संदत्त न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी), जो भावी आय–कर दायित्व के समायोजन के रूप में भावी आर्थिक फायदे देता है को एक आस्ति माना जाता है यदि इस बात का विश्वसनीय साक्ष्य हो कि कंपनी भविष्य में अपना साधारण कर संदत्त करेगी। कंपनी इसका प्रत्येक तुलनपत्र की तारीख को पुनरीक्षण करती है और उस सीमा तक एमएटी प्रत्यय पात्रता की अग्रनीत रकम को लिखती है जिस सीमा तक इस बात का और विश्वासदायक साक्ष्य नहीं है कि कंपनी उस प्रत्यय का उपयोग विनिर्दिष्ट अवधि में करने में सफल होगी।

14. पट्टा

प्रचालित पट्टों के अधीन पट्टा संदायों को मान्यता व्यय के रूप में लाभ और हानि लेखे में सीधे रेखा आधार पर पट्टा निबंधन पर दी जाती है।

15. प्रति शेयर अर्जन

प्रति शेयर आधारिक अर्जन की संगणना साम्या शेयरधारकों (अधिरोपणीय करों की कटौती करने के पश्चात) से संबंधित अवधि के लिए शुद्ध लाभ या हानि की अवधि के दौरान बकाया साम्या शेयरों की भारित संख्या से भाग करके की जाती है।

प्रति शेयर कम होते अर्जन की संगणना करने के प्रयोजन के लिए शेयरधारिकों से संबंधित अवधि के लिए शुद्ध लाभ या हानि अवधि के दौरान बकाया शेयरों की भारित संख्या को कम होते संभावित साम्या शेयरों के प्रभाव के लिए समायोजित कर दिया जाता है।

16. पूर्वावधि मदें और पूर्व संदत्त व्यय

पूर्वावधि से संबंधित व्ययध्आय और पूर्व संदत्त व्यय जो प्रत्येक मामले में 100,000 रुपए से अधिक नहीं हैं का चालू वर्ष के व्ययध्आय के रूप में उपचार किया जाता है।

17. कॉरपोरेट कार्यालय ओवरहेड्स का आवंटन

कॉरपोरेट/मुख्य कार्यालय वेतन और संबंधित लागतों से संबंधित ओवरहेड ईपीएल के कुल कारोबार से अधिक के कारोबार के अनुपात में ओमान परियोजना को आवंटित किया जाता है।

18. समेकन के सिद्धांत

क) समूह के समेकित वित्तीय विवरण को ऐतिहासिक लागत अभिसमय के अधीन और भारत में लागु लेखांकन मानकों के अनुसार तैयार किया गया है। वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 और अन्य लागू विधियों की सुसंगत प्रस्तुति अपेक्षाओं का अनुपालन करते हैं।

ख) कंपनी और अनुषंगी के वित्तीय विवरण को समेकित वित्तीय विवरण पर लेखांकन मानक–21 के अनुसार अंतर समूह–शेष/संव्यवहार को हटाकर आस्तियों की समान मदों, दायित्वों आय और व्यय को जोड़कर लाइन दर लाइन आधार पर संयोजित किया जाता है।

ग) समेकित अनुषंगी की निबल आस्तियों के अल्पसंख्यक शेयर के भाग की पहचान की जाती है और उसे समेकित तुलन पत्र में कंपनी के शेयरधारकों के दायित्व और साम्या से पृथक प्रस्तुत किया जाता है। समेकित अनुषंगी के अल्पसंख्यक हित के शेयर के शुद्ध लाभ/(हानि) की पहचान की जाती है और उसे कंपनी के शेयरधारकों की शुद्ध आय का पता लगाने के लिए समूह की आय के विरुद्ध उसे समायोजित किया जाता है।

घ) समेकित अनुषंगी की शुद्ध आस्ति अल्पसंख्यक हित मैं अल्पसंख्यक शेयरधारकों की साम्या की रकम से मिलकर बनती है।

ङ) स्टेक के अर्जन की तारीख को विनिधान करने वाली कंपनी समानुपाती शेयरों पर अनुषंगी में उसके विनिधान को कंपनी की लागत से अधिक्य को समेकित वित्तीय विवरणों में साख के रूप में मान्यता दी जाती है। विनिधान की तारीख को किसी अनुषंगी में विनिधान की लागत विनिधान करने वाली कंपनी की साम्य में शेयर के समानुपात से कम है तो अंतर को समेकित वित्तीय विवरण में पूंजी आरक्षिति के रूप में मान्यता दी जाती है।

टिप्पण सं. 2.1

(रकम रुपए में)

शेयर पूंजी	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार
प्राधिकृत 10/-रुपए प्रत्येक के संदत्त 909404600 साम्या शेयर	**9,09,40,46,000**	9,09,40,46,000
(पूर्व वर्ष 10/-रुपए प्रत्येक के संदत्त 90,94,04,600 पूर्णतया संदत्त साम्या शेयर) **जारी अंशधृत और पूर्णतया संदत्त** 10/-रुपए के प्रत्येक 3,54,22,688 साम्या शेयर (पूर्व वर्ष 10/-रुपए प्रत्येक के संदत्त 3,54,22,688 पूर्णतया संदत्त साम्या शेयर)	**35,42,26,880**	35,42,26,880
योग	**35,42,26,880**	35,42,26,880

टिप्पण 2.1 (क)

बकाया शेयरों की संख्या का पुनः समायोजन	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार
	संख्या	संख्या
वर्ष के प्रारंभ में	**3,54,22,688**	3,54,22,688
वर्ष के अंत में	**3,54,22,688**	3,54,22,688

टिप्पण 2.1 (ख)

5% से अधिक प्रत्येक शेयरधारक द्वारा धृत शेयरों की संख्या	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार	
	शेयरों की संख्या	प्रतिशत धृति	शेयरों की संख्या	प्रतिशत धृति
भारत का राष्ट्रपति	**3,54,15,677**	**99.98**	3,54,15,677	99.98

टिप्पण सं. 2.2

(रकम रुपए में)

आरक्षित एवं अधिशेष	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार
क) पूंजी आरक्षिति		
वर्ष के प्रारंभ में और अंत में शेष	**210,020**	210,020
ख) साधारण आरक्षिति		
वर्ष के प्रारंभ में शेष	**211,500,000**	211,500,000
जोड़ें : वर्ष के दौरान वर्धन	–	–
वर्ष के अंत में शेष	**211,500,000**	211,500,000
ग) लाभ और हानि के विवरण में अधिशेष		
वर्ष के प्रारंभ में शेष	**1,741,026,016**	1,739,848,529
जोड़ें : वर्ष के लिए लाभ/(हानि)	**(330,324,640)**	1,177,487
	–	–
घटाएं : संदत्त लाभांश*	–	–
घटाएं : लाभांश वितरण कर*	–	–
वर्ष के अंत में शेष	**1,410,701,376**	1,741,026,016
योग(क+ख+ग)	**1,622,411,396**	1,952,736,036

* कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (लेखांकन मानक) ने संशोधन नियम 2016 (सा. का.नि 364(अ) तारीख 30 मार्च 2016 को अधिसूचित करते हुए लेखांकन मानक (एएस) –4 आकास्मिक्ताएं और तुलन पत्र तारीख के पश्चात होने वाली घटनाएं को संशोधित किया है। संशोधित लेखाकन मानक एएस –4 का पैरा 14 उपबंध करता है कि यदि लाभांश की घोषणा तुलन पत्र की तारीख के पश्चात की जाती है तब ऐसे लाभांश को तुलन पत्र की तारीख को दायित्व के रूप में मान्यता नहीं दी जाती है क्योंकि उस तारीख को कोई बाध्यता विद्यामान नहीं थी।

यद्यपि, ईपीआई ने विनिधान और लोक आस्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) को अपर्याप्त वितरण योग्य लाभांश के कारण वित्त वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 के लिए लाभांश का संदाय करने से छूट प्रदान करने का आवेदन किया है। जैसा कि डीआईपीएएमके साथ चर्चा की गई है उन्होंने वित्त वर्ष 2017–18 और एवं वित्त वर्ष 2018–19 के लिए लाभांश का संदाय करने से छूट प्रदान कर दी है और यह अनुमोदन की प्रक्रिया के अधीन है।

टिप्पण सं. 2.3

(रकम रुपए में)

अन्य दीर्घावधि दायित्व	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार
व्यापार संदेय		
– सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम*	–	–
– अन्य अन्य सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम	**1,174,000,042**	1,039,353,069
अन्य दायित्व,		
– प्रतिभूति जमा एवं प्रतिधारण धन#	**3,043,694,345**	2,164,649,278
– ग्राहक से प्राप्त अग्रिम	**338,674,080**	839,154,599
– ग्राहक को संदेय अन्य	**14,085,298**	30,887,869
योग	**4,570,453,765**	4,074,044,815

*सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 22 के निबंधनों में इन उपक्रमों को देंय रकम का प्रकटन किए जाने की अपेक्षा है। इन उपक्रमों से अधिनियम के अधीन रजिस्ट्री कृत होने की अपेक्षा है। अधिकांश विक्रेताओं से उनके रजिस्ट्रीकरण के संबंध में सुसंगत सूचना की अनुपस्थिति में अपेक्षित सूचना का उचित रूप से पता नहीं लगाया जा सकता है।

ईपीआईएल द्वारा मयांमार परियोजना में सीएंडसी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के निमित्त ईपीआईएल द्वारा बैंक प्रतिभूति के बदले 45.54 करोड़ रुपए में 10.12 करोड़ रुपए की रकम सम्मलित है और शेष को ओमान में किए गए कार्य के स्थान पर प्राप्त किया गया है।

टिप्पण सं. 2.4

(रकम रुपए में)

दीर्घावधि दायित्व	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार
कर्मचारी फायदा :		
–छुट्टी नकदीकरण	**125,702,577**	107,913,131
–दीर्घ सेवा पुरस्कार	**1,386,608**	2,382,554
–पश्च सेवानिवृत्ति चिकित्सा फायदे	**167,744,878**	163,997,811
–पश्च सेवानिवृत्ति यात्रा भत्ता	**284,173**	247,530
योग	**295,118,236**	274,541,026

टिप्पण सं. 2.5

(रकम रुपए में)

लघु अवधि उपबंध	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार
प्रतिभूत		
–बैंक से मांग किए जाने पर संदेय ऋण #	**89,050,000**	-
अप्रतिभूत		
–बैंक से मांग किए जाने पर संदेय ऋण *	**499,496,889**	-
योग	**588,546,889**	-

कंपनी की कार्यशील पूंजी की अपेक्षा को पूरा करने के लिए 26,50,00,000 करोड़ रुपए ग्राहक के नियत जमा के विरुद्ध ओवरड्राफ्ट के लिए 8,90,50,000 रुपए (पूर्व वर्ष शून्य) की रकम (अर्थात ग्राहक के जमा धन में से)

*आईओबी दिल्ली के पास निधि आधारित सीमा के विरुद्ध स्वच्छ नकद प्रत्यय के लिए 49,94,96,889 रुपए (पूर्व वर्ष शून्य) के लिए रकम

टिप्पण सं. 2.6

(रकम रुपए में)

व्यापार संदेय	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार
व्यापार संदेय		
–सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रम#	**1,82,57,846**	57,61,885
–सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रम से भिन्न अन्य	**4,93,11,63,187**	4,94,51,86,136
योग	**58,85,46,889**	4,95,09,48,021

*सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 22 के निबंधनों में इन उपक्रमों को देंय रकम का प्रकटन किए जाने की अपेक्षा है। इन उपक्रमों से अधिनियम के अधीन रजिस्ट्री कृत होने की अपेक्षा है। अधिकांश विक्रेताओं से उनके रजिस्ट्रीकरण के संबंध में सुसंगत सूचना की अनुपस्थिति में अपेक्षित सूचना का उचित रूप से पता नहीं लगाया जा सकता है। कंपनी के पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर वर्ष के अंत में 1,82,57,846 लाख रुपए(पूरब वर्ष 57,61,885 लाख रुपए) सूक्ष्म लघु और मध्यम उपक्रमों को संदेय थे। वर्ष के लिए ब्याज की कोई रकम संदेय नहीं थी।

टिप्पण सं. 2.7

(रकम रुपए में)

अन्य चालू दायित्व	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार
ग्राहकों से अग्रिम	**3,73,44,24,661**	4,93,34,36,805
संदेय प्रतिभूति, प्रतिधारण और जमा	**61,10,76,884**	1,28,24,61,874
बकाया दायित्व	**10,01,86,554**	4,47,72,826
ग्राहक को संदेय अन्य रकम	**5,25,70,000**	9,19,82,646
संकर्म के लिए अग्रिम राजस्व	**88,69,20,666**	79,09,83,769
कर्मचारियों को संदेय*	**1,07,60,979**	1,16,57,987
कानूनी दायित्व	**25,68,95,910**	29,12,39,636
योग	**5,65,28,35,654**	7,44,65,35,543

*31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए कार्यनिष्पादन संबंधी वेतन की 38,71,654 रुपए (पूर्व वर्ष 44,64,159 रुपए) रकम कतिपय कर्मचारियों को जारी करने के लिए लंबित है।

टिप्पण सं. 2.8

(रकम रुपए में)

लघु अवधि उपबंध	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार
संभावित हानि के लिए उपबंध	**13,75,47,903**	4,56,60,155
(भारतीय लेखांकन मानक 7 के अनुसार)		
आयकर के लिए उपबंध (विदेशी)	**4,34,30,628**	6,04,10,958
वेतन पुनरीक्षण के लिए उपबंध (3पीआरसी)#	**7,35,79,750**	5,43,03,797
कर्मचारी फायदा		
–छुट्टी नकदीकरण	**2,49,20,423**	2,12,73,786
–उपदान	**29,15,902**	6,78,02,518
–दीर्घ सेवा पुरस्कार	**4,77,220**	6,83,721
–पश्च सेवानिवृत्ति चिकित्सा फायदे	**1,73,01,763**	1,20,57,814
–पश्च सेवानिवृत्ति यात्रा भत्ता	**71,896**	49,348
योग	**30,02,45,485**	26,22,42,097

#1 जनवरी 2017 से वेतन पुनरीक्षण (तीसरा पीआरसी) के संबंध में मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसरण में वित्त वर्ष वर्ष 2018–19 के दौरान लेखा बहियों में 1,92,75,953 (पूर्व वर्ष 3,68,03,797) रुपए का उपबंध किया गया है। 31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार संचित उपबंध 7,35,79,750 रुपए (पूर्व वर्ष 5,43,03,797 रुपए) है।

टिप्पण सं. 2.9 (i)

31.03.2019 की स्थिति के अनुसार संपत्ति, संयत्र और उपस्कर विवरण

(रकम रुपए में)

विवरण	समग्र खंड				अवक्षयण / अपाकरण				शुद्ध ब्लाक	
	अति शेष	वर्धन	विक्रय / बट्टे खाते में डाला गया	योग	अति शेष	वर्ष के दौरान	विक्रय/बट्टे खाते में डाला गया	योग	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
संपत्ति, संयत्र और उपस्कर										
फ्री होल्ड भूमि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
पट्टा धृत भूमि	16,15,856	16,15,856	3,15,792	16,322	3,32,114	12,83,742	13,00,064			
भवन फ्री होल्ड	46,87,325	–	46,87,325	26,85,926	95,297	27,81,223	19,06,102	20,01,399		
पट्टा धृत भवन*	6,67,12,979	6,67,12,979	2,52,01,670	12,77,666	26479336	4,02,33,643	4,15,11,309			
कम्प्यूटर और उपस्कर	4,86,00,852	8,14,922	6,15,080	48800694	4,10,09,956	31,01,781	5,27,369	4,35,84,368	52,16,326	75,90,896
कार्यालय और अन्य उपस्कर	2,50,59,725	7,60,707	3,13,371	2,55,07,061	1,91,13,829	23,38,858	3,63,403	2,10,89,284	44,17,777	59,45,896
संनिर्माण उपस्कर	6,26,40,644	–	6,26,40,644	4,49,32,835	18,58,776	(3)	4,67,91,614	1,58,49,030	1,77,07,809	
फर्नीचर एवं सज्जा	2,72,19,695	2,14,382	6,27,886	2,68,06,191	1,62,48,159	17,42,714	4,11,184	1,75,79,689	92,26,502	1,09,71,536
वाहन	74,21,984	2,16,069	72,05,915	45,77,941	6,32,801	2,05,300	50,05,442	22,00,473	28,44,043	
योग	**24,39,59,060**	**17,90,011**	**17,72,406**	**24,39,76,665**	**15,40,86,108**	**1,10,64,215**	**15,07,253**	**16,36,43,070**	**8,03,33,595**	**8,98,72,952**
पूर्व वर्ष	24,01,08,971	79,40,623	40,90,534	24,39,59,060	14,58,89,440	1,20,79,744	38,83,076	15,40,86,108	8,98,72,952	–

* स्कोप परिसर, नई दिल्ली में भवन के संबंध में कनवेंस विलेख में 3,74,41,925 रुपए (पूर्व वर्ष 3,74,41,925 रुपए) की लागत पर कंपनी के नाम से निष्पादन के लिए नियत आस्तियां लंबित हैं।

टिप्पण सं. 2.9(ii)

31.03.2019 की स्थिति के अनुसार अमूर्त आस्तियां

(रकम रुपए में)

विवरण	समग्र खंड				अवक्षयण / अपाकरण				शुद्ध ब्लाक	
	अति शेष	वर्धन	विक्रय / बट्टे खाते में डाला गया	योग	अति शेष	वर्ष के दौरान	विक्रय/बट्टे खाते में डाला गया	योग	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
अमूर्त आस्तियां										
सॉफ्टवेयर (अर्जित)	1,77,96,157	44,45,256	31,930	2,22,09,483	1,17,55,584	78,99,362	30,450	1,96,24,496	25,84,987	60,40,573
योग	1,77,96,157	44,45,256	31,930	2,22,09,483	1,17,55,584	78,99,362	30,450	1,96,24,496	25,84,987	60,40,573
पूर्व वर्ष	1,38,03,752	42,32,331	2,39,926	1,77,96,157	85,93,695	33,88,131	2,26,242	1,17,55,584	60,40,573	–

टिप्पण सं. 2.10

(रकम रुपए में)

आस्थगित कर आस्तियां (शुद्ध)*	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार
नियत आस्तियों पर अवक्षयण	**(6,069,040)**	(8,336,100)
संदेहस्पद ऋणों के लिए उपबंध	**109,732,306**	112,078,286
कर्मचारी फायदे के लिए उपबंध (एएस–15)	**46,911,664**	39,846,958
अन्य जो अनुज्ञात नहीं किया गया	**45,925,001**	15,249,195
योग	**196,499,931**	158,838,339

*डीटीए की संगणना करने के लिए उपायोजित कर दर 33.384% है (आय–कर 30%, अधिभार 7%, स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर 4% है।)

टिप्पण सं. 2.11

(रकम रुपए में)

दीर्घावधि ऋण और अग्रिम	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार	
(अप्रत्याभूत, अच्छा समझा गया जब तक कि अन्यथा कथित नहीं है)				
संकर्म के लिए अग्रिम :				
–बीजी के विरुद्ध लिया गया स्थलीकरण अग्रिम	**144,721,483**		436,566,985	
–सामग्री के विरुद्ध लिया गया	**5,994,952**		-	
–अन्य अग्रिम	**186,327,335**		162,533,540	
अन्य अग्रिम जिन्हें संदेहस्पद समझा गया	**57,880,446**		57,880,446	
	394,924,216		656,980,971	
घटाएं –संदेहस्पद और खराब अग्रिम के लिए उपबंध	**57,880,446**	**337,043,770**	57,880,446	599,100,525
कर्मचारीवृंद उधार एवं अग्रिम		**1,294,643**		2,331,230
प्रतिभूति एवं प्रतिधारण राशि	**2,070,202,196**		1,458,625,096	
संदेहस्पद समझा गया	**85,312,179**		88,531,569	
	2,155,514,375		1,547,156,665	
घटाएं–संदेहस्पद और खराब वसूली के लिए अनुज्ञात	**85,312,179**	**2,070,202,196**	88,531,569	1,458,625,096
वसूलनीय अग्रिम कर/टीडीएस	**430,936,314**		557,675,160	
घटाएं–आयकर के लिए उपबंध से	**74,945,696**	**355,990,618**	269,798,903	287,876,257
अग्रिम कर (विदेशी)		**51,941,323**		51,941,323
एमएटी प्रत्यय (लेखांकन वर्ष 2018–19)		**-**		2,880,365
अप्रत्यक्ष कर (वसूलनीय, इनपुट कर प्रत्यय, अग्रिम)		**251,658,583**		147,927,724
योग		**3,068,131,133**		2,550,682,520

टिप्पण 2.12

(रकम रुपए में)

अन्य गैर–चालू आस्तियां	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार	
अच्छा समझा गया अप्रत्यभूत	**60,13,57,993**		63,44,11,595	
संदेहस्पद समझा गया	**2,66,75,215**		6,99,39,383	
	62,80,33,208		70,43,50,978	
	2,66,75,215	**60,13,57,993**	6,99,39,383	63,44,11,595
घटाएं य खराब एवं संदेहस्पद वसूलियां के लिए मोक				
अन्य आस्तियां				
ग्राहकों, विक्रेताओं एवं अन्य से वसूलनीय	**2,01,22,09,093**		1,90,41,07,664	
संदेहस्पद समझा गया	**15,88,29,458**		11,93,73,159	
	2,17,10,38,551		2,02,34,80,823	
घटाएं य खराब एवं संदेहस्पद वसूलनीय के लिए मोक	**15,88,29,458**	**2,01,22,09,093**	11,93,73,159	1,90,41,07,664
योग		**2,61,35,67,086**		2,53,85,19,259

टिप्पण सं. 2.13

(रकम रुपए में)

मालसूचियां	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार
सामग्रियां : (लागत से निम्न या एनआरवी)		
–इस्पात	**18,36,355**	92,61,365
–सीमेंट	**40,798**	18,62,625
–पाइप तथा अन्य	–	76,16,318
योग	**18,77,153**	1,87,40,308

टिप्पण सं. 2.14

(रकम रुपए में)

व्यापार वसूलनीय	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार
(अच्छा समझा गया अप्रत्यभूत जो निम्नलिखित के लिए बकाया है:–		
–छह मास से कम	3,344,145,148	3,51,75,00,639
–छह मास से अधिक	127,393,552	9,34,90,650
संदेहस्पद समझा गया	–	–
	3,471,538,700	3,61,09,91,289
घटाएं य खराब एवं संदेहस्पद वसूलनीय के लिए मोक	–	–
योग	3,47,15,38,700	3,61,09,91,289

टिप्पण सं. 2.15 (i)

(रकम रुपए में)

नकद और नकद के समतुल्य	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार	
बैंक में शेष				
बैंक में शेष				
–चालू खाते में*	512,678,819		99,06,73,547	
–नियम जमा (3 मास की परिपक्वता तक)**	2,090,277,167	2,602,955,986	2,520,724,210	3,51,13,97,757
हाथ में नकद		15,205		200,309
		2,602,971,191		3,51,15,98,066

टिप्पण सं. 2.15 (ii)

(रकम रुपए में)

अन्य बैंक शेष :	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार
नियत जमा# (मार्जिन धन/धरोहर राशि के लिए गिरवी रखा गया)	2,95,45,665	2,72,59,833
नियत जमा** (3 मास से अधिक परिपक्वता के साथ किंतु 12 मास से कम)	75,79,00,000	38,36,85,875
योग	78,74,45,665	41,09,45,709

*चालू खाते में ग्राहक के निमित 33,09,96,373 रुपए (पूर्ववर्ती वर्ष 49,98,89,671 रुपए) जमा के रूप में रखा गया है।

**चालू खाते में ग्राहक के निमित 2,74,52,06,575 रुपए (पूर्ववर्ती वर्ष 2,75,29,18,432 रुपए) जमा के रूप में रखा गया है। उपरोक्त नियत जमा कि शेष रकम जो 2,09,02,77,167 रुपए है (पूर्ववर्ती वर्ष 2,52,07,24,209), 26,50,00,000 (पूर्व वर्ष शून्य) को देना बैंक से लिए गए ओवरड्राफ्ट के विरुद्ध गिरवी रखा गया है।

#31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार कंपनी ने 2,95,45,665 रुपए (पूर्व वर्ष 2,72,59,833 रुपए) की नियत आस्तियों को ग्राहकों/अन्य के पास धरोहर राशि जमा/प्रतिभूति जमा के लेखे गिरवी रखा है जिसमें से ग्राहक को प्रस्तुत नियत जमा 71,96,747 रुपए (पूर्व वर्ष 67,61,378 रुपए) विवादाधीन है, यह मामला न्यायालय में है

टिप्पण सं. 2.16

(रकम रुपए में)

लघु अवधि ऋण एवं अग्रिम	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार	
(अप्रत्याभूत अच्छा समझा गया सिवाय अन्यथा कथन के)				
कार्य के लिए अग्रिम :	–		–	
–बीजी के विरुद्ध कार्य के लिए प्राप्त किया गया अग्रिम	**1,00,70,35,682**		1,61,87,28,799	
–सामग्री के विरुद्ध प्राप्त किया गया	**8,97,50,314**		13,32,90,238	
–अन्य अग्रिम	**3,23,96,110**	**1,12,91,82,106**	6,98,32,289	1,82,18,51,326
अप्रत्यक्ष कर		**42,85,03,605**		46,54,97,580
(वसूलनीय अप्रत्यक्ष कर प्रत्यय, अग्रिम)				
कर्मचारीवृंद ऋण एवं अग्रिम		**26,03,222**		36,51,806
प्राप्य प्रतिभूति प्रतिधारण एवं धरोहर धन		**34,34,47,958**		76,76,85,485
योग		**1,90,37,36,891**		3,05,86,86,197

टिप्पण सं. 2.17

(रकम रुपए में)

अन्य चालू आस्तियां	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार
उद्धूत ब्याज किंतु बैंक जमा में शोध्य नहीं	**2,36,64,164**	3,93,16,143
पूर्व संदत्त व्यय	**6,77,57,570**	8,72,67,847
ग्राहकों, विक्रेताओं एवं अन्य से वसूलनीय	**1,01,02,71,118**	1,10,21,34,755
राजस्व जिसका बिल नहीं बनाया गया है।	**2,50,30,77,364**	2,13,19,28,649
योग	**3,60,47,70,216**	3,36,06,47,394

टिप्पण सं. 2.18

(रकम रुपए में)

प्रचालनों से राजस्व	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार
किए गए कार्य का मूल्य	**17,89,67,05,983**	16,07,14,39,585
अन्य प्रचालन आय (पूर्वावधि)	**1,37,80,821**	26,58,922
योग	**17,91,04,86,804**	16,07,40,98,507

टिप्पण सं. 2.19

(रकम रुपए में)

अन्य आय	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार	
निम्नलिखित से अर्जित ब्याज आय:				
बैंक में जमा	**73,36,407**		1,28,72,589	
कर्मचारीवृंद अग्रिम	**1,34,608**		2,26,098	
अन्य (उप–ठेकेदारों/ग्राहकध्आयकर प्रतिदाय)	**1,90,31,280**	**2,65,02,295**	6,12,87,080	7,43,85,767
अन्य गैर–प्रचालन आय				
खर्च न किया गया दायित्व/बट्टे खाते में डाला गया शेष	**58,59,771**		84,73,850	
प्रर्कीण आय	**1,49,47,974**		1,99,51,449	
अग्रिम एएस 7 के अनुसार संभावित हानि के लिए उपबंध को विलोम करना	**44,41,131**	**2,52,48,876**	4,98,68,122	7,82,93,421
योग		**5,17,61,171**		15,26,79,188

टिप्पण सं. 2.20

(रकम रुपए में)

प्रचालन व्यय	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार
सिविल, मैकेनिकल और वैद्युत कार्य	**16,95,81,43,053**	14,89,50,69,195
डिजाइन और सलाहकारी प्रभार	**3,38,25,832**	5,84,23,775
अन्य प्रत्यक्ष व्यय	**6,53,90,002**	5,86,83,273
(लेखांकन मानक 7) के अनुसार भावी नुकसान के लिए उपबंध	**9,81,75,271**	–
संदत्त दावे	**1,03,59,904**	20,56,189
राजस्व	**12,44,304**	4,61,850
योग	**17,16,71,38,366**	15,01,46,94,282

टिप्पण सं. 2.21

(रकम रुपए में)

कर्मचारी पारिश्रमिक और फायदे	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार
वेतन और भत्ते:	**59,02,15,570**	59,48,62,128
भविष्य निधि एवं अन्य निधियों में अंशदान+	**4,66,43,701**	10,85,60,788
कर्मचारी कल्याण व्यय*	**12,51,95,106**	8,17,92,850
योग	**76,20,54,377**	78,52,15,766

वेतन एवं भत्तों में 1,92,75,953 रुपए (पूर्व वर्ष 3,68,03,797 रूपए) का उपबंध सम्मिलित है जो वेतन पुनरीक्षण के कारण सृजित किया गया है (तीसरा पीआरसी)

$ इसमें भविष्य निधि न्यास के कारण 25,27,384 रुपए (पूर्व वर्ष 45,915 रुपए) के ब्याज की कमी के कारण सम्मिलित हैं।

*इसके अंतर्गत चिकित्सा व्यय, छुट्टी नकदी करण दीर्घावधि सेवा पुरस्कार और अन्य कर्मचारी कल्याण व्यय सम्मिलित हैं।

टिप्पण संख्या 2.22

(रकम रुपए में)

वित्तीय लागत	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार
निम्नलिखित को संदत्त ब्याज:		
–बैंक	**2,03,40,248**	39,82,232
–अन्य	**2,98,07,733**	4,45,88,132
योग	**5,01,47,981**	4,85,70,364

टिप्पण सं. 2.23

(रकम रुपए में)

अन्य व्यय	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार
मुद्रण एवं लेखन सामग्री	**67,11,723**	84,34,043
दर और कर	**61,77,667**	59,01,778
डाक व्यय और दूरसंचार	**1,10,24,430**	1,34,97,727
मरम्मत एवं अनुरक्षण		
कार्यालय	**3,29,90,096**	3,53,68,297
भवन	**76,52,920**	14,63,237
अन्य नियत आस्तियां	**81,952**	1,07,577
जल, विद्युत एवं ईंधन प्रभार	**95,77,721**	1,15,97,149
निविदा व्यय	**18,00,587**	14,75,897
विज्ञापन एवं प्रचार	**25,05,878**	67,36,146
विधिक और व्यावसायिक प्रभार	**3,13,18,527**	3,11,38,705
संविदा पर परामर्श	**10,06,904**	50,51,458
बीमा	**32,10,927**	41,08,134
मनोरंजन	**12,37,767**	14,61,336
बैंक प्रभार	**1,04,58,446**	1,31,21,324
वाहन चलाना एवं अनुरक्षण	**19,10,302**	26,79,674
जनशक्ति विकास	19,40,515	1,38,182
नियत आस्तियों की बिक्री पर हानि	**75,104**	1,09,501
प्रायोजक्ता फीस	–	1,15,000
यात्रा एवं अन्य अनुषंगी व्यय (घरेलू)$	**5,80,58,083**	6,75,27,190
यात्रा एवं अन्य अनुषंगी व्यय (विदेश)	**49,04,064**	46,16,831
सीएसआर एवं भरणीयता*	–	48,000
लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक@	**18,18,210**	16,65,163
कारबार संवर्धन	**28,44,365**	4,99,03,818
कार्यालय भाटक	**1,20,12,390**	1,14,19,024
कम्प्यूटर व्यय	**58,43,168**	41,87,130
सदस्यता एवं अंशदान फीस	**1,68,290**	3,07,762
फाइलिंग एवं रजिस्ट्रीकरण फीस	**7,47,996**	37,555
संदेहस्पद ऋणों, उधारों एवं अग्रिमों के लिए	**4,69,81,270**	4,13,01,295
संदेहस्पद वसूली के लिए बट्टे खाते में डाली गई रकम	**5,83,160**	29,46,497
विदेशी मुद्रा में परिवर्तन (लाभ)ध्हानि	**(80,76,745)**	(1,11,33,710)
प्रकीर्ण व्यय	**39,77,425**	1,13,78,641
योग	**25,95,43,142**	32,67,20,361

$ यात्रा और अन्य अनुषंगीव्ययों में स्थल पर कठोर जीवनयापन व्यय के 68,00,684 रुपए (पूर्ववर्ती वर्ष 80,62,540 रुपए) और निदेशकों के यात्रा व्यय 21,60,754/–रुपए (पूर्व वर्ष 21,17,909/–रूपए)

#कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के उपबंधों के अनुसरण में, कोई कंपनी जो लागू होने के सीमा को पूरा करती है से निगम सामाजिक उत्तरदायित्व पर तीन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2 प्रतिशत को व्यय करने की अपेक्षा है। वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा निगम सामाजिक उत्तरदायित्व पर 1,33,000 रुपए (पूर्व वर्षों के बजट से अग्रणीत रकम) को व्यय करने की अपेक्षा है। वर्ष के दौरान संनिर्माण/आस्तियों के अर्जन से भिन्न प्रयोजनों पर वास्तविक रूप में खर्च की गई रकम शून्य रूपए है।

@लेखा परीक्षकों को संदाय के ब्यौरे:

(रकम रुपए में)

लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक#	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार
लेखापरीक्षा फीस	14,49,518	12,69,375
कर लेखापरीक्षा	3,20,692	2,93,088
अन्य सेवाएं (प्रमाणन फीस)	48,000	1,02,600
अन्य लागत	–	10,100
योग	18,18,210	16,65,163

जिसमें जीएसटी सम्मलित नहीं है (पूर्व वर्ष के आंकडों में सेवा कर सम्मलित है)

टिप्पण सं. 2.24

(रकम रुपए में)

पूर्व अवधि समायोजन (शुद्ध)	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार
आय		
प्रचालन आय	–	–
अन्य आय	15,81,792	–
घटाएं : व्यय		
प्रचालन व्यय	9,99,046	1,66,92,000
कर्मचारी पारिश्रमिक और फायदे	–	–
अवक्षयण	–	–
अन्य	12,29,603	22,95,494
योग	(6,46,857)	(1,89,87,494)

टिप्पण सं. 2.25

समेकित वित्तीय, विवरण इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड (कंपनी) और उसकी अनुषंगी कंपनी, जो भारत में निर्मित की गई है तथा उसके निगम मत नहीं किए गए संयुक्त उद्यम (समूह), के हैं।

अनुषंगी और संयुक्त उद्यम पर वित्तीय विवरण में विचार किया गया है, नीचे दिए अनुसार हैं:–

क्र. सं.	अनुषंगी संयुक्त उद्यम का नाम'	संबंध	मालिकाना हित की प्रतिशतता		लाभ और हानि लेखे के समेकित विवरण में सम्मिलित अनुषंगी और संयुक्त रूप से नियंत्रित अस्तित्व का लाभ/(हानि) (रकम रुपए में)	
			31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए	मार्च 2018 को समाप्त होने वाले 31 वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए	31 मार्च 2018 का समाप्त होने वाले वर्ष के लिए
1.	ईपीआई अर्बन इंफ्रा डेवलपर्स लिमिटेड	अनुषंगी	51%	51%	(84,283)	(1,66,409)

* अनुषंगी कंपनी/संयुक्त उद्यम के लेखा परीक्षण नहीं किए गए वित्तीय विवरण पर समूह के समेकित वित्तीय विवरण में विचार किया गया है।

टिप्पण सं. 2.26

(रकम रुपए में)

	आकस्मिक दायित्व और प्रतिबद्धताएँ	31.03.19 की स्थिति के अनुसार	31.03.18 की स्थिति के अनुसार
1	**विधिक और माध्यस्थम की बावत**		
क	अधिनिर्णयन के लिए लंबित दावे, उसके लिए रकम तब ली गई है जब युक्तियुक्त रूप से उसका पता लगाया जा सके।*	**4,65,45,33,142**	3,40,41,18,879
ख	उन मामलों के संबंध में जहां पंचाट कंपनी के पक्ष में प्रकाशित किया गया है किन्तु प्रतिपक्ष ने अपील कर दी है।#	**60,97,00,996**	18,33,39,791
2	विवाद/अपीलों के अधीन पूरे किए गए निर्धारणों के संबंध में आय–कर/विक्रय करध्संकर्म संविदा करध्सेवा कर की मांग के संबंध में।	**50,02,42,916**	47,85,53,255
3.	ग्राहक के निमित्त जारी की गई प्रतिभूतियों के संबंध में	**1,42,54,453**	1,42,54,453

* पूर्वोक्त के विरूद्ध कंपनी के प्रतिस्थानी दावे हैं।

पूर्वोक्त विवादित मांग के विरुद्ध कंपनी ने 45,11,772 रुपए जमा कर दिए हैं।

टिप्पण सं. 2.27

ईआरपी के कार्यान्वयन के लेखे अमूर्त आस्तियों के विकास के लिए निष्पादित शेष संविदाओं की आकलित रकम 79,95,000 रुपए (पूर्व वर्ष 64,05,196 रुपए), है, जिसके लिए उपबंध नहीं किया गया है, और वर्ष 2018–19 में इस निमित्त 37,37,256 रुपए की रकम का पूंजीकरण किया गया है।

टिप्पण सं. 2.28

विदेशी मुद्रा में व्यय :

(रकम रुपए में)

क्र. सं.	विशिष्टियां	31.03.19 को समाप्त वर्ष	31.03.18 को समाप्त वर्ष
1	प्रचालन व्यय	**10,66,69,81,771**	7,38,58,20,302
2	व्यावसायिक एवं सलाह प्रभार	**13,53,103**	1,56,89,866
3	विदेशी मुद्रा में फेरफार नुकसान	**9,77,405**	77,779
4	नियत आस्तियों का क्रय	**4,31,636**	2,00,991
5	**प्रशासनिक एवं अन्य व्यय**	–	
क	यात्रा	**90,60,075**	1,12,29,660
ख	निविदा व्यय	–	38,916
ग	अन्य	**7,51,85,556**	5,14,23,150
	योग	**10,75,39,89,54**	7,46,44,80,664

विदेशी मुद्रा में अर्जनः

(रकम रुपए में)

क्रम सं.	विशिष्टियां	31.03.19 को समाप्त वर्ष	31.03.18 को समाप्त वर्ष
1	संकर्म प्राप्तियां	**11,16,14,95,122**	7,95,44,96,532
2	ब्याज से आय	**52,54,063**	6,74,734
3	विदेशी मुद्रा में परिवर्तन से लाभ	**90,54,150**	1,07,21,332
4	अन्य	**2,04,886**	40,15,006
	योग	**11,17,60,08,22**	7,96,99,07,60

वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान ओमान से प्राप्त विदेशी मुद्रा 56,30,90,474 रुपए जो 80,75,000 अमरीकी डालरों के बराबर है (पूर्ववर्ती वर्ष 43,01,98,234 रुपए जो 66,90,000 अमरीकी डालरों के बराबर है)।

टिप्पण 2.29

क) कंपनी ने विभिन्न बैंकों से बिना किसी प्रतिभूति के 5,99,94,68,247 रुपए (पूर्ववर्ती वर्ष 7,13,75,06,067 रुपए) की गैर–निधि आधारित प्रत्यय सीमा का उपयोग किया है। बिना किसी सुरक्षा के विभिन्न बैंकों से 759,86,00,000 (पूर्ववर्ती वर्ष 962,80,10,485) की स्वीकृत सीमा के विरुद्ध। इसके अंतर्गत ईपीआई–सीएंडसी–जेवी द्वारा मयांमार में निष्पादन की जाने वाली परियोजना के लिए 75.90,00,000 रुपए सम्मलित हैं, इसके अंतर्गत अग्रणी भागीदार अर्थात् सीएंडसी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के निमित्त बैंक प्रतिभूति के बदले 45.54,00,000 रुपए और स्वयं के निमित्त 30.36,00,000 रुपए की रकम सम्मलित है ।

ख) ईपीआईएल द्वारा मयांमार परियोजना में सीएंडसी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के निमित्त ईपीआईएल द्वारा बैंक प्रतिभूति के बदले 45.54 करोड रुपए में 10,12,36,194 करोड रुपए की रकम प्राप्त की है और शेष को ओमान में किए गए कार्य के स्थान पर प्राप्त किया गया है।

टिप्पण सं. 2.30

लेखांकन मानक 17 के अनुसार प्रकटन

कंपनी ने दो प्रारंभिक खंडों की पहचान की है अर्थात घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय। तदनुसार, खंड सूचना नीचे दिए अनुसार हैः

प्रारंभिक खंड सूचना (भौगोलिक)

(रकम रुपए में)

विशिष्टियां	चालू वर्ष				पूर्व वर्ष			
	घरेलू	अंतर्राष्ट्रीय	अन–आबंटित	योग	घरेलू	अंतर्राष्ट्रीय	अन–आबंटित	योग
कारोबार की किस्म	**संनिर्माण**				**संनिर्माण**			
प्रचालनों से राजस्व	6,74,89,91,682	11,16,14,95,122	–	17,91,04,86,804	8,11,96,01,975	7,95,44,96,532	–	16,07,40,98,507
अन्य आय	3,46,45,247	54,58,949	1,16,46,975	5,17,51,171	13,45,89,467	46,89,740	1,33,99,981	15,26,79,188
कुल आय	6,78,36,36,929	11,16,69,54,071	1,16,46,975	17,96,22,37,975	8,25,41,91,442	7,95,91,86,272	1,33,99,981	16,22,67,77,695
परिणाम								
अवक्षयण, ब्याज और कर से पूर्व आय	(27,89,07,380)	24,64,12,177	(19,46,49,564)	(22,71,44,767)	7,48,85,635	42,11,63,853	(41,48,79,697)	8,11,69,791
ब्याज	1,72,11,612	–	3,29,36,369	5,01,47,981	4,46,16,614	3,350	39,50,400	4,85,70,364
अवक्षयण	59,79,738	7,84,710	1,21,99,129	1,89,63,577	63,46,411	7,69,907	83,51,557	1,54,67,875
प्रचालन को जारी रखने से कर से पूर्व ब्याज	(30,20,98,730)	24,56,27,467	(23,97,85,062)	(29,62,56,325)	2,39,22,610	42,03,90,596	(42,71,81,653)	1,71,31,553
प्रचालन को जारी रखने से कर के पश्चात लाभ	(30,20,98,730)	20,21,96,839	(23,03,48,466)	(33,02,50,357)	2,39,22,610	35,99,79,638	(38,25,48,352)	13,53,896
पूंजी व्यय								
मूर्त और अमूर्त आस्तियों में वर्धन	10,27,592	3,31,636	48,76,039	62,35,267	60,27,382	2,00,991	59,44,581	1,21,72,954
अन्य सूचना	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार				31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार			
कुल आस्तियां	11,53,77,77,338	5,06,41,31,070	1,73,11,45,670	18,33,30,54,078	11,60,32,84,923	5,43,25,60,618	2,27,91,49,334	19,31,49,94,875
संपत्ति, संयत्र और उपस्कर	2,77,06,446	35,05,394	5,17,06,742	8,29,18,582	3,26,75,756	41,22,197	5,91,15,572	9,59,13,525
(अग्रणीत रकम)								
कुल दायित्व	10,18,10,68,168	5,10,59,11,037	1,06,96,41,857	16,35,66,21,062	11,02,31,28,763	5,49,86,49,817	48,65,32,922	17,00,83,21,502

टिप्पण सं. 2.31

लेखांकन मानक 7, 'संनिर्माण संविदाएं' की अपेक्षाओं के अनुसरण में प्रकटनः

(रकम रुपए में)

क्रम सं.	विशिष्टियां	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार
1	प्रचालनों से राजस्व	**17,91,04,86,804**	16,07,40,98,507
2	रिपोर्ट की तारीख तक उपगत संविदा लागत और गणना में लिया गया लाभ	**1,11,30,58,86,681**	97,90,36,11,580
3	प्राप्त अग्रिम	**4,07,30,98,741**	57,72,591,404
4	संविदा संकर्म के लिए ग्राहकों से शोध्य समग्र रकम–जिसे आस्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया है	**2,50,30,77,364**	2,13,19,28,649
5	संविदा संकर्म के लिए ग्राहकों को शोध्य समग्र रकम–जिसे दायित्व के रूप में प्रस्तुत किया गया है	**88,69,20,666**	79,09,83,769
6	प्राप्य प्रतिधारण धन	**2,00,83,98,466**	1,84,77,37,062

प्रबंधन ने निर्धारण किया है और पाया है कि आईसीएआई द्वारा जारी लेखाकन मानक–7 के अनुसार विभिन्न परियोजनाओं में संभावित हानि के लेखे 9,81,75,271 रुपए का नया उपबंध करने की अपेक्षा है। यद्यपि पूर्व वर्षों में संभावित हानि के लिए के गए 4,44,41,131 करोड रुपए के उपबंध को विलोम कर दिया गया है।

टिप्पण सं. 2.32

लेखांकन मानक 15 की अपेक्षाओं के अनुसरण में कर्मचारी फायदों का ब्यौरा

i) परिभाषित फायदा बाध्यता में परिवर्तन

(रकम रुपए में)

विशिष्टियां	उपदान	दीर्घवधि अनुकम्पा अनुपस्थिति	दीर्घ सेवा पुरस्कार	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा फायदा	सेवानिवृत्ति उपरांत यात्रा भत्ता
	(वित्तपोषित)	(वित्तपोषित नहीं)	(वित्तपोषित नहीं)	(वित्तपोषित नहीं)	(वित्तपोषित नहीं)
छूट की दर	7.50% *(7.85%)*	7.50% *(7.85%)*	7.50% *(7.85%)*	7.80% *(7.85%)*	7.50% *(7.85%)*
प्रतिकर स्तरों में वृद्धि की दर/प्रीमियम मुद्रास्फीति/यात्रा लागत	5.00%	5.00%	-	0.50%	3.00%
आस्तियों पर रिटर्न की संभावित दर	7.50% *(7.85%)*	–	–	–	–
सेवानिवृत्ति आयु*	60 वर्ष	60 वर्ष	60 वर्ष	60 वर्ष	60 वर्ष
मृत्यु सारणी*	आईएएलएम (2006–08) अल्टीमेंट	आईएएलएम (2006–08) अल्टीमेंट	आईएएलएम (2006–08) अल्टीमेंट	सेवानिवृत्ति पूर्व आईएएलएम (2006–08) अल्टीमेंट सेवानिवृत्ति पश्चः एलआईसी (1996–98) यूएलटी	आईएएलएम (2006–08) अल्टीमेंट
प्रति जोड़े की दर से औसत प्रतिदाय	–	–	–	51561 रुपए	–
	–	–	–	*(55772* रुपए)	–
आयु*		कर्मचारी कारोबार (%)			
35 वर्ष तक	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%
36 से 45 वर्ष	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%
46 से ऊपर	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%

*पूर्व वर्ष के समान

विशिष्टियां	उपदान	दीर्घवधि अनुकम्पा अनुपस्थिति	दीर्घ सेवा पुरस्कार	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा फायदा	सेवानिवृत्ति उपरांत यात्रा भत्ता
	(वित्तपोषित)	(वित्तपोषित नहीं)	(वित्तपोषित नहीं)	(वित्तपोषित नहीं)	(वित्तपोषित नहीं)
वर्ष के प्रारंभ में प्रक्षेपित फायदा बाध्यता	18,74,03,962 *(12,83,38,870)*	12,91,86,917 *(13,47,23,447)*	30,66,275 *(44,87,540)*	17,60,55,625 *(18,46,51,434)*	2,96,878 *(7,84,605)*
चालू सेवा लागत	79,35,479 *(84,03,139)*	89,95,901 *(80,48,040)*	73,420 *(3,27,967)*	62,66,405 *(71,36,293)*	22,932 *(55,879)*
ब्याज लागत	1,36,91,482 *(95,17,860)*	93,06,177 *(95,03,991)*	2,13,867 *(3,24,496)*	1 ,33,47,097 *(1,34,85,962)*	21,368 *(54,994)*
बीमा (लाभ)/हानि	(1,01,57,565) *((1214116))*	3,36,64,696 *(8858597)*	(7,95,744) *((1548254))*	1 ,65,71,112 *((4712548))*	1,18,004 *((571385))*
अर्जन समायोजन	– –	– –	– –	– –	– –
संदत्त फायदा	(2,59,80,355) *((17656355))*	(3,05,30,691) *((31947158))*	(6,93,990) *((525474))*	(2,71,93,598) *((24505516))*	(1,03,113) *((27215))*
पूर्व सेवा लागत	*(6,00,14,564)*				
वर्ष के अंत में प्रक्षेपित फायदा बाध्यता	17,28,93,003 *(18,74,03,962)*	15,06,23,000 *(12,91,86,917)*	18,63,828 *(30,66,275)*	18,50,46,641 *(17,60,55,625)*	3,56,069 *(2,96,878)*

ii) योजना आस्तियां के न्यायोचित मूल्य में परिवर्तन (उपदान)

(रकम रुपए में)

विशिष्टियां	2018–19	2017–18
	(वित्तपोषित)	(वित्तपोषित)
अवधि के प्रारंभ में आस्तियों का न्यायोचित मूल्य	**11,96,01,444**	,40,12,636
योजना आस्तियों पर संभावित रिटर्न	**86,80,452**	84,77,577
बीमा अभिदाय	**6,78,02,518**	43,26,234
बीमा लाभ/(हानियां)	**(1,26,958)**	4,41,352
संदत्त फायदे	**(2,59,80,355)**	(1,76,56,355)
अर्जन समायोजन	–	–
अवधि के अंत में आस्तियों का न्यायोचित मूल्य	**16,99,77,101**	1 1,96,01,444

iii) तुलनपत्र में मान्यता दी गई

(रकम रुपए में)

विशिष्टियां	उपदान	दीर्घवधि अनुकम्पा अनुपस्थिति	दीर्घ सेवा पुरस्कार	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा फायदा	सेवानिवृत्ति उपरांत यात्रा भत्ता
	(वित्तपोषित)	(वित्तपोषित नहीं)	(वित्तपोषित नहीं)	(वित्तपोषित नहीं)	(वित्तपोषित नहीं)
वर्ष के अंत में परिभाषित फायदा बाध्यता	17,28,93,003 *(18,74,03,962)*	15,06,23,000 *(12,91,86,917)*	18,63,828 *(30,66,275)*	18,50,46,641 *(17,60,55,625)*	3,56,069 *(2,96,878)*
वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का न्यायोचित मूल्य	16,99,77,101 *(11,96,01,444)*	– –	– –	– –	– –
वित्तपोषित प्रास्थिति आस्ति/(दायित्व)	(29,15,902) *((6,78,02,518))*	(15,06,23,000) *((12,91,86,917))*	(18,63,828) *((30,66,275))*	(18,50,46,641) *((17,60,55,625))*	(3,56,069) *((2,96,878))*
तुलन पत्र में मान्यता प्रदान की गई शुद्ध (दायित्व)/आस्तियां	(29,15,902) *((6,78,02,518))*	(15,06,23,000) *((12,91,86,917))*	(18,63,828) *((30,66,275))*	(18,50,46,641) *((17,60,55,625))*	(3,56,069) *((2,96,878))*

iv) लाभ एवं हानि लेखे में मान्यता दिए गए व्यय

(रकम रुपए में)

विशिष्टियां	उपदान	दीर्घवधि अनुकम्पा अनुपस्थिति	दीर्घ सेवा पुरस्कार	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा फायदा	सेवानिवृत्ति उपरांत यात्रा भत्ता
	(वित्तपोषित)	(वित्तपोषित नहीं)	(वित्तपोषित नहीं)	(वित्तपोषित नहीं)	(वित्तपोषित नहीं)
चालू सेवा लागत	79,35,479 *(84,03,139)*	89,95,901 *(80,48,040)*	73,420 *(3,27,967)*	62,66,405 *(71,36,293)*	22,932 *(55,879)*
ब्याज की लागत	1,36,91,482 *(95,17,860)*	9 3,06,177 *(95,03,991)*	2,13,867 *(3,24,496)*	1,33,47,097 *(1,34,85,962)*	21,368 *(54,994)*
योजना आस्तियों पर संभावित रिटर्न	(86,80,452) *((8477577))*	- -	- -	- -	- -
अवधि में मान्यता दिया गया शुद्ध बीमा (लाभ)/हानि	(1,00,30,607) *((1655468))*	3,36,64,696 *(88,58,597)*	(7,95,744) *((1548254))*	1,65,71,112 *((4712548))*	1,18,004 *((571385))*
पूर्व सेवा लागत	*(6,00,14,564)* -	- -	- -	- -	- -
लाभ और हानि लेखे में मान्यता दिए गए कुल व्यय	29,15,902 *(6,78,02,518)*	5,19,66,774 *(2,64,10,628)*	(5,08,457) *((895791))*	3,61,84,614 *(1,59,09,707)*	1,62,304 *((460512))*

(i) पिछले 5 वर्ष का तुलनात्मक डाटा–उपदान

(रकम रुपए में)

क्र. सं.	विशिष्टियां	31.03.19	31.03.18	31.03.17	31.03.16	31.03.15
क)	अवधि के अंत में परिभाषित फायदा बाध्यता	17,28,93,003	18,74,03,962	12,83,38,870	13,74,34,160	13,98,97,910
ख)	अवधि के अंत में योजना आस्ति	16,99,77,101	11,96,01,444	12,40,12,636	12,98,03,738	13,54,84,798
ग)	वित्त पोषित प्रस्थिति	(29,15,902)	(6,78,02,518)	(43,26,234)	(76,30,422)	(44,13,112)
घ)	योजना दायित्वों पर अनुभव समायोजन (हानि)/लाभ	(29,15,902)	(6,78,02,518)	(43,26,234)	(76,30,422)	(44,13,112)

(ii) पिछले 5 वर्ष का तुलनात्मक डाटा –दीर्घ सेवा पुरस्कार

(रकम रुपए में)

क्र. सं.	विशिष्टियां	31.03.19	31.03.18	31.03.17	31.03.16	31.03.15
क)	अवधि के अंत में परिभाषित फायदा बाध्यता	15,06,23,000	12,91,86,917	13,47,23,447	13,22,99,042	12,80,71,143
ख)	अवधि के अंत में योजना आस्ति का उचित मूल्य	–	–	–	–	–
ग)	वित्त पोषण प्रास्थिति	(15,06,23,000)	(12,91,86,917)	(13,47,23,447)	(13,22,99,042)	(12,80,71,143)
घ)	तुलन पत्र में मान्यता प्रदान किया गया (दायित्व)/आस्ति	(15,06,23,000)	(12,91,86,917)	(13,47,23,447)	(13,22,99,042)	(12,80,71,143)

(iii) पिछले 5 वर्ष का तुलनात्मक डाटा–सेवानिवृत्त पश्च चिकित्सा फायदा

(रकम रुपए में)

क्र. सं.	विशिष्टियां	31.03.19	31.03.18	31.03.17	31.03.16	31.03.15
क)	अवधि के अंत में परिभाषित फायदा बाध्यता	18,63,828	30,66,275	44,87,540	51,49,456	61,76,600
ख)	अवधि के अंत में योजना आस्ति का उचित मूल्य	–	–	–	–	–
ग)	वित्त पोषण प्रस्थिति	(18,63,828)	(30,66,275)	(44,87,540)	(51,49,456)	(61,76,600)
घ)	तुलन पत्र में मान्यता प्रदान किया गया (दायित्व)/आस्ति	(18,63,828)	(30,66,275)	(44,87,540)	(51,49,456)	(61,76,600)

(iv) पिछले 5 वर्ष का तुलनात्मक डाटा–छुट्टी नकदीकरण

(रकम रुपए में)

क्र. सं.	विशिष्टियां	31.03.19	31.03.18	31.03.17	31.03.16	31.03.15
क)	अवधि के अंत में परिभाषित फायदा बाध्यता	18,50,46,641	17,60,55,625	18,46,51,434	17,03,64,891	12,87,94,211
ख)	अवधि के अंत में योजना आस्ति का उचित मूल्य	–	–	–	–	–
ग)	वित्त पोषण प्रस्थिति	(18,50,46,641)	(17,60,55,625)	(18,46,51,434)	(17,03,64,891)	(12,87,94,211)
घ)	तुलन पत्र में मान्यता प्रदान किया गया (दायित्व)/आस्ति	(18,50,46,641)	(17,60,55,625)	(18,46,51,434)	(17,03,64,891)	(12,87,94,211)

(v) पिछले 5 वर्ष का तुलनात्मक डाटा–छुट्टी यात्रा रियायत

(रकम रुपए में)

क्र. सं.	विशिष्टियां	31.03.19	31.03.18	31.03.17	31.03.16	31.03.15
क)	अवधि के अंत में परिभाषित फायदा बाध्यता	3,56,069	2,96,878	7,84,605	2,72,939	–
ख)	अवधि के अंत में योजना आस्ति का उचित मूल्य	–	–	–	–	–
ग)	वित्त पोषण प्रास्थिति	(3,56,069)	(2,96,878)	(7,84,605)	(2,72,939)	–
घ)	तुलन पत्र में मान्यता प्रदान किया गया (दायित्व)/आस्ति	(3,56,069)	(2,96,878)	(7,84,605)	(2,72,939)	–

पूर्ववर्ती वर्ष के अंकों को इटैलिक्स एवं कोष्ठकों में उपदर्शित किया गया है (*)

कंपनी, लेखांकन मानक 15 के उपबंधों के अनुसार उपदान, दीर्घ अवधि प्रति पूरित अनुपस्थिति, पश्च सेवानिवृत्ति चिकित्सा फायदा, दीर्घ सेवा पुरस्कार और बीमाकंन के आधार पर सेवानिवृत्ति के पश्चात एक बार यात्रा भत्ता प्रदान करती है।

टिप्पण सं. 2.33

संबंधित पक्षकार प्रकटन

कंपनी (लेखांकन) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अधीन विनिर्दिष्ट लेखांकन मानक 18, ''संबंधित पक्षकार प्रकटन'' के अनुसार संबंधित पक्षकारों के नामों के साथ प्रबंधन द्वारा पहचाने गए और प्रमाणित संव्यवहार की समग्र रकम और वर्ष के अंत में शेष निम्नानुसार दिया गया है

i) श्री एन शिवानंद, संयुक्त सचिव, भारी उद्योग विभाग अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार 15 जून 2017 से 14 सितंबर 2018 तक धारण कर रहे थे। श्री शिवानंद, अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) को निदेशक (परियोजनाएं) का भी अतिरिक्त प्रभार भारी उद्योग विभाग द्वारा 1 जुलाई 2018 से 14 सितंबर 2018 तक सौंपा गया था। इसके पश्चात श्री एस एस रावत, निदेशक (परियोजना प्रबंधन) ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड को अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और निधि (परियोजनाएं) का अतिरिक्त प्रभार 15 सितंबर 2018 से 3 मार्च की अवधि के लिए सौंपा गया है जिसका 15 दिसंबर 2018 से 6 मार्च की और अवधि के लिए या इन पदों पर नियमित पदधारी की नियुक्ति होने तक या अगला आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो विस्तार किया गया है।

ii) प्रमुख प्रबंध कार्मिक जिसके साथ वर्ष के दौरान संव्यवहार किया गया था :

- ➢ श्री लेखराज, निदेशक (वित्त), 13 अप्रैल 2017 से
- ➢ श्री एसपीएस बक्शी, अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक (20 मार्च 2017 से निलंबित और 30 नंबर 2018 को अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त)
- ➢ श्री वीनू गोपाल निदेशक (परियोजनाएं) (30 जून 2018 को अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त)
- ➢ श्री सुशांत बालिगा, अंशकालिक, गैर शासकीय निदेशक (17 नवंबर 2018 से पुन नियुक्त)
- ➢ डॉ. अनिता चौधरी, अंशकालिक, गैर शासकीय निदेशक (30 नवंबर 2018 से पुन नियुक्त)
- ➢ श्रीमती सुधा वेंकटा वरदन, कंपनी सचिव (1 अक्टूबर 2018 को त्यागपत्र दिया)
- ➢ श्रीमती दीपिका मेहता, कंपनी सचिव (1 अक्टूबर 2018 से नियुक्त)

iii) ईपीआईएल अर्बन इंफ्रा डेवलपर्स लिमिटेड (ईपीआईयूआईडीएल) को ईपीआईएल की अनुषंगी के रूप में 19 मई 2016 को निगमित किया गया।

प्रारंभ में श्री एसपीएस बक्शी (ईपीआई से निलंबन के अधीन और 30 नंबर 2018 को अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्तऔर

इसलिए ईपीआईयूआईडीएलअंशकालिक अध्यक्ष नहीं रहे) श्री वीनू गोपाल (ईपीआई से अधिवर्षिता के उपरांत सेवानिवृत्त और 30 मई 2018 से अंशकालिक निदेशक नहीं रहे) और श्री सुशांत बालिगा (ईपीआईयूआईडीएल से 31 जून 2019 को त्यागपत्र दे दिया) उन्हें अंशकालिक निदेशक के रूप में नाम निर्दिष्ट किया गया है। बोर्ड ने 25 जुलाई 2017 को आयोजित अपनी बैठक में श्री एन शिवानंद, जो ईपीआई के अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार देख रहे हैं को ईपीआईयूआईडीएल के निदेशक बोर्ड में अंशकालिक निदेशक नाम निर्दिष्ट किया है, उन्होंने ईपीआईयूआईडीएल से अपना पथ 14 सितंबर 2018 से छोड़ दिया है।

श्री कपिल तारा, कार्यकारी निदेशक (डबल्यूआरओ), ईपीआई (इस समय ईपीआई से निलंबन के अधीन है) को अंशकालिक मुख्य कार्यपालक अधिकारी (केएमपी) नामनिर्देशित किया गया था और श्रीमती सुधा वैंकटा वरदन सीएस (ईपीआई) को इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी में अंशकालिक सीएस नामनिर्देशित किया गया है (उनके नाम निर्देशन को उनके द्वारा 01 अक्टूबर 2018 से ईपीआईएल से त्यागपत्र देने के कारण वापस ले लिया गया है)

अनुषंगी कंपनी के साथ व्यौहारों का ब्यौरा

(रकम रुपए में)

विशिष्टियां	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार	31.03.2018 की स्थिति के अनुसार	प्रकृति
अति शेष (प्राप्य रकम) {क}	**47,871**	69,700	नामे
अनुषंगी के निमित्त व्ययों की प्रतिपूर्ति {ख}	**165260**	84,231	नामे
अनुषंगी से प्राप्त रकम{ग}	–	1,06,060	प्रत्यय
इति शेष (वसूलनीय रकम) {घ} (घ=क+ख–ग)	**2,13,131**	47,871	नामे

iv) 2 अगस्त, 2017 को ईपीआई–सीएंडसी "संयुक्त उद्यम" (अनिगमित), इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड और सीएंडसी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग विशिष्टियों के अनुसार दो लेन की सड़क के निर्माण का कार्य प्लेटवा–से भारत–म्यांमार सीमा (जोरिनपुई) म्यांमार के किन राज्य में 0.00 किलोमीटर से 109.20 किलोमीटर जिसमें सीएंडसी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड का 60: हित और इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड का 40: हित है, विरचित किया गया। सीएंडसी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, संयुक्त उद्यम के अग्रणी भागीदार के रूप में कार्य करेगा।संयुक्त उद्यम के सामान्य खर्च के लिए 40: भाग के लिए 3,03,744 रुपए को वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान ईपीआईएल की लेखा बहियों में गणना में दिया गया है

31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड और सीएंडसी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के बीच कोई संव्यवहार नहीं किया गया। ईपीआई के कार्य के भाग के लिए जिसे " अन्य अग्रिम" के अधीन टिप्पण संख्या 2.17 में सम्मिलित किया गया है, ईपीआई के कार्य के भाग के लिए वित्त वर्ष 2017–18 के दौरान विभिन्न पक्षकारों को 3,35,646 रुपए का अग्रिम दिया गया था।

v) कारबार के सामान्य प्रक्रम मैं संबंधित पक्षकारों के साथ निम्नलिखित संव्यवहार किए गए थे।

निदेशकों के पारिश्रमिक के ब्यौरे

(रकम रुपए में)

विशिष्टियां	2018–19	2017–18
वेतन'	**53,69,346**	77,16,181
भविष्य निधि में अंशदान	**3,58,210**	4,55,722

मकान किराया	**4,02,825**	10,58,632
चिकित्सा व्यय	**6,20,878**	3,11,063
बैठक फीस	**3,55,000**	4,40,000

क) श्री शिवानंद, अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) और श्री एस एस रावत, अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)कंपनी में नियोजित नहीं है और इसलिए वर्ष 2018–19 के दौरान उन्हें किसी वेतन/भत्ते का संदाय नहीं किया गया है।

अनुषंगी कंपनी के संबंध में नातेदार पक्ष कार, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और निदेशकः–

1. श्री कपिल तारा, कार्यकारी निदेशक (डबल्यूआरओ), ईपीआई (20 मार्च 2017 से ईपीआई से निलंबित), अंशकालिक मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ईपीआईयूआईडीएल
2. श्री सुधीर, श्रृंगेरे, वरिष्ठ एसोसिएट, उपाध्यक्ष, डीसीपीएल, अंशकालिक मुख्य वित्त अधिकारी (13 जुलाई 2016 से त्यागपत्र दे दिया है और पद अभी रिक्त है)
3. श्रीमती सुधा वैंकट वर्धन, कंपनी सचिव, शकालिक कंपनी सचिव, ईपीआईयूआईडीएल (उनके नाम निर्देशन को उनके द्वारा 01.10.2018 को ईपीआईएल से त्यागपत्र देने के कारण वापस ले लिया गया है)
4. श्री एसपीएस बक्सी, अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, निर्देशक ईपीआई और अंशकालिक अध्यक्ष, ईपीआईयूआईडीएल, (ईपीआई से 20 मार्च 2017 से निलंबित ईपीआई से अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त है और इसलिए पार्ट टाइम चेयरमैन, ईपीआईयूआईडीएल 30.09.2018 को समाप्त हो गया।)
5. श्री एन. शिवानंद अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) ईपीआई अंशकालिक निदेशक, ईपीआईयूआईडीएल (ईपीआईएल से पद त्यागने के कारण उन्होंने ईपीआईयूआईडीएल से 14 सितंबर 2018 से पद त्याग दिया)
6. श्री वीनू गोपाल, निदेशक (परियोजनाएं) ईपीआई और अंशकालिक निदेशक, ईपीआईयूआईडीएल (अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त और इसलिए 30 जून 2018 को ईपीआईयूआईडीएल के अंशकालिक निदेशक नहीं रहे)
7. श्री सुशांत बालिगा, स्वतंत्र निदेशक, ईपीआई और अंशकालीन निदेशक, ईपीआईयूआईडीएल (31 मई 2019 को ईपीआईयूआईडीएल त्यागपत्र दे दिया)
8. श्री नंदकिशोर मोती लाल शाह, अंशकालिक निदेशक, आईडीपीएल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।
9. बामन केकि दिनशाह बामन जी मेहता, अंशकालिक निदेशक, डीसीपीएल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।

वर्ष के दौरान कारबार के साधारण क्रम में संबंधित पक्षकारों के साथ कोई संव्यवहार नहीं किया गया।

टिप्पण सं. 2.34

संनिर्माण सामग्री के स्टॉक के मात्रात्मक ब्यौरे नीचे दिए अनुसार हैं :

विशिष्टियां	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार	
	मात्रा (एमटी)	मूल्य (रुपए)	मात्रा (एमटी)	मूल्य (रुपए)
सीमेंट	8.53	40.798	376	18,62,625
इस्पात	21.69	18.36.355	224	92,61,365
इस्पात पाइप	–	–	26390(आरएमटी)	76,16,318

टिप्पण सं. 2.35

आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) के विनिश्चय के अनुसार इंजीनियरिंग प्रोजेक्टस (इंडिया) लिमिटेड के सामरिक विनिवेश की वैसे ही केंद्रीय पब्लिक सेक्टर उपक्रमों के माध्यम से अर्जन द्वारा प्रक्रिया प्रगति पर है।

टिप्पण सं. 2.36

''उपबंध, आकस्मिक दायित्व और आकस्मिक आस्तियां'' पर लेखांकन मानक 29 के अधीन प्रकटन :

(रकम रुपए में)

विशिष्टियां	अतिशेष	वर्ष के दौरान किया गया उपबंध	वर्ष के दौरान संदत्त/समायोजित	बट्टे खाते में डाले गए उपबंध	इतिशेष
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)=(ii+iii-iv-v)
परियोजना आकस्मिकताएं*	33,57,24,557	4,69,81,270	5,40,08,529	–	32,86,97,298
कर्मचारी फायदा	37,64,08,213	9,07,21,137	12,63,23,910	–	34,08,05,440
वेतन पुनरीक्षण (तीसरा पीआरसी)	5,43,03,797	1,92,75,953	–	–	7,35,79,750
योग	**76,64,36,567**	**15,69,78,360**	**18,03,32,439**	–	**74,30,82,488**
पूर्ववर्ती वर्ष	64,50,77,523	18,68,71,642	6,13,31,597	41,81,001	76,64,36,567

*परियोजना आधार पर प्राप्य रकम के लिए किया गया उपबंध (संदेय रकम को छोडकर)

माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण के अनुसार परिसमापक द्वारा ईपीआई के यूबी इंजीनियरिंग लिमिटेड (यू बीईएल) पर दावों को ध्यान में रखते हुए वर्ष के दौरान 31 मार्च 2019 तक किए गए आठ करोड रुपए के उपबंध के अतिरिक्त 4 करोड रुपए का उपबंध किया गया (31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार 12 करोड रुपए का कुल उपबंध) इसे प्रबंधन द्वारा विद्यावान स्थिति में युक्तियुक्त माना गया है और इसके लिए लेखा वहियों मैं उपबंध किया गया है जिसे पूर्वोक्त के अनुसार 16 करोड रुपए (निबल संदेय) के विरोध परियोजना आकास्मिकताओं के अधीन शामिल किया गया है।

टिप्पण सं. 2.37

प्रबंधन ने निर्धारण किया है और पाया कि नियत आस्तियों के मूल्य में कोई कमी नहीं आई है। इसलिए 31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार कोई उपबंध करने की आवश्यकता नहीं है।

टिप्पण सं. 2.38

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के उपबंधों के अनुसरण में, कोई कंपनी जो लागू होने के सीमा को पूरा करती है से निगम सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पर तीन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2 प्रतिशत को व्यय करने की अपेक्षा है। वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा निगम सामाजिक उत्तरदायित्व पर 1,33,000 रुपए (पूर्व वर्षों के बजट से अग्रणीत रकम) को व्यय करने की अपेक्षा है। वर्ष के दौरान निगम सामाजिक उत्तरदायित्व और भरणीयता कार्यकलापों पर खर्च की गई रकम शून्य है

टिप्पण सं. 2.39

प्रति शेयर आधारिक और कम किए गए अर्जन की संगणना कर के पश्चात लाभ 33,03,34,640 रुपए (पूर्व वर्ष 13,53,896 रुपए) को 3,54,22,688 के 10/–रुपए प्रत्येक पूर्णतः संदत्त साम्या शेयरों को विभाजित करके की जाती है।

	2018–19	2017–18
प्रति शेयर आधारिक और कम किया गया अर्जन (रुपए)	**(9.33)**	0.03

टिप्पण सं. 2.40

19 मई 2016 को ईपीआई की एक अनुषंगी कंपनी को "ईपीआई अर्बन इंफ्रा डेवलपर्स लिमिटेड (ईपीआईयूआईडीएल)" के रूप 10 लाख रुपए की संदत्त पूंजी से निगमित किया गया था, जो ईपीआई द्वारा 51 प्रतिशत, मैसर्स भारत अर्बन इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, सोलापुर द्वारा 39 प्रतिशत और मैसर्स दाराशा एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई डीसीपीएल द्वारा 10% के साथ भूमि पार्सलों आदि के विकास के लिए मिलकर बनी है।

अनुषंगी कंपनी अपने निगमन से ही प्रचालन नहीं कर रही है। एक सरकारी कंपनी होने के नाते, निदेशकों की नियुक्ति का प्रस्ताव जिसके अंतर्गत पहले निदेशकों से मिलकर बनने वाला अंतरिम बोर्ड का अनुमोदन है, को सरकार से अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया गया था और इसी बीच सरकार ने डीपीआई के सामरिक अविनिधान के लिए कार्रवाई आरंभ कर दी। क्योंकि सरकार ने अनुषंगी कंपनी की विरचना का समर्थन नहीं किया, ईपीआई ने ईपीआईयूआईडीएल के समापन के लिए स्वैच्छिक समापन/परीसमापन के लिए ईपीआईयूआईडीएल के शेयरधारकों के अनुमोदन की शर्त के अधीन रहते हुए मंजूरी दे दी और प्रशासनिक मंत्रालय ईपीआईयूआईडीएल को बंद करने के लिए सहमत हो गया। तथापि स्वैच्छिक परीसमापन के लिए 20 दिसंबर 2017 को आयोजित ईपीआईयूआईडीएल की पहली वार्षिक साधारण बैठक में बीयूआईडीपीएल सहमत नहीं हुआ। ईपीआई के अपने शेयरों का अन्य दो शेयरधारकों को प्रस्ताव करने के पश्चातवर्ती प्रयास सफल नहीं हुए थे। ईपीआई के बोर्ड समापन/प्रस्थान के लिए अन्य विकल्पों के लिए संबंधित प्राधिकारियों से मिलने का विनिश्चय किया।

वित्त वर्ष 2016–17 के दौरान अनुषंगी कंपनी में 5,10,000/–रुपए के विनिधान के लिए 100 प्रतिशत उपबंध किया गया है।

(रकम रुपए में)

क्रम संख्या	विशिष्टियां	31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के अनुसार	31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के अनुसार
1.	प्रचालनों से राजस्व	–	
2.	अन्य व्यय	**1,65,260**	3,26,293
3.	लाभ /(हानि)	**(1,65,260)**	(3,26,293)
4.	अल्पसंख्यक हित का भाग (49%)	**(80,977)**	(1,59,884)
5.	समूह का भाग (51%)	**(84,283)**	(1,66,409)

टिप्पण सं. 2.41

ईपीआई के कुछ कर्मचारियों के विरुद्ध सीबीआई ने तीन मामले रजिस्टर किए हैं और प्राथमिकी रजिस्टर की हैं। जिनमें से दो मामले वर्ष 2017–18 और एक मामला वित्त वर्ष 2016–17 के दौरान दर्ज किया गया है। यह मामले ईपीआई के कुछ कर्मचारियों द्वारा निविदा प्रदान करने के लिए अवैध लाभ के आरोप में हैं। ईपीआई को प्राथमिकी में एक पक्षकार नहीं बनाया गया है। इससे उसके वित्तीय विवरणों पर किसी प्रभाव की परिकल्पना नहीं है।

टिप्पण सं. 2.42

राष्ट्रीय जल आपूर्ति एवं निकासी बोर्ड (एनडब्ल्यूएसडीबी), श्री लंका (ग्राहक) ने चीनी निर्माता/पूर्तिकार द्वारा ईपीआईएल को प्रदान की गई बबुनिया जल आपूर्ति स्कीम के लिए पूर्ति किए गए एचडीपीई पाइपों को उनकी खराब क्वालिटी के कारण अस्वीकार कर दिया और ईपीआईएल को अच्छी क्वालिटी के पाइपों से बदलने के लिए कहा। ईपीआईएल ने चीनी पूर्तिकार को भुगतान जारी कर दिया था, यद्यपि ईपीआईएल को करार के निबंधनों के अनुसार एनडब्ल्यूएसडीबी से भुगतान (96 प्रतिशत) मिल गया। 18.78 करोड रुपए की समतुल्य रकम का दावा विनिर्माता के विरुद्ध माध्यस्थम में 31 अक्टूबर 2016 को विरुद्ध किया गया है। माध्यस्थ ने 29 जनवरी 2018 को लगभग 17.25 करोड रुपए का पंचाट ईपीआईएल को प्रदान किया और अब ईपीआईएल कोलंबो वाणिज्यिक उच्च न्यायालय में माध्यस्थम को डिक्री में परिवर्तित करने के लिए और चीनी विनिर्माता (जियांगसू कुयानलोंग, न्यू मैटेरियल कंपनी लिमिटेड) के विरुद्ध उसे लागू करने के लिए अग्रसर हो गई है। अस्वीकार किए गए पाइपों को बदलने के कारण संभावित हानि और इसमें एवं लागत के बढ़ने के लिए 13.27 करोड़ रुपए (पाइपों के अवशिष्ट मूल्य पर विचार करते हुए) है, को वित्त वर्ष 2017–18 में गणना में लिया गया है और 5.96 करोड रुपए की और हनी को वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान गणना में लिया गया है तथा इस संबंध में किसी और हानि की संभावना नहीं है।

टिप्पण सं. 2.43

व्यापार प्राप्य, उधार एवं अग्रिम, ग्राहकों का अग्रिम, प्रतिधारण धन, प्राप्यध्संदेय प्रतिभूति जमा और व्यापार संदेय पुष्टि और मिलान के अधीन हैं। प्रबंधन की राय में इनका वित्तीय विवरणों पर प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं है।

टिप्पण सं. 2.44

प्रबंधन की राय में, कारबार के साधारण प्रक्रम में वसूली होने पर चालू आस्तियों का मूल्य तुलन पत्र में कथित से कम नहीं होगा।

टिप्पण सं. 2.45

पूर्व अवधि से संबंधित व्यय/आय और पूर्व संदत्त व्यय प्रत्येक मामले में 1,00,000/–लाख रुपए से अधिक नहीं है को पूर्व वर्ष में 50,000 रुपए के विरुद्ध, चालू वर्ष के लिए व्यय/आय माना गया है। इसके परिणाम स्वरूप चालू वर्ष का व्यय घ्1,37,047 रुपए अधिक है, लाभ 1,37,047 रुपए कम है और चालू आस्तियां 1,37,047 रुपए कम है।

टिप्पण सं. 2.46

क) मैसर्स यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (यूसीआईएल) से 31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार व्यापार प्राप्य, प्रतिधारण एवं अन्य वसूलियां 23,68,95, 695 रुपए हैं। पूर्वोक्त रकम 10 वर्ष से अधिक पुरानी है और इसे वसूलने के लिए लगातार प्रयास किया जाता है। अंतिम निपटान के लंबित होने तक अनुभव/प्रगति प्रबंधन द्वारा मामले का निर्धारण के आधार पर 31 मार्च 2019 तक4,43,77,000/–रुपए का उपबंध किया गया है।

ख) बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर परियोजना को ग्राहक द्वारा अप्रैल 2017 में समाप्त कर दिया गया था। 31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार उप–अभिकरण से वसूली की जाने वाली रकम 43,06,21,757/–रुपए है, इसे टिप्पण संख्या 2.12 में ' अन्य गैर चालू आस्तियां' के अधीन " ग्राहक, विक्रेताओं एवं अन्य से वसूलनीय"उप दर्शित किया गया है। यह मामला ग्राहक एवं उप–अभिकरण दोनों के साथ मध्यस्थम के अधीन है।

ग) वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान 5 एल एल पी डी दुग्ध संयंत्र, 30 संपूर्ण एमटीपीडी विद्युत संयंत्र एवं सेवा एवं प्रयोगशाला स्थापन के देहरी और सोन में डिजाइन, अपूर्ति, उत्कीर्ण एवं चालू करने से संबंधित 83,29,77,163/–रुपए मूल्य की संविदा को ग्राहक द्वारा समाप्त कर दिया गया। 4,30,49,500/–रुपए की कुल रकम जो ग्राहक द्वारा

सचल अग्रिम के विरुद्ध अधिक वसूल की गई है को, टिप्पण संख्या 2.12 में 'ग्राहक, विक्रेताओं एवं अन्य से वसूलनीय–गैर चालू आस्तियां' के अधीन दर्शित किया गया है।

टिप्पण सं. 2.47

कंपनी को परियोजना प्रबंधन सलाहकार (पीएमसी) की क्षमता में दिए गए कार्य के संबंध में कार्य के परिमाण में अन्य बातों के साथ कंस्ट्रक्शन कार्यकलापों के लिए ठेकेदारों की नियुक्ति, ठेकों की मानिटरी और पर्यवेक्षण, युक्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई नीतियों से ठेकेदारों को भुगतान सम्मिलित है, कंपनी ठेके कार्य की संपूर्ण लागत को जिसके अंतर्गत पीएमसी फीस सम्मिलित है, " किया गया कार्य" शीर्ष के अधीन राजस्व के अधीन अपने टर्नओवर के रूप में मान्यता प्रदान करती है और तदनुसार ठेकेदार के कार्य की लागत को कार्य लागत के अधीनमान्यता दी जाती है। ऐसी परियोजनाओं से संबद्ध आस्तियों और दायित्व नियोक्ता के निमित्त न्यास में धृत को कंपनी की आस्ती और दायित्व के रूप में उसके तुलन पत्र में संबंधित शीर्षों के अधीन मान्यता दी जाती है। इसका कंपनी द्वारा लगातार अनुसरण किया जा रहा है जो अपने ठेकों को लेखांकन मानक–7 के अधीन लागत जमा ठेका मानती है।

टिप्पण सं. 2.48

यू बी इंजीनियरिंग लिमिटेड (यूबीईएल) को उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद और बिजनौर जिलों में वर्ष 2005 में पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (पीवीवीएनल) द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण का कार्य दिया गया था। यूबीईएल ने यूबीईएल और ईपीआई के बीच हुए समझौता ज्ञापन के माध्यम से इस कार्य का उप–ठेका इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड को दे दिया। वित्त वर्ष 2016–17 के दौरान यूबीईएल ने दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 10 के अधीन निगम दिवाला समाधान प्रक्रिया आरंभ कर दी। राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी), मुंबई की खंडपीठ ने यूबीईएल के आवेदन को स्वीकार कर लिया।

एनसीएलटी मुंबई खंडपीठ ने तारीख 5 दिसंबर 2017 के आदेश द्वारा यूबीईएल के पर इस मापन की उद्घोषणा की। ईपीआई ने परिसमापक के पास तारीख 4 जनवरी 2018 को अपना दावा प्रस्तुत किया। परिसमापक ने ईपीआई द्वारा प्रस्तुत दावे को अस्वीकार कर दिया, ईपीआई ने परिसमापक द्वारा ईपीआई के दावे को अस्वीकार करने को माननीय एनसीएलटी में चुनौती दी। माननीय एनसीएलटी तारीख 2 मई 2018 के अपने आदेश द्वारा परिसमापक के तारीख 13 जनवरी 2018 के आदेश को अपास्त कर दिया और परिसमापक को ईपीआई द्वारा प्रस्तुत दावों पर एक विचारशील आदेश के साथ ईपीआई को माननीय एनसीएलटी को पुनः आवेदन करने की स्वतंत्रता के साथ विचार करने का निर्देश दिया यदि दावों को फिर से अस्वीकार कर दिया जाता है। तारीख 2 मई 2018 के उक्त आदेश के अनुसरण में परिसमापक 9 तारीख 3 फरवरी 2015 का एक नया आदेश जारी किया जिसमें उसने 13 जनवरी, 2018 के पहले आदेश को जारी करने से इंकार किया और यह और की कथन किया कि ईपीआई और यूबीईएल के बीच ठहराव एक संयुक्त उद्यम था न की प्रचालन देनदार और इसलिए दावों को अन्य पणधारी होने के नाते प्ररूप 'जी' में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार ईपीआई के पास 23.16 करोड रुपए यूबीईएल से बकाया थे (टिप्पण संख्या 2.11 और टिप्पणी संख्या 2.12 मैं सम्मिलित) तथा ठेकेदारों/विक्रेताओं को इस परियोजना से संबंधित 7.16 करोड रुपए संदेय थे। संविदा की शर्तों के अनुसार ठेकेदार संदाय के लिए केवल तभी पात्र होगा जब ईपीआई को ग्राहक से तत्स्थानी रकम प्राप्त होती है।

यूबीईएल की चालू दिवाला/परिसमापन कार्यवाहियों को ध्यान में रखते हुए ईपीआई ने यूबीईएल से वसूले जाने वाली रकम के लिए पूर्व वर्ष तक 12 करोड रुपए का उपबंध किया। प्रबंधन ने वर्ष 2018–19 के दौरान ईपीआई की लेखाहियों में यूबीईएल से बकाया के विरुद्ध युक्ति संगत आकलन के रूप में 4 करोड रुपए के और उपबंध पर विचार किया ताकि शुद्ध प्राप्त रकम रु. 16 करोड़ का उपबंध किया जा सके (यूबीईएल से प्राप्त 23.16 करोड रुपए घटा 7.16 करोड रुपए जो बैक टू बैक आधार पर उप ठेकेदारों को संदेय हैं)

टिप्पण सं. 2.49

वेतन और अन्य संबंधित लागत के लिए मुख्यालय व्यय 15,60,61,529/–रुपए का वित्त वर्ष 2018–19 के लिए ओमान को आवंटन किया गया है जिसमें ओमान में के शाखा लेखों में इसी मद्दे व्यय की कटौती का ओमान आयकर नियमों और भी विनियमों के अनुसार दावा किया गया है।

टिप्पण सं. 2.50

कंपनी ने कतिपय कार्यालय और आवासीय परिसरों को परिचालन पट्टा पर लिया है जोकि संबंधित करारों के अनुसार समुचित नोटिस देकर रद्द किया जा सकता है। वर्ष के दौरान 2,05,30,408/–रुपए इन रद्द किए जा सकने वाले पट्टा प्रचालनों के लिए प्रभावित किए गए हैं।

कंपनी ने कतिपय आस्ति जैसे कार को रत्ना किए जा सकने वाले प्रचालन पट्टों पर लिया है। वर्ष के दौरान 4,92,404/–रुपए (पूर्व वर्ष 8,88,466/–रुपए) इन रद्द न किए जा सकने वाले प्रचालन पट्टों के लिए संद्त्त किए गए। इन पट्टों के संबंध में भावी न्यूनतम पट्टा संदाय नीचे दिए अनुसार हैं:

i) 1 वर्ष के पूर्व संदेय 4,45,296/–रुपए (पूर्व वर्ष 492,404/–रुपए)
ii) 1 वर्ष के पश्चात किंतु 5 वर्ष से पूर्व संदेय 7,79,268/–रुपए (पूर्व वर्ष 12,24,564/–रुपए
iii) 5 वर्ष के पश्चात संदेय कुछ नहीं (पूरे वर्ष कुछ नहीं)

टिप्पण सं. 2.51

संयुक्त उद्यमों के संबंध में प्राक्कटन

क्र. सं.	संयुक्त प्रचालनों का नाम (अनिगमित)	भागीदार और मूल देश	31 मार्च की स्थिति के अनुसार भागीदारी हित (प्रतिशत में)	
			2019	2018
1.	ईपीआई–सी एंड सी संयुक्त उद्यम	सी एंड सी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, इंडिया	60%	60%
		इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड इंडिया	40%	40%

टिप्पण सं. 2.52

पिछले वर्ष के अंको का मिलान, पुनःसमूहीकरण कर लिया गया है और उन्हें चालू वर्ष के वर्गीकरण/समूहीकरण के अनुरूप करने के लिए पुनः तैयार किया गया है।

कृते निदेशक बोर्ड के लिए और उसकी ओर से

यह हमारी समसंख्यक तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते के.पी.एम.सी एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट
फर्म रजिस्ट्रीकरण सं.005359सी

ह0/–
(लेख राज)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन07794894

ह0/–
(एस. एस. रावत)
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
(अतिरिक्त प्रभार)
डीआईएन07555572

ह0/–
(सी.ए पंकज कुमार)
भागीदार
सदस्यता संख्या 073291
स्थानः नई दिल्ली
तारीखः 16 जुलाई, 2019

ह0/–
(एन के शर्मा)
कार्यकारी निदेशक (वित्त)

ह0/–
(दीपिका मेहता)
कंपनी सचिव

प्ररूप एओसी–1

(कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम पांच के साथ पठित धारा 129 की उपधारा (3) के पहले परंतुक के अनुसरण में)

अनुषंगी या सहबद्ध कंपनियों या संयुक्त उद्यमों की वित्तीय विवरणों के मुख्य लक्षणों को अंतर्विष्ट करने वाला विवरण

भाग क अनुषंगियां

(प्रत्येक अनुषंगी के संबंध में सूचना रुपए के साथ रकमों में प्रस्तुत की जानी है)

1.	अनुषंगी का नाम	ईपीआई अर्बन इंफ्रा डेवलपर्स लिमिटेड
2.	वह तारीख जिससे अनुषंगी का अर्जन/ निगमन किया गया है	19 मई 2016
3.	संबंधित अनुषंगी की रिपोर्ट करने की अवधि, यदि नियंत्रित कंपनी के रिपोर्ट की जाने वाली अवधी से भिन्न है	नियंत्री कंपनी के समान (1.04.2018–31.03.2019)
4.	विदेशी अनुषंगी की दशा में सुसंगत वित्त वर्ष की अंतिम तारीख को रिपोर्ट की जाने वाली मुद्रा और विनिमय दर	लागू नहीं
5.	शेयर पूंजी*	10,00,000
6.	आरक्षिति और अधिक्य	–5,97,530
7.	कुल आस्तियां	6,15,601
8.	कुल दायित्व	2,13,131
9.	विनिधान	–
10.	टर्नओवर	–
11.	कराधान से पूर्व लाभ	–1,65,260
12.	कर के लिए उपबंध	–
13.	कर के पश्चात लाभ	–1,65,260
14.	शेयर धृति का परिमाण (प्रतिशत में)	51%
15.	प्रस्तावित शेयर	कुछ नहीं

टिप्पण :

उन अनुषंगियों का नाम जिन्होंने अभी प्रचालन आरंभ करना है	कुछ नहीं
उन अनुषंगियों का नाम जिनका वर्ष के दौरान परिसमापन या विक्रय कर दिया गया है	कुछ नहीं

* शेयर पूंजी में जारी और भुगतान पूंजी शामिल है।

उद्यम

एसोसिएट कंपनियों और संयुक्त उद्यमों से संबंधित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 129(3) के अनुसरण में विवरण

	एसोसिएट या संयुक्त उद्यम का नाम	ईपीआई सीएंडसी जेवी
1.	**नवीनतम लेखापरीक्षक तुलन पत्र की तारीख#**	31.3.2019
2.	**वह तारीख जिसको एसोसिएट या संयुक्त उद्यम को सहमत किया गया था या आयोजित किया गया था**	02.8.2017
3.	**वर्ष के अंत में कंपनी द्वारा धारण किए गए एसोसिएट या संयुक्त उद्यम के शेयर**	
	संख्या.	शून्य
	एसोसिएट या संयुक्त उद्यम विनिधान की रकम	शून्य
	नियंत्रण का परिमाण (प्रतिशत में)	40 %
4.	**इस बात का विवरण कि कैसे उसका महत्वपूर्ण प्रभाव है**	लागू नहीं
5.	**एसोसिएट/ संयुक्त उद्यम को समेकित ना करने के कारण**	लागू नहीं
6.	**नवीनतम लेखापरीक्षित तुलन पत्र के (ईपीआई–सीएंडसी जेवी) अनुसार शेयर धारण के मद्दे शुद्ध मूल्य**	–7,84,360
7.	**वर्ष के लिए लाभ या हानि**	
	i. समेकन में विचार किया गया	–3,03,744
	ii. समेकन में विचार नहीं किया गया	–4,55,616

अप्राधिकृत वित्तीय विवरणों पर समेकन के लिए विचार किया गया है।

कृते निदेशक बोर्ड के लिए और उसकी ओर से

यह हमारी समसंख्यक तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते के.पी.एम.सी एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट
फर्म रजिस्ट्रीकरण सं.005359सी

ह0/–
(लेख राज)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन07794894

ह0/–
(एस. एस. रावत)
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
(अतिरिक्त प्रभार)
डीआईएन07555572

ह0/–
(सी.ए पंकज कुमार)
भागीदार
सदस्यता संख्या 073291

ह0/–
(एन के शर्मा)
कार्यकारी निदेशक (वित्त)

ह0/–
(दीपिका मेहता)
कंपनी सचिव

स्थानः नई दिल्ली
तारीखः 16 जुलाई, 2019

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (ख) के अधीन इंजीनियरिंग प्रोजेक्टस (इंडिया) लिमिटेड के 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड के 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अधीन विहित रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करना कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। अधिनियम की धारा 139(5) के अधीन भारत के महालेखा नियंत्रक और परीक्षक द्वारा नियुक्त कानूनी लेखा परीक्षक अधिनियम की धारा 143(10) के अधीन विहित लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के अधीन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं। यह कथन किया गया है कि ऐसा उन्होंने 16 जुलाई 2019 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट द्वारा किया है।

मैंने भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के निमित्त अधिनियम की धारा 143(6)(क) के अधीन 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखा परीक्षा संचालित की है। यह अनुपूरक लेखा परीक्षा स्वतंत्र रूप से कानूनी लेखा परीक्षकों के कार्यशील कागज पत्रों तक बिना किसी पहुंचकर की गई है और मुख्यतः यह कानूनी लेखा परीक्षकों से और कंपनी के कार्मिकों से पूछताछ तक तथा कुछ लेखा अभिलेखों की चुनिंदा जांच तक सीमित है।

मेरी अनुपूरक लेखा परीक्षा के आधार पर मेरे ध्यान में ऐसा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं आया है जो अधिनियम की धारा 143(6)(ख) अधीन किसी टिप्पण की अपेक्षा करें या कानूनी लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुपूरक हो।

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक
की ओर से और उनके निमित्त

ह./–
(प्राची पांडे)
प्रधान निदेशक, वाणिज्य लेखा परीक्षा
एवं पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड–1,
नई दिल्ली

स्थानः नई दिल्ली
तारीख : 19 सितंबर, 2019

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(4) के साथ पठित धार 143(6) के अधीन इंजीनियरिंग प्रोजेक्टस (इंडिया) लिमिटेड के 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड के 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अधीन विहित रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करना कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। अधिनियम की धारा 29(4) के साथ पठित धारा 139(5) के अधीन भारत के महालेखा नियंत्रक और परीक्षक द्वारा नियुक्त कानूनी लेखा परीक्षक अधिनियम की धारा 143(10) के अधीन विहित लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के अधीन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं। यह कथन किया गया है कि ऐसा उन्होंने 16 जुलाई 2019 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट द्वारा किया है।

मैंने भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के निमित्त अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143(6)(क) के अधीन 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखा परीक्षा संचालित की है। किंतु ईपीआई की अनुषंगी अर्बन इन्फ्रा डवलपर्स लिमिटेड की उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखा परीक्षा संचालित नहीं की है। इसके अतिरिक्त अधिनियम की धारा 139(5) और धारा 143(6) ईपीआई – सीएंडसी जो एक प्राइवेट अस्तित्व है को कानूनी लेखा परीक्षकों की नियक्ति के लिए अनिगमित निकाय होने के नाते और अनुपूरक लेखा परीक्षा संचालित करने के लिए लागू नहीं होती है। तद्नुसार भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक ने न तो अनुपूरक लेखा परीक्षा संचलित की है न ही कानूनी लेखा परीक्षकों की नियुक्ति की है। यह अनुपूरक लेखा परीक्षा स्वतंत्र रूप से कानूनी लेखा परीक्षकों के कार्यशील कागज पत्रों तक बिना किसी पहुंचकर की गई है और मुख्यतः यह कानूनी लेखा परीक्षकों से और कंपनी के कार्मिकों से पूछताछ तक तथा कुछ लेखा अभिलेखों की चुनिंदा जांच तक सीमित है।

मेरी अनुपूरक लेखा परीक्षा के आधार पर मेरे ध्यान में ऐसा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं आया है जो अधिनियम की धारा 143(6)(ख) अधीन किसी टिप्पण की अपेक्षा करें या कानूनी लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुपूरक हो।

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक
की ओर से और उनके निमित्त

ह./–
(प्राची पांडे)
प्रधान निदेशक, वाणिज्य लेखा परीक्षा
एवं पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड–1,
नई दिल्ली

स्थानः नई दिल्ली
तारीख : 19 सितंबर, 2019

1. अनुषंगी के वार्षिक लेखाओं को अनुपूरक लेखा परीक्षा के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया है।

टिप्पणी

टिप्पणी

आधारभूत संरचना के विकास एवं
टर्नकी परियोजना के निष्पादन में
सार्वजनिक क्षेत्र का अग्रणी उपक्रम

इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लि.

(भारत सरकार का उद्यम)

कोर 3, स्कोप कॉम्प्लैक्स, 7 लोधी रोड, नई दिल्ली–110 003

फोन नं. : +91–11–24361666, फैक्स : +91–11–24363426

ई–मेल : epico@engineeringprojects.com

वेबसाइट : www.engineeringprojects.com

Designed & Printed by : Indu Cards & Graphics, Chawri Bazar, Delhi-06 M. 9811419531